अफसरशाही

एक अनसुना सच...

लेखक - जय भगवान अग्रवाल (पटवारी)

अफसरशाही

एक अनसुना सच...

लेखक - जय भगवान अग्रवाल (पटवारी)

लेखक एवं सम्पादक : जय भगवान अग्रवाल (पटवारी) (M.A. Eco.)

कृति : मूल कृति/ मूल रचना

वर्ष : दिसम्बर 2025

संस्करण : प्रथम संस्करण

ईमेल : jbaggarwal1970@gmail.com

वेबसाइट : afsarshahi.in

फोन न0 : +918630682756

मूल्य : अमूल्य

पता : निवासी ग्राम-बुवाड़ा खुर्द, पोस्ट-खतौली, जिला-मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश

आईएसबीएन : 978-81-95488-25-9

प्रकाशक : सुधाकर प्रेस, मेरठ (उत्तर प्रदेश)

न्यायालय का क्षेत्राधिकार : मेरी इस पुस्तक के वाद-विवाद सम्बन्धित न्यायालय का क्षेत्राधिकार जिला-मुजफ्फरनगर (251001) उत्तर प्रदेश रहेगा।

सर्वाधिकार लेखकाधीन

लेखक की पूर्व लिखित अनुमति के बिना इस पुस्तक के किसी भी भाग को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, जिसमें फोटोकॉपी, रिकॉर्डिंग, फिल्म, अन्य इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक विधियाँ शामिल हैं, पुनरुत्पादित, वितरित या प्रेषित नहीं किया जा सकता है।

अस्वीकरण

इस पुस्तक को प्रकाशित करने में लेखक एवं सम्पादक द्वारा पूर्ण सावधानी रखी गयी हैं फिर भी किसी त्रुटि के लिए आपका सहयोग और सुझाव सादर अपेक्षित हैं।

अनुक्रमणिका

- **शुरुआत ...** **06**
- **खादर क्षेत्र के दो माफिया गिरोह ...** **09**
- **आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों तथा माफियाओं का गठजोड़ होना ...** **14**
- **मेरे द्वारा की गई प्रेस वार्ता एवं इस प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा एक कृत्रिम महाभूमिघोटाले का पर्दाफाश तथा इस महाभूमिघोटाले के नाम पर की गई कार्यवाहियों का क्रमिक विवरण ...** **19**

  (1.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के वास्तविक तथ्य **20**

  (2.) महाभूमिघोटाले के नाम पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियाँ **24**

  (3.) किसानों की भूमि किस प्रकार जबरदस्ती उनसे छीनकर उन्ही पर मुकदमे दर्ज कराये गए उसका एक उदाहरण **57**

  (4.) आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों द्वारा किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल की ऐतिहासिक लूट **60**

  (5.) अधिकारियों द्वारा मेरे विरुद्ध फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराये जाने का क्रम जारी रखना **74**

- **मेरे शस्त्र लाइसेंसो को निरस्त किया जाना ...** **85**
- **मेरे द्वारा लाखों बीघा भूमि के आबंटन/ बन्दरबाँट का दुष्प्रचार एवं उसकी वास्तविकता ...** **86**
- **इस प्रकरण में लेखपाल संघ की भूमिका ...** **89**
- **मेरे घर पर पुलिस की छापेमारी ...** **92**
- **अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही के समय हमारे जिले के राजनेताओं की भूमिकाये ...** **93**

- इस प्रकरण में की जा रही कार्यवाहियों की जाँच जनपद से बाहर कराये जाने के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयास ... 95
- मेरी एवं प्रताप सिंह लेखपाल की गिरफ्तारी तथा अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा द्वारा मेरा अपमान किए जाने का प्रयास ... 96
- अधिकारियों द्वारा जेल में मेरा एवं प्रताप सिंह लेखपाल का उत्पीड़न कराये जाने का वृतांत ... 98
- पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर मुझे अपमानित कराए जाने का घटनाक्रम ... 99
- न्यायालय में पेशी के दौरान लगाई जाने वाली हथकड़ियो से छुटकारा ... 100
- मेरे द्वारा जेल में लिखा-पढ़ी की शुरुआत तथा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनाये प्राप्त करने के प्रयास एवं अधिकारियों द्वारा उसमें उत्पन्न किए गए व्यवधान ... 101
- अधिकारियों द्वारा इस सम्पूर्ण प्रकरण में की गई कार्यवाहियों को माफिया गुरमीत सिंह के कहने पर किया गया उसका लिखित प्रमाण ... 104
- जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके अधिकारियों एवं माफियाओं से लूटवाया जाना ... 105
- मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कुर्क मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों को अवमुक्त किया जाना ... 120
- मेरे द्वारा इस सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 से जाँच कराये जाने के प्रयास एवं उनका परिणाम ... 124
- मेरे द्वारा अपनी प्रेस वार्ता दिनांक 04-11-2014 में कहीं गई बातों को वास्तविक रूप से सिद्ध करना एवं इन अधिकारियों और माफिया के चंगुल से छुड़ाकर लगभग 850 बीघा भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में दर्ज कराया जाना ... 135

- मेरे तथा किसानों द्वारा इस प्रकरण में भारतीय किसान यूनियन से सहायता माँगने के प्रयास एवं उसका परिणाम ... 146
- खादर क्षेत्र के माफिया महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह गिरोह के कारनामे एवं इनमें अधिकारियों की भूमिका ... 149
- मेरी हत्या का प्रयास एवं मेरे ही विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाना ... 155
- मेरी सम्पत्ति का दुष्प्रचार, वास्तविकता, विजिलेंस जाँच और उसका परिणाम ... 162
- एक ऐतिहासिक विभागीय कार्यवाही जिसके द्वारा मुझे लेखपाल पद की सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया ... 168
- थाना खतौली में मेरी हिस्ट्रीशीट खुलवाकर मुझे हिस्ट्रीशीटर बनवाया जाना ... 176
- मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट एवं उसका परिणाम ... 177

नोट

इस पुस्तक में मेरे द्वारा दिये गये सभी प्रमाण एवं सबूत आप QR Code Scan करके देख सकते हैं तथा उनको Download करके प्रिंटआउट निकाल सकते हैं।

शुरुआत

मैं यह नहीं जानता कि मैं जो लिख रहा हूँ उसे डायरी, आत्मकथा, कहानी या किस नाम से जाना जाता है, परन्तु मैं जो लिख रहा हूँ यह वह घटनाक्रम है, जो मेरे साथ घटित हुआ है अर्थात यह मेरी आप-बीती है। मेरा नाम जय भगवान है और मैं उत्तर प्रदेश में लेखपाल (जिसे उत्तर प्रदेश व उत्तराखण्ड में लेखपाल, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, और तेलंगाना में पटवारी महाराष्ट्र, गुजरात, और कर्नाटक में तलाटी, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में ग्राम लेखाकार या कर्णम केरल व बिहार में ग्राम अधिकारी या कर्मचारी के नाम से जाना जाता है) के पद पर कार्यरत था।

वर्ष 2014-2015 में जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत रहे जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रामकिशन शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र एवं तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार ने जनपद मुजफ्फरनगर में हमारे देश के अब तक के सबसे बड़े महाभूमिघोटाले का पर्दाफाश किया था। यह प्रकरण कई महीनो तक प्रदेश व देश की मीडिया में सुर्खियों में छाया रहा था। कई महीनो तक अखबारों में इस महाभूमिघोटाले से जुड़ी खबरें प्रचारित व प्रसारित होती रही थी। इन अधिकारियों द्वारा इस महाभूमिघोटाले का मुख्य कर्ताधर्ता मुझे घोषित किया था तथा मेरे विरुद्ध इतनी भयानक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ की गई, जो स्वतंत्र भारत के इतिहास में अब तक किसी भी सरकारी कर्मचारी के विरुद्ध नहीं की गई होगी।

वैसे तो इस महाभूमिघोटाले की शुरुआत इन पाँच अधिकारियों की जनपद मुजफ्फरनगर में नियुक्ति के बाद ही शुरू हो गई थी किन्तु इस महाभूमिघोटाले का असली धमाका दिनांक 04-11-2014 में मेरी प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद हुआ। इस प्रेस वार्ता में मैंने जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों एवं भूमाफियाओं के गठजोड़ द्वारा हजारों बीघा भूमि को हड़पने के प्रयास का खुलासा किया था। इस प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद ही इन अधिकारियों ने जनपद मुजफ्फरनगर में एक ऐसे महाभूमिघोटाले का अनावरण किया जिसकी आड़ में उनके द्वारा की जा रही सभी अवैध गतिविधियाँ छिपी रह सके।

यह कहानी आपको इस देश में एक ऐसे सत्य से सामना करायेगी जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते, आप सपने में भी यह नहीं सोच सकते कि क्या इतने बड़े-बड़े अधिकारीगण (जिनमे आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी शामिल है) माफियाओं, अपराधियों से अपने सम्बन्धो को छुपाने, अरबो रुपए की सरकारी सम्पत्ति का बन्दरबाँट करने के अपने प्रयासों को छुपाने, अपने भ्रष्टाचार, लूट, एवं गबन को छुपाने के लिये षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी,

जालसाजी व कूटरचना करके अनेक फर्जी रिपोर्ट बना सकते हैं एवं बनवा सकते हैं। हजारों किसानों से उनकी भूमि पर खड़ी अरबो रुपए की गन्ने की फसल छीन कर उस धनराशि को हड़प कर सकते हैं। हजारों किसानों की लाखों बीघा भूमि को उनसे छीनकर मुझ सहित सैकड़ो किसानों पर अनेक फर्जी मुकदमे लिखवाने के बाद उन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत तैयार कर सकते हैं व करा सकते हैं। पुलिस से फर्जी विवेचनाये करा सकते हैं। मा0 मुख्यमंत्री जी एवं शासन को असत्य एवं भ्रामक सूचनाये दे सकते हैं। इन अधिकारियों द्वारा इतना सब कुछ किये जाने के बावजूद यह अधिकारीगण इस महाभूमिघोटाला प्रकरण का पर्दाफाश करने वाले महानायकों की श्रेणी में खड़े हैं।

दूसरी ओर मैं जिसने कई हजार बीघा भूमि को इन अधिकारियों एवं माफियाओ के चंगुल से छुड़ाकर सुरक्षित रूप से गाँव सभा/ राज्य सरकार में निहित कराया। इन अधिकारियों द्वारा मुझे इस महाभूमिघोटाले का मुख्य कर्ताधर्ता, महाभ्रष्टाचारी, लाखों बीघा भूमि का बन्दरबाँट करने वाला व अरबों-खरबो की अवैध संपत्ति का स्वामी, गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, जनपद-मुजफ्फरनगर का टॉप 10 भूमाफिया, सरकारी सेवा से पदच्युत लेखपाल, और 19 आपराधिक मुकदमों का अभियुक्त बनाकर खड़ा किया हुआ है। और मुझे इस महाभूमिघोटाले का खलनायक बनाया हुआ है।

मैं दिनांक 12-04-1991 को लेखपाल के पद पर तहसील-कैराना, उस समय यह तहसील जनपद मुजफ्फरनगर के अन्तर्गत आती थी, में नियुक्त हुआ था। तहसील कैराना में मेरा कार्यकाल दिनांक 02-08-1991 तक रहा। उसके बाद मेरा तबादला तहसील सदर जनपद मुजफ्फरनगर में कर दिया गया, तहसील सदर में, मैं दिनांक 03-08-1991 से दिनांक 31-03-2003 तक रहा। इस तहसील में कार्यरत रहते हुए मैंने राज्य सरकार एवं गाँव सभा के हित में कार्य करते हुए गाँव सभा की भूमियों पर अवैध कब्जेदारो के विरुद्ध कार्यवाहिया की, उनके द्वारा अवैध कब्जे किए जाने के कारण उनके विरुद्ध मुकदमे बनाकर न्यायालय तहसीलदार में प्रस्तुत किये, न सिर्फ प्रस्तुत किये बल्कि उनमें स्वयं प्रभावी पैरवी करके उनको मौके से बेदखल कराया एवं इन अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध न्यायालय तहसीलदार द्वारा काफी जुर्माना भी किया गया जिससे राज्य सरकार को काफी आय भी हुई एवं गाँव सभा व सरकारी भूमिया कब्जा मुक्त हुई। मेरे द्वारा तहसील सदर के लेखपाल क्षेत्र सलेमपुर, किनौनी, खुड्डा, शेरनगर आदि क्षेत्रों के गाँवो में यह कार्यवाहिया की गई, जिस कारण उस समय के अधिकारियों द्वारा मुझे सुरक्षा हेतु दोनाली बन्दूक का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया गया। तहसील सदर से मेरा तबादला तहसील जानसठ में हुआ और मैं दिनांक 01-04-2003 से दिनांक 17-02-2013 तक तहसील जानसठ में कार्यरत रहा। तदोपरान्त मेरा तबादला तहसील बुढाना में कर दिया गया वहाँ पर मैं दिनांक 18-02-2013 से दिनांक 15-02-2014 तक रहा। इसके बाद पुन: मेरा तबादला तहसील सदर में कर दिया गया जहाँ मेरा कार्यकाल दिनांक 16-02-2014 से मेरी सेवा से पदच्युत की तिथि दिनांक 09-01-2015 तक रहा।

तहसील जानसठ में मेरी नियुक्ति थाना रामराज अर्थात रामराज खादर क्षेत्र के अन्तर्गत लेखपाल क्षेत्र सराय खादर पर काफी समय तक रही। इस क्षेत्र पर अपनी नियुक्ति के दौरान मैने ग्राम जमालपुर खादर में 60.2786 हेक्टेयर एवं ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में 12.9480 हेक्टेयर भूमि जो सरकारी भूमि थी और जिस पर भू माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया था, इस सभी भूमि को मैंने भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराया। इसके अलावा ग्राम रहडवा गैर एहतमाली में मैंने 3.5731 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करवाकर उस भूमि पर राज्य सरकार के पक्ष में मौके पर दखल प्राप्त किया।

वर्ष 2010 में गंगा नदी में भयंकर बाढ़ आई थी, इस बाढ़ के दौरान मैंने एन0 डी0आर0एफ0 की टीमों के साथ उनकी मोटर बोट में उनके साथ गंगा नदी की उफनती लहरों के मध्य जाकर उन्हें ऐसे स्थानों पर लेकर गया, जहाँ पर लोग बिजली के खम्भों, पेड़ों और नलकूपों की छतों पर बाढ़ में फंसे हुए थे और कई ग्रामों में बाढ़ में फंसे लोगों को एन0डी0आर0एफ0 की टीमों की मदद से बाहर निकलवाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया और स्थानीय सहयोग से उनके खाने-पीने व पशुओं के चारे की व्यवस्था कराई मेरे द्वारा किए गए इन प्रयासों का परिणाम यह रहा कि वर्ष 2010 में गंगा नदी में आई इस भयंकर बाढ़ में रामराज क्षेत्र में कोई भी जनहानि नहीं हुई।

मेरे द्वारा ग्राम जमालपुर खादर व मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में हजारों बीघा भूमि को भूमाफियाओं से कब्जा मुक्त कराये जाने के कारण यह भूमाफिया मेरी जान के दुश्मन हो गए थे। जिस कारण मैंने रिवाल्वर/ पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किए जाने हेतु उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिया। मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 18-05-2011 की जाँच तत्कालीन नायब तहसीलदार मीरापुर ने की तथा अपनी जाँच आख्या दिनांक 21-05-2011 में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने मेरे द्वारा भूमाफियाओं का अवैध कब्जा हटवाये जाने के कारण मेरी जान को खतरा होना स्वीकार किया और गंगा नदी में आई बाढ़ के दौरान मेरे द्वारा किए गए कार्यों को सराहा गया तथा उच्च अधिकारियों से मुझे रिवाल्वर/ पिस्टल का शस्त्र लाइसेंस प्रदान करने की संस्तुति की गई, जिसके आधार पर तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे रिवाल्वर का शस्त्र लाइसेंस प्रदान किया गया। _ **01**

खादर क्षेत्र के दो माफिया गिरोह

मेरी नियुक्ति के समय रामराज खादर क्षेत्र में दो आपराधिक माफिया गिरोह सक्रिय थे, इनमें पहला गिरोह महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना रामराज का था। इस गिरोह का मुख्य कार्य वन विभाग व ग्राम सभा की भूमियों पर अवैध कब्जा करना व वैध एवं अवैध शस्त्रों के बल पर बेनामी सम्पत्तियों, पट्टेदारो की जमीनों व विवादित भूमियों पर कब्जा करना तथा विदेश में जाकर बस गए भारतीय लोगों के फर्जी मुख्तियारनामें बनवाकर उनकी संपत्तियों पर कब्जा करके उनकी संपत्तियों को विक्रय करना था।

इस गिरोह को इन अवैध कार्यों से रोकने के लिए मेरे द्वारा दिनांक 15-06-2010 में दो पृथक-पृथक रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई, जिनमें जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह के अवैध क्रियाकलापों का उल्लेख करते हुए इन दोनों के नाम पर स्वीकृत क्रमशः राइफल व दोनाली बन्दूक के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए जाने की संस्तुति की। मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर उप जिलाधिकारी जानसठ ने इस गिरोह के द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों का उल्लेख करते हुए इन दोनों के सम्बन्ध में दिनांक 27-07-2010 में अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की। जिसके आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने इन दोनों को कारण बताओं नोटिस जारी किया, इस कारण बताओं नोटिस में उनके द्वारा किए जा रहे आपराधिक कार्यों का उल्लेख है, मेरी रिपोर्ट पर पहले इन दोनों के शस्त्र लाइसेंस निलम्बित हुए, बाद में जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक 03-11-2010 में इन दोनों के शस्त्र लाइसेंस निरस्त किए गए, इस आदेश में उनके द्वारा किए जा रहे अवैध कार्यों का वर्णन अंकित है। _ **02**

इस गिरोह के महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह ने अपनी पत्नी श्रीमती निर्मलकौर के सम्बन्ध में सही तथ्य छुपाकर उसे श्रीमती निर्मलकौर पुत्री गुरदयाल सिंह निवासी शाहपुर दर्शाकर, उत्तर प्रदेश में भूमि क्रय करने की अधिकतम सीमा 12.50 एकड़ से 3.5731 हेक्टेयर अधिक कृषि भूमि ग्राम रहड़वा गैर एहतमाली में क्रय कर ली थी। सही तथ्य छुपा कर नियम विरुद्ध क्रय की गई इस 3.5731 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट मेरे द्वारा उच्च अधिकारियो को किए जाने के पश्चात जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 15-04-2011 में इस 3.5731 हेक्टेयर कृषि भूमि को राज्य सरकार में निहित कर दिया गया और मेरे द्वारा इस भूमि पर दिनांक 02-05-2011 में राज्य सरकार के पक्ष में मौके पर दखल प्राप्त कर लिया गया। _ **03** _ महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह द्वारा ग्राम मुजाहिदपुर

02

03

गैर एहतमाली की उस भूमि, जिसका दखल मेरे द्वारा वन विभाग को दिया जा चुका था, उस पर कब्जा कर लिया गया, इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा दिनांक 12-06-2010 में इनके विरुद्ध अपनी जाँच आख्या प्रस्तुत की गई, जिससे इनका अवैध कब्जा हटवाया जा सका। _ **04**

जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह द्वारा ग्राम शाहपुर में गाँव सभा/ पट्टेदार की भूमि पर अवैध कब्जे की शिकायत उपकार सिंह पुत्र लहरी सिंह निवासी ग्राम रहड़वा द्वारा की गई। जिसकी जाँच मुझे मौके पर अपने साथ ले जाकर क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक द्वारा की गई और यह रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित की गई। इस रिपोर्ट के आधार पर उच्च अधिकारियों से आदेश प्राप्त करके तत्कालीन नायब तहसीलदार द्वारा मुझे इस प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना रामराज में दर्ज कराने का आदेश दिया गया। इस आदेश के अनुपालन में मैंने जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह के विरुद्ध थाना रामराज में मु0अ0सं0- 281 सन 2010 दिनांक 13-10-2010 में दर्ज कराया तथा मौके पर राजस्व निरीक्षक के साथ उस भूमि व गन्ने की फसल का दखल ग्राम प्रधान को दे दिया, दखल के समय वहाँ कमल पुत्र शंकर निवासी रहड़वा भी मौजूद था। गन्ने की फसल को नियमानुसार नायब तहसीलदार महोदय ने बोली लगवाकर नीलाम की व इससे प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया गया मेरे द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे में पुलिस द्वारा जो चार्जशीट मा० न्यायालय में प्रेषित की गई उसमें मुझे उपकार व कमल को गवाह बनाया गया। _ **05**

मेरे द्वारा राज्य सरकार के हित में इस गिरोह के विरुद्ध की जा रही कार्यवाहियों से कुपित होकर महेन्द्र सिंह ने मेरे विरुद्ध थाना जानसठ में एक फर्जी मुकदमा मु०अ० सं०- 322 सन 2010 दर्ज कराया। इस मुकदमे की विवेचना करते हुए पुलिस ने इसे 100% फर्जी माना और इसमें अपनी अन्तिम रिपोर्ट मा०न्यायालय को प्रेषित की, मा० न्यायालय में महेन्द्र सिंह द्वारा अपनी आपत्ति दर्ज कराने पर मा० न्यायालय द्वारा इस मुकदमे की पुनः विवेचना पुलिस थाना जानसठ से कराई गई। पुनः विवेचना में भी यह मुकदमा 100% फर्जी पाया गया, जिस कारण पुलिस द्वारा पुनः इस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट लगाकर मा० न्यायालय को प्रेषित कर दी गई। _ **06**

इस माफिया गिरोह के जगदीप सिंह ने धारा 156 (3) का दुरुपयोग करते हुए थाना रामराज पर मेरे विरुद्ध एक फर्जी मुकदमा मु0अ0सं0- 55 सन 2011 दर्ज कराया जिसकी विवेचना थाना रामराज की पुलिस द्वारा की गई तथा यह मुकदमा 100% फर्जी पाया गया, जिस कारण पुलिस द्वारा इस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट मा० न्यायालय में प्रेषित कर दी गई। _ **07**

04 **05** **06** **07**

इस गिरोह का उद्देश्य मुझे किसी भी प्रकार फर्जी मुकदमों में फंसाना था। इस उद्देश्य के लिए वह लगातार प्रयासरत थे जिस कारण जगदीप सिंह ने एक बार फिर धारा 156 (3) का दुरुपयोग करते हुए मेरे विरुद्ध एक और फर्जी मुकदमा थाना रामराज में मु0अ0सं0- 86 वर्ष 2011 दर्ज कराया। थाना रामराज की पुलिस द्वारा इस मुकदमे की विवेचना करने पर यह मुकदमा 100% फर्जी पाया गया, जिस कारण पुलिस द्वारा इस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट मा० न्यायालय में भेज दी गई। _ **08**

रामराज खादर क्षेत्र में दूसरा आपराधिक माफिया गिरोह गुरमीत सिंह व अवतार सिंह पुत्रगण रघुनन्दन सिंह का था, जो अपने कथित पते कभी ग्राम समाना उर्फ रामराज तहसील जानसठ तो कभी ग्राम सैफपुर-फिरोजपुर उर्फ रामराज तहसील मवाना, कभी दिल्ली तो कभी चण्डीगढ़ लिखते थे। मेरे द्वारा इस माफिया गिरोह के विरुद्ध भी कार्यवाहिया करने का साहस किया गया। इस गिरोह का मुख्य कार्य फर्जी मुख्तियारनामों को बनवाकर अन्य किसानों की भूमि अथवा बेनामी सम्पत्तियो को विक्रय करना था। मेरी नियुक्ति से पूर्व भी गुरमीत सिंह व अवतार सिंह ने ग्राम रहड़वा कदीम में फर्जी मुख्तियारनामें बनवाकर उनके आधार पर अनेक व्यक्तियों की भूमि को अवैध रूप से विक्रय कर दिया था, जिसकी जाँच तत्कालीन तहसीलदार जानसठ व उप जिलाधिकारी जानसठ ने की थी एवं इन बैनामों के आधार पर किए गए भूमि के दाखिल खारिज अर्थात नामान्तरण के आदेशों को निरस्त करते हुए भूमि को मूल खातेदारों के नाम अंकित करते हुए अपनी जाँच आख्या दिनांक 19-03-2005 में अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर को भेजी थी _ **09** _ किन्तु इस गिरोह के विरुद्ध कोई भी एफ0आई0आर0 दर्ज नहीं कराई गई थी। यह दोनों भाई ऐसी भूमियो, जिसका कोई वारिस नहीं होता था, के स्थान पर अन्य फर्जी व्यक्ति खड़े करके अपने पक्ष में मुख्तियारनामे बनवाकर ऐसी भूमि को विक्रय करने के माहिर थे। क्षेत्र सराय खादर में मेरी नियुक्ति के दौरान माफिया गुरमीत सिंह व अवतार सिंह ने अपने दो अन्य भाइयों के साथ मिलकर ग्राम खेड़ा गैर एहतमाली में स्थित अपनी ताई श्रीमती हरभजन कौर पत्नी हरदर्शन सिंह की भूमि को अवैध रूप से हड़पने का प्रयास किया। इन्होंने अपनी ताई की सम्पूर्ण भूमि को स्वयं की भूमि बताकर न्यायालय तहसीलदार जानसठ में धारा 34 के अन्तर्गत वाद संख्या 145 सन 2011 दर्ज कराकर अपनी ताई की सम्पूर्ण भूमि को अपने नाम दर्ज करना चाहा। मेरे द्वारा इस प्रकरण की गहनतापूर्वक जाँच की गई, जिसमें पाया गया कि अपनी ताई के नाम अंकित भूमि में यह चारों भाई आधे हिस्से के मालिक है, आधे हिस्से का मालिक बलदेव सिंह का पुत्र है जो इनके सगे ताऊ का पुत्र है जो कि अमेरिका में रहता है। मेरे द्वारा दिनांक 02-04-2011 में पत्रावली में अपनी सही आख्या प्रस्तुत करने के कारण यह अपने मंसूबों में सफल नहीं हो सके _ **10**

08 **09** **10**

किन्तु इससे यह मुझसे रंजिश रखने लगे और मुझसे बदला लेने की तलाश में लग रहे। उस समय भी इन्होंने मेरे खिलाफ प्रार्थना पत्र तरह-तरह के आरोप लगा कर दिए कितु अधिकारियों द्वारा की गई जाँच में यह प्रार्थना पत्र असत्य तथ्यों पर आधारित होने के कारण निरस्त होते रहे क्योंकि उस समय जिले में ईमानदार अधिकारी नियुक्त थे। फरवरी 2013 में मेरा तबादला तहसील जानसठ से तहसील बुढाना में हो गया, इस बीच माफिया अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह ने पुलिस से साज खाकर मेरे विरुद्ध थाना रामराज पर एक फर्जी मुकदमा दिनांक 05-04-2013 में मु0अ0सं0- 47 सन 2013 अन्तर्गत धारा 384, 504, 506, 427 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया। _ **11** _ मुकदमा दर्ज होने की जानकारी प्राप्त होने के बाद मैं तत्कालीन जिलाधिकारी श्री सुरेन्द्र सिंह जी से मिला व उन्हें सारे प्रकरण से अवगत कराया और उन्हें यह भी बताया कि ग्राम खेड़ा गैर एहतमाली परगना भूम्मा सम्भलहेड़ा तहसील जानसठ में कुछ ऐसे संक्रमणीय भूमिधर है, जो इस धरती पर है ही नहीं और जिनके नाम इस ग्राम में लगभग 850 बीघा कृषि भूमि है जिसकी कीमत अरबो रुपए है। गुरमीत सिंह इन लावारिस व्यक्तियों की भूमि को अपनी भूमि बताकर विक्रय करना चाहता है, दोनों भाइयों ने षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध यह एफ0आई0आर0 कराई है। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री सुरेन्द्र सिंह ने मेरी बात सुन व समझ कर तत्काल ही दूरभाष पर थानाध्यक्ष रामराज को इस एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में निष्पक्ष जाँच कर कार्यवाही करने के निर्देश दिए इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा मुझे भी निर्देशित किया गया कि तुम इस समय ग्राम खेड़ा गैर एहतमाली में तैनात लेखपाल श्री प्रताप सिंह का सहयोग करके लावारिस व्यक्तियों के नाम अंकित इस भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराने की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को प्रेषित कराओ तथा अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करके इस अरबों रुपए की भूमि को ग्रामसभा/ राज्य सरकार में निहित कराने का प्रयत्न करो तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा उसी समय दूरभाष पर उप जिलाधिकारी जानसठ को निर्देश दिया गया कि ग्राम खेड़ा गैर एहतमाली की लावारिस व्यक्तियों के नाम पर अंकित इस भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराओ व इस कार्य में जय भगवान लेखपाल तहसील बुढाना का सहयोग लो। मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में सारी जानकारियाँ श्री प्रताप सिंह लेखपाल को उपलब्ध कराई गई। प्रताप सिंह ने ग्राम खेड़ा गैर एहतमाली की खतौनी में अंकित लावारिस व्यक्तियों जिनके नाम:- (1.) ज्ञान सिंह पुत्र अमर सिंह, (2.) गुरबख्श सिंह पुत्र धारा सिंह, (3.) सूरत सिंह पुत्र अमर सिंह, (4.) लाल सिंह पुत्र धारा सिंह, (5.) गुरनाम सिंह पुत्र हरनाम सिंह, (6.) जसवन्त कौर पुत्री हरि सिंह, (7.) हरजीत सिंह पुत्र ठाकुर सिंह थे, के नाम पर अंकित लगभग 850 बीघा लावारिस कृषि भूमि को उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 की धारा 194 के अन्तर्गत गाँव सभा / राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट दिनांक 15-04-2013 में उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी। _ **12**

11

12

जैसे ही प्रताप सिंह लेखपाल द्वारा इन सातों व्यक्तियों की भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट दिनांक 15-04-2013 में उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की, इस बात की जानकारी गुरमीत सिंह को लगी उसे यह भी जानकारी प्राप्त हो चुकी थी कि मैने ही इस कार्य में प्रताप सिंह लेखपाल का सहयोग किया है तो वह अगली ही सुबह अर्थात दिनांक 16-04-2013 में मेरे विरुद्ध प्रार्थना पत्र लेकर अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) मुजफ्फरनगर के यहाँ पहुँचा और मेरे विरुद्ध लिखित नामजद शिकायत करते हुए मेरी मिली-भगत क्षेत्रीय लेखपाल एवं राजस्व निरीक्षक मीरापुर के साथ होना उल्लिखित करते हुए गुरमीत सिंह ने अपने इस प्रार्थना पत्र में अवतार सिंह द्वारा मेरे विरुद्ध दर्ज कराई गई लूट की एफ0आई0आर0 में भी कार्रवाई किए जाने की माँग की, किन्तु उस समय जिले में श्री सुरेन्द्र सिंह जैसे ईमानदार जिलाधिकारी होने के कारण इस प्रार्थना पत्र पर मेरे विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। _ **12A**

प्रताप सिंह लेखपाल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों पर उप जिलाधिकारी जानसठ के न्यायालय में दिनांक 30-04-2013 में निम्नलिखित वाद पंजीकृत हुए:- वाद संख्या -1 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम गुरबख्श सिंह, वाद संख्या - 2 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम ज्ञान सिंह, वाद संख्या - 3 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम हरजीत सिंह, वाद् संख्या - 4 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम जसवन्तकौर, वाद संख्या - 5 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम लाल सिंह, वाद संख्या - 6 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार बनाम गुरनाम सिंह, वाद संख्या - 7 सन 2013 अन्तर्गत धारा 194, जमींदारी विनाश अधिनियम - सरकार का नाम सूरतसिंह। _ **13**

उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा इन वादों को कायम करके यह उदघोषणा की गई कि यदि इन नामों के कोई व्यक्ति कहीं पर भी है तो वह आकर न्यायालय में पेश हो। न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ में यह वाद कायम होने के उपरान्त गुरमीत सिंह ने मुझे व प्रताप सिंह लेखपाल को ठिकाने लगाने का मन बना लिया, क्योंकि मेरे द्वारा सहयोग करके प्रताप सिंह लेखपाल से इस भूमि को गाँव सभा/ राज्य सरकार में निहित कराने की रिपोर्ट कराई गई थी इसका प्रमाण इन मुकदमों में गुरमीत सिंह द्वारा न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ में दाखिल की गई आपत्तिया भी है। इन सभी 7 मुकदमों में गुरमीत सिंह द्वारा दिनांक 26-08-2013 में जो आपत्तियाँ दाखिल की गई थी उनमें गुरमीत सिंह ने प्रताप सिंह के साथ-साथ मेरे नाम का भी उल्लेख किया तथा मुझे प्रताप सिंह लेखपाल का सहयोगी कहते हुये मेरे द्वारा प्रताप सिंह लेखपाल के साथ मिलकर ये रिपोर्टें माननीय न्यायालय में भिजवाया जाना उल्लिखित किया है। _ **14**

12A **13** **14**

आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों तथा माफियाओं का गठजोड़ होना

इस बीच जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी के रूप में श्री कौशलराज शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन के रूप में डॉ० इन्द्रमणि त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के रूप में श्री रामकिशन शर्मा, उपजिलाधिकारी जानसठ के रूप में श्री उमेश मिश्र तथा तहसीलदार जानसठ के रूप में श्री राकेश कुमार की नियुक्तियाँ हो चुकी थी और यह अधिकारीगण अपने-अपने पदों पर कार्य कर रहे थे। गुरमीत सिंह जो ऐसे अवसर की तलाश में था जब जनपद में ऐसे अधिकारियों का आगमन हो जिनसे उसका तालमेल हो सके और वह इस अरबों रुपए की भूमि/ सम्पत्ति को हड़प सके। इस कड़ी में गुरमीत सिंह ने अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रामकिशन शर्मा से सम्पर्क स्थापित किया एवं उनके माध्यम से अन्य अधिकारियों से सम्पर्क स्थापित किये और इस भूमि को मिल बाटकर हड़प करने की सहमति बनाई। इस प्रकार जनपद मुजफ्फरनगर में यह अधिकारियों एवं माफियाओ का गठजोड़ तैयार हो चुका था। दिनांक 06-11-2014 में इन अधिकारियों एवं माफिया गुरमीत सिंह के गिरोह के इस गठजोड़ में खादर क्षेत्र का दूसरा माफिया गिरोह भी शामिल हो गया, जिसका वर्णन मै आगे करूँगा। जनपद के इन अधिकारियों एवं गुरमीत सिंह के गिरोह के मध्य यह तय हुआ कि इस भूमि को हम तभी हड़प सकते हैं, जब जयभगवान लेखपाल को ठिकाने लगा दिया जाए क्योंकि उसने ही इस भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराने की रिपोर्ट कराई है, इसलिए उसके रहते इस भूमि को हड़पना सम्भव नहीं है। इनके मध्य यह भी तय हुआ कि जय भगवान के विरुद्ध इतनी भयानक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ की जाए जिससे या तो वह अपना मुँह बन्द कर लेगा या आत्महत्या कर लेगा।

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा का एक दूसरा कारण भी था जिस कारण वह इस गठबन्धन का हिस्सा बने, उस समय उनके मन में मेरे प्रति एक बहुत बड़ी खुन्नस थी और इस गठबन्धन ने उन्हें मेरे खिलाफ कार्यवाहियाँ करने का एक मंच/एक अवसर उपलब्ध करा दिया। उस समय मैं जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल संघ का जिला अध्यक्ष था और जिला अध्यक्ष होने के नाते लेखपालों की समस्याओं का निराकरण कराना मेरा दायित्व था, उस समय हमारे जनपद में कई लेखपाल बीमार व अन्य परेशानियों से घिरे हुए थे और वह अपने निवास के निकट की तहसीलों में अपना स्थानान्तरण चाहते थे। इसके लिए हमने बार-बार अधिकारियों से माँग की और इस सम्बन्ध में एक ज्ञापन भी दिनांक 21-05-2014 में जिलाधिकारी महोदय को दिया था, _ 15 _ किन्तु जब कोई समाधान नहीं हुआ तो लेखपाल संघ द्वारा लेखपालों को उनके क्षेत्र के अतिरिक्त जो अन्य क्षेत्र जिसका

कोई वेतन आदि या अन्य सुविधा या कोई मानदेय भी लेखपालों को नहीं मिलता था, ऐसे लेखपाल क्षेत्र के अतिरिक्त बस्तों को अधिकारियों के पास जमा कराकर/ इन अतिरिक्त क्षेत्रों का कोई भी कार्य तब तक न करने का निर्णय लिया, जब तक की बीमार व परेशानियों से घिरे लेखपालों का उनके निवास के निकट की तहसीलों में स्थानान्तरण नहीं हो जाता। इन अतिरिक्त क्षेत्र का बस्ता जमा कर देने/ इन अतिरिक्त क्षेत्रों का कोई कार्य न किए जाने के कारण प्रशासनिक अधिकारियों को परेशानिया पैदा हुई, तब जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने मुझे बुलाया व बातचीत की उन्होंने इन बीमार एवं जरूरतमन्द लेखपालों के ट्रांसफर उनके निवास के निकट की तहसीलों में करने की सहमति दी एवं स्थानान्तरण कर भी दिए, उनसे हुई वार्ता के क्रम में जनपद के लेखपालों ने अतिरिक्त क्षेत्रों के कार्यभार पुनः ग्रहण कर लिए/उनका कार्य पुनः करना आरम्भ कर दिया, किन्तु जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा जी द्वारा इसे अपना अपमान समझा गया।

अब उक्त अधिकारियों एवं आपराधिक माफिया गठजोड़ द्वारा कार्यवाहियों की शुरुआत की गई तथा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने गुरमीत सिंह के कहने पर श्री प्रताप सिंह लेखपाल का तबादला दिनांक 19-09-2014 में तहसील जानसठ से तहसील बुढाना में कर दिया, इसके साथ ही तहसील अध्यक्ष लेखपाल संघ जानसठ श्री मुकेश कुमार का तबादला भी तहसील जानसठ से तहसील बुढाना में कर दिया गया। इस प्रकरण को लेकर लेखपाल संघ तहसील जानसठ की एक बैठक हुई और जिला अध्यक्ष होने के नाते मुझे भी इस बैठक में आमंत्रित किया गया। इस बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय हुआ कि यह तबादले बिना किसी शिकायत के और सत्र के मध्य में किए गए हैं, यह तबादले माफियाओं के कहने पर किए गए हैं यदि यह तबादले निरस्त नहीं किए जाते तो दिनांक 29-09-2014 से तहसील जानसठ के समस्त लेखपाल तहसील मुख्यालय जानसठ पर अनिश्चितकालीन धरना देंगे, इसी बैठक में यह भी तय हुआ कि धरना देने से पूर्व एक बार जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से समय लेकर उनसे मुलाकात की जाए और उनसे इन स्थानांतरणों को निरस्त करने की माँग की जाए। मेरे द्वारा समय लेकर लेखपाल संघ के प्रतिनिधि मण्डल के साथ जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण के ऑफिस जो ग्राम सुजड़ू में स्थित है, जिसमें जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात की गई। इस वार्ता में जिलाधिकारी महोदय को मैंने कहा कि "सर यह तबादले गुरमीत सिंह के कहने पर किए गए हैं, इनका निरस्त किया जाना आवश्यक है ताकि लेखपाल भयमुक्त होकर कार्य कर सकें"। जिलाधिकारी महोदय ने भी इस वार्ता में यह प्रयास किया कि लेखपाल संघ अपना धरना वापस ले ले और उन्हें यह तबादले निरस्त न करने पड़े किन्तु जब मैं इस बात पर डटा रहा कि बिना तबादले निरस्त किए लेखपाल संघ का अनिश्चितकालीन धरना वापस नहीं होगा क्योंकि अगर यह तबादले निरस्त नहीं होंगे तो इससे माफियाओं के हौसले बुलन्द होंगे, तो जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा मुझ पर बिगड़ गए और कहा "कि ठीक है अब तो मैं इन तबादलों को निरस्त कर रहा हूँ किन्तु भविष्य में तुम्हें इसका परिणाम भुगतना होगा"। इसके पश्चात जिलाधिकारी महोदय ने प्रताप सिंह व मुकेश कुमार के तबादलों को दिनांक 29-09-2014 में निरस्त कर दिया। _ **16** _ जिस कारण लेखपाल संघ द्वारा इस प्रकरण में की गई

धरने की घोषणा को वापस ले लिया।

इन तबादलों को निरस्त करने के अगले ही दिन यानी दिनांक 30-09-2014 में गुरमीत सिंह से मेरे विरुद्ध एक प्रार्थना पत्र लिखवाया गया जो जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सम्बोधित था, इस प्रार्थना पत्र में गुरमीत सिंह ने मुझ पर 50 लाख रुपए की रंगदारी माँगने का आरोप लगाया। _ **17** _ गुरमीत सिंह के इस प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या:1505 /एस0टी0-राजस्व दिनांक 13-10-2014 के द्वारा एक जाँच समिति का गठन किया। _ **18** _ इस जाँच समिति के अध्यक्ष अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर श्री रामकिशन शर्मा व सदस्य उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार व थानाध्यक्ष जानसठ को बनाया गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस समिति के अध्यक्ष को यह अधिकार भी दिए कि अन्य सदस्य व सहायक उनकी सुविधा अनुसार होंगे।

जब इस जाँच समिति ने गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच की तो पाया कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों में तो कोई दम नहीं है फिर इन्होंने आपस में विचार-विमर्श किया कि जय भगवान को फसाना तो अति आवश्यक है अन्यथा यह भूमि हम हड़प नहीं कर सकेंगे। तब इन्होंने एक षड्यंत्र के तहत मेरे विरुद्ध तहसीलदार जानसठ से दिनांक 21-10-2014 में फोन पर हुई मेरी बातचीत, जिसका कारण यह था कि तहसीलदार जानसठ द्वारा श्री विजय शर्मा लेखपाल के साथ दुर्व्यवहार किया गया एवं उन्हें उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों की धमकी दी गई थी। लेखपाल श्री विजय शर्मा द्वारा जिला अध्यक्ष होने के नाते इसकी जानकारी मुझे दी गई व इस सम्बन्ध में तहसीलदार महोदय से बातचीत करने के लिए कहा गया, मेरे द्वारा इस सम्बन्ध में तहसीलदार जानसठ से फोन पर बातचीत की गई व लेखपालों के प्रति उनके इस तरह के व्यवहार को अनुचित बताया गया। फोन पर हुई इस बातचीत को आधार बनाकर इन अधिकारियों व माफिया गुरमीत सिंह ने सलाह करके दिनांक 27-10-2014 में थाना जानसठ में तहसीलदार श्री राकेश कुमार को वादी बनाकर मेरे विरुद्ध मु०अ०सं० - 541 सन 2014 अन्तर्गत धारा 353, 504, 506 आई0पी0सी0 एवं 3(1) 10 एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट के अन्तर्गत दर्ज कराया गया। _ **19** _ तहसीलदार जानसठ द्वारा लिखी गई तहरीर के आधार पर किसी भी प्रकार से एस०सी०/ एस०टी० एक्ट का मुकदमा नहीं बनता था और न हीं उन्होंने इस तहरीर में कोई गवाह बनाया था फिर भी इस प्रकार एस०सी०/ एस०टी० एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में विवेचना

17

18

19

के दौरान इस केस में वादी के अलावा मात्र - 2 अन्य गवाह बनाए गए। जिनमें से एक माफिया गुरमीत सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह व दूसरा मोहन सिंह पुत्र अवतार सिंह निवासी रामराज _ **20** _ जो एक शराब माफिया व एक हत्यारा है तथा उसके विरुद्ध थाना बहसूमा जनपद मेरठ में शराब के कई मुकदमे दर्ज हैं। _ **21** _ इसके अलावा उसे हत्या के मामले में सजा हो चुकी थी और वह जमानत पर बाहर था उस समय उसे गवाह बनाया गया बाद में मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद से उसकी अपील निरस्त होने पर वह आजीवन कारावास काट रहा है। _ **22** _ यहाँ विचारणीय विषय यह है कि तहसीलदार जानसठ के अधीन लगभग 250 अधिकारियों/ कर्मचारियों का स्टाफ कार्यरत है, जिसमें नायब तहसीलदार, कानूनगो, लेखपाल, अमीन, बाबू, चपरासी उनके अर्दली उनका ड्राइवर आदि। तहसीलदार महोदय ने इन 250 में से कोई गवाह नहीं बनाया इस माफिया गुरमीत सिंह व उसके सहयोगी शराब माफिया एवं हत्यारे मोहन सिंह को गवाह बनाया गया।

मेरे विरुद्ध तहसीलदार जानसठ द्वारा दर्ज कराई गई इस फर्जी एफ0आई0आर0 लिखवाये जाने के कारण तहसील जानसठ सहित समस्त जनपद के लेखपालों में आक्रोश उत्पन्न हो गया। इस सम्बन्ध में जनपद की अलग-अलग तहसीलों में बैठक आयोजित की गई, तहसील जानसठ में दिनांक 28-10-2014 में आम सभा की एक बैठक बुलाई गई जिसमें इस फर्जी एफ0आई0आर0 को निरस्त किए जाने की माँग की गई एवं इस एफ0आई0आर0 के निरस्त न होने की दशा में दिनांक 03-11-2014 से तहसील मुख्यालय पर धरना देने का नोटिस दिया एवं तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार द्वारा इस झूठी एफ0आई0आर0 दर्ज कराये जाने के कारण उनके बहिष्कार का निर्णय लिया गया। उधर जनपद के अधिकारियों ने एक प्लानिंग के तहत जनपद के तहसीलदार संघ से एक ज्ञापन जिलाधिकारी महोदय को दिलवाया जिसमें तहसीलदार जानसठ द्वारा लिखवाई गई इस एफ0आई0आर0 के आधार पर मेरी गिरफ्तारी की माँग की गई। _ **23**

जैसे ही जिलाधिकारी महोदय को लेखपालों द्वारा दिनांक 03-11-2014 से धरना दिये जाने की सूचना प्राप्त हुई, उन्होंने रविवार अर्थात छुट्टी के दिन दिनांक 02-11-2014 में जनपद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों, जिसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व रामकिशन शर्मा, उपजिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र एवं उपजिलाधिकारी सदर से मेरे खिलाफ एक रिपोर्ट तैयार कराई एवं गुरमीत सिंह से प्रार्थना पत्र लेकर उस प्रार्थना पत्र के आधार पर मेरी

20 **21** **22** **23**

विजिलेंस जाँच गृह विभाग द्वारा कराए जाने की संस्तुति अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 1075/ जे0ए0, दिनांक 02-11-2014 के द्वारा प्रमुख सचिव राजस्व को की। _ **24** _ जिलाधिकारी महोदय ने सतर्कता जाँच के जो बिन्दु शासन को भेजें उनमें प्रथमदृष्टया विभागीय दायित्वों का स्पष्ट उल्लंघन तथा गिरोहबन्द अपराधिक कृत्यों की सम्भावना, बड़े पैमाने पर सीलिंग कार्रवाई से राज्य सरकार में दर्ज होने वाली भूमियों का घोटाला, आय से अधिक करोड़ों रुपए की सम्पत्ति एकत्रित होने की सम्भावना, लेखपाल द्वारा अपने व अपने परिजनों के नाम सम्पत्ति एकत्रित करने की सम्भावना प्रतीत होती है ऐसा लिखा, इसके साथ ही जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी लिखा गया कि ऐसी वृहद जाँच जनपद में उपलब्ध संसाधनों में एक निश्चित समयावधि में शीघ्रता से सम्पन्न नहीं हो सकती, साथ ही आय से अधिक सम्पत्ति एकत्रित करने व आय के निश्चित स्रोतों से भिन्न स्रोतों से सम्पत्ति एकत्रित करने व कई जनपदों में इस आय से अधिक आय को व्यावसायिक उपयोग में लाने की सम्भावना होने के कारण जनपद में कोई ऐसा विभाग नहीं है जो इसकी जाँच कर सके, अतः प्रकरण में विभिन्न प्रकृति की जाँच को पूर्ण रूप से करने में सतर्कता विभाग ही सक्षम है। अर्थात गुरमीत सिंह के कहने/ प्रार्थना पत्र देने मात्र पर मेरे अंदर एकाएक इतने अधिक दोष एवं अवगुण पैदा हो गए, जिनकी जाँच जिलाधिकारी महोदय कराने में असमर्थ और अक्षम हो गये।

24

मेरे द्वारा की गई प्रेस वार्ता एवं इस प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा एक कृत्रिम महाभूमिघोटाले का पर्दाफाश तथा इस महाभूमिघोटाले के नाम पर की गई कार्यवाहियों का क्रमिक विवरण

इस मध्य जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों ने बिना किसी जाँच बिना किसी पड़ताल के मीडिया के माध्यम से एक चरणबद्ध तरीके से मेरे विरुद्ध तरह-तरह के आरोप लगाने शुरू कर दिये तथा मुझे बदनाम करना शुरू कर दिया। अधिकारियों द्वारा चलाए जा रहे इस दुष्प्रचार अभियान से परेशान होकर, जिसमें मेरा पक्ष कहीं भी नहीं रखा जा रहा था, मैंने यह निश्चय किया कि मेरे विरुद्ध यह दुष्प्रचार अभियान क्यों चलाया जा रहा है, इसका उत्तर मैं भी मीडिया के माध्यम से सभी के समक्ष रखूँ। इसके लिए मैंने लेखपाल संघ के पदाधिकारीगण के साथ दिनांक 04-11-2014 में एक प्रेस वार्ता मुजफ्फरनगर में की, जिसमें मैंने, गुरमीत सिंह द्वारा अरबों रुपए की भूमि के फर्जी दस्तावेज बनाकर, उसे जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों की मदद से हड़पने के प्रयास का पूरा विवरण इस प्रेस वार्ता में रखा। यह प्रेस वार्ता अनेक दैनिक समाचार पत्रों मे भी प्रकाशित हुई, जिनमे मेरे द्वारा इस प्रेस वार्ता मे रखे गये सभी तथ्यो को विस्तारपूर्वक प्रकाशित किया गया था। _ 25

जैसे ही मेरे द्वारा यह प्रेस वार्ता की गई और इस प्रेस वार्ता की जानकारी जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को हुई तो इन्होंने आपस में विचार विमर्श किया कि जो बातें जय भगवान ने अपनी प्रेस वार्ता में कही है, वह तो वास्तव में 100% सत्य है, यदि शासन व सरकार का फोकस इस प्रेस वार्ता के बिन्दुओं पर निर्धारित हो गया तो हमारी तो नौकरी चली जाएगी। फिर इन्होंने विचार विमर्श किया कि ऐसा क्या करें ताकि शासन, सरकार व समाज का पूरा ध्यान इस बिन्दु से घूम कर दूसरी तरफ केन्द्रित हो जाए इसके लिए इन्होंने एक षड्यंत्र प्लान तैयार किया जिसमें किसी ऐसे विषय पर ध्यान केन्द्रित करना, कोई ऐसा मुद्दा उठाना, चाहे वह वास्तव में हो या ना हो, जिससे शासन, सरकार एवं समाज को ऐसा लगे कि यह अधिकारी तो वास्तव में भ्रष्टाचारियों पर प्रहार कर रहे हैं और उनकी सराहना हो, ऐसा मुद्दा उछालने के लिए मंत्रणा की। काफी सोच विचार विमर्श के बाद इन्होंने तय किया कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि को एक महाभूमिघोटाले के रूप में प्रदर्शित किया जाए और इसे लाखों बीघा भूमि का महाभूमिघोटाला बताकर प्रचारित व प्रसारित किया जाए, जिससे शासन, सरकार, समाज एवं सब जगह ऐसा लगे कि जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों

25

ने लाखों बीघा भूमि जिसे जय भगवान ने कब्जा रखी थी एवं इस भूमि का बन्दरबाँट कर रखा था, यह कार्यवाही अधिकारियों द्वारा उस भूमि के सम्बन्ध में की जा रही है।

अब उस विषय की वास्तविक जानकारी होना अति आवश्यक है जिस विषय को इन अधिकारियों ने एक महाभूमिघोटाले के रूप में प्रचारित व प्रसारित किया अर्थात हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि।

(1.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के वास्तविक तथ्य...

उत्तर प्रदेश के सरकारी गजट द्वारा दिनांक 30-07-1986 को हस्तिनापुर अभयारण्य की घोषणा हुई बाद में चलकर इस हस्तिनापुर अभयारण्य का नाम हस्तिनापुर वन्य जीव विहार रखा गया। इसमें सम्मिलित किए जाने वाले क्षेत्र की घोषणा उसकी सीमाओं का निर्धारण करते हुए जनपदवार की गई।

(क.) मुजफ्फरनगर वन प्रभाग मीरापुर रेन्ज

(ख.) मेरठ वन प्रभाग हस्तिनापुर और गढ़ रेन्ज

(ग.) मुरादाबाद वन प्रभाग धनोरा रेन्ज

(घ.) बिजनौर वन प्रभाग चाँदपुर और बिजनौर रेन्ज

इस हस्तिनापुर अभयारण्य का कुल क्षेत्रफल 2073 वर्ग किलोमीटर निर्धारित करते हुए इसकी पूरब, पश्चिम, उत्तर व दक्षिण की दिशाएँ भी निर्धारित की गई। यह क्षेत्रफल गंगा नदी की धारा व एवं धारा के आसपास का क्षेत्रफल था जिसे हस्तिनापुर अभयारण्य का नाम दिया गया। मेरठ वन प्रभाग की गढ़ रेन्ज का क्षेत्रफल बाद में हापुड़ जिले का निर्माण होने के कारण उसमें चला गया एवं मुरादाबाद वन प्रभाग की धनोरा रेंज का क्षेत्रफल बाद में अमरोहा जिला गठित होने के बाद यह क्षेत्रफल उसमें चला गया। _ **26**

दिनांक 02-09-1997 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा जनपद में इसकी उदघोषणा प्रकाशित करते हुए इस पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो उन्हें आपत्तियाँ प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। _ **27** _ दिनांक 13 नवम्बर 1997 को एक शासनादेश जारी हुआ जिसमें यह स्पष्ट किया गया कि इस अभयारण्य के विकास के लिए केवल जलमग्न भूमि तथा आसपास की गाँव सभा/ सरकारी भूमि के अतिरिक्त किसी भी निजी का काश्तकार की भूमि न ली जाए। अर्थात हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत जो सीमायें घोषित की गई उन सीमाओं के अन्दर जिन निजी काश्तकारों की भूमि थी वह पूर्व की भाँति अपनी भूमि पर कृषि कार्य करने के लिए स्वतंत्र रखे गए। _ **28**

26 **27** **28**

इसी कड़ी में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 539 /सात- भूलेख, दिनांक 20-07-1998 में उप जिलाधिकारी जानसठ को शासनादेश का उल्लेख करते हुए पत्र लिखा गया कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सीमाओं के अन्दर आने वाली जलमग्न, गाँव सभा/ सरकारी भूमि (जिसमें गाँव सभा की सार्वजनिक उपयोग की भूमि खलिहान, मरघट, कब्रिस्तान, खाद के गड्ढे, सड़क, रास्ता, आबादी के प्रयोजन व विद्यालय हेतु चकबंदी क्रिया में आरक्षित भूमि को छोड़ते हुए) में वन्य जीव विहार हस्तिनापुर का नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दिया जाये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा भी यह स्पष्ट उल्लिखित किया गया कि इसमें किसी भी निजी काश्तकारों की भूमि को न लिया जाए। _ **29** _ अर्थात जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह भी स्पष्ट किया गया कि इस अभयारण्य के कारण किसी किसान की निजी भूमि पर खेती करने में कोई व्यवधान/ परेशानी नहीं होनी चाहिए। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार अभयारण्य की जो सीमायें घोषित हुई उसके अन्तर्गत तहसील जानसठ के 102 गाँव सम्मिलित हुए। इन 102 गाँवो में निजी काश्तकारों की कई लाख बीघा कृषि भूमि थी जो राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर अंकित थी और जिसमें वह पूर्व की भाँति कृषि कार्य करने के लिए स्वतंत्र थे। _ **30**

अब समझने की बात यह है कि जब कोई व्यक्ति हस्तिनापुर वन्य जीव विहार नामक शब्द को सुनेगा तो उसके मन मस्तिष्क में एक ऐसा चित्र उभर कर सामने आएगा जैसे वहाँ कोई अभयारण्य हो उसमें पशु, पक्षी, जंगली जानवर रहते हो, वह क्षेत्र पेड़ पौधों से आच्छादित हो किन्तु वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत थी क्योंकि गंगा नदी के आसपास के गाँवों में जो भूमि पूर्व में गंगा नदी के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित थी, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 20-07-1998 के क्रम में उस भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर अंकित कर दिया गया, तो क्या मात्र नाम बदलने से गंगा नदी का अस्तित्व समाप्त हो सकता था, केवल नाम बदला गया मौके पर पूर्व की भांति गंगा नदी हमेशा से उसी भूमि पर अनवरत रूप से बहती चली आ रही है।

अब हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आने वाले इन गाँवों की सीमाओं के सम्बन्ध में एक दूसरे महत्वपूर्ण बिन्दु को रेखांकित किया जाना अति महत्वपूर्ण है। दरअसल गंगा नदी जनपद बिजनौर और जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा को निर्धारित करती है। तहसील जानसठ के गंगा नदी से मिले हुए गाँव जनपद बिजनौर की सदर तहसील से मिलते हैं। इन दोनों जनपदों के मध्य सीमा विवाद पिछले सैकड़ो वर्षों से लम्बित है जो आज तक लम्बित ही है अर्थात इन गाँव में सीमाओं का निर्धारण आज तक नहीं हो पाया जिसका मुख्य कारण गंगा नदी द्वारा अपनी धारा में निरन्तर परिवर्तन करना रहा है। इस सीमा विवाद की पुष्टि उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा अपने पत्र संख्या 1864 एस0टी0, दिनांक 30-04-2008 व इस

29

30

पत्र के साथ संलग्न 24 ग्रामों की सूची भी करती है जिसमें तहसील जानसठ में स्थित वे सभी 24 गाँव जिनकी सीमायें जनपद बिजनौर से मिलती हैं इन सभी गाँवों को सीमा विवाद के गाँव मानते हुए वर्ष 1359 फसली, वर्ष 1365 फसली एवं 2008 में अर्थात वर्ष 1415 फ़सली में इन गाँवों के क्षेत्रफल में हुई कमी बेशी का उल्लेख करते हुए सर्वे आफ इण्डिया की टीम द्वारा दोनों जनपदों की सीमा निर्धारण का निर्धारण कराने हेतु उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को एक पत्र भेजा गया था। किन्तु सर्वे आफ इण्डिया की टीम द्वारा भी सर्वे करके इन जनपदों की सीमाओं का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है। _ **31**

जनपद बिजनौर के कौन-कौन से राजस्व ग्रामों की सीमायें तहसील जानसठ के ग्रामों से मिलती है, इसकी सूचना मैंने अपने भतीजे के द्वारा आर0टी0आई0 के माध्यम से जनपद बिजनौर से प्राप्त की। कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार बिजनौर पत्रांक 2, स0ना0त0/ आर0टी0आई0 दिनांक 10-03-2016 के द्वारा उन्होंने 21 ग्रामों की एक सूची उपलब्ध कराई और यह बताया कि जनपद बिजनौर के इन गाँवों की सीमायें तहसील जानसठ के गाँवों से मिलती है। _ **32** _ एक दूसरी आर0टी0आई0 जो मेरे भतीजे द्वारा जनपद बिजनौर से प्राप्त की गई जिसमें कार्यालय सर्वे नायब तहसीलदार बिजनौर द्वारा पत्रांक 1 स0ना0त0/ आर0टी0आई0 दिनांक 10-03-2016 में बताया गया कि जिन 21ग्रामों की सीमाये तहसील जानसठ से मिलती है वे सभी गाँव जनपद बिजनौर व जनपद मुजफ्फरनगर की सीमा विवाद के ग्रामों की सूची में शामिल हैं _ **33** _ अर्थात वर्ष 2016 तक भी तहसील जानसठ के जनपद बिजनौर से मिले हुए गाँव एवं जनपद बिजनौर की तहसील सदर के जानसठ तहसील से मिले हुए ग्रामों के मध्य सीमा विवाद का कोई हल नहीं हुआ था और न हीं इन ग्रामों के सम्बन्ध में दोनों जनपदों के अधिकारियों/ कर्मचारियों को यह जानकारी थी कि किस गाँव की सीमा किस स्थान तक है।

इसी प्रकार की सूचनाओं प्राप्त करने हेतु मेरे भतीजे गौरव कुमार ने जब तहसीलदार जानसठ से तहसील जानसठ के उन ग्रामों की सूची जिनकी सीमायें जनपद बिजनौर से मिलती हैं एक आर0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया तब तहसीलदार श्री राकेश कुमार ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 336 / एम0जे0- ज0सू0 सहा0 दिनांक 18-04-2016 के द्वारा यह कह कर सूचना देने से इनकार कर दिया कि आपके द्वारा चाही सूचना सृजित करके चाही गई है, समस्यायें उठाई गई हैं। _ **34** _ इसी प्रकार मेरे भतीजे गौरव कुमार ने जब दिनांक

31 **32** **33** **34**

19-02-2016 में एक अन्य आर0टी0आई0 के माध्यम से तहसीलदार जानसठ से यह सूचनाये चाही :-

(1.) तहसील जानसठ के उन ग्रामों की सूची जो 31 दिसम्बर 2014 तक जनपद बिजनौर के साथ सीमा विवाद के ग्रामों की सूची में शामिल थे। (2.) तहसील जानसठ के उन ग्रामों की सूची जो वर्तमान समय में भी जनपद बिजनौर के साथ सीमा विवाद की सूची में शामिल है। तब तहसीलदार श्री राकेश कुमार ने इन सूचनाओं को यह कहकर कि यह सूचनाये सृजित करने करके देनी पड़ेगी, समस्यायें उठाई गई हैं, यह कह कर देने से इनकार कर दिया। _ **35** तहसीलदार श्री राकेश कुमार द्वारा जानबूझकर यह अभिलेखीय सूचनाये क्यों प्रदान नहीं की गई इसका कारण आपको आगे चलकर स्वयं समझ में आ जाएगा।

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की उदघोषणा होने के 28 वर्षों तक भी इस अधिघोषित क्षेत्र के किसी भी जिले में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर अंकित भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को नहीं दिया गया था। इस सम्बन्ध में प्रार्थी के भतीजे गौरव कुमार द्वारा जनपद बिजनौर, जनपद अमरोहा, जनपद हापुड़, एवं जनपद मेरठ से आर0टी0आई0 एक्ट के तहत सूचनाये एकत्रित की गई। कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग, बिजनौर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2695/ 33- 3(66-15-16 ज0सू0) दिनांक 18-02-2016 के द्वारा एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी अमरोहा, वन प्रभाग अमरोहा द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 1661/2 - 1 दिनांक 03-02-2017 के द्वारा एवं कार्यालय प्रभागीय वनाधिकारी हापुड़, वन प्रभाग हापुड़ के द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1111 /2- 1 (सू०अ०) एक दिनांक 16-10-2017 के द्वारा एवं जनपद मेरठ की तहसील मवाना के तहसीलदार द्वारा (क्योंकि जनपद मेरठ में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार का क्षेत्रफल तहसील मवाना के अंतर्गत आता है) अपने कार्यालय के पत्रांक 122 /र0सी0दिनांक 13-04-2017 के द्वारा जनपद मेरठ के सम्बन्ध में अर्थात इन चारों जनपदों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार इन चारों जनपदों में राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कोई भी कब्जा वर्ष 2016 तक भी नहीं दिया गया था। _ **36** _ जनपद मुजफ्फरनगर में ग्राम जमालपुर खादर, मुजाहिदपुर गैर एहतमाली तथा टिकौला सहित कुल चार या पाँच ग्रामों में राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को कब्जा दिया गया था और इनमें से भी दो ग्रामों में कब्जा मेरे द्वारा दिया गया था। दिनांक 04-11-2014 तक जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के उन गाँवों में जिनकी सीमायें जनपद बिजनौर से लगती है किसी भी गाँव में राजस्व विभाग द्वारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की किसी भी भूमि का कोई भी कब्जा वन विभाग को प्रदान नहीं दिया गया था।

35

36

(2.) महाभूमिघोटाले के नाम पर अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाहियाँ ...

मेरी प्रेस वार्ता के कुछ ही घण्टों बाद अर्थात दिनांक 04-11-2014 में शाम के समय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री कौशलराज शर्मा ने जनपद मुजफ्फरनगर में इस देश के सबसे बड़े महाभूमिघोटाले का पर्दाफाश किया किए जाने की घोषणा कर दी और अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 1689 /एस0टी0- राजस्व, दिनांक 04-11-2014 के द्वारा तहसील जानसठ के ग्राम रहड़वा कदीम, खेड़ा एहतमाली, मुजाहिदपुर एहतमाली, तथा खड़कवेली में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमियों पर अवैध कब्जा कर गन्ना आदि की फसले उगाये जाने के सम्बन्ध में विभिन्न माध्यमों से प्राप्त शिकायतों (देखिए शिकायतें मेरी प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद एकाएक विभिन्न माध्यमो से प्राप्त हो गई) की जाँच हेतु ग्रामवार समितियो का गठन किया गया। ग्राम रहड़वा कदीम के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रामकिशन शर्मा को टीम का मुखिया बनाया गया। ग्राम खेड़ा एहतमाली के सम्बन्ध में अपर जिला अधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी को टीम का मुखिया बनाया गया। ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाली के सम्बन्ध में उपसंचालक चकबंदी को टीम का मुखिया बनाया गया। (उपसंचालक चकबंदी मुजफ्फरनगर के पद पर उस समय श्री आर0 एन0 धामा कार्यरत थे) ग्राम खड़कबेली के सम्बन्ध में श्री विनीत श्रीवास्तव डिप्टी कलेक्टर मुख्यालय को टीम का मुखिया बनाया गया। इन टीमों में जनपद मुजफ्फरनगर में कार्यरत वन विभाग, चकबंदी विभाग, राजस्व विभाग के बड़े-बड़े अधिकारी एवं कर्मचारी लगाए गए। जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन टीमों को राजस्व अभिलेखों का परीक्षण, मौके का स्थलीय निरीक्षण कर वीडियोग्राफी कराते हुए मौके पर किन व्यक्तियों द्वारा फसले उगाई गई है तथा किन व्यक्तियों का कब्जा है, के सम्बन्ध में आख्या दिनांक 05-11-2014 की शाम तक उपलब्ध कराये जाने के आदेश दिये। जिलाधिकारी महोदय द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को भी आदेश दिया कि प्रत्येक टीम के साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी और पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात करें। _ **37**

अर्थात जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री कौशलराज शर्मा जी द्वारा पूरे जनपद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों समेत चकबंदी एवं वन विभाग के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों को इन चार गाँव की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर कब्जा करके बोई गई गन्ने आदि की फसलों की जाँच करके उन्हें रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया।

आप अनुमान लगाइए मेरी प्रेस वार्ता के तुरन्त बाद जिलाधिकारी महोदय द्वारा एकाएक ऐसा करने का कारण क्या हो सकता है? यह चार गाँव वह गाँव है, जिनमें गंगा नदी बहती है तथा गंगा नदी के नाम पर अंकित भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर परिवर्तित किया गया था, इन चारों गाँवों की सीमाये जनपद बिजनौर से मिलती है और

यह चारों गाँवो सीमा विवाद के अन्तर्गत के गाँव हैं, इन गाँव की सीमाओं का न तो जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों को पता है और न जनपद बिजनौर के अधिकारियों को पता है। इन चारों गाँवो की भूमि का कब्जा राजस्व विभाग द्वारा वन विभाग को इस दिनांक अर्थात 04-11-2014 तक नहीं दिया गया था। इन चारों गाँवो में किसानों की कई हजार बीघा भूमि उनकी निजी भूमि है, जो राजस्व अभिलेखों में उनके नाम पर अंकित है और जिस पर वह हमेशा से कृषि का कार्य करते चले आ रहे थे चूंकि हमारे जिले के अधिकांश किसान गन्ने की खेती करते है, उस समय भी इन चारों गाँवों के किसानों ने अपनी-अपनी भूमियों पर गन्ने की फसले लगा रखी थी।

अब देखिए जब जिलाधिकारी महोदय द्वारा इन चार गाँवो के सम्बन्ध में जिले के बड़े-बड़े अधिकारियों की टीमें गठित करके उन्हें जाँच करने के आदेश दे दिए गए और उसकी समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई तो इन अधिकारियों को जिलाधिकारी द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए इन चारों गाँवो के सम्बन्ध में अपनी-अपनी, पृथक-पृथक जाँच आख्या मय वीडियोग्राफी के जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत करनी चाहिए थी। किन्तु इन टीमों को बनाए जाने का उद्देश्य यह नहीं था कि इन गाँवो में जाँच कराई जाये, इसके पीछे का उद्देश्य गुरमीत सिंह के प्रकरण से ध्यान भटकाना एवं मेरे विरुद्ध भयानक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ करना था।

दिनांक 04-11-2014 में शाम को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा इन गाँवो के सम्बन्ध में जाँच करने हेतु टीमों का गठन किया गया। दिनांक 05-11-2014 का मुजफ्फरनगर बुलेटिन समाचार पत्र लिखता है:- "लेखपाल संघ पदाधिकारी द्वारा हस्तिनापुर अभयारण्य इलाके में कब्जाई गई जमीनों पर होगी कार्रवाई, वहाँ खड़ी गन्ने की फसल को कब्जे में लेने के लिए आज धावा बोलेगी जिलाधिकारी कौशलराज की फौज" यह समाचार दिनांक 05-11-2014 की सुबह के अखबार में छपने का अर्थ है कि यह खबर दिनांक 04-11-2014 की शाम को अधिकारियों ने पत्रकारों को दी, तब जाकर यह खबर छपी। यह खबर इस बात की पुष्टि करती है कि बिना मौके पर जाए ही अधिकारियों द्वारा अपने इरादे और अपना मंतव्य और उद्देश्य स्पष्ट कर दिया था, इन टीमों का गठन करके मौके पर जाँच के नाम पर भेजना तो मात्र दिखावा था। _ **38**

दिनांक 05-11-2014 में जिलाधिकारी द्वारा गठित यह टीमें रामराज खादर क्षेत्र में पहुँची, नियम कायदे से इन्हें अपने-अपने लिए जिलाधिकारी द्वारा आवंटित किए गए ग्रामों में जाकर जाँच करनी थी एवं उसकी वीडियोग्राफी करनी थी किन्तु यदि इन टीमों के गठन का असली मकसद जाँच करना होता तो यह टीमे निश्चित ही अपने-अपने लिए निर्धारित गाँव में जाकर जाँच अवश्य करती। यह अधिकारीगण अपने-अपने लिए निर्धारित ग्रामों में न जाकर इस खोजबीन में लग गए कि जय भगवान के खिलाफ मुकदमे किस प्रकार लिखे एवं लिखवाए जाए। इस कार्य

38

के लिए दोनों अपर जिलाधिकारीगण, उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ ने गुरमीत सिंह का सहारा लिया और उसे कहा कि तुम कोई ऐसा व्यक्ति लाओ जो जय भगवान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा सके तो गुरमीत सिंह जलालपुर नीला के एक व्यक्ति शीशपाल पुत्र विजयपाल जो अनुसूचित जाति का था, को यह कहकर कि तुम जय भगवान के विरुद्ध एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट का मुकदमा लिखवाओ सरकार तुम्हें कुछ रुपए देगी हम तुम्हारी बात अधिकारियों से कराते हैं, ऐसा कहकर यह माफिया उस व्यक्ति को अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी के पास लेकर गया उस समय डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं श्री शीशपाल की मुलाकात का सबूत उनकी वीडियोग्राफी की सी0डी0है। _ **39** _ अपर जिला अधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी ने श्री शीशपाल को आर्थिक मदद दिलाये जाने का भरोसा देकर एवं मेरे खिलाफ उससे प्रार्थना पत्र लिखवाकर मेरे विरुद्ध थाना रामराज में मु0अ0सं0- 163 सन 2014 दिनांक 05-11-2014 में एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट सहित अन्य धाराओं में दर्ज करा दिया। _ **40**

जनपद के अधिकारियों द्वारा मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराये जाने का क्रम दिनांक 27-10-2014 में शुरू हुआ था, जो दिनांक 19-02-2015 तक चला। इस सीमित अवधि में मेरे विरुद्ध कुल 19 आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए, जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

(1.) मु0अ0सं0- 541 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 353, 504, 506 आई0पी0सी0 व 3 (1)10 एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट, थाना- जानसठ, दिनांक 27-10-2014 रिपोर्टकर्ता तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार।

(2.) मु0अ0सं0- 163 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 504, 506 आई0पी0सी0 व 3 (1)10 एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट, थाना- रामराज, दिनांक 05-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री विजयपाल।

(3.) मु0अ0सं0- 164 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420 आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क,39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, थाना- रामराज, दिनांक 06-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री शबाब आलम वनमाली।

(4.) मु0अ0सं0- 165 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 374 आई0पी0सी0 व 16, 17, 18 बन्धुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम, थाना- रामराज, दिनांक 06-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री सत्यवीर सिंह श्रम प्रवर्तन अधिकारी मुजफ्फरनगर।

(5.) मु0अ0सं0- 166 सन - 2014 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम, थाना रामराज, दिनांक 07-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री कंवर सिंह आपूर्ति निरीक्षक जानसठ।

(6.) मु0अ0सं0-167 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420/193 आई0पी0सी0 व 198 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट व धारा 3 लोक सम्पत्ति के नुकसान का निवारण अधिनियम 1984, थाना रामराज दिनांक 08-01-2014 रिपोर्टकर्ता श्री उमेश कुमार मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ।

39

40

(7.) मु0अ0सं0- 168 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क,39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, थाना- रामराज, दिनांक 08-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री शबाब आलम वनमाली।

(8.) मु0अ0सं0- 169 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क, 39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, थाना- रामराज, दिनांक 10-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री शबाब आलम वनमाली।

(9.) मु0अ0सं0- 174 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420 आई0पी0सी0 व 198 जेड0ए0एल0आर0 एक्ट थाना रामराज, दिनांक 24-11-2014, रिपोर्टकर्ता श्री प्रवीण कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर।

(10.) मु0अ0सं0- 177 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क,39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, व धारा 2/3 लोक सम्पत्ति अधिनियम 1984,थाना- रामराज, दिनांक 28-11-2014 रिपोर्टकर्ता श्री रूपराम उपवन रेन्जर।

(11.) मु0अ0सं0- 181 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क,39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, व धारा 2/3 लोक सम्पत्ति अधिनियम 1984,थाना- रामराज, दिनांक 05-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री रूपराम उपवन रेंजर।

(12.) मु0अ0सं0- 183 सन- 2014 अन्तर्गत धारा 420आई0पी0सी0 व 2, 9, 17क, 27, 29, 34क,39, 50, 51, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, व धारा 2/3 लोक सम्पत्ति अधिनियम 1984,थाना- रामराज, दिनांक 11-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री रूपराम उपवन रेंजर।

(13.) मु0अ0सं0- 654 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, थाना जानसठ दिनांक 23-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री हरस्वरूप नायब तहसीलदार जानसठ।

(14.) मु0अ0सं0- 655 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, थाना जानसठ दिनांक 23-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री हरस्वरूप नायब तहसीलदार जानसठ।

(15.) मु0अ0सं0- 656 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, थाना जानसठ दिनांक 23-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री हरस्वरूप नायब तहसीलदार जानसठ।

(16.) मु0अ0सं0- 672 सन 2014 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, थाना जानसठ दिनांक 23-12-2014 रिपोर्टकर्ता श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ।

(17.) मु0अ0सं0- 07 सन 2015 अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर अधिनियम, थाना रामराज, दिनांक 19-01-2015 रिपोर्टकर्ता थानाध्यक्ष रामराज श्री अरुण कुमार त्यागी।

(18.) मु0अ0सं0- 90 सन 2015 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471 आई0पी0सी0, थाना जानसठ दिनांक 12 /02/ 2015 रिपोर्टकर्ता श्रीमती कुसुम।

(19.) मु0अ0सं0- 25 सन 2015 अन्तर्गत धारा 420, 467, 468, 471,120B आई0पी0सी0, थाना रामराज दिनांक 19-02-2015 रिपोर्टकर्ता श्रीमती परमजीतकौर।

दिनांक 05-11-2014 में शीशपाल द्वारा मेरे विरुद्ध थाना रामराज पर मु0 अ0 सं0 163 सन 2014 दर्ज कराया गया। इस मुकदमे की तहरीर के अनुसार वर्ष 2006 में वादी को एक पट्टा हुआ था, जय भगवान लेखपाल ने वह पट्टा निरस्त कर दिया था, फिर शासन-प्रशासन ने उसकी भूमि उसे दिलाई, इसमें से डेढ़ बीघा भूमि जय भगवान ने किसी को जुतवा दी और जब वह दिनांक 25-10-2014 में रामराज जय भगवान के पास गया तो जय भगवान ने उसे गाली गलौज की और जाति सूचक शब्द कहकर भगा दिया। इस एफ0आई0आर0 में भी कोई गवाह नहीं बनाया गया था।

सर्वप्रथम विचारणीय बिन्दु यह है कि क्या जमीन का पट्टा देने या उसे निरस्त करने का अधिकार लेखपाल को है। इस मुकदमे के सही तथ्य यह थे कि ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में सीलिंग एक्ट के तहत सरप्लस हुई भूमि का आवंटन दिनांक 16-02-1993 को हुआ था जिसमें वादी मुकदमा को भी इस आवंटन में कुछ भूमि का पट्टा मिला था। इस आवंटन के खिलाफ एवं सीलिंग में भूमि निकाले जाने के खिलाफ जिनकी यह जमीन थी (मूल काश्तकार) वह लोग मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद गये और मा० उच्च न्यायालय के आदेश के तहत दिनांक 12-06-2007 में यह भूमि राजस्व अभिलेखों में मूल काश्तकारों के नाम पर अंकित हो गई। इस प्रकार दिनांक 12-06-2007 के बाद से वादी मुकदमा का भूमि पर कोई अधिकार नहीं था।

इस मुकदमे की विवेचना के दौरान विवेचक द्वारा वादी के अलावा मात्र दो गवाह बनाए गए जिनमें से एक गवाह वेद प्रकाश पुत्र तपराज निवासी ग्राम जलालपुर नीला तथा दूसरा गवाह आनन्द पुत्र हरिकिशन निवासी ग्राम जलालपुर नीला बनाया गया। _ **41** _ जब मैंने इस केस की केसडायरी एवं चार्जशीट देखी और इन दोनों गवाहों के नाम देखें तो मुझे सन्देह हुआ कि वास्तव में यह व्यक्ति वहाँ के हैं भी या नहीं क्योंकि मैं वहाँ लेखपाल रहा था। जानकारी करने पर पता चला कि यह तो दोनों फर्जी गवाह बनाए गये थे अर्थात् इन नाम, पितृनाम व पतो के कोई व्यक्ति वहाँ थे ही नहीं।

मैंने जेल में रहते हुए दिनांक 08-04-2016 में एक आर0टी0आई0 खण्ड विकास अधिकारी जानसठ को भेजी और इन दोनों व्यक्तियों के सम्बन्ध में सूचनाये चाही। मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओ के उत्तर में ग्राम पंचायत अधिकारी, विकास खण्ड जानसठ द्वारा दिनांक 01-10-2016 में मुझे लिखित रूप से यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि यह दोनों व्यक्ति ग्राम जलालपुर नीला में निवास नहीं करते हैं और न ही परिवार रजिस्टर में इन व्यक्तियों का नाम दर्ज है। _ **42** _ अब आप अनुमान लगाइए, इस

41

42

मुकदमे के दोनों गवाह इस पृथ्वी पर कहीं है ही नहीं, न जाने इस मुकदमे के विवेचक ने उनके बयान किस प्रकार लेकर केस डायरी में अंकित किये ? इस मुकदमे के विवेचक ने उन साक्ष्यों को एकत्रित करने का कोई प्रयत्न नहीं किया जिससे इस मुकदमे की सत्यता ज्ञात होती। उनके द्वारा न तो दिनांक 25-10-2014 की मेरी फोन लोकेशन निकलवाई गई कि मैं उस दिनांक में रामराज गया था भी या नहीं ? न हीं मुकदमा वादी और उन दो कथित गवाहों की फोन लोकेशन निकलवाई गई कि वह उस दिनांक में रामराज गए थे या नहीं ? हाँ मुकदमे के विवेचक ने जब यह पाया कि राजस्व अभिलेखों में पट्टे की भूमि में वादी मुकदमा का नाम नहीं है वादी का नाम तो दिनांक 12-06-2007 में ही राजस्व अभिलेख से विलोपित हो चुका था तब उन्होंने इस मुकदमे से धारा 198 Z.A.L.R.act. हटा दी, अर्थात यह स्वीकार कर लिया कि ना कोई पट्टा था, ना कोई भूमि थी, ना कोई भूमि जय भगवान ने किसी से जुतवाई। अब विचारणीय विषय यह है, जब कोई पट्टा नहीं था, कोई भूमि नहीं थी, जय भगवान ने भूमि किसी को जुतवाई नहीं और यह बात विवेचक ने अपनी विवेचना में स्वीकार भी कर ली तब यह शीशपाल नामक वादी जयभगवान के पास क्यो जाता ? और साथ-साथ यह भी विचारणीय है कि मैं दिनांक 25-10-2014 में तहसील सदर में लेखपाल के पद पर कार्यरत था। फिर भी मेरे खिलाफ धारा 504, 506 आई0पी0सी0 और एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट में अपराध को सिद्ध करते हुए चार्ज शीट मा0 न्यायालय में भेज दी गई। दिनांक 05-11-2014 में जब यह अधिकारीगण मौके पर गए तो इन्होंने देखा कि तहसील जानसठ के वे सभी गाँव जिनकी सीमायें जनपद बिजनौर से मिलती है, में गन्ने की फसल खड़ी है वैसे भी हमारे जनपद मुजफ्फरनगर में किसान गन्ने की खेती ही करते हैं यह गन्ने की फसल उन किसानों की थी जिनके नाम इन गाँव में अपनी निजी भूमि है कुल मिलाकर यह गन्ने की फसल कई लाख बीघा क्षेत्रफल पर निजी किसानों की भूमि पर खड़ी थी, जिसे किसानों ने अपने खून पसीने से तैयार किया था। इन अधिकारियों द्वारा उन किसानों की भूमि पर खड़ी फसलों को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की सरकारी भूमि पर बताना शुरू कर दिया और मौके पर उपस्थित कुछ किसानों ने अपनी बात रखनी चाही तो अधिकारियों ने उन किसानों के साथ गाली-गलौच करते हुए उन्हें धमकाया और उनके खिलाफ मुकदमा लिखवाने की धमकी दी , इसकी वीडियोग्राफी की सी0डी0 देखी जा सकती है। _ **43** _ शाम को यह अधिकारी मुजफ्फरनगर पहुँचे और इस गन्ने की चर्चा की और विचार किया कि इससे अच्छा काम क्या होगा यह तो पूरा गन्ना हड़प किया जा सकता है। इस अरबों रुपये के गन्ने की फसल को हड़पने के लिए इन अधिकारियों ने आपस में विचार-विमर्श करके मीडिया के माध्यम से व्यापक दुष्प्रचार करने की रणनीति बनाई गई, इसे खादर क्षेत्र में लेखपालों द्वारा महाभूमिघोटाला प्रचारित करने, हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध रूप से गन्ने की फसल बोने आदि को व्यापक रूप से प्रचारित- प्रसारित करने

का निर्णय इन अधिकारियों द्वारा लिया गया। इन अधिकारियों द्वारा यह भी रणनीति बनाई गई कि खादर क्षेत्र में गंगा नदी के किनारे-किनारे बसे गाँवों के किसान वैसे भी शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक, और राजनीतिक रूप से पिछड़े हैं और यदि शुरू में ही इनमें डर बैठा दिया गया तो कोई नहीं बोलेगा और आराम से सारा गन्ना हड़प लेंगे, जो किसान विरोध करें, उसकी तुरन्त एफ0आई0आर0 कराओ, जेल भिजवाओ और जो फरार हो जाये तो उनके घरों पर तोड़ फोड़ पुलिस की दबिश डलवाओ ताकि कोई आवाज न उठा सके।

जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर ने चार गाँवों के लिए पृथक-पृथक टीमों का गठन करके उन्हें अपनी-अपनी रिपोर्ट वीडियोग्राफी कराते हुए दिनांक 05-11-2014 की शाम तक उपलब्ध कराने के आदेश दिये थे। इसके बावजूद दिनांक 06-11-2014 में यह अधिकारी जिन्हें अपने-अपने गाँव में जाकर अपने लिए निर्धारित किए गये गाँव की जाँच करके जिलाधिकारी महोदय को अपनी जाँच रिपोर्ट देनी थी वहाँ न जाकर ग्राम शाहपुर में माफिया महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह के पास पहुँच गए (क्योंकि माफिया गुरमीत सिंह ने इन अधिकारियों को बताया था कि जय भगवान ने जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह के खिलाफ भी कार्यवाहिया की थी जिस कारण वह भी उससे खार खाये बैठे हैं यदि जय भगवान का पक्का इलाज करना है तो उनका भी सहयोग लो) इन अधिकारियों ने दिनांक 06-11-2014 में माफिया महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह से ग्राम शाहपुर में जाकर मुलाकात की और मेरे विरुद्ध अधिक से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए जाने की बात कही तथा उनसे सहयोग माँगा और उन्हें अपनी ओर से भरपूर सहयोग का आश्वासन दिया। अब इन माफियाओं को तो मुँह माँगी मुराद मिल गई। खादर क्षेत्र के दोनों माफिया गिरोह तो पहले से ही मेरे खिलाफ फर्जी मुकदमे दर्ज करवाकर मुझे फसाने की फिराक में लगे थे। यह बात अलग है कि जिस समय महेन्द्र सिंह व गुरमीत सिंह के गिरोह ने मेरे विरुद्ध फर्जी मुकदमे कायम कराए उस समय ईमानदार अधिकारियों के जिले में रहते यह माफिया गिरोह मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सके किन्तु अब तो स्थिति ही विपरीत हो चुकी थी यहाँ तो अधिकारी ही मुझे अधिकतम मुकदमों में फंसाना चाहते थे, यही कारण था कि अधिकारीगण दिनांक 06-11-2014 में अपने लिए निर्धारित किए गए कार्यों को करने के स्थान पर उन माफियाओं के पास गए।

अब महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह इन अधिकारियों को साथ लेकर सबसे पहले उस भूमि पर गये, जिस पर महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह के खिलाफ मेरे द्वारा थाना रामराज पर मु0 अ0 सं0- 281 सन 2010 दर्ज कराया था तथा इनसे अवैध कब्जा छुड़वाकर इनके द्वारा बोई गई अवैध गन्ने की फसल को नीलाम कराया था,

इस मुकदमे के विवेचक ने इस मुकदमे में मुझे, उपकार सिंह, व कमल को गवाह बनाया था। _ **05** _ महेन्द्र सिंह ने कहा कि यह वह भूमि है जिस पर जय भगवान ने मेरे व मेरे लड़के जगदीप सिंह विरुद्ध मुकदमा कराया था और उपकार सिंह पुत्र लहरी सिंह निवासी

05

रहड़वा ने मेरे विरुद्ध प्रार्थना पत्र दिया था तथा कमल पुत्र शंकर निवासी रहड़वा ने इस भूमि का दखल प्राप्त करते समय यहाँ रहकर खुलेआम मेरा विरोध किया था, इन सभी पर मुकदमे होने चाहिए। अधिकारियों ने कहा तुम बेफिक्र रहो, हम इन पर एक नहीं अनेक मुकदमे लिखवायेगे और बाद में इनका गैंग बना हुआ दिखायेगे इन पर गैंगस्टर भी लगायेगे। महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह ने इन अधिकारियों से कहा कि जय भगवान ने हमारी 3.5731 हेक्टेयर भूमि को हमसे छीन कर राज्य सरकार में घोषित करवा दी थी और हमसे उस भूमि का कब्जा भी ले लिया था। इन अधिकारियों ने कहा कि अब तुम्हारी छूट है हम लिखकर तो कुछ नहीं देंगे पर तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, तुम उस भूमि पर अपना कब्जा करके उसे जोत बो लो तुम्हारा कुछ नहीं बिगड़ेगा।

अब आप देखिए क्या कोई यह सोच सकता है कल्पना कर सकता है कि जनपद के इतने वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी माफियाओं की गोद में बैठकर किस प्रकार षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, एवं कूटरचना करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कर सकते हैं। यह अधिकारी थे श्री रामकिशन शर्मा अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर, श्री आर0 एन0 धामा उप संचालक चकबंदी मुजफ्फरनगर, श्री अजय पोरवाल चकबंदी अधिकारी मुजफ्फरनगर, श्री अरविन्द कुमार सहायक चकबंदी अधिकारी मुजफ्फरनगर। इन अधिकारीगण द्वारा दिनांक 06-11-2014 में एक रिपोर्ट बनाई गई और उसे जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर को भेजा गया। _ **44**

इस रिपोर्ट की प्रथम पंक्ति में लिखा कि श्री जय भगवान लेखपाल तहसील सदर द्वारा तहसील जानसठ में कार्यरत रहते हुए किए गए भूमि घोटालो की जाँच हेतु कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1689/एस0टी0 राजस्व दिनांक 04-11-2014 के अन्तर्गत गठित टीम द्वारा दिनांक 06-11-2014 को ग्राम शाहपुर में जाकर स्थलीय निरीक्षण किया, स्थलीय निरीक्षण के समय महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह आदि के बयान अंकित किए गए। अब विचारणीय बिन्दु कि जब जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर ने अपने इस आदेश के द्वारा इन अधिकारियों को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में जाँच हेतु पृथक पृथक टीमें बनाकर कर भेजा था तब यह अधिकारी उस माफिया महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह को साथ लेकर ग्राम शाहपुर में क्यों गए ? और क्यों यह फर्जी रिपोर्ट बनाई ?

इन अधिकारीगण द्वारा यह रिपोर्ट फर्जी रूप से बनाई गई। इसे मैंने आर0टी0आई0 द्वारा भी साबित किया हैं। मेरे द्वारा जिलाधिकारी कार्यालय से इस सम्बन्ध में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचना चाही थी। कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या: 1256 /एस0टी0- राजस्व दिनांक 15-07-2017 के द्वारा मुझे लिखित रूप से यह बताया गया कि इन अधिकारियों को ग्राम शाहपुर में जाकर जय भगवान के संबंध में

44

जाँच करने का कोई आदेश नहीं दिया गया और न हीं ऐसा कोई आदेश पत्रावली पर उपलब्ध है। _ 45

अब जरा यह भी जान लीजिए कि क्या जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों ने मुझे इतनी आसानी से आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनायें उपलब्ध करा दी थी, बिल्कुल नहीं। इसके लिए मैंने एक लम्बा संघर्ष किया, मैं सत्य की राह पर था और मेरा मानना यह है कि "सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं"। इसके अलावा मुझे मेरे पिता द्वारा अक्सर सुनाये जाने वाला वह वाक्य भी हमेशा याद रहता है कि "हारिये ना हिम्मत बिसारिए ना राम" अर्थात संकट कितना भी हो कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और भगवान को हमेशा स्मरण रखना चाहिए। मैंने जेल में रहते हुए एवं जेल से बाहर आकर इस प्रकरण के सम्बन्ध में कुल 182 आर0 टी0आई0 लगाई, जिनमें पहले आवेदन किया, फिर आर0टी0आई0 एक्ट के तहत प्रथम अपील की फिर राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपील की और कई अपीले तो ऐसी थी कि मैं जेल से बाहर आकर राज्य सूचना आयोग में एक-एक अपील की सुनवाई में आठ-आठ, दस-दस बार राज्य सूचना आयोग में गया।

दिनांक 06-11-2014 में इन वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा माफिया महेन्द्र सिंह के साथ मिलकर बनाई गई इस फर्जी व कूटरचित रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 08-11-2014 में श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा मेरे, उपकार व कमल विरुद्ध थाना रामराज पर मुकदमा अपराध संख्या 167 सन 2014 दर्ज करा दिया गया। _46 बाद में इस मुकदमे की विवेचना के विवेचक ने महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह को इस मुकदमे में गवाह बनाया, यह वही दोनों माफिया है जिनके विरुद्ध मैंने लेखपाल पद पर रहते हुए इसी भूमि पर मुकदमा कायम कराया था जो आज भी मा0 न्यायालय में विचाराधीन है। इस मुकदमे के विवेचक द्वारा इस रिपोर्ट को तैयार करने वाले अधिकारियों को भी इस मुकदमे में गवाह बनाया, इस प्रकार यह माफियाओ + अधिकारियों का गठजोड़ एक साथ मिलकर मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। _ 47

दिनांक 06-11-2014 को इस फर्जी रिपोर्ट को बनाने के बाद यह अधिकारीगण जगदीप सिंह को साथ में लेकर ग्राम शाहपुर स्थित मेरे, मेरी पत्नी के पारिवारिक घेर/ कृषि फार्म हाउस पर आए। उस समय मेरे इस घेर/ कृषि फॉर्म में ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर चालित कृषि उपकरण जैसे ट्रॉली, ट्राला, ट्रैक्टर कीपुली, हैरो, टीलर, डॉलर (अर्थात मेड डालने वाला यंत्र) एवं सुहागा (अर्थात मिट्टी समतल करने का यंत्र) ट्रैक्टर चालित बड़ा हवा का पंखा जिससे धान गेहूँ

45 46 47

आदि को बरसाया जाता था एवं ट्रैक्टर चालित गेहूँ बोने की मशीन एवं पम्पिंग सैट, बिजली का मोटर एवं गैस सिलेंडर, गैस का चूल्हा, बाट तराजू, खाट, स्प्रे मशीन, तसले, फावले, जैक रोड, पुराना लोहा एवं खेती में पैदा हुआ खाद्यान्न गेहूँ, धान, सरसों, तथा रोजमर्रा की जरूरत के कपड़े, एवं रसोई में काम आने वाले खाद्यान्न एवं बर्तन आदि सभी सामान वहाँ रखा था तथा मेरी मारुति 800 भी वही खड़ी थी। इन सभी सामानों की उस समय की वीडियो सुरक्षित हैं, सबसे पहले आप यह वीडियो देखिए, इस वीडियो में अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, माफिया जगदीप सिंह, मेरे दोनो नौकर एवं फार्म हाउस में रखा हुआ समस्त समान आपको दिखाई देगा। यह वीडियो दिनांक 06-11-2014 की है। _ **48** _ मेरे घेर/ कृषि फार्म पर यह सब सामान देखकर अधिकारियों ने अनुमान लगाया कि यह तो काफी धनराशि का सामान है इसे हड़पा जा सकता है अधिकारियों एवं माफिया जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने तभी यह निश्चय किया कि यह सब सामान हमें हड़पने है माफिया जगदीप सिंह ने इन अधिकारियों से कहा कि यह सब सामान मुझे चाहिए, जय भगवान लेखपाल ने अपने पद पर रहते हुए हमें बहुत नुकसान पहुँचाया था। इन अधिकारियों ने कहा कि हम डी0एम0 साहब से बात करके कोई ऐसी तरकीब निकालेंगे जिससे यह सब सामान हम तुम्हें सौंप सके किन्तु ध्यान रखना हमारा हिस्सा चुपचाप पहुँचा देना। जिलाधिकारी द्वारा गठित की गई चारों टीमों के समस्त अधिकारी मेरे घेर/ मेरे कृषि फार्म स्थित ग्राम शाहपुर में दिनांक 06-11-2014 में उपस्थित रहे, इसका प्रमाण मैंने आर0टी0आई0 में सूचनाओं को प्राप्त करके एकत्रित किया है। कार्यालय सहायक श्रमायुक्त, सरकुलर रोड मुजफ्फरनगर के द्वारा अपने पत्रांक 3221/स0 श्र0 (मु०) आर0 टी0 आई0 -15 दिनांक 11-08-2015 व कार्यालय जिला पूर्ति अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा पत्रांक:322/सू0अधि0- 2016 दिनांक 03-03-2016 के द्वारा जो सूचना सूचनायें मुझे उपलब्ध कराई गई है उनके अनुसार यह समस्त जिला एवं तहसील स्तरीय अधिकारी दिनांक 06-11-2014 में मेरे पारिवारिक मेरे घेर/ मेरे कृषि फार्म हाउस में उपस्थित रहे थे। _ **49** _ अब पहले आप इस वीडियो को देखिए _ **50** _ जिसमें अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, माफिया जगदीप सिंह के साथ मेरे घेर/ मेरे फार्म हाउस में खड़े हैं, तथा जगबीर सिंह पुत्र बोबल सिंह से बात कर रहे हैं। जगबीर सिंह नामक व्यक्ति को श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी अपने साथ लेकर गए। श्री रामकिशन शर्मा जगबीर सिंह को लेकर माफिया महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह के घर गए और फिर जिलाधिकारी के माध्यम से श्रम प्रवर्तन अधिकारी को बुलाकर पुनः मेरे घेर/ फार्म हाउस में गए। यह वीडियो देखकर

48 **49** **50**

आप अनुमान लगा सकते हैं कि इन अधिकारियों द्वारा मेरे विरुद्ध किस प्रकार फर्जी मुकदमे लिखवाये गए, आप यह भी अनुमान लगा सकते हैं कि क्या इस व्यक्ति को मेरे द्वारा वहाँ पर बन्धक बनाकर रखा गया था। इसी व्यक्ति जगबीर सिंह पुत्र बोबल सिंह को मेरे द्वारा बन्धक बनाया जाना दर्शाकर श्रम प्रवर्तन अधिकारी से मेरे विरुद्ध थाना रामराज पर मु0अ0सं0 165 वर्ष 2014 अंतर्गत धारा 374 आई0पी0सी0 व 16, 17, 18 बन्धुआ श्रम प्रथा उन्मूलन अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करा दिया गया। _ **51** _ मेरे विरुद्ध इस मुकदमे को लिखवाये जाने में जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा की प्रत्यक्ष भूमिका थी, जिसका प्रमाण इस मुकदमे में मेरे विरुद्ध दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 है, बाद में इस मुकदमे के विवेचक ने इस मुकदमे में एस0सी0/एस0टी0एक्ट की धाराएँ भी बढ़ा दी, अर्थात 11 दिनों के अन्दर मेरे विरुद्ध एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट के तीन मुकदमे दर्ज करवा दिए गए। अब यह प्रश्न मैं कैसे पूछ सकता था कि क्या एस0सी0- एस0टी0 एक्ट इस प्रकार दुरुपयोग करने के लिए बनाया गया था और वह भी इतने बड़े-बड़े उच्च प्रशासनिक अधिकारियों (आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों द्वारा) क्योंकि मेरे विरुद्ध इस एक्ट के अन्तर्गत पहला मुकदमा जिले के अधिकारियों की स्लाह से तहसीलदार जानसठ द्वारा लिखवाया गया, दूसरा मुकदमा डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा एक व्यक्ति के माध्यम से लिखवाया गया एवं तीसरा मुकदमा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं जिले तथा तहसील के समस्त उच्च अधिकारियों तथा जिलाधिकारी द्वारा इस व्यक्ति जगबीर सिंह को मेरे द्वारा बन्धक बनाया जाना दर्शाकर लिखवाया गया।

इन अधिकारियों द्वारा मेरे कृषि फार्म मे कार्य करने वाले दूसरे व्यक्ति जसवीर सिंह उर्फ कल्लू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जलालपुर नीला पर भी यह दबाव डाला गया कि वह भी मेरे विरुद्ध बन्धक बनाए जाने का मुकदमा दर्ज कराये किंतु उसके द्वारा मना करने के बाद इन अधिकारियों ने कहा कि यदि तू मुकदमा नहीं लिखवायेगा तो हम तुझे भी किसी मामले में फंसाकर जेल अवश्य भेजेंगे।

ठीक उसी समय अर्थात दिनांक 06-11-2014 में जब यह सभी अधिकारीगण ग्राम शाहपुर में मेरे घेर/ कृषि फार्म हाउस में थे तो उन्होंने विचार विमर्श किया कि जय भगवान के खिलाफ और क्या मुकदमा लिखवाया जा सकता है तो इन्होंने वहाँ पर मेरे कृषि यंत्रों में काम आने वाले डीजल को रखा हुआ देखा तो विचार विमर्श किया कि डीजल की अवैध कालाबाजारी का मुकदमा लिखवाते हैं, एक बार पुनः आप इस वीडियो को देखिए _ **52** _ और अनुमान लगाइए कि मेरे द्वारा वहाँ पर कौन सी डीजल की कालाबाजारी की जा रही थी और इन्होंने जिलाधिकारी से कहकर जिला पूर्ति अधिकारी एवं पूर्ति निरीक्षक को मौके पर बुलवाया और मेरे विरुद्ध डीजल की कालाबाजारी का

51

52

मुकदमा थाना रामराज पर मु0अ0 सं0 166 सन 2014 अन्तर्गत धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अन्तर्गत दर्ज करवा दिया। _ **53** _ इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 के पहले पैराग्राफ में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व एवं अपर जिलाधिकारी प्रशासन के संयुक्त नेतृत्व में मेरे घेर/ कृषि फार्म में छापा मारना उल्लिखित किया गया है। इस एफ0आई0आर0 में कुल 300 लीटर डीजल मेरे कृषि फार्म पर इन्हें मिला। इस 300 लीटर डीजल के आधार पर मेरे विरुद्ध डीजल की अवैध कालाबाजारी का मुकदमा दर्ज कराया गया। वही मेरा ट्रैक्टर खड़ा है, मेरे पम्पिंगसैट रखे हैं, सारे कृषि यंत्र वही रखे हैं। क्या यह ट्रैक्टर, क्या यह पम्पिंगसैट पानी से चलते थे ? क्या इन कृषि यंत्रों के लिए 300 लीटर डीजल वहाँ रखना अपराध था? लेकिन इन सवालों का क्या अर्थ ? स्वतंत्र भारत के इतिहास में आई0ए0 एस0, पी0 सी0 एस0 अधिकारियों द्वारा अपने पदों की शक्तियों का इतना बड़ा दुरुपयोग कहीं नहीं किया गया होगा, जिस प्रकार इन्होंने जनपद के समस्त अधिकारियों को अपने प्रभाव में लेकर मेरे विरुद्ध इस प्रकरण में इस प्रकार फर्जी मुकदमे दर्ज कराए, उनसे फर्जी सबूत बनवाए गए और फर्जी विवेचनाये कराई।

इन अधिकारियों से यह प्रश्न करने वाला तो कोई था ही नहीं कि आप लोगों को चार विभिन्न ग्रामों की टीमें बनाकर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध कब्जों की जाँच के लिए भेजा गया था, आप वहाँ न जाकर जय भगवान के घेर/ कृषि फार्म में जाकर लगातार, उसके विरुद्ध मुक़दमे क्यों लिखवा रहे हो ? अपने लिए निर्धारित कार्य क्यों नहीं कर रहे हो ? जो व्यक्ति यह प्रश्न कर सकता था, वह थे जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा वे भला यह प्रश्न क्यों करते वह तो स्वयं यह सब करा रहे थे। उनकी वीडियो ग्राफी की यह सी0 डी0 आप देख लीजिए, इस वीडियो में वह स्वयं यह सब कराया जाना स्वीकार कर रहे हैं वह तो और भी आगे बढकर डीजल की कालाबाजारी के बजाए मुझे डीजल का तस्कर बता रहे है। _ **54**

अगले दिन अर्थात दिनांक 07-11-2014 में उप जिला अधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, माफिया जगदीप सिंह को साथ लेकर मेरे इस घेर/ फार्म हाउस में गए, तो माफिया जगदीप सिंह ने स्वयं इस बात की पुष्टि की कि कल अर्थात दिनांक 06-11-2014 में दोनों अपर जिलाधिकारीगण (ए0डी0एम0) मेरे/ मेरी पत्नी के इस घेर/ फॉर्म हाउस में कुल चार बार आए थे। यह वीडियो दिनांक 06-11-2014 मे की गई कार्यवाहियो की पुष्टि करता है। इस बात का सबूत है। _ **55** _ वैसे भी इन सभी अधिकारियों को उस इलाके में कोई ग्राम प्रधान, कोई जन प्रतिनिधि,

53 **54** **55**

कोई ग्रामीण अपने साथ लेकर जाने के लिए उपलब्ध नहीं होता था, क्योंकि इन्हें माफियाओं का साथ सुहाता था तभी तो यह मात्र माफियाओं को ही अपने साथ लेकर जाते थे।

जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा ग्राम खेड़ा एहतमाली में अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी की अध्यक्षता में एवं ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाली में उपसंचालक चकबंदी श्री आर0 एन0 धामा की अध्यक्षता में वन विभाग, चकबंदी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की टीमें बनाकर तथा उनके समकक्ष पुलिस अधिकारियों को नियुक्त करके हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि की जाँच का आदेश दिया था। इनके द्वारा इन गाँव में जाँच करके कोई रिपोर्ट नहीं दी गई बाद में एक फर्जी कूटरचित सामूहिक रिपोर्ट दिनांक 14-11-2014 में प्रस्तुत की गई, जिसके सम्बन्ध में, मैं कुछ आगे चलकर तथ्य अंकित करूँगा। जब तक इन गाँवों के सम्बन्ध में गठित की गई टीमें जाँच करके अपनी जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत नहीं कर देती, तब तक इन गाँवों के संबंध में कोई भी कार्यवाही किसी भी स्तर से किया जाना किसी भी प्रकार से न्याय सम्मत नहीं था।

किन्तु यहाँ तो हड़बड़ी इस बात की मची थी कि जय भगवान के विरुद्ध कितनी जल्दी और कितनी बड़ी संख्या में मुकदमे दर्ज कराए जाए जिससे प्रदेश व देश की मीडिया में जय भगवान को एक बहुत बड़ा अपराधी, बहुत बड़ा माफिया, बहुत बड़ा घोटालेबाज साबित किया जाए ताकि उसके द्वारा दिनांक 04-11-2014 की प्रेस वार्ता में उठाए गए मुद्दे को बिल्कुल समाप्त किया जा सके। यही कारण था कि इन दोनों ग्रामों के सम्बन्ध में बिना जाँच रिपोर्ट जिलाधिकारी को प्रस्तुत किये उससे पूर्व ही श्री शबाब आलम वन माली से मेरे व अन्य लोगों के खिलाफ दिनांक 06-11-2014 , दिनांक 08-11-2014 एवं दिनांक 10-11-2014 में तीन मुकदमे थाना रामराज पर अंकित करा दिए गए। _ **56**

दिनांक 06-11-2014 में श्री शबाब आलम वन माली ने मेरे विरुद्ध ग्राम खेड़ा एहतमाली की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि को पैसे लेकर आवंटित करने का आरोप लगाते हुए थाना रामराज पर मु0अ0सं0 164 सन 2014 दर्ज कराया, इसमें मेरे अलावा अनेक किसानों को भी अभियुक्त बनाया गया। दिनांक 08-11-2014 में श्री शबाब आलम वन माली द्वारा पुनः ग्राम खेड़ा एहतमाली की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के संबंध में मेरे व प्रताप सिंह लेखपाल द्वारा पैसा लेकर विभिन्न व्यक्तियों को भूमि आवंटित करने का आरोप लगाते हुए थाना रामराज में मु0अ0सं0- 168 सन 2014 कायम कराया। (यह प्रताप सिंह लेखपाल वही लेखपाल है जिसने मेरे सहयोग से माफिया गुरमीत सिंह द्वारा 7 नामो पर बनवाए गए फर्जी मुख्तियारनामो के सम्बन्ध में लगभग 850 बीघा भूमि

को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित करने की रिपोर्ट की थी।) दिनांक 10-11-2014 में एक बार फिर शबाब आलम वनमाली द्वारा मेरे व प्रताप सिंह लेखपाल के विरुद्ध ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाली की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि को पैसे लेकर भूमि आवंटित करने का आरोप लगाते हुए थाना रामराज पर मु0अ0सं0- 169 सन 2014 दर्ज कराया। इस मुकदमे में हम दोनों के अलावा मेरे उस ट्रैक्टर ड्राइवर जसवीर उर्फ कल्लू पुत्र ऋषिपाल निवासी ग्राम जलालपुर नीला जिसे अधिकारियों ने दिनांक 06-11-2014 में कहा था कि यदि तुम जयभगवान के खिलाफ बन्धुआ मजदूरी का मुकदमा दर्ज नहीं कराओगे तो तुम भी जेल जाओगे, उसे व मेरे भाई तोलेराम उर्फ तिलकराम व मेरे भतीजे गौरव कुमार को भी अभियुक्त बनाया गया (मेरे भाई व मेरे भतीजे के खिलाफ मुकदमे इसलिए दर्ज करवाए गए ताकि कोई मेरी पैरोकारी न कर सके।) मेरे ट्रैक्टर ड्राइवर जसवीर उर्फ कल्लू को उसके ग्राम जलालपुर नीला से उठाकर वह मेरे भाई तोलेराम को हमारे ग्राम बुवाड़ा खुर्द से उठाकर जेल में डाल दिया। इस मुकदमे में कई अन्य किसानों को भी अभियुक्त बनाया गया।

अब आप यह देखिए कि जिलाधिकारी महोदय द्वारा जनपद के चार वरिष्ठतम प्रशासनिक अधिकारियों के नेतृत्व में चार गाँवों के लिए अलग-अलग चार टीमों का गठन किया गया था। इतने बड़े वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों से कौन यह उम्मीद कर सकता है कि वह इस प्रकार एक फर्जी एवं कूटरचित जाँच आख्या तैयार कर सकते हैं।

श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, डॉक्टर इन्द्रमणि त्रिपाठी अपर जिला अधिकारी प्रशासन, श्री आर0एन0 धामा उपसंचालक चकबंदी, श्री विनीत कुमार डिप्टी कलेक्टर मुजफ्फरनगर, श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ, श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ, श्री अजय पोरवाल चकबन्दी अधिकारी, श्री फकीरलाल शाह सहायक चकबन्दी अधिकारी सहित कई अधिकारियों ने दिनांक 14-11-2014 में एक संयुक्त जाँच आख्या जिलाधिकारी महोदय को प्रेषित की। _57 _ ग्राम रहडवा कदीम के सम्बन्ध में जहाँ पर अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर श्री रामकिशन शर्मा को नियुक्त किया गया था, उनके द्वारा इस ग्राम के सम्बन्ध में कोई जाँच आख्या जिलाधिकारी को प्रेषित नहीं की। इसके अलावा इन अधिकारियों द्वारा दो ऐसे ग्रामों के सम्बन्ध में भी अपनी जाँच रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिन ग्रामों के सम्बन्ध में इन अधिकारियों को जिलाधिकारी महोदय ने जाँच के लिये अधिकृत नहीं किया था, यह दो गाँव मुजाहिदपुर गैर एहतमाली एवं खेड़ा गैर एहतमाली थे।

इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस संयुक्त जाँच आख्या में ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाली व ग्राम खेड़ा एहतमाली में मौके पर चल रही गंगा नदी को ही विलुप्त कर दिया। इस प्रकार गंगा नदी जैसी नदी को इन अधिकारियों की कलम में ही वह ताकत थी जो विलुप्त कर सकते थे और अपनी इस कलम की ताकत का इन अधिकारियों ने

भरपूर प्रयोग करते हुए इन दोनों गाँवो से गंगा नदी के अस्तित्व को समाप्त कर दिया एवं निजी काश्तकारों की भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को इन्होंने हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध कब्जा करके बोई हुई दर्शा दिया दिया। अब भला इन अधिकारियों से यह प्रश्न करने की हिम्मत किसकी थी इन दोनों गाँवो के कई सौ हेक्टेयर क्षेत्रफल पर जो गंगा नदी चल रही है वह किसकी भूमि/ क्षेत्रफल पर चल रही थी, क्या इन दोनों गाँवो में गंगा नदी के नाम पर कोई भूमि अंकित है? एवं इन ग्रामों में राजस्व अभिलेखों में जो कई हजार बीघा कृषि भूमि निजी काश्तकारों की थी, वह कहाँ चली गई ?

इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट के प्रथम पैराग्राफ में इन अधिकारीगण द्वारा लिखा गया कि स्थलीय निरीक्षण के दौरान पाया गया कि ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल, खेड़ा एहतमाल एवं खड़क बेली की सीमायें टूटी है इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेख करना है कि इन 3 ग्रामों से लगी हुई अन्य ग्रामों की सीमायें भी टूटी हुई है अर्थात इन अधिकारियों द्वारा इन ग्रामों की सीमायें टूटी होना स्वीकार कर लिया गया। अब प्रश्न यह है कि जब इन तीनों गाँव की सीमायें टूटी हुई थी और यह तीनों गाँव जनपद बिजनौर की सीमा से मिलते हैं तब केवल एक जिले के अधिकारी किस आधार पर इन ग्रामों की सीमाये तय कर सकते थे जो पिछले सैकड़ो वर्षों से दोनों जनपदों के अधिकारी भी मिलकर तय नहीं कर पाए हैं और जनपद बिजनौर एवं जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों की सैकड़ो सामूहिक बैठके इस सीमा विवाद के प्रकरण में हो चुकी थी किन्तु जनपद बिजनौर व जनपद मुजफ्फरनगर की सीमाओ से लगते हुए दोनों तरफ के गाँवो की सीमाओं का सीमान्कन नहीं हो पाया था। वास्तव में इन्होंने कोई सीमा निर्धारित नहीं की और न ही कोई पैमाइश की, इसका ज्वलंत उदाहरण इसी पैराग्राफ में है जहाँ पर इन्होंने लिखा है कि इसी रास्ते पर ग्राम शाहपुर की सीमा को आधार मानते हुए ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाली की सीमा तक पैमाइश की गई जिसमें क्रमशः ग्राम शाहपुर की पूर्वी सीमा से ग्राम रहड़वा एहतमाल की पूर्वी सीमा लगभग 49 जरीब (मीटर) पर सीमांकित की गई इसके पश्चात ग्राम रहडवा एहतमाल की पूर्वी सीमा से ग्राम नित्यानन्दपुरकी सीमा 3.5 जरीब (बीघा)पर चिह्नित की गई। क्या आपने कभी कोई ऐसी पैमाइश देखी या सुनी है जहाँ पैमाइश को लगभग में अंकित किया गया हो और वह लगभग भी इंच, फुट, या मीटर में नहीं, बल्कि 20 मीटर की जरीब को लगभग में लिखकर यह वरिष्ठ अधिकारीगण जिलाधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं। इन अधिकारियों का इससे भी बड़ा फ्रॉड देखिए तहसील जानसठ में रहड़वा एहतमाल नाम का कोई गाँव ही नहीं है इन्होंने ग्राम रहड़वा एहतमाल नाम के नए गाँव को सृजित करके इसका उल्लेख अपनी जाँच आख्या में कर दिया और इस ग्राम को आधार दिखाकर यह पैमाइश कर दी। जब इन अधिकारियों को जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा असीमित शक्तियाँ प्रदान की गई थी वह चाहते तो एक क्या 10 नए गाँवों का सृजन कर सकते थे, उस समय यह अधिकारीगण जो चाहे सो कर सकते थे।

इन वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा दिनांक 14-11-2014 में अपनी यह रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की। अब जिलाधिकारी महोदय को इस रिपोर्ट को पढ़कर इन अधिकारीगण से निम्न प्रश्न अवश्य करने चाहिए थे।

(1.) क्या आपने राजस्व अभिलेखों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि का निरीक्षण किया कि यह भूमि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर किस प्रकार दर्ज हुई, कहाँ से आई ?

(2.) क्या आपने इन ग्रामों में स्थित निजी काश्तकारो (किसानों) की भूमि का राजस्व अभिलेखों में निरीक्षण किया कि इन ग्रामों में निजी काश्तकारों के नाम पर कितनी भूमि अंकित है ? और उस भूमि पर किसानों द्वारा किन-किन फसलों की खेती की जा रही है ? क्या इन अधिकारियों द्वारा किसानों को मौके पर बुलाकर उनकी भूमि की पैमाइश करके सरकारी व किसानों की भूमियों को पृथक-पृथक किया गया अथवा नहीं ?

(3.) क्या आपने इन गाँवों के सीमा विवाद के सम्बन्ध में जानकारी की एवं दूसरे जनपद बिजनौर के अधिकारियों से इन ग्रामों की सीमाओ का निर्धारण किया जाने हेतु सम्पर्क किया ? सीमा विवाद के इन ग्रामों की सीमायें आपने एक तरफा कैसे निर्धारित कर दी?

(4.) ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल एवं खेड़ा एहतमाल में मौके पर चल रही गंगा नदी कहाँ चली गई ? इन ग्रामों में गंगा नदी जिस भूमि/ क्षेत्रफल पर बह रही है वह राजस्व अभिलेखों में किसके नाम पर अंकित है ?

(5.) जब मेरे द्वारा आपको अलग-अलग गाँवो की जाँच सौंपी गई थी, तब आपने अपने लिए निर्धारित ग्राम की जाँच करके ग्रामवार पृथक-पृथक आख्या क्यों प्रस्तुत नहीं की ?

(6.) आपके द्वारा उन दो गाँव की जाँच आख्या किस आधार पर प्रस्तुत की गई, जिनके सम्बन्ध में मेरे द्वारा जाँच के कोई आदेश नहीं दिये गये थे तथा मेरे द्वारा ग्राम रहडवा कदीम की जाँच के आदेश दिए जाने के बावजूद आपने इस ग्राम के सम्बन्ध में अपनी जाँच आख्या क्यों प्रस्तुत नहीं की ?

(7.) आपके द्वारा इस रिपोर्ट में पैमाइश लगभग में, लिखी गई है, वह भी इंच, फुट या मीटर को लगभग में नहीं लिखा गया बल्कि 20 मीटर लम्बी जरीब को आपने लगभग में लिखकर यह रिपोर्ट मेरे सम्मुख प्रस्तुत की है। भूमि की पैमाइश के किस नियम/ कानून के अन्तर्गत यह लिखा है कि किसी भूमि की पैमाइश को लगभग में किया जा सकता है?

(8.) क्या तहसील जानसठ में रहड़वा एहतमाल नाम का कोई ग्राम है, यदि नहीं तो आपने इस गाँव को आधार बनाकर यह पैमाइश किस प्रकार की है ?

(9.) मेरे आदेश में इन गाँव की पड़ताल, पैमाइश व निरीक्षण करते समय आपको वीडियोग्राफी कराने का आदेश दिया गया था, वह वीडियोग्राफी कहाँ है ?

(10.) जिलाधिकारी महोदय को इन टीमों में सम्मिलित अधिकारियों से यह प्रश्न भी अवश्य करना चाहिए था कि जब इन ग्रामों की पैमाइश, पड़ताल, एवं निरीक्षण करके आपने मुझे जाँच आख्या प्रस्तुत नहीं की और उस जाँच आख्या पर कार्यवाही का कोई आदेश मैंने नहीं दिया तब उससे पहले ही इन ग्रामों के सम्बन्ध में तीन मुकदमे दर्ज कराए जाने का आधार क्या था ?

(11.) आपके द्वारा इन ग्रामों में की गई पैमाइश का पैमाईशी नक्शा नजरी कहाँ है?

खैर यह तो मेरा बहम था, जिलाधिकारी महोदय जो स्वयं यह अवैधानिक कार्य करा रहे थे, उन्हें इन प्रश्नों से क्या लेना देना था, वे क्यों ऐसे प्रश्न करते ?

जिलाधिकारी महोदय श्री कौशलराज शर्मा के लिए इस रिपोर्ट में, उनकी दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण देखने लायक बात यह थी कि जिन लोगों के नाम वन विभाग की जमीन के सम्बन्ध में मुकदमे लिखवाये जा चुके थे, उनके खिलाफ सबूत कैसे तैयार कराये जाये, क्योंकि वह यह जानकारी कर चुके थे कि जय भगवान व प्रताप सिंह लेखपाल ने अपने पूरे सेवा काल में कोई भी आवंटन नहीं किया है, इसलिए उनके विरुद्ध लिखाए गए इन मुकदमों में उन पर पैसे लेकर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के आवंटन का आरोप सिद्ध नहीं हो पायेगा। तब जिलाधिकारी महोदय ने इन अधिकारियों से राय मशवरा किया और उसके बाद इन सभी में यह सहमति बनी कि इस रिपोर्ट को दोबारा से तैयार किया जाए। इस सहमति के आधार पर जिलाधिकारी महोदय ने इन अधिकारियों द्वारा प्रस्तुत इस रिपोर्ट को वापिस लौटाकर इन अधिकारियों को निर्देशित किया कि जिन लोगों के नाम तुमने वन विभाग की भूमि के सम्बन्ध में मुकदमे लिखवाए है उन सभी नामों पर अवैध कब्जा करके फसले बोना प्रदर्शित करके यह रिपोर्ट पुनः तैयार करो। (इसे कहते हैं पहले मुकदमा दर्ज कराना, बाद में सबूत तैयार करना)

जिलाधिकारी महोदय ने इन चारों टीमों को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि के संबंध में राजस्व अभिलेखों का परीक्षण, मौके का स्थलीय निरीक्षण कर तथा किन व्यक्तियों का कब्जा है और किन व्यक्तियों द्वारा फसले उगाई गई हैं इसकी जाँच करते समय मौके पर की गई कार्यवाही की वीडियोग्राफी कराते हुए अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश दिया था। अब मैंने सोचा चलो जब यह इतने बड़े-बड़े अधिकारी हैं और इन्होंने मौके पर कार्यवाहियाँ की है जिसमें इन्होंने कई हजार बीघा भूमि पर खड़ी फसलों को अपने कब्जे में ले लिया तथा जिन किसानों ने वह फसले उगाई थी उनके व मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे ट्रैक्टर ड्राइवर आदि के विरुद्ध मुकदमे लिखवाकर उन्हें जेल भिजवा दिया तब तो इन्होंने जिलाधिकारी महोदय के आदेश के क्रम में किए गए कार्यों को करते हुए मौके की वीडियोग्राफी अवश्य कराई होगी, तो चलो इनसे वह वीडियोग्राफी की सी0डी0 प्राप्त करने का

प्रयत्न करता हूँ। मैंने स्वयं अपने नाम से, मेरी पत्नी श्री लक्ष्मी देवी ने अपने नाम से तथा मेरे भतीजे गौरव कुमार ने अपने नाम से हम तीनों ने आर0टी0आई0 के तहत इन वीडियोग्राफी की सी0डी0 को प्राप्त करने का प्रयास किया।

मेरे द्वारा चाही गई सूचना का उत्तर देते हुए कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या: 762 /एस0टी0- राजस्व, दिनांक 02-11-2016 के द्वारा मुझे, व कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या: 1402/ज0 सू0 सहा0, दिनांक 08-12-2015 के द्वारा मेरी पत्नी को एवं कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या: 9874/ सात - भूलेख, दिनांक: 30-12-2016 के द्वारा मेरे भतीजे गौरव कुमार को लिखित में यह सूचना प्रदान की गई कि इन टीमों के द्वारा की गई कार्यवाहियों की वीडियोग्राफी की सी0डी0 उपलब्ध नहीं है। **_ 58**

अब यदि यह अधिकारीगण मौके पर जाते, पैमाइश करते, राजस्व अभिलेखों का निरीक्षण करते, किसी व्यक्ति का अवैध कबजा पाते तो वीडियोग्राफी भी अवश्य कराते। अधिकारी वहाँ गए अवश्य किन्तु वहाँ जाकर किसानों की निजी जमीनों पर खड़ी फसलों को लूटने, इस लूट के सम्पूर्ण विवरण का उल्लेख मैं सबूतो के साथ आगे करूँगा। एक ऐसी ऐतिहासिक लूट, जिसे जिसकी कल्पना आप नहीं कर सकते और वह लूट आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों द्वारा की गई लूट।

मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, मेरे भतीजे व अनेक किसानों के नाम हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के संबंध में दिनांक 06-11-2014 व 08-11-2014 व 10-11-2014 में मुकदमे दर्ज कराए जाने के बाद उन्हें सही साबित करने के फर्जी सबूतों का निर्माण कराने के क्रम में जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 3317 /ओ0एस0डी0, दिनांक 20-11-2014 में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर को पत्र लिखा और कहाँ कि आपके व अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उपसंचालक चकबंदी और विनीत कुमार डिप्टी कलेक्टर द्वारा दिनांक 14-11-2014 में जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है उसमें अवैध कब्जेदारो के नाम पर अभिलेखों में अवैध फसल का वर्णन नहीं किया है अतः आप उनके द्वारा बोई गई अवैध फसल का वर्णन करते हुए अपनी संशोधित आख्या उपलब्ध कराए, जिलाधिकारी महोदय द्वारा इस पत्र की प्रतिलिपिया इस रिपोर्ट को भेजने वाले अन्य अधिकारियों को भी की गई। **_ 59**

श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 1882/ एस0टी0- राजस्व, दिनांक 22-11-2014 के द्वारा श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ को पत्र

58 **59**

लिखा गया। इसमे पत्र में जिलाधिकारी के पत्र दिनांक 20-11-2014 का उल्लेख करते हुए अभिलेखों में अवैध कब्जे दर्ज करवाने के निर्देश दिए। _ **60**

श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ ने अपने कार्यालय के कार्यालय पत्र संख्या: 91/ एस0 टी0-2014 दिनांक 22-11-2014 के द्वारा एक आदेश जारी किया, जिसमें ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल, मुजाहिदपुर गैर एहतमाल, खेड़ा गैर एहतमाल, खेड़ा एहतमाल की पड़ताल के लिए श्री प्रवीन कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर के नेतृत्व में श्री मोतीराम, श्री भूपेन्द्र, श्री ब्रजपाल व श्री प्रवीन कुमार लेखपाल की एक टीम का गठन किया और इन्हें आदेश दिया कि आप स्थल पर जाकर इन गाँव में गाटा संख्यावार पड़ताल करो और अवैध काबिजदारो के नाम सहित क्षेत्रफल का उल्लेख कर अपने हस्ताक्षर करके प्रस्तुत करो, यह भी आदेश दिया कि यह कार्य कि यह कार्य 22-11-2014 की सायं तक ही प्रत्येक दशा में पूरा होना है। _ **61**

मैंने कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर तथा कार्यालय उप जिलाधिकारी जानसठ के इन दोनों आदेशों के सम्बन्ध में आर0टी0आई0 से सूचनाये प्राप्त की। श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या: 5245 /एस0टी0- 2016, दिनांक 28-10-2016 के द्वारा मुझे लिखित रूप से यह सूचना प्रदान की गई कि अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर का पत्र संख्या:1882/ एस0टी0 राजस्व, दिनांक 22-11-2014 उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय में कलेक्ट्रेट नजारत के माध्यम से दिनांक 22-11-2014 को प्राप्त हुआ। _**62** _ इसका अर्थ यह हुआ कि अपर जिला अधिकारी महोदय वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर ने सुबह 10:00 बजे अपना कार्यालय खुलने के बाद इस पत्र को तैयार कराकर एवं इस पर अपना आदेश करके अपने कार्यालय में डाकबही से चढ़वाकर इसे नाजिर सदर कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पास भिजवाया, तदुपरांत नाजिर सदर द्वारा जनपद मुख्यालय से 21 किलोमीटर दूर तहसील जानसठ में स्थित उप जिलाधिकारी कार्यालय में इस पत्र को विशेष वाहक/ चपरासी के द्वारा भिजवाया गया।

मेरे द्वारा उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय द्वारा जारी आदेश पत्र संख्या: 91/एस0टी0- 2014, दिनांक 22-11-2014 किसके द्वारा तैयार कराया गया, के उत्तर में उप जिलाधिकारी जानसठ ने लिखित रूप से बताया कि यह आदेश उप जिलाधिकारी कार्यालय में लिपिक के पद पर संबद्ध श्री सचिन कुमार से तैयार कराया गया।

60 61 62

इसका अर्थ यह हुआ की नाजिर सदर के विशेष वाहक/ चपरासी से अपर जिलाधिकारी का पत्र प्राप्त होने के बाद उप जिलाधिकारी जानसठ ने इस टीम के गठन के लिए यह आदेश श्री सचिन कुमार से तैयार कराकर उस पर अपने हस्ताक्षर किए।

उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय का उक्त पत्र तहसीलदार जानसठ/ उनके कार्यालय के किस कर्मचारी को किस समय और किस स्थान पर प्राप्त हुआ। इस सूचना का उत्तर देते हुए उप जिलाधिकारी द्वारा लिखा गया कि यह पत्र दिनांक 22-11-2014 को ही तहसीलदार जानसठ को दस्ती एवं प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर के मिर्धा श्री खड़क सिंह को तहसील जानसठ परिसर में ही प्राप्त कराया गया। मेरे द्वारा चाही गई यह सूचना कि तहसीलदार जानसठ द्वारा उक्त पत्र का अनुपालन सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रभारी राजस्व निरीक्षक व सम्बन्धित लेखपालों को किस प्रकार अवगत कराया गया/ किस माध्यम से किस समय सूचित किया/ कराया गया, के बारे में उप जिलाधिकारी द्वारा बताया गया कि इस बिन्दु की सूचना इस कार्यालय में उपलब्ध नहीं है। निश्चित रूप से श्री खड़क सिंह द्वारा यह आदेश श्री प्रवीन कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक को उनके नियुक्ति क्षेत्र मीरापुर, श्री मोतीराम लेखपाल को उनके नियुक्ति क्षेत्र सिकन्दरपुर, श्री भूपेन्द्र लेखपाल को उनके नियुक्ति क्षेत्र भूममा एवं श्री बृजपाल लेखपाल को उनके नियुक्ति क्षेत्र ढासरी एवं श्री प्रवीन कुमार लेखपाल को उनके नियुक्ति क्षेत्र कथोडा में जाकर तामील/ नोट/ सूचित कराया गया।

इसके पश्चात इस टीम में शामिल पर प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं चारों लेखपाल किसी एक स्थान पर एकत्रित होकर तहसील जानसठ से 40 किलोमीटर दूर स्थित इन गाँवो में गए। सबसे मजेदार बात यह है कि इस टीम में शामिल लेखपालों में से कोई भी एक लेखपाल ऐसा नहीं था जो अपने पूरे सेवा काल में इन गाँव में नियुक्त रहा हो। इस टीम के द्वारा अपने साथ कोई ग्रामीण या स्थानीय व्यक्ति या जनप्रतिनिधि भी नहीं लिया गया। इन पाँच गाँवो का क्षेत्रफल लगभग 12000 बीघा से अधिक है, इनमें से तीन गाँवो में मौके पर गंगा नदी बह रही है एवं यही तीनों ग्राम खेड़ा एहतमाल, मुजाहिदपुर एहतमाल एवं खड़कबेली जनपद बिजनौर से सीमा विवाद के ग्राम हैं। इन पाँचों ग्रामों में हजारों खसरा नम्बर हैं, इन ग्रामों में कई हजार बीघा भूमि किसानों की भी है। किन्तु यह ठहरी श्री कौशलराज शर्मा जिलाधिकारी की फ़ौज, इस फौज ने इन पाँचों ग्रामों के हजारों खसरा नम्बर का मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण, पड़ताल एवं पैमाईश का कार्य पूरा कर दिया तथा जिन लोगों के अवैध कब्जे पाए उनके क्षेत्रफल की पैमाइश भी कर दी, और एक रिपोर्ट बनाकर वहाँ से 40 किलोमीटर दूर तहसील जानसठ में आकर उप जिलाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत भी कर दी। उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार एवं रजिस्ट्रार कानूनगो श्री भोपाल सिंह को इस रिपोर्ट के आधार पर राजस्व अभिलेखों में अवैध कबजेदारों का अंकन अर्थात प्रविष्टिया दर्ज करने के आदेश भी कर दिए। श्री भोपाल सिंह रजिस्ट्रार कानूनगो ने प्रभारी राजस्व निरीक्षक से इन सभी अवैध कबजेदारों द्वारा बोई गई अवैध फसल का उल्लेख सम्बन्धित ग्रामों के खसरो (राजस्व अभिलेख) में कराकर उनकी नकले भी बनवा ली और उसे

संलग्न करके उप जिलाधिकारी को प्रेषित भी कर दी। _ **63**

जब यह सब कार्यवाही हो चुकी, और यह रिपोर्ट उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र के पास पहुँची तब उन्होंने तहसीलदार श्री राकेश कुमार के साथ बैठकर उन लोगों के नामो का मीलान किया जिनके विरुद्ध थाना रामराज पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे, तब इन दोनों ने देखा कि जय भगवान और बाकी लोगों के नाम तो अवैध कब्जे भर दिए गए हैं, परन्तु प्रताप सिंह लेखपाल के नाम तो अवैध कब्जे करके फसले बोना इस रिपोर्ट में उल्लिखित ही नहीं किया गया, और न हीं राजस्व अभिलेखों में प्रताप सिंह लेखपाल के नाम अवैध कब्जा करके फसले बोना लिखा गया है। तब फिर उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ ने प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं उनकी टीम में शामिल चारों लेखपालों को बुलाया और उनसे कहा कि तुमने तो उनमें से कुछ नाम ही छोड़ दिए जिनके नाम मुकदमे दर्ज हो चुके हैं उनके खिलाफ सबूत तैयार क्यों नहीं किए हैं ? जिलाधिकारी महोदय क्या कहेंगे ? तुरन्त दोबारा जाओ और जो लोग छूट गए हैं उनके नाम पर भी कब्जे भरकर लाओ। प्रभारी राजस्व निरीक्षक पुनः इन चारों लेखपालों को अपने साथ लेकर तहसील जानसठ से 40 किलोमीटर दूर ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल व खेड़ा एहतमाल में गए और इन्हें उन लोगों का अवैध कब्जा भी दूसरी पड़ताल में मिल गया जिनके नाम छूट गए थे। हाँ सबसे मजेदार बात यह है कि इस टीम को केवल उन्हीं व्यक्तियों का कब्जा मौके पर मिला जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज कराए गए थे। पुनः पड़ताल करने के बाद यह टीम इन ग्रामों से 40 किलोमीटर दूर तहसील जानसठ मुख्यालय आई और इन्होंने अवैध कबजेदारों के सम्बन्ध में अपनी रिपोर्ट बनाकर उप जिलाधिकारी जानसठ को प्रस्तुत की। उप जिलाधिकारी जानसठ ने तहसीलदार जानसठ को आदेश किया, तहसीलदार जानसठ ने प्रभारी राजस्व निरीक्षक से अवैध कब्जदारों की प्रविष्टियाँ राजस्व अभिलेखों में कराई और उनकी नकले बनवाकर प्राप्त की। _ **64**

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर के कार्यालय से सुबह 10:00 बजे शुरू होकर यह समस्त कार्य शाम तक (दिनांक 22-11-2014 अर्थात सर्दी का छोटा दिन में) पूर्ण कर लिया गया। "कार्य करने की गति हो तो ऐसी, जैसी कौशलराज शर्मा की फौज की"।

दिनांक 23-11-2014 अर्थात रविवार छुट्टी के दिन, उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या:100 /एस0 टी0-2014, दिनांक 23-11-2014 के द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर को यह रिपोर्टें यह एवं राजस्व अभिलेख खसरे की नकले उन्हें भिजवाई गई। _ **65** _ अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं

63 64 65

श्री विनीत कुमार डिप्टी कलेक्टर, श्री आर0 एन0 धामा उप संचालक चकबंदी, श्री अजय पोरवाल चकबंदी अधिकारी ने मिलकर इसी दिन एक रिपोर्ट तैयार की, जिसमें उन्होंने दिनांक 14-11-2014 में जिलाधिकारी को भेजी गई रिपोर्ट एवं जिलाधिकारी के आदेश संख्या 3317 /ओ0एस0डी0, दिनांक 20-11-2014 के क्रम में भरवाये गए कब्जों की इन रिपोर्ट को एकजाई करके एक रिपोर्ट दिनांक 23-11-2014 में ही जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की। _ **66** _ इस प्रकार फर्जी रूप से मुकदमे दर्ज कराने एवं मुकदमे दर्ज करने के बाद षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, फर्जीवाड़ा एवं कूटरचना करके इन सबूतो को तैयार करने में जिलाधिकारी सहित यह समस्त अधिकारी एवं कर्मचारी सम्मिलित रहे।

दिनांक 28-11-2014 में श्री रूपराम उपवन रेंजर ने ग्राम रहडवा कदीम की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 177 सन 2014 दर्ज कराया। _ **67** _ इससे पहले हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में दर्ज कराए गए मु0अ0सं0- 164/ 14, 168/ 14, 169/ 14 में जिन धाराओं में एवं कानूनो में मुकदमे दर्ज कराए गए थे, अब उन कानूनो एवं धाराओं के अतिरिक्त अन्य कानूनो एवं धाराओं की बढ़ोत्तरी भी इन हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के मुकदमों में की जाने लगी, अर्थात अब 2/3 लोक सम्पत्ति का निवारण अधिनियम की धारा बढ़कर यह मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मुकदमे में मेरे व प्रताप सिंह लेखपाल के विरुद्ध यह आरोप लगाया गया कि हमने नगद पैसे लेकर ग्राम रहड़वा कदीम की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि को कुछ व्यक्तियों को आवंटित करके उनका कब्जा करा दिया है इस मुकदमे मे मेरे भाई तोलेराम उर्फ तिलकराम मेरे भतीजे गौरव कुमार सहित अनेक किसानों को आरोपी बनाया गया। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है इस ग्राम की जाँच का जिम्मा जिलाधिकारी महोदय द्वारा अपने पत्र संख्या 1689 /एस0 टी0- राजस्व, दिनांक 04 -11-2014 के द्वारा अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा को सौंपा गया था, किन्तु उनके द्वारा इस गाँव के सम्बन्ध में जाँच करके अपनी कोई रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत नहीं की, इसका अर्थ यह हुआ कि उन्हें इस गाँव में अवैध कब्जे नहीं मिले। अब इस एफ0आई0आर0 को देखिए जिसमें लिखा है कि आज दिनांक 28-11-2014 को मैं रूपराम उपवन रेंजर मीरापुर अपने हमराह शबाब आलम वन माली व प्रवीण कुमार हल्का कानूनको के साथ सुबह 10:40 पर ग्राम रहड़वा कदीम के जंगल में पहुँचे तो पाया कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर गन्ने की फसल खड़ी है, पूछने पर एक दो व्यक्तियों ने अपना नाम व पता नहीं बताने की शर्त पर बताया कि जिस भूमि पर यह गन्ने की फसल खड़ी है उसे जय भगवान लेखपाल ने अवैध रूप से पैसे लेकर आवंटित कर दिया है। अब इन तीनों व्यक्तियों की स्पीड देखिए यह तीनों व्यक्ति सुबह 10:40 पर ग्राम रहड़वा कदीम जो सीमा विवाद का ग्राम है तथा मौके पर गंगा नदी बह रही है, यह गंगा नदी उस क्षेत्रफल पर

66 67

बह रही है जो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर दर्ज है। इस गाँव का क्षेत्रफल कई हजार बीघा है जिसमें हजारों बीघा जमीन निजी किसानों की भी है इस गाँव में सैकड़ो खसरा नम्बर है, इस पूरे गाँव की पैमाइश व पड़ताल इन तीनों व्यक्तियों ने सुबह 10:40 से शुरू करके पूरी कर दी और वहाँ से 10 किलोमीटर दूर थाना रामराज पर आकर इन्होंने हस्तलिखित तहरीर लिखी उस तहरीर को थाना रामराज मे दिया। थाना रामराज के कर्मचारियों द्वारा भी इस तहरीर के आधार पर इस एफ0आई0आर0 को हस्तलिखित रूप में लिखा गया और दोपहर 12:20 पर एफ0आई0आर0 के रूप में दर्ज कर लिया, अर्थात यह सब कार्यवाई 1 घण्टा 40 मिनट में पूरी कर ली गई। देश में आजादी के इतने वर्षों बाद भी जिलाधिकारी को इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि वह अपने जिले के अन्दर किसी भी अधिकारी या कर्मचारी से यदि वह चाहे तो वर्षों का काम मिनटों में करा सकते हैं चाहे वह कार्य वैध हो या अवैध हो। अब आप यह देखिए कि इन अधिकारियों द्वारा किस प्रकार धोखाधड़ी करके एक फर्जी रिपोर्ट तैयार कराई जिसके आधार पर यह मु0 अ0सं0-177 सन 2014 दर्ज कराया। दिनांक 23-11-2014 में श्री प्रवीन कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर एवं श्री मोतीराम लेखपाल एवं श्री ब्रजपाल लेखपाल से ग्राम रहडवा कदीम एवं रहड़वा जदीद के सम्बन्ध में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि पर इस एफ0आई0आर0 में अंकित व्यक्तियों के अवैध कब्जे गन्ने की फसले बोकर दर्ज कराए गए। इस रिपोर्ट के अनुसार अवैध कब्जे ग्राम रहडवा कदीम एवं ग्राम रहड़वा जदीद की भूमि पर पाए गए। यह रिपोर्ट श्री प्रवीण कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक द्वारा उप जिलाधिकारी श्री उमेश मिश्र के समक्ष प्रस्तुत की गई उन्होंने तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार को आदेश दिया कि राजस्व अभिलेखों में इन अवैध कब्जों की प्रविष्टियाँ अंकित कराई जाए और तहसीलदार श्री राकेश कुमार ने राजस्व अभिलेखों में इन अवैध कब्जों की प्रविष्टियाँ अंकित कराई।

इस बार अधिकारियों ने सावधानी बरतते हुए पहले कब्जे दर्ज कराये उसके बाद यह रिपोर्ट दर्ज कराई किन्तु जैसा की कहावत है:- "झूठ के पाँव नहीं होते" वही हुआ, कब्जे भरवाये दो गाँव में और रिपोर्ट दर्ज कराई मात्र एक गाँव अर्थात रहड़वा कदीम के सम्बन्ध में, जब मैंने दो गाँवो में अवैध कब्जे किए थे, तो दोनो गाँवो में अवैध कब्जों की रिपोर्ट दर्ज क्यों नहीं कराई ? वैसे भी इन अधिकारियों को मेरे विरुद्ध अधिक से अधिक मुकदमे दर्ज करने के लक्ष्य जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने आवंटित कर रख रखे थे। एक मुकदमा और लिखा जाता।

आप यह लगातार देखते रहिये कि किस प्रकार फर्जी रिपोर्ट तैयार करके फर्जी सबूत बनाये और उनके आधार पर मुकदमे दर्ज कराकर फर्जी विवेचनाये कराई गई यह रिपोर्ट श्री प्रवीन कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं दो अन्य लेखपालों ने उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय के पत्र संख्या 91 /एस0टी0,दिनांक 23-11-2014 के अनुपालन में तैयार की और इस रिपोर्ट में इस पत्र का उल्लेख किया। _ **68** _ उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र,

68

प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर श्री प्रवीण कुमार, लेखपाल श्री मोतीराम ने इस मुकदमे के विवेचक को दिए गए बयानों में कार्यालय उप जिलाधिकारी के उक्त पत्र के आधार पर यह कार्यवाही किया जाना एवं कराया जाना स्वीकार किया है विवेचक द्वारा इन बयानों को इस मुकदमे की केस डायरी में अंकित किया गया है तथा इन्हें इस मुकदमे में गवाह बनाया गया है। **_69**

अब एक और मजेदार बात वह यह कि जिस झूठ के पहाड़ पर यह मुकदमा रूपी इमारत तैयार कराई गई, वह झूठ का पहाड़ कैसा था, अर्थात इस टीम द्वारा अवैध कब्जे भरने के लिए कार्यालय उप जिलाधिकारी जानसठ के पत्र संख्या 91 /एस0टी0, दिनांक 23-11-2014 का उल्लेख करके यह कब्जे भरे गए और इन कब्जों के आधार पर यह मुकदमा लिखवाया गया। इस पत्र का उल्लेख करते हुए उप जिलाधिकारी जानसठ, प्रभारी राजस्व निरीक्षक तथा लेखपाल ने अपने बयान विवेचक को दिए और विवेचक ने उनके बयान केस डायरी में अंकित कर यह मुकदमा हमारे खिलाफ साबित करके हमारे खिलाफ इस मुकदमे की चार्जशीट मा0 न्यायालय में भेजी। मेरे द्वारा आर0टी0 आई0 के अन्तर्गत दिनांक 30-07-2017 में उप जिलाधिकारी जानसठ के कार्यालय में प्रार्थना पत्र प्रेषित करके दो बिन्दुओं पर सूचनाओं चाही गई। कार्यालय उप जिलाधिकारी जानसठ के पत्र संख्या 475/एस0टी0- 2017, दिनांक 26-09-2017 में मुझे लिखित रूप से यह सूचना दी गई थी ग्राम रहड़वा कदीम एवं ग्राम रहड़वा जदीद की स्थलीय पड़ताल हेतु प्रभारी राजस्व निरीक्षक श्री प्रवीन कुमार, श्री मोतीराम लेखपाल व श्री ब्रजपाल लेखपाल की टीम के गठन हेतु दिनांक 23-11-2014 को पत्र संख्या 91/एस0टी0 निर्गत नहीं किया गया था। **_ 70 _** सब कुछ फ्रॉड लेकिन हमारे खिलाफ दर्ज मुकदमा वास्तविक सत्य। क्या आप विश्वास कर सकते हैं कि उच्च अधिकारी अपने अपराधों को छिपाने के लिए इस तरह के कारनामे अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए इस प्रजातांत्रिक, संविधान एवं कानून के अनुसार चलने वाले देश में कर सकते हैं। लेकिन यही सत्य है क्योंकि यह सब अभिलेखीय है, रिकॉर्डेड है और आपके सम्मुख है।

जिलाधिकारी के नेतृत्व में उनके दिशा निर्देशों में संपूर्ण जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारी/ कर्मचारी चाहे वह पुलिस विभाग के हो, राजस्व विभाग के हो, चकबंदी विभाग के हो, वन विभाग के हो के द्वारा मुझे फर्जी मुकदमों में फंसाने के लिए एक श्रृंखलाबद्ध तरीके से फर्जी रिपोर्टों/ जाँच आख्याओ का निर्माण करके मेरे, मेरे परिजनों तथा अनेक किसानों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखवाकर, फर्जी सबूत बनाकर फर्जी विवेचनाये कराई। इसी श्रृंखला की अगली कड़ी को देखिए।

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1797 /एस0टी0 - राजस्व दिनांक 14-11-2014

69

70

के आदेश द्वारा तहसील जानसठ के ग्राम रामराज तथा आसपास के अन्य ग्रामों में लेखपाल और सरकारी कर्मचारियों द्वारा आपस में मिलकर सीलिंग तथा ग्राम सभा आदि सरकारी भूमियों के अवैध आवंटन किए जाने तथा खुर्द-बुर्द किए जाने की शिकायतें प्राप्त होना उल्लिखित करके एक 14 सदस्यीय जाँच समिति का गठन किया _ **71** _ तथा इस टीम के लिए जाँच किए जाने हेतु पाँच बिन्दु निर्धारित किये।

(1.) अभिलेखों के अनुसार वन विभाग/ नदी/ ग्राम सभा/ सार्वजनिक/ सीलिंग की भूमि पर यदि पट्टे किए गए हैं तो किसके द्वारा किए गए हैं ?

(2.) अभिलेखों के अनुसार ग्राम सभा/ सार्वजनिक भूमि की मौके की स्थिति ? यदि मौके पर कब्जा है तो किसका है ?

(3.) अभिलेखों में जिन व्यक्तियों का नाम दर्ज है उनके मौके पर काबिज होने की स्थिति।

(4.) क्या पट्टेदार ग्राम के निवासी थे और उनके बाद उनके वारिस वास्तविक थे या नहीं ?

(5.) पट्टेदारों के बाद किन-किन को भूमियों का संक्रमण किस प्रकार किया गया ?

उपरोक्त जाँच में परिवार रजिस्टर, वोटर लिस्ट, राशन कार्ड आदि अभिलेखों को सम्मिलित करने और ग्राम वासियों के मौखिक बयान दर्ज करने तथा मौके की वीडियोग्राफी कराई जाने के आदेश भी जिलाधिकारी ने दिए तथा उक्त जाँच समिति से प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर जाँच करने और प्रतिदिन की गई कार्रवाही की आख्या उसी दिन शाम को उनके समक्ष प्रस्तुत करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी महोदय ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को भी आदेश दिया कि जाँच समिति के साथ समकक्ष पुलिस अधिकारी/ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल/ डेढ सेक्शन पी0ए0सी0 तैनात करने तथा सम्बन्धित क्षेत्राधिकारी/ प्रभारी थाना निरीक्षक को भी अपेक्षित सहयोग करने के लिए निर्देश दिए जाने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी महोदय के इस आदेश के अनुपालन में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा एक रिपोर्ट तैयार की गई, जो मैंने आर0टी0आई0के अन्तर्गत प्राप्त की। _ **72** _ इन अधिकारियों द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत इस रिपोर्ट पर कोई भी दिनांक अंकित नहीं की गई। जिलाधिकारी महोदय द्वारा दिए गए आदेश में उल्लिखित विषय उसमें निश्चित किए गए जाँच के बिन्दु उसमें शामिल किए जाने वाले अभिलेख आदि के सम्बन्ध में इस जाँच रिपोर्ट में एक अक्षर/एक शब्द भी नहीं लिखा है।

हाँ इस टीम को ग्राम धर्मपुरा जदीद व ग्राम धर्मपुरा कदीम जो जनपद बिजनौर की सीमा से लगे हुए ग्राम हैं और सीमा विवाद के ग्राम हैं, जिनमें गंगा नदी बहती है, जिनमे किसानों की कई हजार बीघा जमीन है। इन ग्रामो में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग

71

72

की भूमियों पर मेरा व अनेक किसानों का कब्जा जरूर मिल गया और इन्होंने मुझ सहित इन सभी किसानों की रिपोर्ट थाना रामराज में दर्ज करा दी इसका उल्लेख करते हुए अपनी जाँच आख्या जिलाधिकारी को प्रस्तुत कर दी अब इस जाँच टीम से यह प्रश्न कौन करता कि आपको इस आदेश के द्वारा जो कार्य सौंपे गए थे, वह आपने क्यों नहीं किये? जो यह प्रश्न कर सकता था उसे यह प्रश्न करने की आवश्यकता नहीं थी क्योंकि उसका उद्देश्य दूसरा था उसका उद्देश्य था मुझे झूठे मुकदमों में फंसाना और किसानों की भूमि पर खड़ी अरबो रुपए की गन्ने की फसल को लूटना, न कि सरकारी भूमियों के अवैध आवंटन की जाँच कराना। यदि उद्देश्य एवं नियत साफ होती तो जिस कार्य हेतु इस टीम का गठन किया गया था, यह टीम वह कार्य करती एवम किये गये कार्यो की विडियोग्राफी कराती। जिलाधिकारी इस टीम के लिए निर्धारित किए गए कार्यों की प्रतिदिन जाँच रिपोर्ट प्राप्त करके उनकी समीक्षा करते किन्तु यह टीम बनाना तो बहाना मात्र था वास्तविक उद्देश्य यदि सही होता तो क्या जरूरत थी सम्पूर्ण जनपद की पुलिस एवं पी0ए0सी0 को वहाँ भेजने की, फर्जी आबंटन/ रिकॉर्ड की जाँच करने के नाम पर पूरे जनपद की सरकारी मशीनरी ने धावा बोलकर इस रिपोर्ट में प्रदर्शित 15 गाँवो में स्थित किसानों की निजी जमीनों पर खड़ी गन्ने की फसलों को उनसे छीन लिया। कौन सामना करता इस सरकारी फौज का? जिसने सामना किया उन्ही किसानों पर मुकदमे दर्ज कराए गए, जेल भेज दिए गए। सब कुछ मनमर्जी से चल रहा था, रिपोर्ट बनाई गई बिना दिनांक की, श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ, मोहम्मद इकबाल लेखपाल, श्री रूपराम डिप्टी डेंजर वन विभाग का नाम जिलाधिकारी द्वारा गठित इस टीम में शामिल नही था, रिपोर्ट पर हस्ताक्षर उनके भी है, किसके आदेश से ? श्री अनंगपाल चकबंदीकर्ता, श्री विक्रम सिंह चकबंदी लेखपाल, श्री ब्रजपाल लेखपाल, श्री भूपेन्द्र लेखपाल, श्री शबीहैदर बीट प्रभारी वन विभाग, श्री राकेश बालियान उपवन रेन्जर की ड्यूटी लगाई गई थी जिलाधिकारी द्वारा, उनके रिपोर्ट पर हस्ताक्षर नहीं, क्यों ? कौन कह सकता था, जो कह सकता था वही तो यह सब करा रहा था। इसके पश्चात इस फर्जी रिपोर्ट के आधार पर मेरे व किसानों के विरुद्ध दो मुकदमे दर्ज कराए गए जिनका विवरण निम्न प्रकार है।

दिनांक 05-12-2014 में थाना रामराज पर ग्राम धर्मपुरा जदीद की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में मेरे व किसानों के विरुद्ध मु0 अ0 सं0 181 सन 2014 दर्ज कराया गया। _ **73** _ यह मुकदमा भी श्री रूपराम उपवन रेन्जर मीरापुर द्वारा दर्ज कराया गया इस एफ0आई0आर0में भी मुझे पैसे लेकर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध कब्जा करने का दोषी बताया गया। इस एफ0आई0आर0 के अनुसार दिनांक 05-12-2014 में श्री रूपराम उपवन रेन्जर मीरापुर अपने साथ श्री शबाब आलम वन माली एवं श्री प्रहलाद सिंह वनमाली को साथ लेकर ग्राम धर्मपुरा जदीद के जंगल में गये। इन तीनों ने इसी दिन पूरे गाँव का सीमांकन/ चिह्नकरण कर लिया इन्हें मौके पर हस्तिनापुर

वन्य जीव विहार की भूमि पर गन्ने की फसल मिली, तो कुछ नामालूम लोगों ने इन्हें बताया कि जिस भूमि पर गन्ने की फसल खड़ी है वह भूमि जय भगवान लेखपाल ने अवैध रूप से आवंटित की है इस ही दिनांक में इनके द्वारा यह रिपोर्ट दर्ज करा दी गई।

ठीक इसी प्रकार दिनांक 11-12-2014 में ग्राम धर्मपुरा कदीम की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में मु0अ0सं0- 183 सन 2014 मेरे व किसानों के विरुद्ध श्री रूपराम उपवन रेंजर मीरापुर द्वारा दर्ज कराया गया। _ 74 _ इस मुकदमे में भी मुझे हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि को अवैध रूप से पैसे लेकर अवैध कब्जा कराने का आरोपी बताया गया। इस एफ0आई0आर0 के अनुसार दिनांक 11-12-2014 को श्री रूपराम उपवन रेंजर अपने साथ श्री मोहन कुमार वन दरोगा व श्री शबाब आलम वन माली को साथ लेकर ग्राम धर्मपुरा कदीम के जंगल में गए वहाँ इन तीनों ने सीमांकन चिन्हीकरण का कार्य किया तो देखा कि इस ग्राम में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर गन्ने की फसल खड़ी है कुछ लोगों ने नाम ने बताने की शर्त पर बताया कि जिस भूमि पर यह फसल खड़ी है वह भूमि जय भगवान लेखपाल ने अवैध रूप से आवंटित कर रखी है इसी दिन शाम को इन्होंने यह रिपोर्ट मेरे व अनेक किसानों के नाम दर्ज करा दी। अधिकारियों द्वारा ग्राम धर्मपुरा जदीद एवं ग्राम धर्मपुरा कदीम के सम्बन्ध में भी कब्जे/ सबूत श्री प्रवीन कुमार प्रभारी राजस्व निरीक्षक एवं लेखपालों से उसी प्रकार तैयार कराए गए, जिस प्रकार वन विभाग के अन्य मुकदमा में तैयार कराए गए थे।

अब आप यह देखिए की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग के सम्बन्ध में बनाई गई अधिकारियों की रिपोर्टें एवं अधिकारियों द्वारा अवैध कब्जा करके फसले बोने के जो सबूत तैयार किये एवं कराए गये। यह सब कार्य इनके द्वारा पैमाइश किया जाना उल्लिखित करके किया गया, वैसे भी बिना पैमाइश के यह कार्य नहीं किया जा सकता था। मेरे द्वारा जब इन सब कार्यवाहियों में की गई पैमाइश के साथ बनाया गया नक्शा नजरी (फील्ड बुक) एक आर0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया गया तो कार्यालय तहसीलदार जानसठ के पत्र संख्या 425 /एम0जे0- ज0सू0सहा0 दिनांक 23-07-2016 के द्वारा तहसीलदार जानसठ ने मुझे यह लिखकर दिया कि कार्यालय में नक्शा नजरी (फील्ड बुक) स्थायी रूप से संरक्षित नहीं रहती है। _ 75 _ अब यह प्रश्न कौन करें कि जब अधिकारियों द्वारा बनाए गई रिपोर्टें संरक्षित रह सकती है, उन रिपोर्टों में उल्लिखित पैमाईशों का विवरण संरक्षित रह सकता है, राजस्व निरीक्षक द्वारा भरे गए अवैध कब्जों की रिपोर्टें जिनमे पैमाइश किया जाना वर्णित है वे संरक्षित रह सकती है, जिन राजस्व अभिलेखों में अवैध कब्जे भरे गए वह संरक्षित रह सकते हैं। वह सब कुछ संरक्षित रह सकता है तब उन अधिकारियों एवं

74

75

कर्मचारियों द्वारा बनाई गई रिपोर्ट के साथ संलग्न पैमाईशी नक्शा नजरी (फील्ड बुक) जो किसी भी पैमाईश का अनिवार्य हिस्सा होता है। क्यों संरक्षित नही किया जा सकता ? वाह क्या तर्क है, अब यह तर्क है या कुतर्क है इसका निर्णय आप करें किन्तु यह पूर्ण रूप से इस तथ्य को सिद्ध करता है कि मौके पर कोई पैमाइश नहीं की गई। मेरे द्वारा आर0टी0आई0 मे प्राप्त एक और सूचना आपसे साझा करना चाहता हूँ जो यह प्रदर्शित करती है कि अधिकारियों द्वारा झूठ का पहाड़ खड़ा किया गया वास्तविक रूप से कार्य नहीं किया गया यदि वास्तविक रूप से सही कार्य किया जाता तो वह सब अभिलेखीय (रिकॉर्डेड) होता और इन अधिकारियों द्वारा की गई वास्तविक कार्यवाहियों की सूचनाओं को देने में उन्हें कोई परेशानी नहीं होती। मेरे द्वारा जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग मुजफ्फरनगर से हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में दिनांक 21-03-2016 में चार बिन्दुओं में सूचनाओं चाही। जिनमें जनपद मुजफ्फरनगर में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अंतर्गत आने वालों ग्रामों के नाम तथा कितने ग्रामों में राजस्व अभिलेखों में ग्राम सभा भूमि का अमलदरामद हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम अंकित हो चुका है एवं कितने ग्रामों में शेष हैं तथा राजस्व विभाग द्वारा कब्जा/ दखल वन विभाग को किस ग्राम में किस दिनांक में दिया गया। इसके जवाब में कार्यालय तहसीलदार जानसठ के पत्र संख्या 360/ एम0जे0- ज0सू0सहा0, दिनांक 26-4-2016 के द्वारा मुझे लिखित रूप से बताया गया कि आपके द्वारा चाही गई सूचनाये काल्पनिक प्रश्नों/ जिज्ञासाओ पर आधारित होने के कारण सूचना देना अपेक्षित नहीं है। _ 76 _ अरे योग्य, कर्मठ, ईमानदार अधिकारियों और इन अधिकारियों के सिरमौर इस महाभूमिघोटाले का अनावरण करने वाले जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा जी अब आपके अधिकारी तो इस सम्पूर्ण प्रकरण में आपके द्वारा की गई कार्यवाहियो को काल्पनिक बता रहे हैं वास्तविक कार्यवाहियाँ कहाँ गई?

वन विभाग द्वारा मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, मेरे भतीजे, मेरे ट्रैक्टर ड्राइवर एवं सैकड़ो किसानों के विरुद्ध जो यह मुकदमे मु0अ0सं0 164/ 2014, 168/ 2014, 169/ 2014, 177/ 2014, 181/ 2014, 183/ 2014 लिखवाए गए, इन सभी प्रथम सूचना रिपोर्टों में मुकदमा किन धाराओं में दर्ज किया जाना है, यह भी तहरीर में लिख कर दिया गया और पुलिस द्वारा तहरीर में लिखी गई धाराओं में ही मुकदमे दर्ज किए गए। जनपद मुजफ्फरनगर में जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा के नेतृत्व में जनपद के समस्त विभाग उनकी मनसा के अनुरूप कार्य कर रहे थे, कानून को तो उठाकर खूँटी पर टाँग दिया गया था। किसी भी अपराध के घटित होने पर उस घटना में किए गए अपराध का विवरण अंकित करते हुए उसकी सूचना सम्बन्धित थाने में दी जाती है तथा पुलिस उस घटना में कारित अपराध के अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज करती हैं किन्तु यहाँ तो सब कुछ पूर्व नियोजित/ पूर्व निर्धारित था।

अब हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में थाना रामराज पर

जिन धाराओं के अन्तर्गत मुकदमे मेरे व अन्य लोगों के विरुद्ध दर्ज कराए गए उनका उल्लेख करना यहाँ अनिवार्य है जिससे श्री कौशलराज शर्मा जी द्वारा कराई गई कार्यवाहियों की उत्कृष्टता का दर्शन हो सके। सभी मुकदमों में सबसे पहले धारा 420 आई0पी0सी0 लगवाई गई, किन्तु क्या धोखाधड़ी की गई ? धोखाधड़ी किसके द्वारा की गई ? उस धोखाधडी के सबूत क्या है? इन मुकदमों की पूरी केस डायरी में इस धारा के अन्तर्गत किए गए अपराध के बारे में एक भी शब्द नहीं लिखा गया न ही कोई साक्ष्य लगाया गया, किन्तु अपराध सिद्ध।

इसके पश्चात वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 _ 77

धारा 2:- इस धारा में इस अधिनियम की परिभाषाएँ अंकित है हमारे विरुद्ध इस धारा में मुकदमा भी दर्ज कर दिया गया और उसे सिद्ध भी कर दिया गया किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट में एवं पूरी केस डायरी में इस धारा में हमारे द्वारा किए गए अपराध का कोई उल्लेख नहीं है, किन्तु आरोप सिद्ध।

धारा 9:- इस धारा में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार क्षेत्र में शिकार करने पर प्रतिबन्ध है, न प्रथम सूचना रिपोर्ट में यह आरोप लगाया गया न पूरी केस डायरी में इस सम्बन्ध में एक भी शब्द लिखा गया, किन्तु आरोप सिद्ध।

धारा 17 क:- इस धारा में वन्य जीव विहार के अन्तर्गत पेड़-पौधे आदि को तोड़ने उखाड़ने आदि पर प्रतिबन्ध है, हमारे विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमों की प्रथम सूचना रिपोर्ट मैं यह आरोप हम पर नहीं लगाया गया और न हीं केस डायरी में इस सम्बन्ध में एक भी शब्द लिखा गया है, किन्तु आरोप सिद्ध।

धारा 27:- अभयारण्य क्षेत्र में प्रवेश के सम्बन्ध में इस धारा के सम्बन्ध में न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमारे विरुद्ध कोई आरोप लगाया गया, न पूरी केस डायरी में हमारे विरुद्ध कोई एक भी शब्द लिखा गया, फिर भी आरोप सिद्ध।

धारा 29:- इस धारा के अन्तर्गत बिना अनुज्ञा के अभ्यारण क्षेत्र में वन उत्पादन व वन्य जीवन आदि को नष्ट करने का वर्णन है, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमारे विरुद्ध इस प्रकार का कोई आरोप लगाया न पूरी केस डायरी में इस आरोप के सम्बन्ध में एक भी शब्द फिर भी आरोप सिद्ध।

धारा 34 क:- इस धारा में यदि कोई व्यक्ति वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध कब्जा कर लेता है तो उसे उपवनपाल अर्थात डिप्टी कंजरवेटर ऑफ़ फारेस्ट की पंक्ति से नीचे का अधिकारी ना हो, वह अधिकारी कब्जा हटवाने का आदेश पारित कर सकता है, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि जब तक प्रभावित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर नहीं दिया जाएगा तब तक कब्जा हटवाने का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जा सकेगा। मेरे परिजनो सहित अन्य व्यक्तियों तथा सैकड़ो किसानों पर अवैध कब्जे करके फसलें बोने के जो आरोप लगाये गये थे उन्हें इस अधिनियम में वर्णित व्यवस्था के अनुरूप यदि कोई अवैध कब्जा था भी, तो उसे हटाया जा सकता था।

इस अधिनियम में यह प्रावधान इस कारण किया गया था जिससे यदि किसान अपनी निजी भूमि पर खेती कर रहा है तो उसे वैधानिक रूप से बिना सुनवाई का अवसर दिए न हटाया जा सके। किन्तु श्री कौशलराज शर्मा जी ऐसा अवसर किसानों को क्यों प्रदान करते ? अगर श्री कौशलराज शर्मा जी नियम एवं कानूनो के अनुसार कार्य कराते तो वह गुरमीत सिंह वाला प्रकरण कैसे दबता ? अरबों रुपए की किसानों की गन्ने की फसल की लूट कैसे होती ? एवं इस प्रदेश व देश में एक महाभूमिघोटाले का पर्दाफाश करने वाले नायक का अवतार कैसे होता ? बिना इस अधिनियम की धाराओं का पालन किए आरोप सिद्ध।

धारा 39:- अधिनियम की इस धारा में वन्य प्राणियों आदि का सरकारी सम्पत्ति होने का उल्लेख किया गया है, न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में, न ही उन्हें पूरी केस डायरी में इस आरोप के सम्बन्ध में एक भी शब्द फिर भी आरोप सिद्ध।

धारा 50:- अधिनियम की यह धारा वन्य जीव विहार क्षेत्र में प्रवेश, तलाशी व गिरफ्तारी आदि की अधिकारियों की शक्तियों के सम्बन्ध में है, इस धारा के सम्बन्ध में न तो कोई आरोप प्रथम सूचना रिपोर्ट में न ही पूरी केस डायरी में फिर भी आरोप सिद्ध।

धारा 51:- अधिनियम की धारा में इस अधिनियम के उपबन्धों का उल्लन्घन करने पर जो सजा निर्धारित की गई है, अपराध की उस सजा उसका वर्णन किया गया है, न प्रथम सूचना रिपोर्ट में हमारे विरुद्ध यह आरोप न पूरी केस डायरी में एक शब्द फिर भी आरोप सिद्ध।

लोक सम्पत्ति का निवारण अधिनियम की धारा 2/3 न तो प्रथम सूचना रिपोर्ट में न पूरी केस डायरी में इसआरोप के सम्बन्ध में कोई वर्णन फिर भी आरोप सिद्ध।

अब यह देखिए कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के सम्बन्ध में किस प्रकार मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, भतीजे व सैकड़ो किसानों के विरुद्ध षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, व कूटरचना करके यह मुकदमे फर्जी रूप से दर्ज कराए गए एवं उन्हें सही साबित करने के लिए कर्मचारियों से फर्जी रिपोर्टें बनवाकर प्राप्त की। इस कार्यवाही के दौरान मुझे लेखपाल पद की सेवा से पदच्युत किया गया वह किस प्रकार फर्जी रूप से साक्ष्य बना कर किया गया इसका विवरण तो मैं अलग से लिखूँगा, फिलहाल तो बात वन विभाग के मुकदमों की करता हूँ। मुझे लेखपाल पद की सेवा से पदच्युत करते समय मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाए गए उनमें एक वन विभाग की भूमि पर उपकार पुत्र लहरी व कमल पुत्र शंकर के साथ मिलकर एक गिरोह बनाकर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर कब्जा करके गन्ने व अन्य फसले बोने का आरोप भी लगाया गया।

मैंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपों का उत्तर जाँच अधिकारी को दिया तथा विभागीय कार्यवाही के नियम

के अन्तर्गत इस आरोप के साक्षीगण अर्थात प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में कानूनगो भी कहते हैं एवं उनकी टीम में शामिल चारों लेखपालों श्री मोतीराम, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री ब्रजपाल व श्री प्रवीन कुमार जिन्होंने इन सारे मुकदमों में मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, मेरे भतीजे, उपकार, कमल व सैकड़ो किसानों के विरुद्ध मौके पर जाकर स्थलीय जाँच कर रिपोर्टें तैयार की थी तथा हमारे द्वारा अवैध कब्जा करके फसले बोना उल्लिखित करते हुए उसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को दी थी एवं इन रिपोर्टों के आधार पर उच्च अधिकारियों श्री रामकिशन शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, श्री आर0एन0 धामा, श्री विनीत कुमार, श्री अजय पोरवाल ने दिनांक 14-11-2014 में प्रेषित अपनी रिपोर्ट को पुनः तैयार करके दिनांक 23-11-2014 में जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की थी एवं विवेकको ने इन मुकदमों में हमारे विरुद्ध लगाए गए आरोपो को सिद्ध किया था। मैंने इस विभागीय कार्यवाही में इनसे प्रतिपरीक्षण की माँग की इसके साथ ही मैंने श्री शबाब आलम वन माली जिन्होंने तीन मुकदमे स्वयं लिखवाए थे तथा अन्य तीन मुकदमो को दर्ज कराने वाले श्री रूपराम डिप्टी वन रेंजर ने उन्हें अपने हमराह के रूप में दर्शाते हुए यह मुकदमे दर्ज कराए थे, से भी प्रतिपरीक्षण कराए जाने की माँग की। जाँच अधिकारी ने इसे टॉलने के अनेक प्रयास किए, किन्तु वे सफल नहीं हुए, और उन्हें इन सभी का मेरे से प्रतिपरीक्षण कराने के लिए बाध्य होना पड़ा।

श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर एवं उनकी टीम में शामिल चारों उक्त चारों लेखपाल दिनांक 23-01-2019 में कार्यालय तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर मुजफ्फरनगर में उपस्थित हुए क्योंकि तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर मेरी विभागीय कार्यवाही के जाँच अधिकारी थे। इस प्रतिपरीक्षण में मेरे द्वारा इन पाँचो से अलग-अलग प्रतिपरीक्षण किया गया तथा उनके द्वारा ग्राम खेड़ा एहतमाली, मजाहिदपुर एहतमाली, रहड़वा जदीद, रहड़वा कदीम, धर्मपुरा जदीद, धर्मपुरा कदीम आदि ग्रामों के सम्बन्ध में प्रस्तुत उन रिपोर्टों जिनमें इन्होंने इन ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करके फसले उगाने व उगाई गई फसलों के क्षेत्रफल का उल्लेख करते हुए विभिन्न रिपोर्टें उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की थी एवं इन रिपोर्टों को आधार बनाकर राजस्व अभिलेखो में प्रविष्टिया कराकर मुझ सहित मुकदमा अपराध संख्या 164/ 2014, 168/ 2014, 169 / 2014, 177/ 2014, 181/ 2014, 183/ 2014 थाना रामराज के अभियुक्तगण को अवैध कब्जेदार बताकर उनके विरुद्ध पुख्ता प्रमाण तैयार कराए गए थे, के सम्बन्ध में प्रश्न किए गए, तब इन पाँचों द्वारा अपने अलग-अलग प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया गया कि हमने इन ग्रामों के सम्बन्ध में जो रिपोर्टें बनाकर उच्च अधिकारियों को दी है जिसमें आप सहित अनेक व्यक्तियों को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करके फसले बोने का दोषी बताया है, उन रिपोर्टों को बनाने के लिए न तो हम मौके पर गए, न हमने कोई स्थलीय निरीक्षण

किया, न हमने कोई पैमाइश की, न हमने कोई पूछताछ की, न हमने कोई पड़ताल की हमने तो मात्र उच्च अधिकारियों के कहने भर से यह रिपोर्टें बनाकर उन्हें सौंप दी थी। यह सभी प्रतिपरीक्षण लिखित रूप में हुए जिनमें मेरे द्वारा प्रश्न पूछे गए एवं इन सभी के द्वारा अलग-अलग उन प्रश्नों के उत्तर दिए गए तथा मेरे प्रश्नों एवं इनके द्वारा दिए गए उत्तरों को तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर मुजफ्फरनगर के पेशकार ने लिपिबद्ध किया और प्रति परीक्षण पूर्ण होने पर मैंने इसकी प्रमाणित प्रतिलिपिया तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर से उसी दिन अर्थात दिनांक 23-01-2019 में ही प्राप्त कर ली। _ 78 _ इस प्रकार यह सिद्ध है कि मेरे, अन्य लोगों एवं किसानों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज करने के बाद जिलाधिकारी एवं अन्य उच्च अधिकारियों तथा कर्मचारियों ने मिलकर उन मुकदमो के लिए फर्जी सबूत तैयार किये।

हमारा देश आजाद होने, संविधान एवं कानून का राज स्थापित होने के इतने वर्षों बाद भी हमारे देश में आई0ए0एस0 अधिकारी जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा एवं वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी पी0सी0एस0 अधिकारी अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी श्री उमेश मिश्र, श्री आर0एन0 धामा, श्री विनीत कुमार तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारी श्री राकेश कुमार, श्री अजय पोरवाल तथा रजिस्ट्रार कानूनगो श्री भोपालसिंह, प्रभारी राजस्व निरीक्षक श्री प्रवीण कुमार तथा लेखपाल श्री मोतीराम, श्री ब्रजपाल, श्री भूपेन्द्र कुमार श्री प्रवीण कुमार आदि सब ने मिलकर फर्जी सबूत तैयार किये। क्या यह सब आपको अविश्वसनीय, अकल्पनीय नहीं लगा, किन्तु सत्य यही है यह सब अभिलेखीय है (रिकॉर्डेड है) इसके सबूत साथ में लगे हैं।

अब बारी आती है श्री शबाब आलम वन माली (बीट प्रभारी) के प्रतिपरीक्षण की, वह प्रतिपरीक्षण हेतु दिनांक 24-01-2019 में कार्यालय तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर मुजफ्फरनगर में आए क्योंकि सभी प्रथम सूचना रिपोर्टें जो वन विभाग द्वारा कराई गई उनमें यह लिखा गया था कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि का सीमांकन/ चिन्हीकरण करते हुए पाई गई स्थिति के अनुरूप यह मुकदमे दर्ज कराए गए हैं तो मैंने प्रश्न किया कि क्या आपको भूमि की पैमाईश ज्ञान है या आपको कोई प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिया गया है उन्होंने कहा मुझे न तो भूमि की पैमाइश करने का कोई ज्ञान है और न ही विभाग द्वारा पैमाइश के कार्य का मुझे कोई प्रशिक्षण दिया गया है हमारे विभाग में पैमाईश विभागीय सर्वेयर द्वारा की जाती है। इससे यह स्पष्ट हो गया कि यह सभी फर्जी सीमांकन/ चिन्हीकरण उल्लिखित करते हुए यह प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई, क्योंकि इनके द्वारा सीमांकन और चिन्हीकरण के दौरान विभाग का कोई सर्वेयर उनके साथ नहीं था। श्री शबाब आलम वनमाली से मैंने जब यह सवाल किया कि धारा 420 आई0पी0सी0 व धारा 2, 9, 17क, 27, 29, 34 क, 39, 50, 51 वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 के अन्तर्गत इन धाराओं में क्या-क्या अपराध बनता है ? क्योंकि आपके द्वारा दर्ज कराई गई प्रथम सूचना रिपोर्टों

में इन धाराओं का उल्लेख करते हुए अपनी तहरीर सम्बन्धित थाना रामराज को दी गई है तो उन्होंने प्रत्येक धारा के सम्बन्ध में पूछे गए अलग-अलग प्रश्नों का अलग-अलग उत्तर देते हुए बताया कि प्रत्येक धारा में सरकारी भूमि पर कब्जा करके फसले होने का अपराध बनता है अब आप अनुमान लगा सकते हैं कि जिस व्यक्ति को यह जानकारी भी नहीं है कि किस कानून में, किन धाराओं में, क्या अपराध बनता है तथा उस व्यक्ति को मात्र यह जानकारी है कि इन सब कानूनो में और इन सब धाराओं में सरकारी भूमि पर कब्जा करके फसले बोने का अपराध बनता है क्या वह तहरीर में धाराएँ लिखकर दे सकता है परन्तु सत्य यही है कि उसने तहरीर में धाराएँ लिखकर दी न सिर्फ उसने धाराएँ लिखकर कर दी बल्कि पुलिस ने उन सभी धाराओं में मुकदमे पंजीकृत किये और उन सभी धाराओं में अपराध भी सिद्ध किया। यह है हमारे आजाद देश में जिलाधिकारी की ताकत का कमाल। फिर मैंने श्री शबाब आलम से प्रश्न किया कि आपके द्वारा मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 164 सन 2014, 168 सन 2014, 169 सन 2014 थाना रामराज पर दर्ज कराया है जिसमें मुझे भूमि आवंटित करने का आरोपी बताया गया है मेरे द्वारा स्वयं फसले बोने का कोई आरोप आपने मेरे विरुद्ध नहीं लगाया है, क्या यह बात सही है ? तब उन्होंने उत्तर दिया आप के विरुद्ध तीनों एफ0आई0आर0 में स्वयं फसले बोने का कोई आरोप मेरे द्वारा नहीं लगाया गया है। जब मैने उनसे पूछा कि आपने मेरे विरुद्ध अवैध आवंटन करने का आरोप लगाया है क्या आपके पास कोई प्रमाण है, तो उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसा कोई प्रमाण नहीं है। जब मैंने उनसे यह पूछा कि उक्त मुकदमों में आपने मुझे पैसे लेने का आरोपी बताया है क्या आपके पास इसका कोई प्रमाण है तो उन्होंने कहा कि मेरे पास इसका कोई प्रमाण नहीं है। दिनांक 24-01-2019 में समय अभाव के कारण श्री शबाब आलम से जिरह/ प्रति परीक्षण पूरा नहीं हो सका। पुनः दिनांक 28-01-2019 में प्रतिपरीक्षण में उन्होंने स्वीकार किया कि इन तीनों उपरोक्त एफ0आई0आर0 में से किसी भी एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में उन्होंने कोई स्थलीय निरीक्षण, पैमाइश, जाँच, पूछताछ नहीं की। यह सब एफ0आई0आर0 तो उन्होंने मात्र उच्च अधिकारियों के मौखिक आदेशों से कराई थी, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि मैं अर्थात जय भगवान ने न तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/वन विभाग की भूमि पर स्वयं कब्जा करके फसले बोई, न हीं अन्य व्यक्तियों को फसलें बुवाई, न पैसे लेकर अवैध रूप से हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि को किसी को आवंटित किया। इस प्रतिपरीक्षण की प्रमाणित कॉपी मैंने उसी दिन अर्थात दिनांक 28-01-2019 में जाँच अधिकारी तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर से प्राप्त कर ली। _ **79**

क्या इस देश में कभी वह दिन भी आएगा जब इस देश के कर्मचारी मात्र उच्च अधिकारियों के कहने भर से इस प्रकार के अवैधानिक कार्यों को करना बन्द करेंगे ? अन्यथा हमारे देश के आजाद होने का क्या अर्थ रह गया है ?

79

(3.) किसानों की भूमि किस प्रकार जबरदस्ती उनसे छीनकर उन्ही पर मुकदमे दर्ज कराये गए उसका एक उदाहरण...

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने दोनों अपर जिला अधिकारीगण, उप जिलाधिकारी जानसठ व तहसीलदार जानसठ के साथ मिलकर तहसील जानसठ में गंगा नदी से मिले हुए उन गाँवो जिनकी सीमायें जनपद बिजनौर से लगी हुई है तथा वह सीमा विवाद के गाँव हैं तथा जिनमे गंगा नदी के नाम पर अंकित भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के नाम पर राजस्व अभिलेखों में अंकित किया गया था, इन गाँव में लाखों बीघा भूमि किसानों की भी थी जिस पर वे हमेशा से अपनी फसलें उगाते आए थे, ऐसे किसानों पर थाना रामराज के अलावा थाना ककरौली व थाना भोपा में भी अनेक प्रथम सूचना रिपोर्टें दर्ज कराई गई और जिस प्रकार थाना रामराज में मुकदमे लिखवाने के बाद फर्जी सबूत तैयार करें व कराये गए ठीक उसी प्रकार इस हस्तिनापुर वन्य जीव विहार एवं वन विभाग की भूमि के सम्बन्ध में जो मुकदमे थाना भोपा व थाना ककरौली में दर्ज कराए गए थे वहाँ भी मुकदमे फर्जी रूप से लिखवाकर कानूनगो व लेखपालों से फर्जी पड़ताल आदि कराकर अवैध कब्जे भरवा कर फर्जी सबूत तैयार कराए गए एवं पुलिस से फर्जी विवेचनाये कराई गई।

अब आप जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री कौशलराज शर्मा एवं इन समस्त अधिकारियों द्वारा किस प्रकार मेरे सहित अनेक किसानों की भूमि जबरदस्ती उनसे छीनी गई है, फसलें लूटी गई एवं किसानों की भूमि को जबरदस्ती वन विभाग को दे दिया गया तथा जिन किसानों की जमीन थी उन्हीं पर मुकदमे लगाकर उन्हें जेल में डाल दिया, उस भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को माफियाओ से कटवाकर लूट लिया उसका एक उदाहरण मय सबूतो के आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मैंने सुना था कि कानून के हाथ लम्बे होते हैं लेकिन जो अनुभव किया वह यह किया कि कानून नहीं अधिकारियों के हाथ बहुत लम्बे होते हैं वह रस्सी का साँप और साँप की रस्सी बना सकते हैं और जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा तो बिना रस्सी के भी साँप बना सकते थे, अपने पद की शक्तियों के दुरुपयोग का इतना बड़ा उदाहरण आपको स्वतंत्र भारत के इतिहास में कहीं अन्यत्र देखने को नहीं मिलेगा इसका प्रत्यक्ष उदाहरण देखिए जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा मेरे विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज कराकर मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों को कुर्क कर लिया गया था। गैंगस्टर प्रकरण पर तों मैं बाद में चर्चा करूँगा। मेरे विरुद्ध गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज हुआ दिनांक 19-01-2015 में, जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने गैंगस्टर एक्ट में मेरी मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी, मेरे भतीजे गौरव कुमार, मेरे साले सतीश कुमार की संपत्तियो को कुर्क किया दिनांक 20-03-2015 में, अब जरा सोचो जो सम्पत्तियाँ दिनांक 20-03-2015 में कुर्क हुई, उन पर इन अधिकारियों को कब्जा लेने का व उस भूमि पर खड़ी फसलो को जब्त/ कुर्क करने का अधिकार कब मिला, अर्थात दिनांक 20-03-2015 में, किन्तु श्री कौशल राज शर्मा जी का कमाल उनके अधिकारियों की फौज का कमाल देखिए क्योंकि यह अधिकारी गण यह समझते थे कि हम

जय भगवान के खिलाफ इतनी कार्यवाहियाँ कर देंगे कि या तो वह आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा या टूट जाएगा किन्तु इन्हें यह आभास नहीं हो सका कि "उड़ान पंखों से ही नहीं, उड़ान हौसलों से भी होती है"। मेरे साले सतीश कुमार पुत्र सूरजभान के नाम ग्राम मुजाहिदपुर गैर अहतमाल में 3.192 हेक्टेयर कृषि भूमि थी जिस पर नवम्बर 2014 में गन्ने की फसल खड़ी थी। इस भूमि का खसरा नम्बर 17/1 एवं 18 /2 एवं 19 मिं0 है, गन्ने की यह फसल उस समय के राजस्व अभिलेख (खसरा) में भी दर्ज है। _ **80** _ इन अधिकारियों द्वारा उस गन्ने की फसल को लूट लिया गया तथा मुझे व मेरे परिजनों, प्रताप सिंह लेखपाल सहित अनेक किसानों पर इस भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि दर्शाकर मु0अ0सं0 164 सन 2014 व 168 सन 2014 व 169 सन 2014 थाना रामराज पर दर्ज करा दिए तथा मेरे साले की यह भूमि वन विभाग को दे दी और वन विभाग ने इस भूमि पर पेड़ लगा लिए। मेरी पत्नी, मेरे भतीजे एवं मेरे साले की सम्पत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में दिनांक 20-03-2015 में श्री कौशलराज शर्मा जिलाधिकारी द्वारा कुर्क कर लिया गया तो उसके विरुद्ध, मैं मेरी पत्नी, मेरे साले व मेरे भतीजे ने जिलाधिकारी को प्रत्यावेदन दिया जो उन्होंने खारिज कर दिया, उसके बाद मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट में हमारे द्वारा प्रत्यावेदन दिया गया किन्तु वह वहाँ भी वह खारिज हो गया, उसके बाद हमने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में क्रिमिनल अपील संख्या 6061/ 2017, 6804/ 2017, 6805/ 2017 दाखिल की जो मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में स्वीकार हुई और मा0 उच्च न्यायालय ने अपना विस्तृत ऑर्डर लिखते हुए हमारी तीनों अपीलों को स्वीकार कर लिया गया और यह मामला विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर को रिमांड बैक कर दिया। मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर ने दिनांक 12-12-2018 को मेरी पत्नी, मेरे भतीजे एवं मेरे साले की सम्पत्तियों को वैध धन से खरीदना पाया और जिलाधिकारी द्वारा इन सम्पत्तियों को अवैध रूप से कुर्क किया गया पाया तथा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को इन सम्पत्तियों को अवमुक्त करने के आदेश दिए।

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा इन आदेशों का पालन न करने और इन सम्पत्तियों को अवमुक्त न किए जाने के कारण मेरे तथा मेरी पत्नी द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर के यहाँ दिनांक 13-10-2021 में न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर किया गया, इसके बाद दिनांक 18-12-2021 में मेरी पत्नी, मेरे भतीजे की सम्पत्तियों पर मुझे कब्जा दे दिया गया मेरे साले की ग्राम शाहपुर स्थित भूमि पर भी मुझे कब्जा दे दिया गया, लेकिन मेरे साले की ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाल में स्थित 3.192 हेक्टेयर भूमि पर मुझे कब्जा वापस नहीं किया गया अब देखिए यह कब्जा वापस क्यों नहीं मिला क्योंकि वन विभाग ने उस भूमि पर पेड़ लगा दिए थे, दिनांक 18-12-2021 में वन विभाग ने तहसील के राजस्व निरीक्षक वह लेखपालों को इस भूमि पर कब्जा देने से रोक दिया, यह रिपोर्ट राजस्व निरीक्षक

व लेखपालों ने तहसीलदार जानसठ को दिनांक 18-12-2021 में दे ही दी थी। _ **81**

वन विभाग द्वारा मेरे साले की इस भूमि पर तहसील की टीम द्वारा मुझे कब्जा प्रदान किए जाने का न केवल विरोध किया बल्कि एक पत्र उप जिलाधिकारी जानसठ को भी लिखा गया। **यह पत्र इस सम्पूर्ण प्रकरण की वास्तविकता को स्पष्ट रूप से उजागर करता है कि किस प्रकार किसानों की जमीने लेकर उन्ही पर मुकदमे दर्ज कराए गए।** कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर पत्रांक 2440 /14-1 दिनांक 21-12-2021 में के द्वारा श्री कन्हैया पटेल प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर द्वारा उपजिलाधिकारी जानसठ को यह पत्र लिखा जिसमें लिखा गया कि जिस भूमि को राजस्व विभाग की गठित सर्वेक्षण टीम द्वारा निजी भूमि दर्शाने की कोशिश की गई है उसे वर्ष 2014 - 2015 में तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय के निर्देशन में गठित राजस्व विभाग, चकबंदी विभाग, पुलिस विभाग, वन विभाग एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों की संयुक्त टीम के द्वारा व्यापक रूप से सर्वे सीमांकन/ पैमाईश का कार्य करते हुए कब्जा वन विभाग को हस्तान्तरित किया गया तथा अवैध कब्जाधारियों के विरुद्ध सम्बन्धित पुलिस थाने में एफ0आई0आर0 दर्ज की गई। इस कार्यवाही के दौरान वन्य जीव विहार की भूमि पर अवैध रूप से खेती करने एवं ठेके पर जमीन जुतवाने के प्रकरण में जानसठ तहसील के कुछ लेखपालो की साठगाँठ भी पाई गई। जिनके विरुद्ध वन विभाग एवं राजस्व विभाग द्वारा पुलिस कार्यवाही की गई। इस अवैध कार्य में ग्राम खेड़ा एहतमाली एवं मुजाहिदपुर आदि ग्रामों में मुख्य रूप से जय भगवान लेखपाल की भूमिका संलिप्त पाई गई। जिसके विरुद्ध थाना रामराज में कई एफ0आई0आर0 वन विभाग द्वारा दर्ज कराई गई तथा इनको प्रशासन द्वारा बर्खास्त भी किया गया है। _ **82** _ **यह पत्र अपने आप में एक शीशे की तरह है जिसने यह पूर्णतया स्पष्ट कर दिया कि हमारी ही भूमि पर जिलाधिकारी के नेतृत्व में वन विभाग को कब्जा कराया गया, उस पर पेड़ लगवाए गए, उस पर खड़ी फसल को काटा/ लूटा गया तथा इसी भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि दर्शाकर अनेक मुकदमे मेरे, मेरे परिजनों एवं प्रताप सिंह लेखपाल आदि के विरुद्ध दर्ज कराए गए तथा हम सबको जेल भिजवाया गया तथा मुझे नौकरी से बर्खास्त किया गया।**

इसके बाद कार्यालय तहसीलदार जानसठ मुजफ्फरनगर ने पत्र संख्या 2028 /रा0 नि0(कार्या0)- 2022, दिनांक 21-06-2022 के द्वारा तहसीलदार जानसठ द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को एक पत्र लिखा, जिसमें अनेक बार तहसील की टीमों को भेजने के बावजूद वन विभाग द्वारा इस भूमि पर वापस कब्जा मुझे न देने का उल्लेख है, इस पत्र में यह भी उल्लेख है कि मेरे साले के नाम पर अंकित भूमि निजी भूमि है एवं इसमें हस्तिनापुर वन्य जीव विहार /वन विभाग का नाम दर्ज नहीं है इस पत्र मे यह भी उल्लेख है कि राजस्व विभाग द्वारा यह भूमि वन विभाग को नहीं दी गई। _ **83**

81 **82** **83**

यह दोनों विभाग आपस में इस प्रकार पत्राचार कर रहे हैं वन विभाग कहता है कि यह भूमि उस समय हमें अधिकारियों द्वारा दी गई और अब राजस्व विभाग कहता है कि हमने यह भूमि वन विभाग को नहीं दी किन्तु आज तक भी उस भूमि का कब्जा मुझे नहीं मिला है तथा वह भूमि वन विभाग के कब्जे में है और मैं अदालतों के चक्कर काट रहा हूँ। तहसील जानसठ के गंगा नदी के किनारे बसे गांवो के अनेक किसान ऐसे हैं जिनकी जमीनों पर वन विभाग ने कब्जा कर रखा है वे बेचारे मारे मारे फिर रहे हैं किन्तु कहीं कोई सुनवाई नहीं। इस भूमि को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि बताकर मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए गए न सिर्फ दर्ज कराए गए बल्कि फर्जी सबूत बनवाकर उन्हें सिद्ध भी कराया गया, मुझे नौकरी से बर्खास्त किया गया इन्हीं वन विभाग के मुकदमों को आधार बनाकर मेरे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट में मुकदमा दर्ज कराया गया तथा वन विभाग की जमीनों पर कब्जा करके धन इकट्ठा करके सम्पत्तियों को खरीदना बताकर गैंगस्टर एक्ट में मेरी पत्नी, मेरे भतीजे एवं मेरे साले की सम्पत्तियों को कुर्क किया गया तथा इन्हीं मुकदमों के आधार पर मुझे हिस्ट्रीशीटर एवं जनपद का टॉप 10 भू माफिया बनाया गया, वाह रे अधिकारियों सत्य की आवाज को दबाने के लिए आपने क्या-क्या नहीं किया, किन्तु शायद आपको सत्य की ताकत का ज्ञान नहीं है सत्य रूपी सूर्य को कोई छिपा नहीं सकता।

यह उदाहरण यह प्रदर्शित करता है कि उस समय जिलाधिकारी के नेतृत्व में गंगा नदी के खादर क्षेत्र में बसे हजारों किसानों की भूमि को जबरदस्ती बिना किसी कायदे कानून के उन किसानों से छीनकर उनकी भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को लूट लिया गया एवं उन्ही किसानों पर मुकदमे दर्ज करा दिए गए। अब यह पूरी तरह से स्पष्ट हो गया है कि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमिका कोई घोटाला नहीं हुआ था, इन गाँवो में किसान अपनी निजी जमीनों पर खेती कर रहे थे लेकिन इन अधिकारियों ने दिनांक 04-11-2014 में मेरी प्रेस वार्ता के दुष्परिणामों से बचने के लिए माफियाओं के साथ अपने सम्बन्धों को छिपाने और अरबों रुपए की उस सम्पत्ति जो गुरमीत सिंह के कब्जे में थी और जिसे मैं व प्रताप सिंह लेखपाल गाँव सभा/ राज्य सरकार में निहित करना चाहते थे यानी हम सरकार के पक्ष में काम कर रहे थे लेकिन इन अधिकारियों का गुरमीत सिंह से उस सम्पत्ति को मिल बाटकर हड़पने का जो प्लान था, उसमें इन्होंने मुझे बाधा के रूप में पाया और मुझे निपटाने के प्रयास के क्रम में इन्होंने तहसील जानसठ के खादर क्षेत्र को निशाना बनाया और हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि का एक काल्पनिक होव्वा खड़ा करके एक कृत्रिम महाभूमिघोटाले का निर्माण किया और उसके खुलासे की घोषणा करते हुए इसे प्रदेश व देश का सबसे बड़ा महाभूमिघोटाला बताया एवं अपने आप को महानायक सिद्ध किया।

(4.) आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0अधिकारियों द्वारा किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसल की ऐतिहासिक लूट ...

अब यह देखिए कि जिलाधिकारी के नेतृत्व में इन अधिकारियों ने किसानों की लाखों बीघा भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को किस प्रकार उनसे छीन कर लूट लिया और माफियाओं से उस गन्ने की फसल को कटवाकर उस फसल से प्राप्त धनराशि को हड़प लिया। जिस प्रकार मेरे साले की भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर खड़ी गन्ने की फसल को इन अधिकारियों ने लूटा ठीक उसी प्रकार तहसील जानसठ के खादर क्षेत्र में स्थित ग्रामों के किसानों की निजी भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को इन अधिकारियों ने उनसे छीन लिया एवं जमीन वन विभाग को दे दी तथा उन्ही किसानों पर मुकदमे दर्ज कराए।

इस प्रकरण में की जा रही कार्यवाहियों के सम्बन्ध में यह अधिकारीगण रोजाना मीडिया के माध्यम से समाचार प्रचारित व प्रसारित कराते थे। इन अधिकारियों द्वारा दिए गए वक्तव्यों एवं उनके द्वारा प्रचारित व प्रसारित समाचारों को उस समय के अखबारों द्वारा प्रतिदिन खबरों के रूप में प्रकाशित किया गया। इस अवधि के दौरान इन अधिकारियों द्वारा गंगा खादर क्षेत्र में जिस गन्ने की फसल को अवैध बताकर अपने कब्जे में लिया गया उसका विवरण अखबारों द्वारा खबरों के रूप में रोजाना प्रकाशित किया गया जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

05 नवम्बर 2014 मुजफ्फरनगर बुलेटिन- 165 हेक्टेयर जमीन पर अवैध कब्जा, गन्ने की फसल कब्जे में लेने के लिए आज धावा बोलेगी कौशलराज की फौज।

05 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- अभयारण्य की हजारों बीघा जमीन पर खेती।

06 नवम्बर 2014 मुजफ्फरनगर बुलेटिन:- अवैध कब्जे वाली 1500 बीघा जमीन की तलाश में प्रशासनिक अमले ने खादर को खंगाला।

06 नवम्बर 2014 मुजफ्फरनगर केसरी:- हजारों बीघा जमीन भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराई गई।

09 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- 3000 बीघा पर लेखपाल का कब्जा, वन विभाग की भूमि पर गन्ने की फसल मिली।

09 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- 2100 बीघा जमीन पर काबिज मिले भू माफिया।

09 नवम्बर 2014 मुजफ्फरनगर बुलेटिन:- वन विभाग की 3000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा मिला।

11 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- वन विभाग को सौंपी 2100 बीघा जमीन।

11 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- जय भगवान और उसके सम्बन्धियों के कब्जे की 2000बीघा का जमीन का अधिग्रहण किया गया।

14 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- वन विभाग की 150 हेक्टेयर भूमि पर लहलता मिला गन्ना।

14 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- फिरोजपुर में वन विभाग की 2200 बीघा जमीन पर खेती।

18 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- बिहारगढ़ में 1900 बीघा जमीन पर मिला अवैध कब्जा ।

19 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- वन विभाग ने ग्राम रहड़वा में 100 बीघा फसल कब्जे में ली।

22 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- 1500 बीघा जमीन वन विभाग को सौंपी।

23 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- नक्शे में रेतीला मैदान मौके पर गन्ना।

03 दिसम्बर 2014 अमर उजाला:- सिंचाई विभाग की एक लाख बीघा भूमि पर अवैध कब्जा इस समय सिंचाई विभाग की एक लाख बीघा जमीन पर गन्ने के खेत लहरा रहे हैं। ए0डी0एम0 रामकिशन शर्मा ने कहा गन्ना कटवाने के लिए एस0डी0एम0 जानसठ के नेतृत्व में टीम गठित की (सिंचाई विभाग की यह भूमि भी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत आती हैं।)

04 दिसम्बर 2014 अमर उजाला – 125 बीघा गन्ने की फसल कब्जे में ली।

06 दिसम्बर 2014 दैनिक जागरण - 615 बीघा वन भूमि पर खड़ा मिला गन्ना।

09 दिसम्बर 2014 दैनिक जागरण - 675 बीघा भूमि पर मिला गन्ना। _ **84**

इस प्रकार इन अधिकारियों द्वारा अखबारों के माध्यम से प्रचारित व प्रकाशित कराई गई सूचनाओं के अनुसार तहसील जानसठ के गंगा खादर क्षेत्र में लाखों बीघा क्षेत्रफल में गन्ने की फसल को इन अधिकारियों द्वारा जब्त किया गया। एक महत्वपूर्ण तथ्य यह भी है कि यदि कोई अखबार गन्ने की इस फसल के सम्बन्ध में कोई असत्य समाचार प्रकाशित करता तो यह अधिकारी उस समाचार या उस खबर का खण्डन उसी अखबार में प्रकाशित कराते किन्तु इन अधिकारियों द्वारा इन समाचार पत्रों में छपी इन गन्ने सम्बन्धी खबरों में से किसी भी खबर का खण्डन नहीं किया गया। इस प्रकार यह तथ्य निर्विवाद सत्य है कि इन अधिकारियों ने लाखों बीघा गन्ने की फसल को हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि एवं सिंचाई विभाग की भूमि पर अवैध रूप से उगाया जाना दर्शाकर जब्त कर लिया गया।

इस प्रकार इन अधिकारियों द्वारा अखबारों के माध्यम से प्रचारित-प्रसारित कराए गए समाचारों के अनुसार इस अवधि के दौरान तहसील जानसठ के गंगा खादर क्षेत्र से हस्तिनापुर वन्य जीव विहार, वन विभाग व सिंचाई विभाग की भूमि पर खड़ी 1,20,000 बीघा से अधिक गन्ने की फसल को जब्त/ कुर्क किया गया, न केवल अखबारों बल्कि उनके कार्यालय के पत्रों द्वारा भी गन्ने की अवैध फसलों को कुर्क किया जाना स्वीकार किया गया, जिन पत्रों में अवैध रूप से गन्ने की फसल को कुर्क किया जाना स्वीकार किया गया, उनका विवरण निम्न प्रकार है।

कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 3313 /ओ0एस0डी0, दिनांक 14-11-2014 में ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल, मुजाहिदपुर गैर एहतमाल, खेड़ा एहतमाल, खेड़ा गैर एहतमाल व खड़क बेली में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की अधिकतर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से उगाई गई है, यह लिखा गया है तथा यह भूमि व फसल वन विभाग

के अधिकारियों और कर्मचारियों को हस्तगत करना भी लिखा गया है तथा गन्ने की इस फसल का विधिवत नीलाम करके धनराशि राजकोष में जमा करने का आदेश भी जिलाधिकारी द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को दिया गया है तथा इस पत्र की प्रतिलिपियाँ दोनों अपर जिलाधिकारीगण एवं उप जिलाधिकारी जानसठ को भी भेजी गई हैं। _ **85**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1285/ एस0टी0 प्रशासन, दिनांक 29-11-2014 में ग्राम मजलिसपुर तोफिर में सैनी फार्म हाउस के नाम से भी भूमि पर गन्ने की फसल के अवैध रूप से कब्जा करके बोने का उल्लेख किया गया है इस पत्र में जिला गन्ना अधिकारी को इस फसल को सुरक्षित करने का निर्देश देते हुए कहा गया है जिससे कि अवैध कब्जे की जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल को नीलाम कर उससे प्राप्त राजस्व को सरकारी खाते में जमा कराया जा सके। इस पत्र की प्रतिलिपि उप गन्ना आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को भी भेजी गई थी। _ **86**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1443 /एस0 टी0 प्रशासन, दिनांक 22-12-2014 में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को लिखे पत्र में कहा है कि ग्राम रहड़वा जदीद व रहड़वा कदीम एवं रामराज के अन्य आसपास के ग्रामों के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि का चिन्हांकन करते हुए भूमि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हस्तगत की गई है और इस हस्तगत की गई अधिकतर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से उगाई गई है इसका उल्लेख किया गया है और यह भी कहा गया है कि गन्ने की इस फसल को विधिवत नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि राजकीय कोष में जमा कराए, इस पत्र की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व तथा उप जिलाधिकारी जानसठ को भी की गई थी। _ **87**

अपर जिलाधिकारी महोदय प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा ग्राम लालपुर गैर एहतमाल आदि कुल 18 ग्रामों के नामो का उल्लेख करते हुए लिखा कि इन ग्राम में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि और उस पर अवैध कब्जा कर बोई गई गन्ने की फसलों को वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारियों को मौके पर ही हस्तगत कर दिया गया है यह रिपोर्ट उन्होंने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की जिस पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने दिनांक 22-12-2014 में लिखा कि पत्र के माध्यम से डी एफ ओ को अवगत कराए कि अवैध फसल को जब्त कर के उसकी धनराशि राजकोष में जमा कराए। _ **88**

85 **86** **87** **88**

कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र ओ0एस0डी0/ डीएफओ/ 14 - 1 दिनांक 26-12-2014 में जिला गन्ना अधिकारी को ग्राम रहड़वा जदीद व रहड़वा कदीम की हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि पर खड़ी अवैध गन्ने की फसल को कटवाने के निर्देश दिए गए। इस पत्र की प्रतिलिपियाँ दोनों अपर जिलाधिकारीगण, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर तथा उप जिलाधिकारी जानसठ को भी की गई थी। _ **89**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 2001/ एस0 टी0 प्रशासन, दिनांक 31-12-2014 में प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को ग्राम धर्मपुरा जदीद आदि कुल 15 ग्रामों में स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि एवं उस पर खड़ी अवैध गन्ने की फसल को वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को हस्तगत किए जाने का उल्लेख किया गया है और हस्तगत की गई हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की अधिकतर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से उगाई गई है, इसका भी उल्लेख भी इस पत्र में है तथा उन्हें यह निर्देश दिया गया है कि गन्ने की इस अवैध फसल का नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा कराए। इस पत्र की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ को भी की गई थी। _ **90**

कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र ओ0एस0डी0/डीएफओ, दिनांक 08-01-2015 के द्वारा जिलाधिकारी द्वारा जिला गन्ना अधिकारी को ग्राम धर्मपुरा जदीद और धर्मपुरा कदीम के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई गन्ने की फसल को कटवा कर धनराशि को राजकोष में जमा करने के आदेश दिए हैं इसकी प्रतिलिपि दोनों अपर जिलाधिकारीगण, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर तथा उप जिलाधिकारी जानसठ को भी की गई थी। _ **91**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 289/ एस0 टी0- राजस्व, दिनांक 12-01-2015 के द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को ग्राम इलाहाबास सहित कुल 21 ग्रामों के नामो का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि इन ग्रामों के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार एवं विभाग की भूमि का चिन्हांकन करते हुए भूमि वन विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को हस्तगित कर दी गई है, अधिकतर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से उगाई गई है यह उल्लेख करते हुए उन्हें निर्देशित किया गया कि वर्तमान में खड़ी गन्ने की अवैध फसल का विधिवत नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराए। इस पत्र की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन, उप जिलाधिकारी जानसठ व तहसीलदार जानसठ को भी की गई थी। _ **92**

89 **90** **91** **92**

अपर जिला अधिकारी प्रशासन द्वारा ग्राम अल्लूवाला आदि कुल 12 ग्रामों के नामो का उल्लेख करते हुए अपनी रिपोर्ट जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत की तथा जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर द्वारा दिनांक 28-12-2014 में वन विभाग को इस भूमि को कब्जे में लेकर भविष्य में अतिक्रमण से बचाने एवं अवैध फसलों को कटवाकर धनराशि राजकीय कोष में जमा करने के निर्देश दिए। _ **93**

कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर पत्रांक 2328 /14 -1 मुजफ्फरनगर, दिनांक 20-01-2015 के द्वारा जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर को ग्राम जलालपुर बेहडा, इलाहाबास व फिरोजपुर खादर आदि ग्रामों में अवैध रूप से बोई गई गन्ने की फसल को कटवाने एवं उससे प्राप्त राशि को सरकारी खजाने में जमा कराए जाने के आदेश दिए गए तथा इस पत्र की प्रतिलिपियाँ दोनों अपर जिलाधिकारीगण, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर एवं उप जिलाधिकारी जानसठ को भी की गई। _ **94**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर पत्र संख्या 77/ एस0 टी0 प्रशासन दिनांक 20-02-2015 के द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग़ मुजफ्फरनगर को ग्राम इसाकवाला सहित कुल 8 ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि वन विभाग के अधिकारियो/ कर्मचारियों को हस्तगत करने एवं इन भूमियों पर खड़ी अवैध फसल को कटवा कर धनराशि राजकोष में जमा कराए जाने के निर्देश दिए गए हैं। तथा इस पत्र की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ को भी की गई थी। _ **95**

कार्यालय अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 76/ एस0 टी0 पर प्रशासन, दिनांक 20-02-2015 के द्वारा प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग़ मुजफ्फरनगर को ग्राम कासमपुर खोला सहित कुल 8 ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को हस्तगत किए जाने का उल्लेख करते हुए निर्देश दिया गया है कि इन ग्रामों में खड़ी अवैध फसल को कटवाकर धनराशि राजकोष में जमा कराए। इस पत्र की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी महोदय, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उप जिलाधिकारी जानसठ, तहसीलदार जानसठ को भी की गई थी। _ **96**

अधिकारियों के उक्त पत्रों से यह स्पष्ट है कि इन अधिकारियों ने कुल 77 ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की अधिकतर भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई गन्ने की फसलों को जब्त/ कुर्क किया।

93 **94** **95** **96**

गन्ने की इस कुर्क/ जब्त की गई फसल की कटान प्रक्रिया एवं इस फसल से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में मैंने आर0टी0 आई0 के अन्तर्गत जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर, जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर, तहसीलदार जानसठ, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर से सूचनाए चाही किन्तु इन सभी ने इस गन्ने को कटवाने में अपनाई गई प्रक्रिया एवं गन्ने की इस फसल से प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में सूचनाये प्रदान नहीं की। अब गौर करने की बात यह है कि जब इन अधिकारियों ने अरबो रुपए की इस फसल की लूट नहीं की तब इन्हें इससे सम्बन्धित सूचनाओं को देने में क्या कठिनाई थी ? जबकि मेरे द्वारा चाही गई सभी सूचनाये अभिलेखीय थी अगर सब कुछ पारदर्शी तरीके से किया गया था तो सूचना उपलब्ध करा देने से क्या नुकसान हो सकता था ? किन्तु यह ठहरे अधिकारीगण इन्हें इतनी शक्तियाँ प्राप्त है कि यह लूट भी कर ले और उसे छिपा भी लें।

मेरे द्वारा तहसीलदार जानसठ से दिनांक 26-02-2016 में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचना चाही गई कि दिनांक 1 नवम्बर 2014 से 31 मार्च 2015 के मध्य तहसील जानसठ के खादर क्षेत्र में दर्शाए गए महाभूमिघोटाला प्रकरण में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की कुल कितने हेक्टेयर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से बोई हुई पाई गई एवं इस अवैध फसल से कुल कितनी धनराशि प्राप्त हुई। तो उन्होंने कार्यालय तहसीलदार/ सहायक जन सूचना अधिकारी तहसील जानसठ के पत्र संख्या 382 /एम0जे0- ज0सू0सहा0, दिनांक 18-04-2016 के द्वारा कहा कि आपके द्वारा चाही गई सूचनाए हमें सृजित करनी होगी, क्योंकि उठाई गई समस्याएँ और काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है इसलिए सूचना उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है और ऐसा लिखकर मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया। जिसकी अपील करने पर कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 362/ज0सू0सहा0, दिनांक 28-04-2015 के द्वारा भी इन सूचनाओं को सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अपेक्षित नहीं है, ऐसा लिखते हुए चाही गई सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया। जिसकी द्वितीय अपील मा0 राज्य सूचना आयोग में करने पर तहसीलदार/ सहायक जन सूचना अधिकारी जानसठ जिला मुजफ्फरनगर द्वारा अपने पत्र संख्या 461/ एम0जे0- ज0सू0सहा0, दिनांक 13-01-2017 के द्वारा मुझे लिखित रूप से यह सूचना उपलब्ध कराई गई कि- "इस सम्बन्ध में तहसील जानसठ के कार्यालय में कोई सूचना उपलब्ध नहीं है।" **_ 97**

जब मैंने जिला गन्ना अधिकारी से आर0टी0आई0 के तहत दिनांक 11-04-2016 में 6 बिन्दुओं पर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से उगाए गए गन्ने के सम्बन्ध में हुए पत्राचार से सम्बन्धित विभिन्न पत्रों की प्रतिलिपियाँ तथा इस गन्ने को कटवाकर उससे कितनी धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई गई। किन-किन व्यक्तियों द्वारा यह गन्ना

97

कटवाया गया तथा उन व्यक्तियों को गन्ना कटवाने की शक्तियाँ किस प्रक्रिया के तहत प्रदान की गई उनकी प्रमाणित प्रतिलिपियाँ चाही, तो कार्यालय जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर पत्रांक 937 - 38 जनसूचना मुजफ्फरनगर दिनांक 30-05-2016 में जिला गन्ना अधिकारी द्वारा लिखा कि आवेदक द्वारा चाही गई सूचनाये उनके कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, यह लिखते हुए मेरा आर0टी0आई0 का आवेदन प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को यह कहकर अन्तरित कर दिया कि मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओं का सम्बन्ध उनसे है और उन्हें मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओ को उपलब्ध कराने के लिए कहा। कार्यालय प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर के पत्रांक संख्या 4147/ 14 - 1 दिनांक मुजफ्फरनगर 07-05-2016 के द्वारा मुझे सूचनाए उपलब्ध कराने के स्थान पर जिला गन्ना अधिकारी को वापस पत्र लिखा, इस पत्र में उन्होंने लिखा कि आवेदक के विरुद्ध हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की विभिन्न धाराओं में मुजफ्फरनगर के थानों में फसल उगाए जाने के सम्बन्ध में विभिन्न अभियुक्तों एवं विभिन्न वाद विभिन्न मा0 न्यायालय में वाद प्रचलित/ विचाराधीन है। जिस कारण सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 के अन्तर्गत सूचना दिया जाना सम्भव नहीं हैं। _ **98**

जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 में सूचना के प्रकट किए जाने से जिन बिन्दुओं के अन्तर्गत छूट प्रदान की गई है उनके अन्तर्गत मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओं से सम्बन्धित कोई भी बिन्दु नही था। सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 8 (ज) में वह सूचना देय नहीं है जिससे अपराधियों के अन्वेषण, पकड़े जाने या अभियोजन की क्रिया में अड़चन पड़ेगी। गन्ने की इस फसल से सम्बन्धित सूचनाओं को प्रदान किए जाने से किस अन्वेषण में अडचन आ रही थी, किस अपराधी को पकड़ने में अड़चन आ रही थी एवं किस अभियोजन की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न हो रही थी।

मेरे द्वारा जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग जनपद मुजफ्फरनगर से दिनांक 11-04-2016 में एक आर0टी0आई0 प्रार्थना पत्र के माध्यम से गन्ने की इस कुर्क/ जब्त की गई फसल के सम्बन्ध में पाँच बिन्दुओं पर सूचनाओं माँगी गई।

(1.) तहसील जानसठ स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर खड़ी की गन्ने फसल को नीलाम करने, उसे कटवाकर उससे प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराए जाने के सम्बन्ध में दिनांक 04-11-2014 से दिनांक 30-04-2015 के मध्य राजस्व विभाग जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों जिसमें (जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार स्तर तक के राजस्व अधिकारी सम्मिलित हैं) के द्वारा जो पत्र मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश

शासन के अधिकारियों, जिला गन्ना अधिकारी, गन्ना विभाग के अन्य अधिकारियों, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग एवं उनके विभाग के अन्य अधिकारियों को प्रेषित किए गए, ऐसे सभी पत्रों की प्रमाणिक छायाप्रतिया।

(2.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर खड़ी इस गन्ने की फसल को नीलाम करने/ उसे कटवाने/ उसे कटवाकर उससे प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराए जाने उसकी प्रक्रिया निर्धारित करने के सम्बन्ध में जो भी पत्र जिला गन्ना अधिकारी, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग अथवा जनपद मुजफ्फरनगर के किसी भी विभाग के अधिकारी/ कर्मचारी द्वारा दिनांक 04-11-2014 से दिनांक 30-04-2015 के मध्य राजस्व विभाग जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों (जिसमें जिलाधिकारी से लेकर तहसीलदार तक स्तर तक के राजस्व अधिकारी सम्मिलित हैं) को प्रेषित किए गए ऐसे सभी पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपिया।

(3.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर खड़े इस गन्ने की फसल को दिनांक 04-11-2014 से दिनांक 30-04-2015 के मध्य किन-किन व्यक्तियों से कटवाए गया उनके नाम, पितृनाम एवं उनके निवास स्थान।

(4.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर खड़े इस गन्ने की फसल को दिनांक 04-11-014 से 30-04-2015 के मध्य जिन-जिन व्यक्तियों से कटवाया गया, उन व्यक्तियों को फसल काटने की शक्तियाँ किस प्रक्रिया के अन्तर्गत किन-किन अधिकारियों द्वारा प्रदान की गई। फसल काटने के लिए प्रदान की गई शक्तियों को प्रदान करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया की प्रमाणित छायाप्रति एवं इस प्रक्रिया में शामिल अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व पदनाम।

(5.) हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को दिनांक 04-11-2014 से दिनांक 30-04-2015 के मध्य किन-किन व्यक्तियों के माध्यम से किस-किस ग्राम के कितने-कितने हेक्टयर क्षेत्रफल से कटवाकर कितनी- कितनी धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई गई। ग्रामवार विवरण।

कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 336/ ज0 सू0 सहा0, दिनांक 18-04-2016 के द्वारा मेरा यह प्रार्थना पत्र नगर मजिस्ट्रेट, राज्य लोक सूचना अधिकारी (राजस्व) मुजफ्फरनगर द्वारा तहसीलदार जानसठ को अन्तरित कर दिया गया। तहसीलदार जानसठ ने श्री एनुल हसन लेखपाल व श्री शिव कुमार शर्मा राजस्व निरीक्षक मीरापुर से एक आख्या प्राप्त की, जिसमें बिन्दु संख्या 1 एवं 2 के बारे में लिखा कि तहसील जानसठ कार्यालय में इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है। बिन्दु संख्या 3 के सम्बन्ध में लिखा इस सम्बन्ध में वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई थी, वन विभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 4 के सम्बन्ध में लिखा कि तहसील जानसठ कार्यालय में इस सम्बन्ध में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है वन विभाग से सम्बन्धित है। बिन्दु संख्या 5 के सम्बन्ध में लिखा कि तहसील जानसठ

कार्यालय में कोई अभिलेख उपलब्ध नहीं है वन विभाग द्वारा कार्यवाही की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर कार्यालय तहसीलदार/ सहायक जन सूचना अधिकारी जानसठ, मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 424 /एम0जे0- ज0सू0सहा0, दिनांक 23-07-2016 के द्वारा यह उल्लिखित करते हुए कि आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है, मुझे मेरे द्वारा चाही गई कोई भी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इसकी प्रथम अपील किए जाने पर कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 650/ ज0सू0सहा0, दिनांक 27-07-2015 के द्वारा यह कहकर कि आपको तहसीलदार जानसठ के पत्र संख्या 424 दिनांक 23-7-2016 के द्वारा सूचना प्रेषित का की जा चुकी है मेरा यह अपीलीय प्रार्थना पत्र निस्तारित कर दिया, किन्तु सूचनाये मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई।

मेरे द्वारा चाही गई सूचनाये मुझे प्राप्त न होने पर मैंने मा0 राज्य सूचना आयोग में अपील की, तब जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर की ओर से प्रेषित पत्र संख्या 406/ ज0सू0सहा0, दिनांक 22-7-2017 में बिन्दु संख्या 1 से सम्बन्धित सूचनाये मुझे प्राप्त करा दी गई। बिन्दु संख्या 2 को उपरोक्तानुसार लिख दिया गया किन्तु बिन्दु संख्या 2 में जो सूचनाये मैंने चाही गई थी वह मुझे उपलब्ध नहीं कराई गई। बिन्दु संख्या 3, बिन्दु संख्या 4, बिन्दु संख्या 5 के सम्बन्ध में मुझे लिखकर दिया गया कि - "इस सम्बन्ध में सूचना कार्यालय में उपलब्ध नहीं है।" _ **99**

तहसील जानसठ स्थित हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि के अधिकतर क्षेत्रफल पर खड़ी गन्ने की इस फसल को इन अधिकारियों द्वारा 77 ग्रामों में कुर्क/ जब्त किया गया। यह लाखों बीघा गन्ने की फसल कहाँ गई? इसके बारे में सूचना किसी कार्यालय में उपलब्ध नहीं है, है ना कमाल। वैसे भी लुटेरे अपनी लूट का हिसाब क्यों सार्वजनिक करेंगे ?

मेरे द्वारा दिनांक 26-08-2015 में आर0टी0आई0 के तहत् जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर से वर्ष 2014-2015 में जनपद मुजफ्फरनगर मे प्रति हेक्टेयर गन्ने की औसत पैदावार एवं कई अन्य बिन्दुओं पर सूचनाओं चाही तो उन्होंने मेरे द्वारा चाही सूचनाओ का कोई उत्तर मुझे नहीं दिया। जिस कारण मैंने आर0टी0आई0 एक्ट के तहत इसकी प्रथम अपील संयुक्त गन्ना आयुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश को की। उनके द्वारा जिला गन्ना अधिकारी को सुनवाई हेतु अपने कार्यालय के पत्र संख्या 397- 98 प्रशा0 कैंप, दिनांक 26-11-2015 के द्वारा दिनांक 15-12-2015 में अपने कार्यालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। जिला गन्ना अधिकारी द्वारा संयुक्त गन्ना आयुक्त प्रशासन उत्तर प्रदेश लखनऊ को अपने कार्यालय के पत्र संख्या 4333- 34 दिनांक 30-11-2015, जिसकी प्रतिलिपि मुझे भी जिला कारागार में प्रेषित की गई, में उल्लिखित किया गया कि आवेदक द्वारा जिला कारागार में बन्द रहते हुए सूचनाए

माँगी गई है इसके सम्बन्ध में जिला शासकीय अधिवक्ता (सिविल) मुजफ्फरनगर से राय ली गई। जिला शासकीय अधिवक्ता द्वारा अवगत कराया गया कि आवेदक जिला कारागार में बन्द है और उसके द्वारा जेल अधीक्षक के माध्यम से पत्र नहीं भिजवाया जो स्वयं में ही जाँच का विषय है। अधिवक्ता की राय पर ही आवेदक को सूचनाए उपलब्ध नहीं कराई गई है। संयुक्त गन्ना आयुक्त प्रशासन श्रीप्रकाश गुप्त द्वारा दिनांक 15-12-2015 में मेरी अपील पर अपना आदेश सुनाया, जिसमें उन्होंने लिखा **क्योंकि जेल में बन्द कैदी भी भारत का नागरिक है एवं अधिनियम में कहीं भी ऐसा प्रावधान नहीं है कि जेल में बन्द कैदी को सूचना उपलब्ध नहीं कराई जाएगी अतः उसे सूचना पर प्राप्त करने का अधिकार है** एवं उन्होंने जिला गन्ना अधिकारी को मेरे द्वारा इस आवेदन में चाही गई सूचनाए मुझे उपलब्ध कराने का निर्देश दिया, श्री प्रकाश गुप्त जी जहाँ भी कही हो, मेरा प्रणाम स्वीकार करें, आपके इस आदेश से मुझे जेल में रहते हुए आगे बढने की प्रेरणा मिली। इसके पश्चात जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्रांक 50/ शिकायत दिनांक 2 अप्रैल 2016 के द्वारा मुझे वर्ष 2014 - 2015 में गन्ने की औसत पैदावार 718.76 कुन्तल प्रति हेक्टेयर लिखकर दी गई एवं उनके द्वारा गन्ने के पेराई सत्र 2014-15 के लिए 12 नवम्बर 2014 की प्रेस विज्ञप्ति की प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध कराई गई जिसमें गन्ने की अगेती प्रजाति का मूल्य 290 रुपए प्रति कुन्तल और सामान्य प्रजाति के गन्ने का मूल्य 280 रूपए प्रति कुन्तल उल्लिखित किया गया है। _ **100**

अब जरा यह हिसाब लगाइए कि जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा, अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, अपर जिलाधिकारी डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार द्वारा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध रूप से खड़े गन्ने की फसल को 77 ग्रामों में कुर्क/ जब्त किया। तहसील जानसठ के 77 ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की अधिकतर भूमि पर अवैध रूप से गन्ने की फसलों को उगाया जाना एवं उसे इन अधिकारियों द्वारा कुर्क/ जब्त किया जाना उनके कार्यालय के द्वारा जारी पत्रों में उल्लिखित है। इन 77 ग्रामों में इन पत्रों के साथ-साथ अधिकारियों द्वारा रोजाना अखबारों के माध्यम से भी कुर्क/ जब्त गन्ना फसल के समाचारों को प्रचारित एवं प्रसारित कराया गया, जिसके अनुसार इन ग्रामों में हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की 20,000 बीघा से अधिक भूमि पर अवैध रूप से उगाई गई गन्ने की फसलों को इन अधिकारियों ने जब्त/ कुर्क किया। हमारे जनपद में एक कच्चा बीघा 682 वर्ग मीटर का होता है इस प्रकार 20,000 × 682=1364 हेक्टेयर गन्ने की फसल को इनके द्वारा कुर्क/ जब्त किया गया। आर0टी0आई0 में प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2014 -2015 में एक हेक्टेयर क्षेत्रफल में गन्ने की औसत पैदावार 718.76 कुन्तल प्रति हेक्टेयर हुई एवं वर्ष 2014-15 में यदि सामान्य प्रजाति के गन्ने का भाव भी लगा कर चले तो यह 280 रुपए प्रति कुंतल था। इस प्रकार 1364 हेक्टेयर × 718.76 कुन्तल =

980388.64 कुन्तल गन्ना जब्त किया गया। 280 रुपए प्रति कुन्तल से इस गन्ने की कुल कीमत 980388.64 × 280 अर्थात 27,45,08,819.20 रुपए मूल्य के गन्ने की फसल को इन अधिकारियों द्वारा इस प्रकरण में कुर्क किया गया था।

हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के अलावा इन अधिकारियों द्वारा वन विभाग तथा हस्तिनापुर वन्य जीव विहार के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की एक लाख बीघा भूमि पर गन्ने की फसल को भी कुर्क/ जब्त किया था और दिनांक 3 दिसम्बर 2015 के अमर उजाला अखबार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रामकिशन शर्मा ने इस 1,00,000 बीघा गन्ने की फसल को कटवाने के लिए एस0डी0एम0 जानसठ श्री उमेश मिश्र के नेतृत्व में टीम गठित करने की घोषणा भी की थी। उस एक लाख बीघा गन्ने की कीमत 1,00000 × 682 वर्ग मीटर = 6,82,00,000 वर्ग मीटर अर्थात 6820 हेक्टेयर अर्थात 6820 हेक्टेयर × 718.76 कुंतल = 49,01,943.20 गन्ना कुन्तल × 280 रुपए =1,37,25,44,096 रुपए का गन्ना हुआ । इस प्रकार कुल गन्ना 1,37,25,44,096+27,45,08,819.20 =1,64,70,52,915.20 रुपए अर्थात इन अधिकारियों द्वारा कुल एक अरब चौसठ करोड़ सत्तर लाख बावन हजार नौ सौ पन्द्रह रुपए, बीस पैसे कीमत की गन्ने की फसल को कुर्क/ जब्त किया गया। मेरी जानकारी के अनुसार इन अधिकारियों द्वारा मात्र 73,89,730/- रुपए की धनराशि राजकीय कोष में जमा कराई गई। शेष 1,63,96,63,185.20 रुपए (एक अरब तिरसठ करोड़ छियानवे लाख तिरसठ हजार एक सौ पचासी रुपए बीस पैसे) धनराशि का गन्ना कहाँ गया ?

अब यह ठहरे अधिकारी वह भी आई0ए0एस0 और पी0सी0एस0 अधिकारी यह चाहे एक अरब की लूट करें या एक खरब की, इन्हें तो शक्तियाँ ही इतनी प्राप्त हैं कि न तो इस देश में इनकी जाँच होगी, और न इनके खिलाफ कोई कार्यवाही।

वास्तव में गन्ना किसानो की भूमि पर खड़ा था क्योंकि हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर तो गंगा नदी बह रही थी, जिस प्रकार मेरे साले की भूमि पर अवैध रूप से कब्जा करके उस पर खड़ी फसले लूटी गई, उस जमीन को हमसे छीन लिया गया तथा मेरे व मेरे परिजनों के विरुद्ध ही हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा करने के मुकदमे दर्ज कराए गए, ठीक उसी प्रकार अन्य किसानों के साथ किया गया। जमीने भी किसानों की छीनी गई, फसले भी किसानों की लूटी गई, मुकदमे भी किसानों पर दर्ज कराये गए, जेल भी किसानों को भेजा गया।

अब आपको यह दिखाता हूँ कि किस प्रकार जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, व अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व श्री रामकिशन शर्मा, अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उपजिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, एवं अन्य अधिकारियों ने इस अरबो रुपए की गन्ने की फसल को हड़प/ लूट लिया। कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 3313 /ओ0एस0डी0, दिनांक 14-11-2014 के द्वारा जिलाधिकारी ने प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर को आदेश दिया कि ग्राम मुजाहिदपुर एहतमाल, मुजाहिदपुर

गैर एहतमाल, खेड़ा एहतमाल, खेड़ा गैर एहतमाल, व खड़कवेली के अन्तर्गत हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि का चिन्हांकन करते हुए यह भूमि वन विभाग के अधिकारियों/ कर्मचारियों को हस्तगत कर दी गई है, अधिकतर भूमि पर गन्ने की फसल अवैध रूप से उगाई गई है और उन्हें यह भी कहा कि इस भूमि पर वर्तमान में खड़ी गन्ने की अवैध फसल का विधिवत नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराए। इस पत्र की प्रतिलिपिया जिलाधिकारी द्वारा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर, अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर एवं उपजिलाधिकारी जानसठ को भी की। _ **101**

यही प्रक्रिया उचित थी क्योंकि जब हस्तिनापुर वन्य जीव विहार व वन विभाग की भूमि वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को दे दी गई, तब इस भूमि पर वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 यथा संशोधित 2006 के उपबन्ध लागू हो गए और उस भूमि में खड़ी फसल के निस्तारण का अधिकार मुख्य वन्य जीव संरक्षक को प्राप्त हो गया, इस हस्तगत की गई भूमि/ उस पर खड़ी फसल या उपज के सम्बन्ध में कोई भी अधिकार इस अधिनियम के अन्तर्गत जिलाधिकारी या अन्य प्रशासनिक अधिकारियों का नहीं रहा। किन्तु इन उच्च वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों को कानून का डर कहाँ था ? जब दोनों अपर जिलाअधिकारीगण व उपजिलाधिकारी जानसठ को इस् पत्र की प्रतिलिपिया प्राप्त हुई तब उन्होंने जिलाधिकारी महोदय से कहा कि अगर इस गन्ने की फसल का विधिवत नीलाम करके प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग मुजफ्फरनगर इससे प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा करा देंगे तब हमारा व आपका क्या होगा, हम एवं आप इस प्रकरण में इतनी भागदौड़ कर रहे हैं, हमें क्या मिलेगा ? तब इन सबने मिलकर इस गन्ने की फसल के सम्बन्ध में अपनी नीति में परिवर्तन कर दिया एवं अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

अब जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1607 /ओ0एस0डी0, दिनांक 23-11-2014 में एक पत्र जिला गन्ना अधिकारी मुजफ्फरनगर को लिखा और उन्हें कहा कि गन्ने की इस फसल को चीनी मिल टिकोला को आवंटित किया जा सकता हैं और मिल द्वारा ही गन्ने की कटाई-ढुलाई आदि की व्यवस्था की जा सकती है समस्त खर्चें काटने के उपरान्त प्राप्त धनराशि मिल के द्वारा वन विभाग के खाते में जमा कर दी जाएगी, _ **102** _ वाह जिलाधिकारी महोदय वाह, और जिलाधिकारी महोदय एवं इन अन्य अधिकारियों ने इस गन्ने को अपने प्रिय माफियाओं (जिन्हें ठेकेदारों का नाम दिया गया) से कटवाया गया एवं उसे विभिन्न कोल्हूओ, क्रेशरो एवं विभिन्न व्यक्तियों के नामो से गन्ना मिलों में डलवा कर इस धनराशि को आपस में मिल बाटकर हड़प/ लूट लिया। इन अधिकारियों ने अपने प्रिय माफियाओ से यह गन्ना कटवाकर

101

102

किस प्रकार आपस में बन्दरबाँट किया, इसके मुझे कुछ प्रमाण मुझे आर0टी0आई0 के अन्तर्गत मिले, जो अधिकारियों द्वारा माफियाओं से इस गन्ने की फसल को कटवाए जाने की पुष्टि करते है। इनमें से एक है जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर द्वारा दिनांक 19-12-2014 में जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर को दिया गया प्रार्थना पत्र, इस पत्र को संलग्न करते हुए श्री रामकिशन शर्मा द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2250 /एस0टी0- राजस्व दिनांक 26-12-2014 के _ **103** _ द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को इस प्रार्थना पत्र में उल्लिखित शिकायत की जाँच कर कार्यवाही करने का निर्देश देने को कहा गया। अधिकारियों और माफियाओं का यह गठजोड इतना मजबूत था कि माफिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र देने मात्र से अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, सीधा पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को लिखते थे। इसकी प्रमाणिक प्रति मैंने आर0टी0आई0 से प्राप्त की। इस प्रार्थना पत्र में जगदीप सिंह ने स्वीकार किया है कि वह इन अधिकारियों के साथ मिलकर वन विभाग की जमीन पर खड़ी गन्ने की फसल की कटाई व ढुलाई का कार्य कर रहा है। एक दूसरा प्रमाण मेरे भतीजे गौरव कुमार को आर0टी0आई0 में पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर के कार्यालय के पत्र संख्या पु0अ0न0- ज0सू0- A- 781/ 2015 दिनांक 30-12-2015 में प्राप्त सूचना जिसके साथ थानाध्यक्ष रामराज की रिपोर्ट लगी है जिसमें श्री कौशलराज शर्मा एवं श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ द्वारा खादर क्षेत्र में भूमाफियाओं के द्वारा कब्जा की गई सरकारी भूमि को उनके कब्जे से मुक्त कराया गया था, जिस भूमि पर ईख बोई गई थी एवं इस ईख की फसल को आदेश करके उसे जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज से कटवाए जाने का विवरण अंकित है। _ **104** _ इन अधिकारियों ने जगदीप सिंह, महेन्द्र सिंह, गुरमीत सिंह, अवतार सिंह आदि माफियाओं और उनके सैकड़ो सहयोगियों से जिन्हें अधिकारियों ने ठेकेदारों का नाम दिया, यह गन्ना कटवाया गया था। यह सब कार्य अवैध रूप से कराए गए थे जिस कारण इस गन्ने से सम्बन्धित सूचनाये जिले के कार्यालयो, जिलाधिकारी कार्यालय, तहसील जानसठ के कार्यालय, जिला गन्ना अधिकारी के कार्यालय, एवं प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी प्रभाग के कार्यालयो से गायब हो गई।

यह किसानो की खून पसीने की मेहनत गन्ने की फसल थी, जो न राजकोष में जमा हुई और न किसानों पर रही। हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर दर्शाई गई गन्ने की इस फसल को यदि विधिवत नीलाम किया गया होता तो गन्ने की इस फसल से डेढ़-दो अरब रुपए की धनराशि राजकीय कोष में जमा होती। इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ वर्ष 2010 में ग्राम शाहपुर में माफिया जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह द्वारा खसरा नम्बर 151 क्षेत्रफल 0.780 हेक्टेयर भूमि को अवैध रूप से कब्जा करके उस पर गन्ने की फसल उगा ली थी। मेरे द्वारा इस भूमि के

103

104

सम्बन्ध में उनके विरुद् थाना रामराज पर मुकदमा दर्ज कराया गया एवं उस भूमि का दखल ग्राम प्रधान को दिया गया तथा नायब तहसीलदार मीरापुर ने इस भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल की नीलामी कराई। नीलामी हेतु मुनादी आदि सम्पूर्ण कार्यवाही में मैं शामिल रहा। वर्ष 2010 में जबकि उस समय गन्ने का भाव मात्र 205 रुपए प्रति कुन्तल था, तो भी मात्र 0.780 हेक्टेयर भूमि की फसल 96500 रुपए में नीलाम की गई थी, जिसे नायब नाजिर जानसठ के रजिस्टर नम्बर 4 में रसीद संख्या 9810 88 व 9810 89 के द्वारा जमा किया गया था। आप स्वयं अवलोकन कर सकते हैं। _ **105**

(5.) अधिकारियों द्वारा मेरे विरुद्ध फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराये जाने का क्रम जारी रखना ...

अब मैं पुनः उस समय मेरे विरुद्ध लिखवाये जा रहे मुकदमों की तरफ आपको लेकर चलता हूँ। दिनांक 24-11-2014 में मेरे विरुद्ध थाना रामराज पर श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर द्वारा मु0अ0सं0- 174 सन 2014 दर्ज कराया गया। _ **106** _ इस मुकदमे की तहरीर के अनुसार ग्राम समाना में धर्म सिंह पुत्र गुलजार सिंह नाम का एक व्यक्ति है, जो 1.230 हेक्टेयर भूमि का संक्रमणीय भूमिधर है, उसे यह भूमि पट्टे से प्राप्त हुई थी पूछताछ में पता चला कि यह व्यक्ति ग्राम समाना में नहीं रहता है उसकी भूमि पर अमर सिंह पुत्र खचेडू निवासी नया गाँव मजरा जलालपुर नीला काबिज होना बताया गया और यह भी बताया गया कि अमर सिंह, जय भगवान की मिलीभगत से काबिज है। तहरीर में मात्र इतना लिख देने से मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर लिया गया कि " यह भी बताया गया कि अमर सिंह, जय भगवान की मिलीभगत से काबिज है "

अपनी विभागीय कार्यवाही में जाँच अधिकारी तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर के कार्यालय में दिनांक 23-01-2019 में जब मैंने इस मुकदमे के वादी श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर से प्रतिपरीक्षण में यह प्रश्न किया कि आपने मेरे विरुद्ध दिनांक 24-11-2014 में थाना रामराज पर मु0 अ0सं0 174 सन 2014 यह कहकर दर्ज कराया था कि अमर सिंह, जय भगवान लेखपाल निवासी बुवाड़ा खुर्द तहसील खतौली की मिलीभगत से काबिज है, आपने मेरी मिलीभगत का क्या आधार पाया था ? तब श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक ने कहा कि मैंने इस एफ0आई0आर0 में आपका नाम उच्च अधिकारियों के कहने से लिखा था। अमर सिंह से आपकी मिलीभगत का कोई प्रमाण मुझे नहीं मिला था। इस प्रतिपरीक्षण की प्रमाणित प्रतिलिपि मैंने तत्काल जाँच अधिकारी तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर मुजफ्फरनगर से प्राप्त कर ली थी। _ **78** _ आप

105 106 78

अनुमान लगा सकते हैं कि इन अधिकारियों द्वारा किस स्तर तक जाकर मेरे विरुद्ध कठोरतम उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ कराई गई, ताकि मैं टूट जाऊँ, मैं हार मान लूँ और सत्य छिपा रह सके। इसके बाद दिनांक 23-12-2014 में थाना जानसठ पर श्री हरस्वरूप तत्कालीन नायब तहसीलदार जानसठ द्वारा मेरे विरुद्ध एक दिन में तीन मुकदमे मु0अ0सं0 654 सन 2014, मु0अ0सं0 655 सन 2014 व मु0अ0 सं0 656 सन 2014 में दर्ज कराए गए। _ **107** _ इन तीनों मुकदमों का आधार श्री चन्द्रपाल सोनी जो वर्ष 2008 में तहसीलदार न्यायिक जानसठ के पद पर कार्यरत थे, के द्वारा ग्राम शाहपुर के 21 पट्टेदारो के सम्बन्ध में भेजी गई एक जाँच रिपोर्ट को बनाया गया। इस रिपोर्ट के आधार पर तत्कालीन उप जिलाधिकारी जानसठ ने इन 21 में से पाँच पट्टेदारों की भूमि को दिनांक 15-10-2008 में राज्य सरकार में निहित कर दिया था। उप जिलाधिकारी के इस आदेश के विरुद्ध प्रभावित व्यक्ति पहले कमिश्नर सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के यहाँ गए वहाँ दिनांक 17-08-2009 में निगरानी खारिज होने पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद गए। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा Writ-C- 49585/ 2009 श्रीमती परमजीत कौर आदि बनाम उत्तर प्रदेश सरकार व अन्य में पारित आदेश दिनांक 16-09-2009 में उप जिलाधिकारी का आदेश दिनांक 15-10-2008 एवं कमिश्नर सहारनपुर का आदेश दिनांक 17-08-2009 स्थगित कर दिया और यह स्थगन आदेश आज तक बदस्तूर जारी है। _ **108**

इन 21 में से मात्र तीन पट्टेदारों चन्द्रभान, फेरू व रामशरण के सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध आरोप लगाकर चन्द्रभान के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 654 सन 2014, फेरु के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 655 सन 2014 एवं रामशरण के सम्बन्ध में मु0अ0सं0 656 सन 2014 दर्ज कराया गया। जबकि वर्ष 2009 में इन्हीं तीनों पट्टेदारों के सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चल चुकी थी। जिसमें जाँच अधिकारी द्वारा इन पट्टेदारों के सम्बन्ध में मेरी भूमिका को उल्लिखित करते हुए लिखा गया था "जानकारी सहवन भूलवश अपने उच्चाधिकारी को न देने का कथन सिद्ध होता है"। यह दर्शाकर आरोप आंशिक रूप से मेरे विरुद्ध सिद्ध कर दिए जाने के कारण दण्डाधिकारी ने मेरी वेतन वृद्धि रोकी व मेरे खिलाफ प्रतिकूल प्रविष्टि का आदेश पारित किया क्योंकि इस प्रकरण में न मेरी कोई भूमिका थी, ना मैं दोषी था। जिस कारण मैंने मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में एक याचिका प्रस्तुत की, जिसमें मेरे पक्ष में आदेश हुआ, जिसका पालन अधिकारियों द्वारा न करने पर मैंने तत्कालीन अधिकारियों के विरुद्ध न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में प्रारम्भ कर दी। इसके पश्चात दिनांक 28-11-2013 में उप जिलाधिकारी बुढ़ाना ने मेरे विरुद्ध पूर्व में दी गई प्रतिकूल प्रविष्टि व वेतन वृद्धि रोकने के आदेश को वापस ले लिया और मेरे रोके गए समस्त देयों का

107

108

भुगतान मुझे कर दिया गया, जिस कारण मैंने मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण में न्यायालय की अवमानना की कार्यवाही को वापस ले लिया इस प्रकार मैं पूर्व में ही इन तीनों पट्टेदारों के सम्बन्ध में निर्दोष साबित हो चुका था। _ **109**

मेरे विरुद्ध यह तीनों मुकदमे इन अधिकारियों द्वारा माफिया महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी ग्राम शाहपुर थाना रामराज के कहने पर दर्ज कराए गए। इसका प्रमाण यह है कि मेरे द्वारा जब वर्ष 2010 में इस माफिया गिरोह के विरुद्ध कार्यवाहियाँ की जा रही थी तब महेन्द्र सिंह ने इन्हीं तीनों पट्टेदारों के प्रकरण में मेरे विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करने का प्रयत्न किया और उसने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 41290 सन 2010 दायर की। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस रिट याचिका में दिनांक 21-07-2010 में उप जिलाधिकारी जानसठ को आदेश दिया कि महेन्द्र सिंह द्वारा इस सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि एवं अभ्यावेदन देने पर 60 दिन के अन्दर उसका निस्तारण करे। उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 3421 /एस0 टी0, दिनांक 18-10-2010 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए आदेश का पालन करते हुए महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन का निस्तारण करते हुए इसकी एक प्रति मा0रजिस्ट्रार जनरल, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भेज दी थी। _ **110**

उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भेजी गई इस निस्तारण आख्या में इन तीनों पट्टेदारों के सम्बन्ध में मेरे विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की महेन्द्र सिंह की माँग के सम्बन्ध में लिखा कि:-

(1.) इस भूमि के क्रेताओं द्वारा इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट दायर की गई है जिसमें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किया गया है जिस कारण इस प्रकरण में एफ0आई0 आर0 दर्ज कराया जाना सही नहीं है।

(2.) इस प्रकरण में जय भगवान लेखपाल के विरुद्ध पूर्व में विभागीय कार्यवाही की जा चुकी है, पुनः इसी प्रकरण में लेखपाल के विरुद्ध कोई कार्यवाही किए जाने का कोई औचित्य नहीं है।

उप जिलाधिकारी महोदय ने मा0 उच्च न्यायालय में भेजी गई निस्तारण आख्या में यह भी उल्लिखित किया कि जहाँ तक लेखपाल के विरुद्ध शिकायत का प्रश्न है, उसका कारण लेखपाल द्वारा महेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती निर्मलकौर के नाम 3.550 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में घोषित कराने की रिपोर्ट करना तथा पट्टेदार की भूमि खसरा नम्बर 151 क्षेत्रफल 0.780 हेक्टेयर स्थित ग्राम शाहपुर पर महेन्द्र सिंह द्वारा अवैध कब्जा करने के कारण इनके विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया जाना है।

वर्ष 2014 में जब जनपद के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण के साथ इन माफियाओ महेन्द्र सिंह आदि

109

110

का गठजोड हुआ, तब इस गिरोह को अपनी मनचाही मुराद पूरी करने का अवसर मिला और इन अधिकारियों ने मेरे विरुद्ध एक दिन में यह तीनों मुकदमे दर्ज करा दिए।

इसके पश्चात मेरे विरुद्ध दिनांक 29-12-2014 में थाना जानसठ पर श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ द्वारा मु0अ0सं0 672 सन 2014 दर्ज कराया गया। _ **111** _ मेरे विरुद्ध तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार द्वारा दर्ज कराए गए इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 का सार यह है कि ग्राम जग्गू जमालपुर में दो सगे भाईयों की कृषि भूमि थी। जिनका नाम हरगोपाल व धर्मपाल पुत्रगण कृष्णपाल था। दिनांक 18-05-2010 में हरगोपाल ने अपने भाई धर्मपाल के मुख्तियारनामें के आधार पर धर्मपाल के हिस्से की भूमि का हिब्बैनामा द्वारा दानपात्र अपने पुत्र सन्दीप शर्मा के नाम कर दिया। न्यायालय तहसीलदार में इस हिब्बैनामा दानपात्र के दाखिल खारिज नामान्तरण प्रक्रिया में जब लेखपाल के तौर पर मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत की तो वह मात्र तीन बिन्दुओं पर प्रस्तुत की, मुख्तियारनामे के सम्बन्ध में मैंने रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की, यह आरोप लगाकर तहसीलदार श्री राकेश कुमार ने मेरे विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज करा दिया।

तहसीलदार श्री राकेश कुमार जिनकी नियुक्ति तहसीलदार जानसठ के रूप में दिनांक 05-09-2013 में हुई थी एवं उनके द्वारा दिनांक 30-04-2014 में इस नामान्तरण वाद में अपना आदेश पारित किया गया था। _ **112** _ इस आदेश में तहसीलदार श्री राकेश कुमार द्वारा आदेश किया गया कि आपत्तिकर्ता यदि चाहे तो ही हिब्बैनामा दिनांक 18-5-2011 के फर्जी होने के सम्बन्ध में सुसंगत धाराओं में कार्यवाही कर सकता है, अर्थात जिन व्यक्तियों द्वारा हिब्बैनामा के आधार पर दाखिल खारिज करना चाहा उन व्यक्तियों के खिलाफ आपत्तिकर्ता सुसंगत धाराओं में कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र थे। इस आदेश में तहसीलदार महोदय ने अपनी विवेचना में मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के सम्बन्ध में, उस रिपोर्ट के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं लिखा। दिनांक 05-09-2013 से दिनांक 30-04-2014 के मध्य इस नामान्तरण वाद में उनके न्यायालय में अनेको तारीखे लगी, अनेकों बार उन्होंने इस पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया। दिनांक 30-04-2014 में उन्होंने इस पत्रावली में अपना विस्तृत आदेश पारित किया। मैंने अपनी रिपोर्ट दिनांक 18-06-2010 में स्पष्ट तौर पर बिन्दु संख्या 4 में यह लिखा था कि- "मुख्तियारनामा न्यायालय में साक्ष्य एवं सत्यापन पर निर्भर है"। _ **113** _ मेरे द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन करके कोई भी व्यक्ति यह अनुमान लगा सकता है कि क्या यह बिन्दु संख्या 4 बाद में लिखा गया है। मेरे द्वारा अपनी रिपोर्ट के चारों बिन्दु लिखने के बाद उनके नीचे लिखा, आख्या सेवा में प्रेषित है, फिर अपने हस्ताक्षर करके लेखपाल क्षेत्र लिखा, व उसके नीचे

111 **112** **113**

दिनांक लिखी और उसके बाद इस रिपोर्ट में खाली बचे स्थान पर कटिंग के निशान लगाए गए ताकि कुछ भी घटाया या बढ़ाया न जा सके। मेरे द्वारा मुख्तयारनामे के सम्बन्ध में मुख्तियारनामा न्यायालय में साक्ष्य सत्यापन पर निर्भर है, इसलिए लिखा गया क्योंकि यह कार्य नामान्तरण करने वाले अधिकारी/ न्यायालय का है कि वह मुख्तियारनामे की जाँच करे, उससे सम्बन्धित साक्ष्य प्राप्त करें एवं उनका सत्यापन करें।

तहसीलदार महोदय ने यह लिखकर मेरे विरुद्ध यह एफ0आई0आर0 दर्ज करा दी कि मैंने मात्र तीन बिन्दुओं पर रिपोर्ट दी थी। उन्होंने एफ0आई0आर0 में यह भी लिखा कि बिन्दु संख्या 4 बाद में लिखा जाना प्रतीत होता है एवं प्रथम तीन बिन्दुओं की रिपोर्ट की स्याही के रंग एवं चौथे रिपोर्ट की स्याही के रंग में भी अन्तर है। जब तहसीलदार साहब ने अनेक बार इस पत्रावली का अवलोकन में अध्ययन किया तब मेरे द्वारा बिन्दु संख्या 4 में उल्लिखित मेरी रिपोर्ट उन्हें दिखाई भी दे रही थी एवं उनकी समझ में भी आ रही थी उन्हें इस बिन्दु के रंग में भी कोई अन्तर दिखाई नहीं दिया, तब उन्हें यह बिन्दु बाद में बढ़ाया गया प्रतीत होना नही दिखाई दिया। तहसीलदार जानसठ द्वारा इस पत्रावली में दिनांक 30-04-2014 में अपना आदेश पारित किया गया था, यदि मेरे द्वारा अपनी लेखपाल रिपोर्ट में किसी भी प्रकार की त्रुटियाँ की गई थी, अवैधानिकता, अनियमिता या गैरकानूनी कार्य किया गया था, तथ्यों को छुपाया गया था, कम बिन्दु लिखे गए थे, उन बिन्दुओं में रंग परिवर्तित किया गया था तब उन्होंने अपने द्वारा पारित आदेश में इन तथ्यों को उल्लिखित क्यों नहीं किया और मेरे विरुद्ध उसी समय एफ0आई0आर0 दर्ज क्यों नहीं कराई। तब उस समय तक उन्हें मुझसे कोई परेशानी नहीं थी और न हीं उस समय तक इस पत्रावली में मेरे द्वारा कोई गलत आख्या प्रस्तुत की गई थी। उनके द्वारा पत्रावली में आदेश पारित किए जाने के बाद पत्रावली उनके पास तो 7 महीने तक तो रह नहीं सकती, निश्चित रूप से यह पत्रावली दाखिल दफ्तर होकर राजस्व अभिलेखागार मुजफ्फरनगर में दाखिल हो चुकी थी। इस पत्रावली के सम्बन्ध में दोनों पक्षों में से किसी भी पक्ष या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा मेरी कोई शिकायत किसी भी अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई। एकाएक दिनांक 29-12-2014 में तहसीलदार जानसठ को सपने में यह पत्रावली दिखाई दी और बिना किसी अधिकार के उन्होंने मेरे विरुद्ध यह रिपोर्ट दर्ज करा दी। कोई यह सवाल उठाने वाला तो था नहीं कि तहसीलदार साहब इस भूमि में गाँव सभा या राज्य सरकार का क्या हित निहित है ? आप किस अधिकार से नामान्तरण वाद में आदेश की जा चुकी पत्रावली में एफ0आई0आर0 दर्ज करा सकते हैं ? यदि एफ0आई0आर0 दर्ज कराते तो नामान्तरण वाद का निस्तारण करते समय दिनांक 30-04-2014 में कराते ? अब 7 माह उपरान्त इस एफ0आई0आर0 को आपके द्वारा दर्ज कराए जाने का क्या आधार एवं कारण है ?।

इस एफ0आई0आर0 के सम्बन्ध में मैंने जेल में रहते हुए दिनांक 05-06-2015 में आर0टी0आई0 के तहत चार बिन्दुओं पर तहसीलदार जानसठ से सूचनाए चाही। इसका उत्तर देते हुए तहसीलदार जानसठ ने अपने कार्यालय के

पत्र संख्या 119/ एम0जे0- ज0सू0सहा0, दिनांक 24-06-2015 में मुझे लिख कर दिया कि आपके द्वारा चाहे गई सूचनाएँ काल्पनिक होने के कारण दिया जाना सम्भव नहीं है यह पत्र श्री राकेश कुमार तहसीलदार द्वारा हस्ताक्षरित है। **_ 114 _** तहसीलदार महोदय मुकदमा लिखवाया जाना काल्पनिक नहीं है, सूचनाये को देना काल्पनिक है तहसीलदार व इन अधिकारियों में एक होड़ मची थी कि जय भगवान के विरुद्ध अधिक से अधिक मुकदमे लिखवा दिए जाए भले ही वह बाद में इन मुकदमों में दोषी साबित न हो किन्तु इन मुकदमों को लड़ता-लड़ता तारीखों पर जाते-जाते उसका जीवन बर्बाद हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, वह या पागल हो जाएगा अथवा आत्महत्या कर लेगा किन्तु इस लायक नहीं रहेगा कि वह अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ का खुलासा कर सके।

इसके बाद मेरे विरुद्ध दिनांक 19-01-2015 में थानाध्यक्ष रामराज श्री अरुण कुमार त्यागी द्वारा थाना रामराज में मु0अ0सं0- 07 सन 2015 अन्तर्गत धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट दर्ज कराया गया।) **_ 115 _** इसमें मुझे गैंग लीडर बनाया गया वह मेरे साथ उपकार पुत्र लहरी तथा कमल पुत्र शंकर व अन्य दो किसानों को आरोपी बनाया गया। हाँ इतना अवश्य है कि इन अधिकारियों ने दिनांक 06-11-2014 में ग्राम शाहपुर में माफिया जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह को किया अपना वायदा निभाया और मेरे विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट का मुकदमा दर्ज कराकर इस मुकदमे में मेरे साथ उपकार व कमल को रखा।

अब इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 देखिए, बयान जुबानी वादी थानाध्यक्ष बयान किया कि आज दिनांक 19-01-2025 को मैं थानाध्यक्ष अरुण कुमार त्यागी थाना रामराज मय हमराही कांस्टेबल 391 बृजपाल मय जीप सरकारी मय चालक सुरेश चन्द्र, के थाना क्षेत्र में रोड गश्त खादर क्षेत्र में मामूर था की जानकारी मिली कि अभियुक्त जय भगवान, उपकार, कमल, राहुल कुमार व अमर सिंह जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं। जो अभ्यस्त अपराधी हैं जिनके द्वारा वन विभाग की जमीन पर अवैध कब्जा है। जिनका खादर क्षेत्र में भय व आन्तक व्याप्त है। इनके विरुद्ध थाना पर वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा सम्बन्धी काफी अभियोग पंजीकृत है। जो अपने अनुचित लाभ के लिए भूमि पर अवैध कब्जाकर धन अर्जित करते हैं। इनका एक सुसंगठित गिरोह है। इनके विरुद्ध जनता का कोई व्यक्ति कुछ बोलने/ रिपोर्ट लिखाने के लिए तैयार नहीं है। इनके विरुद्ध जिलाधिकारी महोदय द्वारा अनुमोदित गैंग चार्ट प्राप्त है। इनके द्वारा कारित अपराध भारतीय दण्ड विधान के अध्याय 16,17 में 22 के अधीन दण्डनीय हैं। इनका स्वतंत्र रहना जनहित में नहीं है।

जैसा कि मेरे द्वारा मेरे एवं अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज वन विभाग के मुकदमों के सम्बन्ध में, मैं विस्तृत रूप से लिख चुका हूँ कि मुझ सहित अनेक किसानों व अन्य व्यक्तियों पर

114

115

यह मुकदमे किस प्रकार फर्जी दर्ज कराए गए एवं इन्हें सही साबित करने के लिए फर्जी सबूत तैयार कराए गए, फर्जी विवेचनायें कराई गई, उन्ही मुकदमों के आधार पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा मेरे विरुद्ध यह मुकदमा दर्ज करवाया गया क्योंकि वह नहीं चाहते थे कि मैं कभी जेल से बाहर आऊ।

जिलाधिकारी महोदय ने दोनों अपर जिलाधिकारीगण, उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ को मेरे विरुद्ध अधिक से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज कराने के लक्ष्य निर्धारित कर रखे थे, इसी क्रम में श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर ने आदेश करके श्रीमती कुसुम नाम की एक महिला से दिनांक 12-02-2015 में थाना जानसठ पर मेरे विरुद्ध मु0अ0सं0 90 सन 2015 दर्ज करा दिया। _ **116** _ मेरे विरुद्ध दर्ज कराए गए इस मुकदमे का सूत्रधार माफिया गुरमीत सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह का भाई माफिया अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह था तथा इस मुकदमे में मेरा नाम लिखवाने में जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार थे।

इस मुकदमे के सम्बन्ध में मैंने जेल में रहते हुए आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिनांक 27-10-2015 में तीन बिन्दुओं पर सूचना, जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग मुजफ्फरनगर से माँगी।

(1.) अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर/ उपजिलाधिकारी जानसठ/ तहसीलदार जानसठ द्वारा अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह के प्रार्थना पत्र पर की गई संयुक्त जाँच आख्या दिनांक 06-02-2015 की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(2.) अवतार सिंह के प्रार्थना पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि

(3.) उस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि चाही गई जिसके द्वारा अवतार सिंह के प्रार्थना पत्र की जाँच करने के लिए अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुज़फ़्फ़रनगर/ उपजिलाधिकारी जानसठ/ तहसीलदार जानसठ की संयुक्त टीम का गठन किया गया था।

कार्यालय अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 398 /एस0टी0 - राजस्व ,दिनांक 28-11-2015 के द्वारा जिला कारागार में प्रथम दो बिन्दुओं की सूचना मुझे उपलब्ध कराई गई व तीसरे बिन्दु के सम्बन्ध में लिखा कि जाँच हेतु टीम गठित किए जाने का कोई आदेश कार्यालय में नहीं है। _ **117**

अवतार सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह ने दिनांक 20-11-2014 में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को दिया जिसमें उसने मेरी, प्रताप सिंह लेखपाल व मोहम्मद जरीफ लेखपाल की शिकायत की थी। इस प्रार्थना पत्र को श्री कौशलराज शर्मा जिलाधिकारी ने

116 117

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के नाम दिनांक 22-11-2014 में पृष्ठांकित कर दिया। _ **118** _ इस प्रार्थना पत्र की जाँच के लिए जिलाधिकारी द्वारा किसी टीम का गठन नहीं किया गया, इसके बावजूद बिना किसी अधिकार के (क्योंकि यदि अधिकारियों की कोई संयुक्त जाँच समिति बनाई जाती है तो जो अधिकारी उस संयुक्त जाँच समिति में होते हैं उनसे उच्च स्तर का कोई अधिकारी संयुक्त जाँच समिति का गठन कर सकता है किन्तु यहाँ नियम, कायदे, कानून की परवाह किसे थी) श्री रामकिशनशर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, श्री उमेश मिश्र उपजिलाधिकारी जानसठ, श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ ने दिनांक 06-02-2015 में एक संयुक्त जाँच आख्या जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत की प्रस्तुत की। इस पूरी जाँच आख्या में इन तीनों अधिकारियों ने मुझे कहीं भी दोषी नहीं बताया, न इस प्रकरण में मेरी कोई भूमिका पाई गई, और न ही इस प्रकरण में मेरे नाम का कोई उल्लेख इस संयुक्त जाँच समिति द्वारा किया गया। दोषी किन्ही पाँच अन्य व्यक्तियों को बताया गया।

इस जाँच आख्या के तैयार होने के बाद माफिया अवतार सिंह व गुरमीत सिंह, श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व से मिले और बोले "कि आपने यह कैसी जाँच की है, इसमें तो जय भगवान का नाम ही नहीं है, उसे दोषी ही नहीं बताया गया है हमारे प्रार्थना पत्र देने का क्या लाभ हुआ"? अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा ने कहा "कि चिन्ता क्यों करते हो, कलम मेरे हाथ में है, जय भगवान का नाम जाँच रिपोर्ट में हो ना हो, वह दोषी हो ना हो, एफ0आई0आर0 तो उसके खिलाफ अवश्य होगी। तुम कुसुम नाम की महिला से प्रार्थना पत्र लिखवाओ, उसमें जय भगवान का नाम भी लिखवा दो, रिपोर्ट दर्ज करने का ऑर्डर मैं कर दूँगा, और थानाध्यक्ष जानसठ को फोन करके कहूँगा रिपोर्ट तत्काल होगी"।

इसी प्लानिंग के तहत काम हुआ गुरमीत सिंह व अवतार सिंह दिनांक 12-02-2015 में श्रीमती कुसुम नाम की महिला को लाए, उससे प्रार्थना पत्र लिखवाया, उसमें मेरा नाम भी लिखवाया। जिसमें उसने लिखा कि इस सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र पर अपर जिला अधिकारी महोदय द्वारा प्रार्थीया के बयान लेकर एक जाँच भी की गई है, जिसकी कॉपी प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न है, उसमें भी उक्त लोगों को पूर्णतया दोषी पाया गया है इनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई जावे। प्रार्थना पत्र के साथ लगी जाँच रिपोर्ट अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा के हस्ताक्षरों से बनी रिपोर्ट थी, जिसमें मेरा नाम नहीं था और न हीं उन्होंने इस प्रकरण में मेरा कोई दोष पाया था फिर भी मेरे विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराने के आदेश उनके द्वारा कर दिए गए और कहा कि तुम थाने जाओ वहाँ जाते ही तुम्हारी रिपोर्ट लिखी जाएगी और ऐसा हुआ भी। अब मैं कर क्या सकता था, यह ठहरे अधिकारी, इनके हाथ में कलम थी इन्होंने जो लिख दिया उसे कौन मिटा सकता था, मेरी सुनने वाला भगवान के सिवाय कौन था? हाँ यह भगवान शिव व मेरे

माता-पिता का ही आशीर्वाद था कि इतना सब कुछ होते रहने के बावजूद भी मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी। मेरे मन में हमेशा यह विचार रहा कि जब तक इस शरीर में प्राण है तब तक संघर्ष करूँगा, हार या जीत ईश्वर के अधीन है। बचपन में जब हम छोटे-छोटे से थे तब मेरे पिताजी शाम को सोते समय हमें पुराने किस्से रूप-बसन्त, सरवर-नीर, पूरणमल, राजा हरिश्चन्द्र, राजा मोरध्वज, रामायण, महाभारत आदि के किस्से-कहानियाँ सुनाते थे। कभी-कभी तो वह इन किस्से-कहानियो का इतना सजीव चित्रण करते थे कि मैं चुपचाप रोने लगता था। लेकिन उन विपत्ति-भरी कहानियो और उस विपत्ति काल में उन महापुरुषों के अडिग रहने से मेरा अन्त:मन काफी मजबूत हो चुका था। इस विपत्ति काल में मेरे पिताजी द्वारा सुनाए गए उन किस्से-कहानियों को याद कर मुझे उनसे काफी प्रेरणा मिली।

जिस घटना को दर्शाकर इन अधिकारियों ने मेरे विरुद्ध दिनांक 23-12-2014 में थाना जानसठ में तीन मुकदमे, मु0अ0सं0 654 सन 2014, 655 सन 2014 व 656 सन 2014 लिखवाए थे, उसी घटना में पुनः मुकदमा दर्ज कराने के लिए इन्होंने श्रीमती परमजीत कौर नाम की एक महिला से न्यायालय में धारा 156(3) में प्रार्थना पत्र डलवाया व मा0 न्यायालय के आदेश के आधार पर मेरे विरुद्ध यह मु0अ0सं0 25 सन 2015 थाना रामराज पर दिनांक 19-02-2015 में दर्ज कराया गया। _ **119** _ मेरे विरुद्ध दर्ज एस0सी0/ एस0टी0 एक्ट के तीन मुकदमे जिनकी विवेचना CO पुलिस अर्थात क्षेत्राधिकारी जानसठ द्वारा की जा रही थी इनके अलावा मेरे विरुद्ध दर्ज किए गए सभी मुकदमों की विवेचना अधिकारियों ने क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर को ट्रांसफर कराकर क्राइम ब्रांच से कराई थी। इस मुकदमे को भी क्राइम ब्रांच को भेजा गया यदि इस मुकदमे के पीछे अधिकारियों का हाथ नहीं होता तो इस मुकदमे की विवेचना थाना रामराज की पुलिस करती। इस मुकदमे के विवेचक ने जब यह पाया कि इस घटना के सम्बन्ध में तो पूर्व में ही मु0अ0सं0 654 सन 2014, 655 सन 2014 , 656 सन 2014 दर्ज कराये जा चुके हैं, तब विवेचक ने इस मुकदमे में अन्तिम रिपोर्ट दिनांक 12-09-2015 में मा0 न्यायालय में प्रेषित कर दी। _ **120**

मेरे विरुद्ध यह समस्त मुकदमे तहसील जानसठ के अन्तर्गत दर्ज कराए गए। मैं तहसील जानसठ में दिनांक 17-02-2013 तक लेखपाल के पद पर कार्यरत रहा। दिनांक 18-02-2013 से दिनांक 15-02-2014 तक मैं तहसील बुढाना में कार्यरत रहा तथा उसके बाद मेरा तबादला तहसील सदर में हो जाने पर मैं दिनांक 16-02-2014 से मुझे लेखपाल पद की सेवा से पदच्युत किए जाने की दिनांक 09-01-2015 तक तहसील सदर का लेखपाल रहा। मैंने आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिनांक 05-06-2015 में जन सूचना अधिकारी तहसील सदर मुजफ्फरनगर से यह लिखते हुए "कि आवेदक के विरुद्ध जनपद के प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा विगत 8 माह में अनेक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ की गई है, साथ

119

120

ही आवेदक के विरुद्ध स्वयं तथा जनपद के अन्य विभागों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के माध्यम से अनेक आपराधिक मुकदमे कायम कराए गए हैं। जिस कारण आवेदन इस समय जिला कारागार में निरूद्ध है। आवेदक वर्ष 2014 से वर्ष 2015 के मध्य तहसील सदर में लेखपाल के पद पर कार्यरत रहा है। आवेदक को तहसील सदर में वर्ष 2014 से वर्ष 2015 के मध्य अपनी नियुक्ति के सम्बन्ध में निम्न सूचनाओं की आवश्यकता है।" ऐसा लिख कर मेरे द्वारा पाँच बिन्दुओं पर सूचनाओं चाही गई।

(1.) आवेदक उक्त अवधि में किस दिनांक से किस दिनांक तक तहसील सदर में लेखपाल पद पर कार्यरत रहा।

(2.) उक्त अवधि में आवेदक कौन-कौन से लेखपाल क्षेत्रफल कार्यरत रहा।

(3.) उक्त अवधि में आवेदक अपनी नियुक्ति क्षेत्र में आबाद रहा अथवा नहीं ,यदि आवेदक अपनी नियुक्ति क्षेत्र में आबाद नहीं रहा तो आवेदक के विरुद्ध उसके उच्च अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि।

(4.) उक्त अवधि में आवेदक द्वारा अपने नियुक्ति क्षेत्र में रहकर अपने पद के दायित्वो एवं कर्तव्यों का भली प्रकार निर्वाह किया गया अथवा नहीं, यदि आवेदक द्वारा ऐसा नहीं किया गया तो आवेदक के विरुद्ध उसके उच्च अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि।

(5.) उक्त अवधि में क्या आवेदक के विरुद्ध जनपद के वन विभाग, जिला पूर्ति विभाग, श्रम प्रवर्तन विभाग द्वारा क्या कोई शिकायत, सूचना आवेदक या आवेदक के क्रियाकलाप के सम्बन्ध में आवेदक के उच्च अधिकारियों को प्रस्तुत की गई, यदि हाँ तो उस विभाग/ अधिकारी का नाम, पदनाम तथा प्रस्तुत की गई शिकायत/ सूचना की प्रतिलिपि तथा उस पर आवेदक के उच्च अधिकारियों द्वारा की गई कार्यवाही की प्रतिलिपि।

कार्यालय तहसीलदार/ जन सूचना अधिकारी तहसील सदर मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 112 /प्रति0-जन सूचना -16 दिनांक 22-09-2016 के द्वारा प्रथम दो बिन्दुओं की सूचना स्पष्ट रूप उल्लिखित करते हुए मुझे दिनांक 12-02-2014 से दिनांक 15-01-2015 तक तहसील सदर में नियुक्त रहने तथा इस अवधि में तहसील सदर के लेखपाल क्षेत्र सादपुर पर तैनात रहने की सूचना प्रदान की गई। किन्तु बिन्दु संख्या 3,4, व 5 की सूचना को घुमा-फिराकर दिया गया, जिस कारण मैंने राज्य सूचना आयोग में अपील की तब जाकर कार्यालय तहसीलदार तहसील सदर मुजफ्फरनगर के द्वारा पत्रांक 305 /जन सूचना, दिनांक 26-07-2017 के द्वारा मुझे इन बिन्दुओं में चाही सूचनाओं को स्पष्ट रूप से उल्लिखित करते हुए प्रदान की गई जिसमें लिखा गया कि:- _ **121**

(3.) पत्रावली पर ऐसा कोई आदेश उपलब्ध नहीं है कि जय भगवान लेखपाल के दिनांक 12-02-2014 से दिनांक 15-01-2015 तक तहसील सदर में अपने लेखपाल क्षेत्र सादपुर में आबाद ना रहने के कारण उनके विरुद्ध कोई विभागीय

कार्यवाही अमल में लाई गई हो।

(4.) पत्रावली पर ऐसा भी कोई आदेश उपलब्ध नहीं है कि जय भगवान लेखपाल द्वारा तहसील सदर में अपने दायित्वो का निर्वहन न करने के कारण उनके विरुद्ध कोई विभागीय कार्यवाही अमल में लाई गई हो।

(5.) पत्रावली पर वन विभाग, पूर्ति विभाग, श्रम विभाग से प्राप्त आख्या उपलब्ध नहीं है जो जय भगवान लेखपाल के विरुद्ध तहसील सदर में नियुक्ति की अवधि में प्राप्त हुई हो।

अब आप अनुमान लगाइए जब मैं तहसील सदर के लेखपाल क्षेत्र सादपुर में आबाद रहकर अपने दायित्वो को पूरी निष्ठा से पूरा कर रहा था, मेरे विरुद्ध जनपद के किसी भी विभाग द्वारा कोई शिकायत/ सूचना मेरे उच्च अधिकारियों को नहीं दी गई थी, तब मैंने किस प्रकार तहसील जानसठ में जाकर पट्टेदारों की भूमि पर कब्जा करके फसले उगाई, मेरे द्वारा किस प्रकार 8 ग्रामों में 25 स्थानो पर लगभग 35 हेक्टेयर हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि पर भूमि पर कब्जा करके फसले उगाई, किस प्रकार मैं डीजल की कालाबाजारी/ तस्करी कर रहा था, किस प्रकार मैंने वहाँ मजदूरों को बन्धुवा बनाकर रखा था, लेकिन इन सब चीजों से किसी को क्या मतलब, यदि मतलब होता तो यदि मेरे द्वारा कोई अपराध किया भी गया था तो शासनादेश कार्मिक अनुभाग- 1, संख्या: 611 / का-1- 2005, दिनांक 19 जुलाई 2005 के अन्तर्गत पहले मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाती और यदि इन मामलों में मेरी कोई अपराधिक भूमिका पाई जाती तब मेरे विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जाती। _ **122**

मैं दिनांक 04-05-2016 में जिला कारागार मुजफ्फरनगर से बाहर आया एवं इसके बाद मैं इन सभी मुकदमों की चार्जशीट के खिलाफ मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद गया। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने प्रथमदृष्टया इन मुकदमो में की गई कार्यवाहियों को देखते हुए इन सभी 18 मुकदमो की चार्जशीट के सम्बन्ध में यह आदेश पारित कर दिये कि इनमें याची जयभगवान के खिलाफ कोई भी उत्पीड़नात्मक कार्यवाही न हो।

धन्य हो मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद

मेरे शस्त्र लाइसेंसो को निरस्त किया जाना

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा मेरे दोनों शस्त्र लाइसेंस दोनाली बन्दूक एवं रिवाल्वर जो मुझे जिले के पूर्व के अधिकारियों ने मेरे द्वारा किए गए महत्वपूर्ण कार्यों को देखते हुए मेरी सुरक्षा हेतु मुझे प्रदान किए थे, उन्हें निरस्त कर दिया और निरस्तीकरण का आधार मेरे विरुद्ध दर्ज कराए गए इन मुकदमों को बनाया गया, जबकि मेरे द्वारा न तो इन शस्त्रों का कोई प्रदर्शन किया गया, ना कोई प्रयोग किया गया ओर न इन शस्त्रों के आधार पर किसी को कोई धमकी दी गई। माफिया महेन्द्र सिंह एवं जगदीप सिंह जिनके शस्त्र लाइसेंस मैंने उनकी आपराधिक गतिविधियों के कारण निरस्त कराए थे, वह चाहते थे कि मेरे शस्त्र लाइसेंस भी निरस्त हो और इस मौके का उन्होंने भरपूर फायदा उठाया और मेरे दोनों शस्त्र लाइसेंस जिलाधिकारी महोदय ने निरस्त कर दिए।

मेरे द्वारा लाखों बीघा भूमि के आबंटन/ बन्दरबाँट का दुष्प्रचार एवं उसकी वास्तविकता

अपने भ्रष्टाचार एवं माफियाओं के साथ हुए गठबन्धन को छिपाने के लिए इन अधिकारियों ने समाचार पत्रों एवं मीडिया के अन्य साधनों के माध्यम से मुझे एक खलनायक के रूप में प्रचारित व प्रसारित किया। मुझे एक महाभ्रष्ट लेखपाल, एवं मेरे द्वारा तहसील जानसठ के खादर क्षेत्र में लाखों बीघा भूमि के आबंटन/ बन्दरबाँट/ पट्टे किए जाने के आरोप प्रचारित एवं प्रसारित कराए। इस व्यापक दुष्प्रचार अभियान में, मैं मीडिया के अन्य साधनों में दिए गए इन अधिकारियों के इन्टरव्यू आदि को तो इकट्ठा नहीं कर पाया लेकिन उस समय इन अधिकारियों ने समाचार पत्रों में मेरे विरुद्ध जिस प्रकार की जानकारियाँ देकर उसे प्रचारित व प्रसारित कराया उसे मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ:-

(1.) 04 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- लोग पैदा किये, फिर मारे, विरासत तय की, और जमीन हथिया ली, जय भगवान ने।

(2.) 04 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- पतित पावनी गंगा का कर दिया सौदा, मुझ पर 600 हेक्टेयर जमीन के पट्टे काटने का आरोप लगाया गया और अखबार में उन 21 ग्रामों के नाम दिए जो रामराज खादर क्षेत्र में थे और मैं जहाँ पर लेखपाल रहा था समाचार पत्र के मुताबिक यहाँ मैंने यह पट्टे काटे थे।

(3.) 05 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- कौड़ियों में बना दिया करोड़पति, जय भगवान ने साज कर पट्टे काटे और फिर अपने परिजनों के नाम बैनामा करा लिया और डेढ़ सौ हेक्टेयर भूमि का बन्दरबाँट किया।

(4.) 06 नवम्बर 2014 मुजफ्फरनगर बुलेटिन:- भू-माफिया पर कसा प्रशासन का शिकन्जा।

(5.) 06 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- साल दर साल होते गए मालामाल

(6.) 07 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- 32 में से 27 पट्टे लेखपाल के सम्बन्धियों के।

(7.) 08 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- लेखपालों ने की 1058 हेक्टर भूमि की बन्दरबाँट।

(8.) 09 नवम्बर 2014 हिन्दुस्तान:- क्षेत्र का बादशाह है लेखपाल, शुक्रताल से बैराज ही नहीं, बिजनौर तक फैला है साम्राज्य।

(9.) 11 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- इनका बस चले तो आसमान बेच दें।

(10.) 12 नवम्बर 2014 अमर उजाला:- परत दर परत खुल रहे फर्जीवाड़े।

(11.) 13 नवम्बर 2014 दैनिक जागरण:- तरकारी की तरह हुआ सरकारी जमीनों का बन्दरबाँट।

(12.) 10 जनवरी 2015 दैनिक जागरण:- जमीन की बन्दरबाँट का आरोपी लेखपाल बर्खास्त। _ 123

जनपद के इन अधिकारीगण द्वारा इस प्रकार लगातार समाचार पत्रों में समाचार प्रचारित/ प्रसारित कराए गए एवं मीडिया के अन्य साधनों का प्रयोग करके राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर मुझे बुरी तरह से बदनाम किया गया और इसे देश का सबसे बड़ा महाभूमिघोटाला कहकर व्यापक स्तर पर प्रचारित व प्रसारित किया गया। मेरे विरुद्ध प्रचारित / प्रसारित कराए गए इन समाचारों में कितनी सच्चाई थी ? उसे देखना बेहद जरूरी है।

मैंने जिला कारागार मुजफ्फरनगर में रहते हुए दिनांक 31-05-2015 में एक आर0टी0आई0 लगाई। जिसमें मैंने जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग जनपद मुजफ्फरनगर से दो बिन्दुओं पर सूचनाओं चाही।

(1.) आवेदक जय भगवान लेखपाल अप्रैल 1991 से जनवरी 2015 तक लेखपाल के पद पर कार्यरत रहा इस अवधि के दौरान जय भगवान लेखपाल द्वारा क्या किसी सरकारी/ गाँव सभा/ सीलिंग में अतिरिक्त घोषित भूमि/ वन विभाग/ हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की कृषि भूमि का आबंटन किया या नही।

(2.) यदि जय भगवान लेखपाल द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान उपरोक्त में से किसी भी प्रकार की भूमि के कृषि आबंटन का प्रस्ताव किया गया हो तो उस आबंटन पत्रावली की छायाप्रति।

अब श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर का जवाब देखिए, जो उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 601/ ज0सू0सहा0, दिनांक 27-06-2015 में मुझे इस आर0टी0आई0 के सम्बन्ध में दिया, उन्होंने लिखा कि आपके द्वारा चाही गई सूचनाये काल्पनिक होने के कारण काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। अर्थात जब आप मेरे विरुद्ध व्यापक दुष्प्रचार अभियान चलाते रहे तो वह वास्तविकता था और जब मैंने उसके सम्बन्ध में आपसे सूचनाये चाही तो वह सूचनाये काल्पनिक हो गई, किन्तु सत्य की एक ताकत होती है और वह ताकत मेरे अन्दर है मैंने हिम्मत नहीं हारी और आर0टी0आई0 के अन्तर्गत लगातार इन सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए प्रयास करता रहा। आर0टी0आई0 के अन्तर्गत अपील आदि करने के बाद मुझे जो सूचना प्राप्त हुई उसके अनुसार क्योंकि यह प्रकरण तहसील जानसठ का था जिसे महाभूमिघोटाला दर्शाकर तहसील जानसठ के खादर क्षेत्र में मेरे द्वारा लाखों बीघा भूमि के अवैध आबंटन/ बन्दरबाँट पट्टे काटने का शोर मचाया गया था और उस भूमि को अपने-परिवारजनों व रिश्तेदारों के नाम करने का प्रचार प्रसार इन्हीं अधिकारियों द्वारा मीडिया के माध्यम से लगातार कई महीनो तक किया गया था। मेरे द्वारा लगातार प्रयास किए जाने के बाद:-

कार्यालय तहसीलदार जानसठ के पत्र संख्या 324/ एम0जे0-ज0सू0सहा0, दिनांक 03-08-2016 के द्वारा मुझे लिखित रूप से यह सूचना दी गई कि "जय भगवान लेखपाल द्वारा तहसील जानसठ में कार्यरत रहते हुए कोई आबंटन नहीं किया गया है।" _ **124** _ देखा आपने इस महा दुष्प्रचार अभियान का वास्तविक सत्य।

इसके अलावा क्योंकि मैंने तो न केवल जानसठ बल्कि अपने पूरे सेवा काल में किसी भी तहसील में एक इंच मात्र भूमि का भी कोई आवंटन या कोई पट्टा किसी भी भूमि का नहीं किया था, इसी कारण मैंने एवं मेरे भाई तोलेराम ने मेरे सेवाकाल के सम्बन्ध में जनपद की अन्य तहसीलों से भी आर0टी0आई0 के माध्यम से सूचनाये एकत्रित की। कार्यालय तहसीलदार सदर मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 489/ प्रति0- जनसूचना-16, दिनांक 28-12-2016 के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि जय भगवान लेखपाल द्वारा तहसील सदर में अपने सेवा काल में किसी भी ग्राम सभा/ सीलिंग/ वन विभाग/ वन्य जीव विहार की भूमि व अन्य किसी भी प्रकार की भूमि का कोई आवंटन नहीं किया गया है। _ **125** _ इसी प्रकार कार्यालय तहसीलदार बुढ़ाना मुजफ्फरनगर के कार्यालय के पत्र संख्या- 86/ र0 का0 दिनांक 12-05-2016 के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि तहसील बुढाना में रहते हुए आपके द्वारा किसी भी तरह का कोई आवंटन नहीं किया गया है। _ **126** _ इसी प्रकार कार्यालय तहसीलदार खतौली के पत्र संख्या 699/ज0सू0 - 2016 दिनांक 06-07-2016 के द्वारा मुझे सूचना दी गई कि जय भगवान लेखपाल तहसील खतौली में कार्यरत नहीं रहे हैं। तहसील खतौली में जय भगवान लेखपाल द्वारा किसी प्रकार का कोई आवंटन प्रस्ताव नहीं किया गया है। _ **127**

आप यह देखिए इस प्रकार के अधिकारी चाहे तो क्या नहीं कर सकते, एक ईमानदार और कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारी को भ्रष्टाचार का बादशाह बना सकते हैं। देश के सबसे बड़े भूमि घोटाले का महाखलनायक बना सकते हैं माननीय मुख्यमंत्री एवं शासन व सरकार को अपने भ्रष्टाचार एवं अपराधों को छिपाने के लिए भ्रमित कर सकते हैं समाज को भ्रमित कर सकते हैं किस प्रकार यह अधिकारीगण अपने पदों की शक्तियों का दुरुपयोग कर सकते हैं। दिनांक 1 दिसम्बर 2014 के दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान अखबार में मुझे व प्रताप सिंह लेखपाल को रावण आदि के प्रतीक रूप में प्रदर्शित कराया गया एवं जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा को भगवान श्री राम के रूप में प्रदर्शित कराकर कार्टून इन अधिकारियों द्वारा छपवाए गए। _ **128**

125 126 127 128

इस प्रकरण में लेखपाल संघ की भूमिका

अब कुछ बातें लेखपाल संघ, अपने लेखपाल साथियों के विषय में भी करना चाहता हूँ। जैसा की जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल संघ एक मजबूत कर्मचारी संगठन था क्योंकि अनेक वर्षों तक जनपद मुजफ्फरनगर में श्री शिव कुमार जी लेखपाल संघ के जिला अध्यक्ष रहे थे, उन्होंने लेखपाल संवर्ग के हित में अनेक कार्य किये थे। प्रदेश में लेखपाल संघ का पहला भवन तहसील जानसठ में उनके प्रयासों से बना और इसी से प्रेरणा पाकर फिर धीरे-धीरे पूरे प्रदेश की तहसीलों व जिला मुख्यालयों पर लेखपाल संघ भवनो का निर्माण हुआ। लखनऊ स्थित प्रदेश लेखपाल संघ के भवन निर्माण में भी उन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, उन्होंने अपना पूरा जीवन लेखपाल संघ की सेवा में समर्पित किया। पूरे प्रदेश में जनपद मुजफ्फरनगर के लेखपाल संघ की मिसाल दी जाती थी। कर्मचारी संघों के गठन का मुख्य उद्देश्य यह रहा था कि यह संघ अपने साथियों के उत्पीड़न के खिलाफ खड़े होकर उसके विरुद्ध किए जा रहे उत्पीड़न का विरोध करेंगे एवं उसका सहयोग करेंगे और अधिकारियों के गैरकानूनी दबाव व अनुचित कार्यों का विरोध करके अपने साथियों का बचाव करेंगे और अपने संवर्ग के साथियों की समस्याओं का समाधान कराएँगे आदि।

मैं वर्ष 2012 में लेखपाल संघ शाखा तहसील जानसठ का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और मेरे द्वारा अपने संवर्ग के हित में लेखपालों के अनेक कार्य कराए गए। दिनांक 19-07-2013 में, मैं उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ शाखा जनपद मुजफ्फरनगर का अध्यक्ष निर्वाचित हुआ और मेरे द्वारा अपने संवर्ग के साथियों के लिए, उनके कल्याण के लिए अथक प्रयत्न किए गए, जो सार्थक रहे। मैंने सच्चे मन से अपने लेखपाल साथियों की सेवा की।

दिनांक 27-10-2014 में जब मेरे विरुद्ध तहसीलदार जानसठ ने षड्यंत्र के तहत एफ0आई0आर0 दर्ज़ कराई तो उसके विरोध में कई तहसीलों के लेखपाल लामबन्द हुए और उन्होंने धरना आदि किए जाने की घोषणा की, कुछ तहसीलों में धरना शुरू भी हुआ जो कई दिनों तक चला भी। इस बीच जनपद के अधिकारियों ने लेखपाल संघ को खण्डित करने की योजना के अन्तर्गत साम, दाम, दण्ड, भेद की नीति अपनाई और हमारे कुछ साथियों को तोड़कर अपने साथ मिला लिया, इनमें वे लेखपाल साथी शामिल थे, जिनका अपना एक अलग गुट था और जो मेरे जिला अध्यक्ष बनने से खुश नहीं थे हालांकि चुनाव लड़कर मेरे सामने जीतने में वह उस समय सक्षम नहीं थे, क्योंकि जिले के अधिकांश लेखपाल मेरे द्वारा संवर्ग हित में किए गए कार्यों से मुझसे प्रसन्न थे, जिस कारण यह गुट मेरे सामने चुनाव नहीं लडा और मैं निर्विरोध जिला अध्यक्ष निर्वाचित हुआ था। अधिकारियों ने इस गुट के लेखपाल साथियों से कहा कि हम तुम्हारे हाथ में लेखपाल संघ की कमान देखना चाहते हैं। तब इन लेखपाल साथियों ने कहा कि जब तक

जय भगवान नौकरी में है, लेखपाल के पद पर है, लेखपाल संघ की कमान उसी के हाथों में रहेगी क्योंकि जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकांश लेखपाल साथी उसके साथ हैं। अधिकारियों ने कहा इसकी चिन्ता तुम मत करो हम उसे नौकरी में रहने देंगे, लेखपाल रहने देंगे तब न, फिर इन लेखपाल साथियों ने कहा कि श्री शिवकुमार पूर्व जिला अध्यक्ष/ सेवानिवृत लेखपाल का भी जनपद के लेखपालों में अच्छा प्रभाव है, यदि उसे खुला छोड़ दिया गया तो वह भी हमें नहीं बनने देगा। अधिकारियों ने कहा तुम बेफिक्र रहो उसे हम किसी लायक नहीं छोड़ेंगे, जय भगवान के साथ-साथ उसका भी इलाज (इलाज से अर्थ भरपूर उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियों को करने से है) होगा और बाद में श्री शिव कुमार जी को अनेक प्रकार से उत्पीड़ित किया गया।

क्योंकि अधिकारियों और हमारे इन लेखपाल साथियों की अन्दरखाने हुई इस डील से मैं बेखबर था, तो जब दिनांक 05-11-2014 से मेरे विरुद्ध धड़ाधड़ मुकदमे लिखवाये जाने लगे तो मैंने फोन के माध्यम से इनसे सम्पर्क किया, तो इन्होंने कहा कि तू तो मरेगा ही हमें भी मरवायेगा और फिर इन्हीं लोगों ने हमारे जनपद के लेखपाल साथियों को डरा धमकाकर एवं समझा-बूझाकर लेखपाल संघ का धरना समाप्त करा दिया और अधिकारियों से कहा कि अब आप उनके विरुद्ध जैसी चाहे कार्यवाहियाँ करो, आपको छूट है लेखपाल संघ इसमें दखलअंदाजी नहीं करेगा। इसी मध्य अधिकारियों ने इनसे कहा कि कहीं ऐसा ना हो इस प्रकरण में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ पूरे प्रदेश की हड़ताल करा दे, तो इन्होंने उसकी जिम्मेदारी ली और सुझाव दिया कि आप एक पत्र प्रदेश अध्यक्ष व प्रदेश महामंत्री उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ को भिजवा दो बाकी हम सम्भाल लेंगे। उसी क्रम में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा एक पत्र प्रदेशअध्यक्ष/ प्रदेश महामंत्री को भेजा गया और इसमें कहा कि यह महाभ्रष्ट लेखपाल है, इनके विरुद्ध हम कार्यवाहियाँ कर रहे हैं, आप इस प्रकरण से दूरी बनाकर रखना फिर हमारे उन्हीं साथियों ने उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के प्रान्तीय पदाधिकारियो को सन्तुष्ट किया कि लेखपाल संघ को इस प्रकरण से दूर रहना चाहिए। अपने विरुद्ध मुकदमे लिखे जाने शुरू होने के बाद में कई दिनों तक मैं गिरफ्तारी से बचकर छुपता रहा। उस समय उत्तर प्रदेश के लेखपाल संघ के अध्यक्ष श्री रविन्द्रनाथ त्रिपाठी व महामंत्री श्री अवधेश सिंह चौहान थे, मैंने इन दोनों से अलग-अलग फोन पर बात की और उन्हें बताया कि मैं पूर्णतया निर्दोष हूँ और यह अधिकारी माफियाओं से मिले हैं और मुझे जानबूझकर झूठा फंसा रहे हैं आप इस मामले में संज्ञान लेकर कार्यवाही करें तो उन्होंने उत्तर दिया कि हम इस पचड़े में नहीं पड़ेंगे और उन्होंने अपने-अपने फोन काट दिए।

हमारे जनपद के इन साथियों की भूमिका यही तक सीमित नहीं रही, जब हम जेल चले गए और हमारे कुछ साथी हमसे जेल में जाकर मिलना चाहते थे तो इन्होंने उन लेखपाल साथियों को डराया कि वहाँ वीडियोग्राफी होती है, शाम को उन लोगों के नाम चैक किए जाते हैं,जो इनसे मिलने जाते हैं, कौन-कौन उनसे मिलने गए, जो उनसे मिलने

जाएगा यह अधिकारी उसके खिलाफ कार्यवाही करेंगे। हमारे जनपद के एक-दो लेखपाल साथी हमसे जेल मे मिलने अवश्य गए थे। बाद में हमें जेल में यह भी पता चला कि अन्य जनपदों के लेखपाल संघ के कुछ साथी हमसे आकर जेल में मिलना चाहते थे और इस प्रकरण की सही जानकारी हमसे लेना चाहते थे लेकिन जनपद के इन इन्हीं साथियों ने उन्हें बताया कि जिला प्रशासन के अधिकारी इस सम्बन्ध में शासन को रिपोर्टिंग करते हैं और इन्होंने अरबों रुपए का घोटाला किया है यदि आप इनसे मिलोगे तो आपके विरुद्ध भी कार्यवाही होगी, बेचारे डरकर वह भी वापस चले गए। जनपद के अधिकारियों द्वारा हमारे इन लेखपाल साथियों से किए गए अपने वायदे को पूरा भी किया गया और हमें जेल में भेजने के बाद जनपद मुजफ्फरनगर में हुए लेखपाल संघ के चुनाव में अधिकारियों ने अनेक लेखपालों पर दबाव बनाकर उनके विरुद्ध कार्यवाहियाँ किए जाने का भय दिखाकर उनके पक्ष में मतदान करने के लिए विवश किया।

जेल में रहते हुए एवं जेल से बाहर आकर मैंने अपनी बेगुनाही के सारे सबूत इकट्ठा किये। इस बीच फरवरी 2016 में उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ के चुनाव में श्री राममूरत यादव प्रदेश अध्यक्ष व श्री बृजेश कुमार श्रीवास्तव प्रान्तीय महामंत्री के पद पर निर्वाचित हो चुके थे। मैंने सोचा कि जब मेरे पास मेरी बेगुनाही के सारे सबूत हैं, और हमारा संगठन है तो मुझे इनसे मिलना चाहिए इन्हें अपने सारे सबूत दिखाना चाहिए। मेरे मन में यह आशा हुई कि शायद इन सारे तथ्यों और प्रमाणों को देखकर यह मेरी व प्रताप सिंह लेखपाल की मदद अवश्य करेंगे। मैंने उनके फोन नम्बर लेकर अध्यक्ष जी व महामंत्री जी से बात की तब इन्होंने बताया कि हमारी लखनऊ में बैठक है, तुम लखनऊ आ जाना तो मैं उनके पास लेखपाल भवन लखनऊ में गया और इन्हें सारे कागजात/ सारे सबूत दिखाएँ उस समय वहाँ प्रान्त के सभी सर्वोच्च पदाधिकारी उपस्थित थे, उन्होंने मेरी सभी बातों को सही माना, तब मैंने इनसे कहा कि आपकी मुलाकात अपर मुख्य सचिव (राजस्व) से होगी। मुझे भी साथ लेकर चलो और उन्हें बताओ कि हमारे साथी के साथ क्या-क्या हुआ है लेकिन उन्होंने तरह-तरह की बहानेबाजी करनी शुरू कर दी व मुझे कई दिनों तक वहाँ रोके रखा लेकिन मुझे कहीं लेकर नहीं गए। उसके बाद भी उनके द्वारा मेरे व प्रताप सिंह लेखपाल के प्रकरण को लेखपाल संघ के किसी मंच पर कभी भी नहीं उठाया गया।

मेरे घर पर पुलिस की छापेमारी

दिनांक 05-11-2014 से जिले के अधिकारियों ने मेरे विरुद्ध मुकदमे लिखवाने शुरू कर दिए थे। मैं गाँव बुवाड़ा खुर्द तहसील खतौली जिला मुजफ्फरनगर का रहने वाला हूँ और हमेशा से वही रहा हूँ जैसे ही मेरे खिलाफ मुकदमे दर्ज करने शुरू हुए पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की टीमें मेरी तलाश में छापेमारी करने लगी और कई-कई गाड़ियाँ दिन-रात मेरे घर, मेरे गाँव में दबिश देने लगी। शुरू के एक-दो दिन में तो कुछ ग्रामीण भी इकट्ठे हुए लेकिन पुलिस व प्रशासन के लोगों ने उन्हें धमकाकर भगा दिया। लगातार कई दिनों तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों की दबिश मेरे घर पर जारी रही इस बीच मेरा सम्पर्क फोन पर मेरी पत्नी से हुआ, उस समय मेरे लिए फोन पर सम्पर्क करना भी एक दुष्कर कार्य था। मैंने अपनी पत्नी से कहा कि तुम यहाँ से किसी रिश्तेदारी में चली जाओ मेरी पत्नी व मेरी बेटी के घर छोड़ने के बाद भी पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों ने मेरे घर पर ताण्डव मचाना जारी रखा और लगातार इस प्रकार छापेमारी की गई जैसे मैं बहुत बड़ा आतकंवादी हूँ।

मेरी गिरफ्तारी के उद्देश्य से मेरे पूरे परिवार ही नहीं, मेरे पूरे खानदान एवं रिश्तेदारों को पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा अत्यधिक परेशान एवं उत्पीड़ित किया गया। कभी किसी व्यक्ति को उठाकर थाने में बैठा लेते, कभी किसी को बैठा लेते और उनसे कहते कि जय भगवान को पकड़वाओ तब तुम्हें छोड़ेंगे या यह बताओ कि वह कहाँ छिपा है, वह बेचारे मुझे गाली देते रहते थे।

अधिकारियों द्वारा की गई इस कार्यवाही के समय हमारे जिले के राजनेताओं की भूमिकाये

जनपद के अधिकारियों ने मीडिया के माध्यम से इस प्रकरण को इस प्रकार प्रचारित-प्रसारित किया कि जैसे यह देश का अब तक का सबसे बड़ा महाभूमिघोटाला हुआ हो और इसका कर्ताधर्ता मैं था। इस तरह का माहौल बनाए जाने का परिणाम यह हुआ कि जिले के अधिकांश राजनेताओं व अन्य लोगों ने प्रशासन की कार्यवाहियों को लेकर इन अधिकारियों को अपनी सर आँखों पर बैठा लिया और उनकी पीठ थपथपाने लगे और कहने लगे कि भाई कितने ईमानदार अधिकारी हैं, कितना बड़ा घोटाला पकड़ा है, यह पटवारी इतने भ्रष्ट होंगे, हमने तो सोचा भी नही था।

उस समय केन्द्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ चुकी थी तथा हमारे जनपद से केन्द्र में एक मंत्री जी भी थे। जब खादर क्षेत्र के लुटे-पीटे किसान उनके पास गए और उन्हें बताया कि प्रशासन हमारी जमीने हमसे छीन रहा है, हमारी फसलें लूट रहा है तथा हमारे खिलाफ ही मुकदमे कर रहा है, पुलिस रात-रात भर हमारे घरों पर छापेमारी करती है, महिलाओं और बच्चों के साथ बदसलूकी करती है। किसानों से इतनी पीड़ा सुनने के बाद भी उन्होंने इस प्रकरण में एक भी शब्द नहीं कहा, और न ही उन्होंने किसानों की कोई सहायता अथवा मदद की। दिनांक 29-11-2014 में जब मैं जेल चला गया और मुझे जेल में खादर क्षेत्र के ये किसान भारी संख्या में मिले तो मैंने उनसे कहा कि आप लोग तो किसान हैं आप क्यों किसी बड़े राजनेता के पास नहीं गए ? क्यों किसी से मदद की गुहार नहीं लगाई ? तब उन्होंने मुझे यह किस्सा सुनाया।

जिस समय यह मुकदमे लिखवाये जा रहे थे और यह सब कार्यवाहियाँ की जा रही थी, उस समय जिले के एकमात्र राजनेता को छोड़कर जिले के अधिकांश राजनेताओं में यह होड़ लग चुकी थी कि वह किस प्रकार इन कार्यवाहियों को कराने का श्रेय स्वयं प्राप्त करें, और वह एक मात्र राजनेता थे दिवंगत श्री चितरन्जन स्वरूप, जो उस समय उत्तर प्रदेश सरकार में राज्य मंत्री थे। मैंने उनसे मिलकर इस प्रकरण के तथ्य उन्हें बताए थे। उन्होंने उस समय कैबिनेट मंत्री श्री शिवपाल यादव एवं मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव के समक्ष यह मुद्दा उठाया भी था। दिनांक 08-11-2014 का अमर उजाला अखबार इस बात की पुष्टि करता है कि दिनांक 07-11-2014 में मा0 चितरन्जन स्वरूप जी, मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से मिले और प्रशासन की कार्यवाहियों को गलत करार देते हुए तत्काल रोक लगाने की माँग की। यही अख़बार यह भी पुष्टि करता है कि उसी दिन मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव ने फोन पर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर श्री कौशलराज शर्मा से इस मामले की पूरी जानकारी ली। _ **128A** _ जिलाधिकारी

128A

श्री कौशलराज शर्मा ने मुख्यमंत्री को बताया कि यह प्रदेश का सबसे बड़ा महाभूमिघोटाला है, जिसमें लाखों बीघा सरकारी भूमि का बन्दरबाँट हुआ है और लेखपाल ने अरबों रुपए की अवैध सम्पत्ति इकट्ठा कर ली है, यह बहुत बड़ा भू-माफिया है। मुख्यमंत्री जी ने अपने मंत्री की बात का विश्वास न करके अधिकारी की बातों का विश्वास किया। मुख्यमंत्री जी से हरी झण्डी मिलने के बाद इन अधिकारियों ने मा0 मंत्री चितरन्जन स्वरूप जी को अखबारों के माध्यम से भी बदनाम करने की पूरी कोशिश की, इसकी पुष्टि दिनांक 19-11-2014 का अमर उजाला अखबार करता है इसका शीर्षक है "मंत्री जी ने ली सरेन्डर कराने की गारन्टी "। _ **128B**

128B

इस प्रकरण में की जा रही कार्यवाहियों की जाँच जनपद से बाहर कराये जाने के लिए मेरे द्वारा किए गए प्रयास

दिनांक 05-11-2014 से मैं लगातार पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों से छिपकर इस प्रयास में लगा रहा कि कोई व्यक्ति मुझे ऐसा मिले जो यह सच्चाई समझने की कोशिश करें कि मैं निर्दोष हूँ और मुझे गलत फंसाया जा रहा है। यहाँ-वहाँ भटकते हुए चूंकि उस समय श्री अखिलेश यादव मुख्यमंत्री थे तो मैं यादव बाहुल्य क्षेत्र में गया, वहाँ कई लोगों से मिला तब मुझे कुछ लोगों ने बताया कि तुम वीर सेन यादव पूर्व जिला अध्यक्ष समाजवादी पार्टी कानपुर देहात (सदस्य उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी कार्य समिति) से मिलो, शायद वह तुम्हारी कुछ मदद कर सके। मैं उनके पास गया उनसे मिलकर सारे तथ्य उन्हें दिखाएँ और मदद माँगी और उन्हें मा0 मंत्री श्री चितरन्जन स्वरूप जी की मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव से हुई बातचीत एवं मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी की जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा से हुई बातचीत का विवरण भी दिया। तब उन्होंने कहा कि जब जिलाधिकारी ने मुख्यमंत्री को जो बता दिया है तो शायद अब वह किसी अन्य की बातों पर विश्वास न करें किन्तु तुम इतनी दूर से मेरे पास मदद माँगने आए हो तो उन्होंने कहा कि मेरा धर्म है कि पास आए कि मदद करूँ उन्होंने मुझसे कहा कि तुम अपनी पत्नी से प्रार्थना पत्र लिखवा कर आना, फिर मैं अपनी पत्नी से प्रार्थना पत्र लिखवा कर उनके पास गया तब उन्होंने दिनांक 24-11-2014 को अपने लेटरपैड पर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश को एक पत्र लिखा और इस प्रकरण की जाँच किसी अन्य जनपद अथवा किसी गोपनीय एजेंसी से करवाने की माँग की।

मा0 मुख्य सचिव श्री आलोक रजंन ने इस लेटर पैड पर दिनांक 25-11-2014 में पुलिस उप महानिरीक्षक मेरठ को आदेश किया कि कृपया परीक्षण कराकर आवश्यक कार्यवाही अपने स्तर से कराये। _ **129** _ अब मैंने सोचा कि मेरठ जाकर पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ से मिलकर उन्हें मुख्य सचिव का यह आदेश दूँगा और अपनी सारी सच्चाई से उन्हें अवगत कराउँगा। मेरे मन में विचार आया कि श्री प्रताप सिंह लेखपाल जिनके विरुद्ध भी हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध आबंटन का आरोप लगाकर इन अधिकारियों ने कई मुकदमे दर्ज करा दिए थे और वह भी पुलिस और इन प्रशासनिक अधिकारियों से बचता-बचता, मारा-मारा फिर रहा था, को भी अपने साथ लेकर चलूँगा और गुरमीत सिंह वाला प्रकरण जो इस पूरे प्रकरण की जड़ है हम दोनों मिलकर उनके समक्ष रखेंगे। मैंने प्रताप सिंह लेखपाल को फोन करके दिनांक 28-11-2014 में मेरठ बुलाया, मेरा फोन सर्विलांस पर लगा होने के कारण यह सूचना पुलिस व प्रशासनिक अधिकारियों तक पहुँच गई।

129

मेरी एवं प्रताप सिंह लेखपाल की गिरफ्तारी तथा अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा द्वारा मेरा अपमान किए जाने का प्रयास

दिनांक 28-11-2014 में प्रताप सिंह लेखपाल गाजियाबाद निवासी अपने साढ़ू को साथ लेकर उनकी मारुति अल्टो गाड़ी में मेरे पास मेरठ आया। हम तीनों पुलिस उपमहानिरीक्षक मेरठ के कार्यालय की ओर जा ही रहे थे कि कमिश्नरी चौराहे पर हमारी गाड़ी को पुलिस की कई गाड़ियों ने घेर लिया और हमारी गाड़ी पर चारों तरफ से अस्त्र-शस्त्र ऐसे तान दिए , जैसे हम बहुत बड़े आतकंवादी हो, मैंने कहा कि यह हथियार हटाओ, बताओ कहाँ चलना है तब एक पुलिस अधिकारी जिनका मुझे बाद में पता चला कि वह पुलिस क्षेत्राधिकारी श्री मुकेश मिश्र थे, उन्होंने कहा कि मेरी गाड़ी में बैठो, कुछ दूर गाड़ी चलने के बाद उन्होंने अपनी गाड़ी रूकवाई व मुझे थानाध्यक्ष जानसठ श्री चरण सिंह यादव की गाड़ी में बैठाया। इसके बाद थानाध्यक्ष जानसठ व क्षेत्राधिकारी जानसठ हमें लेकर भलवा पुलिस चौकी जो खतौली व जानसठ के मध्य स्थित है, वहाँ आए, तो सी0ओ0 जानसठ श्री मुकेश मिश्र ने कहा कि यहीं बैठो कोई बड़े अधिकारी आ रहे हैं हम दोनों वहाँ रखी कुर्सियों पर बैठ गए। थोड़ी देर बाद श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर भलवा पुलिस चौकी पर पहुँचे, जबकि उनके वहाँ जाने का कोई कानूनी कारण नहीं था। वहाँ आते ही उन्होंने कहा इन्हें कुर्सी पर क्यों बैठा रखा है ? बहुत बैठ चुके कुर्सी पर, इन्हें नीचे बैठाओ और नीचे बैठाकर इनके फोटो खींचो। प्रताप सिंह डरकर नीचे बैठ गया मैं कुर्सी से उठकर खड़ा हो गया और मैंने कहा कि आपने मुझे गिरफ्तार करा लिया है आप मुझे या तो थाने के लॉकअप में बन्द करो अथवा जेल भेजो मैं नीचे नहीं बैठूँगा। मेरी आवाज में तेजी वह चेहरे पर स्वाभिमान था वह अपना सा मुँह लेकर रह गए और पुलिस को कुछ दिशा निर्देश देकर वहाँ से चले गए।

इस बीच कुछ पुलिसकर्मी प्रताप सिंह के साढ़ू को भी पुलिस चौकी के अन्दर लेकर चले आए मैंने उन्हें देखकर सी0ओ0 साहब से कहा कि सर इन्हें तो छुड़वा दो यह तो प्रताप सिंह के साढ़ू रिश्तेदार हैं व उनकी गाड़ी भी छुड़वा दो। उन्होंने कहा कि इनसे पूछताछ करके यदि इनकी कोई गलती नहीं होगी तो इन्हें छोड़ देंगे लेकिन गाड़ी हम सीज करेंगे क्योंकि इस गाड़ी में तुम व प्रताप सिंह पकड़े गए हो। इसके बाद पुलिस ने मुझे व प्रताप सिंह को ले जाकर थाना जानसठ के लॉकअप में बन्द कर दिया और प्रताप सिंह के साढ़ू को पूछताछ करके छोड़ दिया। थाने के लॉकअप में बन्द होने के बाद मैंने प्रताप सिंह से कहा कि भाई कम्बल बिछा ले, आराम करेंगे, काफी दिन हो गए हैं मारे-मारे फिरते हुए।

रात्रि लगभग 9:00 बजे थाना जानसठ में हमें खाना दिया गया इसके बाद जैसे ही हम लेटे थे, उस समय रात के लगभग 10 बज गए होंगे तब मुझे लॉकअप का गेट खोलकर बाहर निकाला गया और कोतवाल जानसठ के कमरे में ले जाया गया। वहाँ कोतवाल की कुर्सी पर श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बैठे थे, उनके पास एस0डी0एम0 जानसठ श्री उमेश मिश्र, सी0ओ0को जानसठ श्री मुकेश मिश्र, थानाध्यक्ष रामराज व कोतवाल जानसठ बैठे थे। मुझे देखते ही मुस्कुराकर श्री रामकिशन शर्मा बोले, "अब बोलो जय भगवान क्या हाल है तुम्हारा, बड़े नेता बनते थे लेखपाल संघ के, बड़ी प्रेस वार्ता करते थे, बड़ा शौक था तुम्हें अधिकारियों और माफियाओं के गठजोड़ के खुलासा करने का, अभी तो तुम सोच नहीं सकते कि तुम और तुम्हारे परिवार के साथ और क्या-क्या होगा हम ऐसी नजीर कायम करके छोड़ेंगे कि भविष्य में तुम्हारे जैसा अदना सा कर्मचारी अधिकारियों के खिलाफ एक अक्षर बोलने से पहले एक लाख बार सोचेगा"।

मैंने बिना डरे सख्त आवाज व सख्त लहजे में कहा कि ए0डी0एम0 साहब, "शेर जंगल में रहेगा तो वहाँ भी शेर है पिन्जरे में रहेगा तो वहाँ भी शेर है"। यह सुनकर उनकी भाव-भंगिमाएँ बदल गई उनका चेहरा उतर गया शायद उन्हें मुझसे ऐसे उत्तर की उम्मीद न रही हो और वह यह सोचते हो कि मैं उनके पैरों में गिरकर गिड़गिड़ा कर रहम की भीख माँगूगा, अन्य अधिकारी जो उस कक्ष में उस समय मौजूद थे, इस दौरान हम दोनों की बातें सुनते रहे किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी बात सुनकर ए0डी0एम0 श्री रामकिशन शर्मा बोले "कि ले जाओ इसे मेरे सामने से, रस्सी जल गई बल नहीं जले इसके"।

इसके बाद मुझे प्रताप सिंह के साथ थाना जानसठ के लॉकअप में बन्द कर दिया गया। इसके बाद पुनः सुबह लगभग 4:00 बजे मुझे लॉकअप से बाहर निकाला गया तो मैंने देखा कि थानाध्यक्ष जानसठ श्री चरण सिंह यादव के साथ चार सिपाही खड़े हैं उनके हाथ में फट्टे हैं थानाध्यक्ष ने सिपाहियों से कहा कि इसे उल्टा लिटाकर, इसकी खातिरदारी करो, मैंने उनसे कहा कि आप यह सब जानते हैं कि मैं निर्दोष हूँ फिर आप क्यों इस पाप के भागीदार बनते हो, यह शब्द सुनकर उनका दिल पसीज गया और उन्होंने सिपाहियों से कहा कि चलो छोड़ दो इसे, अधिकारियों को बता देंगे कि हमने जय भगवान की खातिरदारी बहुत अच्छे से की है।

इसके बाद दोपहर में थाना जानसठ की पुलिस ने हम दोनों का जानसठ सरकारी अस्पताल में मेडिकल कराया और हमें जिला न्यायालय मुजफ्फरनगर ले जाया गया। वहाँ सैकड़ो की संख्या में कैमरे और पत्रकार इस तरह इकट्ठा थे, जैसे कितना बड़ा अपराधी पकड़ा गया हो, पत्रकारों को जैसे ही मौका मिलता था मुझसे तरह-तरह के सवाल पूछते थे, कोई वीडियो बनाता था, कोई फोटो खींचता था। मैं मूँछ रखता हूँ, और मूँछों को अपनी शान मानता हूँ और स्वभावत: मेरा हाथ मूँछों पर ताव देने के लिए अपने आप चला जाता है, इसी दौरान एक पत्रकार ने कहा कि अब तो यह मूँछें नीची कर ले, अभी भी मूँछों पर ताव देता है तो मैंने उत्तर दिया यह मूँछें तो ऐसी ही रहेंगी, इन मूँछों में सत्य की ताकत है, सत्य इन्हें नीचे नहीं गिरने देगा।

अधिकारियों द्वारा जेल में मेरा एवं प्रताप सिंह लेखपाल का उत्पीड़न कराये जाने का वृतांत

मा0 न्यायालय के आदेश से इसी शाम अर्थात 29-11-2014 को हम दोनों को जेल भेज दिया गया। हमें जेल भेजने के बाद भी इन अधिकारियों की आत्माओं को शान्ति नहीं मिली, इन अधिकारियों का मानना था कि इन्हे इतना प्रताड़ित करो, इतना सताओ कि ये आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाए और अधिकारियों माफियाओ के गठजोड़ का भेद खोलने की बात छुपी रह जाए। जिले के अधिकारियों ने हमारे जेल पहुँचते ही जेल अधिकारियों को निर्देश दिए कि इनका इलाज करो (इलाज से अर्थ भरपूर उत्पीड़न करने से हैं) इलाज की इस प्रक्रिया में मेरी ड्यूटी जेल के भण्डारे में लगाई गई। उस समय जिला जेल मुजफ्फरनगर में लगभग 3000 बन्दी व कैदी निरुद्ध थे। भण्डारे में मेरा कार्य आटा गुथना, रोटियाँ सेकना, रोटियाँ बेलना, सब्जियाँ काटना, पानी भरना, बर्तनों की सफाई करना, सब्जी बनवाना, चाय बनवाना और विभिन्न बैरकों में जाकर बन्दियों और कैदियों के मध्य खाना व चाय आदि का वितरण करना था। इनमें से मुझसे कभी कोई कार्य कराया जाता व कभी कोई कार्य कराया जाता था।

उधर प्रताप सिंह लेखपाल को बाग कमान अर्थात जिला जेल में जो कृषि की जमीन है उसमें सब्जियों आदि की बुवाई, निराई, गुड़ाई, खेतों को तैयार करना पानी देना, सब्जियों की कटाई आदि के कार्यों में लगाया गया। जबकि जेल के नियमों के मुताबिक विचाराधीन बन्दी से कार्य नहीं कराया जा सकता किन्तु कानून का पालन करने का क्या काम था, समस्त जिले के अधिकारी इन उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के हाथों की कठपुतलियाँ बन गए थे।

न केवल हमे जेल के अन्दर नियमों के विपरीत इन कार्यों में लगाया गया बल्कि सामाजिक रूप से हमारी प्रतिष्ठा को चूर-चूर करने के लिए बाकायदा इन कार्यों को हमसे जेल के अन्दर कराए जाने का व्यापक प्रचार प्रसार भी कराया गया। दिनांक 30-11-2014 के दैनिक जागरण अखबार में छपी खबर इस बात की पुष्टि करती है। _ **130**

प्रताप सिंह लेखपाल दिनांक 29-11-2014 से दिनांक 04-08-2015 तक जिला जेल मुजफ्फरनगर में रहा। इस पूरी अवधि के दौरान उसे बाग कमान बैरक में रखकर उससे जिला जेल की कृषि भूमि में नियमों के विपरीत अधिकारियों के कहने पर अवैधानिक रूप से कठोर कार्य कराकर अनेक प्रकार से उत्पीड़ित व प्रताड़ित किया गया।

मेरे वकील ने इस सम्बन्ध में जब न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया तो जेल के अधिकारियों ने न्यायालय को अवगत कराया कि जय भगवान से जेल में कोई कार्य नहीं कराया गया किन्तु सत्य यह नहीं था जेल में मुझसे लगातार भण्डारें में कार्य कराया जा रहा था, इसकी पुष्टि दिनांक 08-12-2014 का दैनिक जागरण अखबार भी करता है, जिसमें खबर के साथ-साथ जेलर एम0एल0 यादव का वक्तव्य भी छपा था "जेल में है तो काम तो करना पड़ेगा, दोनों से जेल में कठोर काम नहीं कराया जाएगा लेकिन उन्हें सौंपा गया काम यथावत रहेगा।" _ **131** _ इस प्रकार काफी समय तक लगातार भण्डारें में मेरी ड्यूटी लगाकर मुझे गम्भीर रूप से उत्पीड़न व प्रताड़ित किया गया।

130

131

पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर मुझे अपमानित कराए जाने का घटनाक्रम

इन अधिकारियों द्वारा प्रताड़नाये मुझे केवल एक तरीके से ही नहीं दी गई बल्कि अनेकों तरीके से दी गई और उसके अनेक प्रकार तलाशे गए कि इस व्यक्ति का मनोबल किस प्रकार तोड़ा जाए। इसके लिए अधिकारियों ने मुकदमो के विवेचक को कहा कि इसका पुलिस कस्टडी रिमांड लो। विवेचक द्वारा मु0अ0सं0 167 सन 2014 थाना रामराज जिसका विवरण में पूर्व में ही अंकित कर चुका हूँ, के सम्बन्ध में न्यायालय में मेरा पुलिस कस्टडी रिमांड लेने का प्रार्थना पत्र यह कहकर प्रस्तुत किया कि इस अभियोग के सम्बन्ध में कुछ गोपनीय दस्तावेज जिन्हें इसने अपने घर में छुपा कर रखे हैं उन्हें बरामद करना है। उस मुकदमे में मुझ पर अन्य व्यक्तियों के साथ अवैध रूप से पट्टेदारों की भूमि पर कब्जा करके फसल बोने का आरोप लगाया था, तो बरामद तो फसल करनी थी। अब जबकि न तो मौके पर मेरा कोई अवैध कब्जा था, न मेरे द्वारा कोई अवैध फसल बोई गई थी, तो यह विवेचक फसल बरामद कहाँ से बरामद करते ? तो चलो गोपनीय दस्तावेज बरामद करते हैं, कौन सा गोपनीय दस्तावेज कोई अता पता नहीं।

दिनांक 06-12-2014 को सुबह 8:00 बजे मुझे जिला कारागार से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया और मेरे हाथों में हथकड़ियाँ पहनाकर मेरे गाँव, मेरे घर ले जाया गया। वहाँ से कोई गोपनीय कागजात क्या मिलता, वहाँ से पुलिस को कुछ नहीं मिला, _ **132** _ तो पुलिस टीम मुझे लेकर खाली हाथ लौट आई किन्तु जिस उद्देश्य के लिए अधिकारियों ने मेरा पुलिस कस्टडी रिमांड कराया था उस उद्देश्य में वह सफल रहे, जिस गाँव में, मैं पला-बढ़ा, जिस गाँव के बच्चे मुझे अपना रोल मॉडल समझते थे, उसी गाँव में मुझे एक बड़े अपराधी के रूप में हथकड़ियाँ लगाकर घुमाया गया, सोचो मेरे मन पर उस समय क्या बीती होगी ?

132

न्यायालय में पेशी के दौरान लगाई जाने वाली हथकड़ियो से छुटकारा

इन मुकदमों में 14 दिन की न्यायिक हिरासत की अवधि पूरी होने पर मुझे अन्य बन्दियों की तरह जिला जेल से लाकर सम्बन्धित न्यायालयो में पेश किया जाता था। जिला जेल से बन्दियों को जिन वाहनों में लाया जाता था, वह अधिकांश बन्द होते थे और उनमें कुछ भाग पर बारीक जाली लगी होती थी, उनमें हमें भेड़-बकरियों की तरह भरकर लाया जाता था फिर उन वाहनों से उतारकर जिला कचहरी स्थित हवालात में बन्द कर दिया जाता था। हवालात में सैकड़ो की संख्या में बन्दियों को भर दिया जाता था, इस हवालात में गन्दगी बहुत रहती थी फिर हमे हवालात से हथकड़ियाँ लगाकर सम्बन्धित न्यायालयो में भेजा जाता था।

हवालात से न्यायालय ले जाते समय रास्ते में व न्यायालय में जब कोई परिचित मुझे मिलता था व मेरे हाथों में हथकड़ी लगी होती थी, तो मुझे बहुत बुरा लगता था और हाथों में हथकड़ी लगी होने के कारण मैं अपराधी सा दिखाई देता था। मैंने अपने वकील श्री सतीश लाटियान से कहा कि हम कौन सा बदमाश है, हमारे तो हथकड़ी नहीं लगनी चाहिए, यह तो सुप्रीम कोर्ट का नियम भी है कि विचाराधीन बन्दी को हथकड़ी न लगाई जाए। उन्होंने मा0 न्यायालय में इस सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया, मा0 न्यायालय ने जेल अधीक्षक से आख्या मंगाई, जेल अधीक्षक ने अपनी आख्या मा0 न्यायालय में भिजवाई उसमें कथन किया गया कि बन्दी को जिला कारागार से कभी भी हथकड़ी लगाकर मा0 न्यायालय नहीं भेजा गया है। इसके बाद मा0 न्यायालय अपर मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक मजिस्ट्रेट कोर्ट संख्या -2 मुजफ्फरनगर ने दिनांक 24-01-2015, में आदेश किया कि अभियुक्त को बिना हथकड़ी लगाये मा0 न्यायालय में उपस्थित किया जाना सुनिश्चित करें। तब जाकर न्यायालय में पेश होने के समय लगाए जाने वाली इन हथकड़ियो से छुटकारा मिला, उसके बाद पुलिसकर्मी मेरा हाथ पकड़ कर न्यायालय में ले जाते और वह वहाँ से लेकर आते थे।

मेरे द्वारा जेल में लिखा-पढ़ी की शुरुआत तथा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनाये प्राप्त करने के प्रयास एवं अधिकारियों द्वारा उसमें उत्पन्न किए गए व्यवधान

काफी समय बाद जब मुझे भण्डारा ड्यूटी से मुक्ति मिली तो मैंने विचार किया कि मैं निर्दोष हूँ और यह अधिकारी दोषी हैं फिर भी इन्होंने अपने पद की शक्तियों का दुरुपयोग करके मुझे, मेरे परिवार, मेरे रिश्तेदारों उन लेखपालो जिन्होंने माफियाओं के विरुद्ध कार्य करने में मेरा सहयोग किया तथा सैकड़ो किसानों को जेल भेज दिया। मीडिया में महाभूमिघोटाले का होव्वा खड़ा करके हजारों किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसले लूट ली, षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचना करके सैकड़ो फर्जी आख्याएँ तैयार की, अनेक फर्जी मुकदमे दर्ज करा दिए, उनके लिए फर्जी सबूत बना दिए तथा फर्जी विवेचनाये करा दी हैं और यह अधिकारी गुरमीत सिंह वाले उस प्रकरण को दबाने में कामयाब रहे हैं जो मुख्य मुद्दा है।

काफी सोच विचार के बाद जब कुछ समझ में नहीं आया तो मैंने भगवान शिव को याद किया, माँ पार्वती को याद किया, अपनी दिवंगत माँ को याद किया और अपने दिवंगत पिताजी को याद किया तो मुझे मेरी माँ व मेरे पिताजी की अक्सर हमें सुनाई जाने वाली उन दो कहावतें की याद आ गई, मेरी माँ अक्सर कहा करती थी कि "अगर मकोड़ा भी मिट्टी निकालने लग जाता है तो वह चट्टा (अर्थात ढेर) लगा देता है " अर्थात कितना भी कठिन कार्य हो धीरे-धीरे करते रहो एक दिन सफलता अवश्य मिलेगी और मेरे पिताजी कहा करते थे " हारिये ना हिम्मत बिसारिए ना राम " अर्थात कितना भी बुरा वक्त आन पड़े मनुष्य को कभी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और ईश्वर को हमेशा स्मरण करते रहना चाहिए तो सफलता अवश्य मिलेगी। मैंने यह प्रण किया कि मैं सच्चाई को सामने लाने का प्रयत्न करूँगा, परिणाम ईश्वर आधीन।

इस प्रकरण के सम्बन्ध में मैंने सूचनाओं को प्राप्त करने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचनाओ को प्राप्त करने का निश्चय किया। मेरे बड़े भाई श्री परमात्मा शरण जो अब दिवंगत हो चुके हैं, ने इस कार्य में मेरी भरपूर मदद की ,क्योंकि जेल में मुलाकात करने अधिकांश वही मेरे पास आते थे। इस विपत्ति काल में मेरे लिए वह देवदूत बनकर खड़े हो गए थे। हालांकि वह अनेक वर्षों से अपने परिवार सहित हमसे अलग कस्बा खतौली में रहते थे लेकिन जब मेरा बुरा वक्त आया तो उन्होंने कहा कि अपने घर, अपनी दुकान, अपने परिवार का कोई काम तब तक नही करूँगा जब तक अपने भाई को जेल से नही निकाल लूँगा और उन्होंने ऐसा करके भी दिखाया। अदालतों

में पैरवी करना, जेल में मुझसे मुलाकात करना, अब यही उनका कार्य रह गया था। मेरे जेल में जाने और जेल से बाहर आने तक मेरे भाई स्व0 परमात्माशरण ने अपने घर-बार परिवार, दुकान, सब कुछ छोडे रखा।

मैंने सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत दिनांक 25-02-2015 से सूचनाओं को माँगने की शुरुआत की। मैंने जन सूचना अधिकारी राजस्व विभाग जनपद मुजफ्फरनगर से आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिनांक 25-02-2015 में गुरमीत सिंह द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर जिलाधिकारी महोदय के आदेश संख्या 1505 /एस0टी0- राजस्व, दिनांक 13-10-2014 के द्वारा गठित जाँच समिति के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र, जाँच के लिए निर्धारित किए गए बिन्दु, जाँच की प्रक्रिया, व जाँच समिति द्वारा जिलाधिकारी महोदय को प्रस्तुत जाँच आख्या की प्रतिलिपि की माँग की। मेरे द्वारा चाही गई सूचनाओं को देने के बजाय श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 278/ ज0सू0सहा0, दिनांक 21-03-2015 के द्वारा जेल अधीक्षक जिला कारागार को मेरा आवेदन मूल रूप से वापस करते हुए उत्तर प्रदेश जेल मैनुअल के विभिन्न प्रावधानों का उल्लेख करते हुए 06 बिन्दुओं पर अधीक्षक जिला कारागार से अपना स्पष्टीकरण एक सप्ताह में देने का निर्देश उन्हें दिया। _ **133**

इसका परिणाम यह हुआ कि जेल अधीक्षक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया और कहा कि तुमने यहाँ जेल में यह क्या लिखा-पढ़ी का काम शुरू कर दिया है, ए0डी0एम0 साहब ने मेरा ही स्पष्टीकरण तलब कर लिया है। जेल में रहकर इस प्रकार नियमों के विपरीत तुम पत्राचार नहीं कर सकते हो। मैंने कहा सर आप जेल का डाक रजिस्टर (डाक रजिस्टर वह होता है जिसमें पत्रों का आदान-प्रदान होता है) मंगा लीजिए उन्होंने पूछा क्यों ? मैंने कहा सर मेरा उत्तर जेल के डाक रजिस्टर में छुपा है उन्होंने जेल का डाक रजिस्टर मंगा लिया। तब मैंने उनसे कहा सर यह देखिए कि जिला प्रशासन द्वारा अब तक कितनी बार पत्र, नोटिस, निलम्बन पत्र, कारण बताओं नोटिस, सेवा से बर्खास्तगी जैसे अनेक पत्र व आदेश जिला प्रशासन द्वारा जेल प्रशासन के माध्यम से मुझे प्राप्त कराए गए हैं, यह सभी पत्र व नोटिस इस डाक रजिस्टर में भी अंकित हैं। इनमें कई पत्र व आदेश ऐसे थे जिनमें उन्होंने मुझे कुछ दिन का समय प्रदान करके उसका उत्तर देने का निर्देश दिया था यदि जेल नियमों के अधीन मैं जेल में रहकर लिखा-पढ़ी नहीं कर सकता तब जिला प्रशासन के उन्हीं अधिकारियों जिन्होंने आपसे स्पष्टीकरण तलब किया है के पत्रों, उनके द्वारा दिए गए समयबद्ध नोटिसों का जवाब मैं किस प्रकार दूँगा यदि आप जेल में रहते हुए मुझे लिखा-पढ़ी करने से रोकना चाहते हैं तो आज के बाद जिले के प्रशासनिक अधिकारियों का कोई भी पत्र या आदेश मुझे प्राप्त मत कराना। उन्होंने कहा यह तो सम्भव नहीं है फिर उन्होंने कहा कि तुम आगे से कोई आर0टी0आई0 लगाओ तो उसे जेलर साहब से फॉरवर्ड करके भिजवाया करो। उसके बाद अगले कुछ दिनों तक मैंने जेलर साहब से फॉरवर्ड कराकर आर0टी0आई0

भिजवाई। उसके बाद मैंने जो आर0टी0आई0 जेल में रहकर भिजवाई, वह उस दिनांक में भिजवाई, जिस दिनांक में मेरी मुलाकात करने के लिए मेरे घर से कोई आता था। मैं आर0टी0आई0 में स्थान व दिनांक के नीचे स्पष्ट रूप से लिखता था कि यह आवेदन पत्र मैं (उस व्यक्ति का नाम) जो मेरी मुलाकात करने आता था, के माध्यम से करा रहा हूँ।

शुरुआत के कई महीनो में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत मेरे आवेदन पत्रों पर कुछ विभागों से मुझे कुछ सूचनाये प्राप्त होना शुरू भी हुई किन्तु अधिकांश विभाग सूचना देने के बजाय अनावश्यक तथ्य अंकित करके सूचनाओं को प्रदान करने में आनाकानी करते रहे। इसके लिए मैं लगातार अनवरत प्रयास करता रहा, जेल के अन्दर रहकर भी, और जेल के बाहर आकर भी, सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत इस प्रकरण में इतना सब प्रयास करने के बावजूद भी अनेक बिन्दु ऐसे रहे हैं जिनमें अधिकारियों ने मुझे सूचनाये नही दी, भले ही राज्य सूचना आयोग द्वारा उन पर जुर्माना भी लगाया गया।

अधिकारियों द्वारा इस सम्पूर्ण प्रकरण में की गई कार्यवाहियों को माफिया गुरमीत सिंह के कहने पर किया गया उसका लिखित प्रमाण

मेरे द्वारा लगातार आर0टी0आई0 एक्ट के तहत सूचनाओं को प्राप्त करते रहने का परिणाम यह हुआ कि इस सम्पूर्ण प्रकरण का वह लिखित दस्तावेज मुझे उपलब्ध हो गया जो इन अधिकारियों एवं माफियाओं के गठजोड़ की पुष्टि करता है और यह दस्तावेज है अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/ अध्यक्ष जाँच समिति मुजफ्फरनगर द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भेजे गए पत्र संख्या-2040 /एस0टी0-राजस्व, दिनांक 31-07-2015 में भेजी गई जाँच आख्या, यह जाँच आख्या उस समिति द्वारा तैयार की गई थी जिसका गठन माफिया गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 1505/ एस0टी0-राजस्व, दिनांक 13-10-2014 के द्वारा किया गया था।

इस जाँच आख्या के विषय के रूप में प्रथम पंक्ति में ही लिखा है "श्री गुरमीत सिंह ग्रेवाल निवासी रामराज द्वारा प्राप्त कराए गए शिकायती प्रार्थना पत्र के क्रम में गठित जाँच समिति द्वारा की गई जाँच उपरान्त जाँच आख्या का प्रेषण" 29 पृष्ठों की इस जाँच आख्या में गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र के आधार पर जो कार्यवाहियाँ की गई हैं, उनका विस्तृत विवरण उल्लिखित किया गया है। इसमें मेरे, प्रताप सिंह लेखपाल, मेरे भाई, मेरे भतीजे, व सैकड़ो किसानों के विरुद्ध जो मुकदमे विभिन्न थानों रामराज, जानसठ, ककरौली व भोपा में दर्ज कराए गए हैं उनका विस्तृत विवरण अंकित है। मुझे सेवा से पदच्युत किए जाने का उल्लेख है। प्रताप सिंह लेखपाल को जिला कारागार में निरूद्ध कराए जाने का उल्लेख है। गन्ने की फसले कटवाए जाने का उल्लेख है। गैंगस्टर एक्ट के अन्तर्गत मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले की सम्पत्तियों को कुर्क किए जाने का उल्लेख है। _ **134** _ अर्थात यह रिपोर्ट इस बात का पुख्ता प्रमाण है कि महाभूमिघोटाला दर्शाकर इस सम्पूर्ण प्रकरण में जो भी कार्यवाहियाँ जनपद के इन वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा की गई थी, वह सब गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर की गई थी, जबकि गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र में मेरे विरुद्ध 50 लाख रुपए की रंगदारी माँगने का आरोप लगाया गया था, उसका क्या हुआ? इस जाँच आख्या में उसका कोई उल्लेख नहीं किया गया।

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा द्वारा मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों को गैंगस्टर एक्ट में कुर्क करके अधिकारियों एवं माफियाओं से लूटवाया जाना

क्या आप यह कल्पना कर सकते हैं कि उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारी जो संविधान व भारतीय कानून के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य हैं वह कितने बड़े-बड़े अवैधानिक और आपराधिक कार्य कर सकते हैं और उनका कुछ बिगड़ता भी नहीं है, ऐसा ना आपने सुना होगा और ना देखा होगा तो अब आप देखिए।

जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा ने दिनांक 17-03-2015 में थानाध्यक्ष रामराज से एक रिपोर्ट प्राप्त की। थानाध्यक्ष रामराज ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि अभियुक्त जय भगवान पुत्र चन्द्रभान के विरुद्ध थाना रामराज पर मु0अ0सं0- 07 सन 2015 अन्तर्गत धारा 2/3 उ0प्र0 गिरोहबन्द एवं समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियुक्त है एवं इसका लम्बा आपराधिक इतिहास है। तथा इन अधिकारियों द्वारा दिनांक 05-11-2014 से दिनांक 19-02-2015 तक दर्ज कराए गए 18 मुकदमो की एक सूची बनाकर लिखा कि यह एक शातिर किस्म का अपराधी है। यह अपने साथियों के साथ काफी समय से लगातार अपराध जगत में सक्रिय है। इसके द्वारा एक सुसंगठित गिरोह बनाकर वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा आदि करके अवैध रूप से धन उपार्जित किया है। अभियुक्त एक सरकारी कर्मचारी लेखपाल रहा है। पैतृक सम्पत्ति एवं वेतनादि के अतिरिक्त इनकी आय का कोई अन्य स्रोत नहीं था। सरकारी कर्मचारी रहते हुए इनके द्वारा कारित किए जा रहे अपराधों से अवैध धन अर्जित करके करोड़ों रुपए की सम्पत्ति को क्रय किया गया है। और कुछ सम्पत्तियों को क्रय करके विक्रय भी कर दिया है। न्याय हित में इनकी सम्पत्तियों को कुर्क किया जाना आवश्यक है

इस रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी ने दिनांक 20-03-2015 में एक आदेश पारित किया, जिसमें एक चार्ट बनाकर उसके क्रमांक 1 से लगाकर क्रमांक 18 तक की सम्पत्तियों को मेरी व मेरे परिवार जनों की पैतृक सम्पत्ति बताया उसके बाद मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मीदेवी, मेरे भतीजे गौरव कुमार वह मेरे साले श्री सतीश कुमार के नाम दर्ज सम्पत्तियों के चार्ट बनाए गए और फिर पैतृक दर्शाई गई सम्पत्तियों को छोड़कर मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले के नाम पर दर्ज सम्पत्तियों को वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जा आदि करके अवैध रूप से धन उपार्जित करके मेरे द्वारा उनके नाम पर क्रय किया जाना दर्शाकर इन सभी सम्पत्तियों को कुर्क कर लिया गया। कुर्क की गई इन चल व अचल

सम्पत्तियों का प्रशासक तहसीलदार जानसठ को नियुक्त किया गया। प्रशासक को उपरोक्त सम्पत्ति के सर्वोत्तम हित में उसका प्रबन्ध करने की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई, साथ ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को निर्देशित किया गया कि वह कुर्क की गई सम्पत्ति के उचित व प्रभावी प्रबन्धन के लिए समुचित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करेंगे। _ **139A**

जैसा कि मेरे विरुद्ध दर्ज कराए गए वन विभाग के मुकदमो जिनका वर्णन में पूर्व में अंकित कर चुका हूँ, को पढ़कर आप अनुमान लगा चुके होंगे कि मैंने वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके कितना धन अर्जित किया था।

अब जरा दिनांक 06-11-2014 कि उस घटना को याद करो, जब इन दोनों अपर जिलाधिकारियों श्री रामकिशन शर्मा व डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी एवं अन्य अधिकारियों ने माफिया जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह से ग्राम शाहपुर मे मुलाकात की थी एवं उनसे यह तय किया था कि जय भगवान के इस घेर/ फार्म हाउस में रखा सभी सामान कृषि उपकरण आदि हम तुम्हें सौंप देंगे तुम हमारा हिस्सा हमें पहुँचा देना। जिलाधिकारी द्वारा पारित इस कुर्की आदेश में उस वायदे को किस प्रकार पूरा किया गया यह देखिए।

अब आप यह देखिए कि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर का यह आदेश किस प्रकार धोखाधड़ी, जालसाजी, व कूटरचना करके एक लम्बें षड्यंत्र के तहत लूट कराने के उद्देश्य से जारी किया गया। दिनांक 06-11-2014 में ग्राम शाहपुर में स्थित मेरा, मेरी पत्नी का यह घेर/ फार्म हाउस था। जब दोनों अपर जिलाधिकारीगण जिले व तहसील के अधिकांश उच्च अधिकारी, पुलिस अधिकारी व सैकड़ो की संख्या में पुलिस उस घेर/ फार्म हाउस में गए थे एवं इस घेर/ इस फार्म हाउस में घटना कारित दिखाकर मेरे विरुद्ध बन्धुआ मजदूरी व आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमे दर्ज कराए गए थे। अपर जिला अधिकारी श्री रामकिशन शर्मा ने मेरे ट्रैक्टर ड्राइवर जसवीर उर्फ कल्लू से मेरे ट्रैक्टर व कार आदि पर हाथ रखवा-रखवा कर यह बुलवाया था कि बोलो यह जय भगवान पटवारी का ट्रैक्टर है, कार है। यह विडियो आप पुन: देख सकते है। _ **48** _ बन्धुआ मजदूरी वाले मुकदमे के विवेचक ने विवेचना के दौरान घटनास्थल का जो नक्शा नजरी बनाया उसने इसे गोदाम/ घेर अभियुक्त जय भगवान बताया एवं इसमें चार कमरे, गोदाम व बरामदा बना दिखाया। _ **135** _ आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमे के विवेचक ने दिनांक 12-11-2014 में इस स्थान को घटनास्थल दिखाकर जो नक्शा नजरी बनाया उसमें इसे घेर/ फार्म हाउस अभियुक्त जय भगवान बताया। _ **136**

139A **48** **135** **136**

इन्हीं जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1884 /एस0टी0 - राजस्व दिनांक 22-11-2014 के द्वारा मेरी सम्पत्तियाँ की जाँच/ मूल्यांकन हेतु श्री एम0आर0 गुप्ता सहायक आयुक्त स्टाम्प मुजफ्फरनगर, श्री एस0के0 गर्ग सहायक अभियंता प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग मुजफ्फरनगर, श्री विवेक शर्मा सहायक अभियन्ता विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर, एवं श्री आसिफ हुसैन अवर अभियन्ता विकास प्राधिकरण मुजफ्फरनगर की टीम बनाकर जाँच कराई _ **137** _ व इस टीम द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को मेरी सम्पत्तियों की जाँच करके अपनी रिपोर्ट सौंपी गई। _ **138** _ जाँच/ मूल्यांकन हेतु गठित इस टीम द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को सौंपी गई अपनी रिपोर्ट में इस घेर/ फार्म हाउस स्थित ग्राम शाहपुर जो मेरी पत्नी के नाम हैं, की सम्पत्ति का मूल्यांकन करते समय क्रमांक 3 पर अंकित सम्पत्ति के कॉलम 1 में इस सम्पत्ति का बैनामा विलेख संख्या 8970 दिनांक 22-12-2009 दिखाते हुए कालम 2 में क्रेता एवं विक्रेतागण के नाम लिखे हैं तथा कालम 3 में एक घेर उत्तर सामना जिसमें 2 कमरे, 1 लैट्रिन, 1 बड़ा हाल सीमेंट चादर का, 02 बरामदा टीन शेड, 1 कमरा 1 लैट्रिन सिल्ली की छत, 2 कमरे आर0सी0सी0 लेंटर की छत के, 8 पेड़ 30 वर्ष पुराने लिखे, इस रिपोर्ट के कॉलम 4 में प्रत्येक का अलग-अलग मूल्यांकन करते हुए इसकी कुल कीमत 20,72,042 रुपए दिखाई।

इसी प्रकार इस जाँच/ मूल्यांकन टीम द्वारा ग्राम समाना में स्थित मेरी पत्नी के नाम अंकित दुकानों को अपनी इस जाँच रिपोर्ट के क्रमांक 4 पर उल्लिखित करते हुए कालम 1 में विलेख संख्या 5898 दिनांक 22-6-2012 कॉलम 2 में विक्रेता एवं क्रेता का नाम कालम 3 में दो दुकान एक मंजिली मय छत एवं कालम 4 में मूल्यांकन 3,92,040 रुपए दर्शाया गया।

इस घेर/ फार्म हाउस का बैनामा हमने विलेख संख्या 8970 के द्वारा दिनांक 22-12-2009 में लिया था। इस घेर/ फार्म हाउस में जो निर्माण बना हुआ था, उस सभी का उल्लेख करते हुए इस बैनामे में हमने उन सभी पर स्टाम्प भी अदा किया था तथा इस घेर/ फार्म हाउस में जो पेड़ खड़े थे, उनका उल्लेख भी इस बैनामे में करते हुए हमने उन पर भी स्टाम्प अदा किया था। _ **139**

क्या इस देश में कोई यह विश्वास करेगा कि एक आई0ए0एस0 अधिकारी लूट कराने के लिए पूर्व नियोजित षडयंत्र के तहत अपने अधीनस्थ अधिकारियों के साथ मिलकर एक ऐसा आर्डर जारी करेगा, जिसमें लूट भी हो जाए और लूट करने के दाग से भी बचा जा सके अर्थात जिम्मेदारी से बच निकले, यही किया गया है। मेरी पत्नी के नाम घेर/ फार्म हाउस को जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने अपने कुर्की आदेश दिनांक 20-03-2015 में मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी के नाम कुर्क की गई संपत्तियों के चार्ट में क्रमांक 8 पर मात्र 691.72 वर्ग मीटर लिखकर कुर्क किया है _ **139A**

137 **138** **139** **139A**

जबकि विलेख संख्या वही अर्थात 8970, बैनामा वही, बैनामा दिनांक वही अर्थात 22-12-2009 अंकित किया है। इस सम्पत्ति की जाँच/ मूल्यांकन जिलाधिकारी द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1884/ एस0टी0- राजस्व, दिनांक 22-11-2014 के द्वारा गठित समिति से कराकर जाँच रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी, जिसमें इस सम्पत्ति में मौके पर क्या-क्या निर्माण किया गया था उस सब का विवरण अंकित है। इसके अलावा जिलाधिकारी के द्वारा ही जिला पूर्ति अधिकारी व श्रम प्रवर्तन अधिकारी को भेज कर इस घेर/ फार्म हाउस में मेरे विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराए गए थे। मेरी पत्नी व मेरे इस घेर/ कृषि फार्म जिसमें अनेक प्रकार के कृषि यंत्र, खाद्यान्न एवं घरेलू सामान रखा था, एकाएक कुछ मीटर जगह में कैसे परिवर्तित हो गया। जिलाधिकारी महोदय द्वारा यह निर्णय बहुत सोच विचार कर लिया गया था जिससे यह सब सामान लूटा जा सके और उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों और माफियाओ के साथ मिलकर इस सामान को किस प्रकार लुटवाया उसका विवरण मैं आगे अंकित करूँगा।

इसी प्रकार ग्राम समाना में स्थित दुकाने जिन्हे मेरी पत्नी की कुर्क की गई सम्पत्तियो के चार्ट में क्रमांक 7 पर अंकित किया गया है जिसका विलेख संख्या वही 5898 है, तथा बैनामा दिनांक भी वही अर्थात 22-6-2012 लिखी गई है। इस सम्पत्ति की जाँच उनके द्वारा टीम बनाकर कराई गई और उसकी रिपोर्ट प्राप्त कर ली गई थी। जिसमें इस सम्पत्ति को दो दुकाने स्थित ग्राम समाना में मय छत दर्शाई गई थी। अब जिलाधिकारी महोदय के कुर्की आदेश दिनांक 20-3-2015 में यह दुकाने न रहकर मात्र 32.67 वर्ग मीटर जगह रह गई। इन दुकानों में मेरे भतीजे गौरव कुमार द्वारा जन सेवा केन्द्र, फोटो स्टेट, लेमिनेशन, व कम्प्यूटर आदि का कार्य किया जा रहा था और इन दुकानों में रखें सामान पर भी अधिकारियों की नजर थी। जिस कारण इस सम्पत्ति को लूटने के उद्देश्य से इन दुकानों को 32.67 वर्ग मीटर जगह दर्शाकर कुर्क किया गया।

इन कुर्क की गई सम्पत्तियों को अधिकारियों ने माफियाओ के साथ मिलकर किस प्रकार लूट लिया, यह देखिए जिलाधिकारी द्वारा गैंगस्टर एक्ट में मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, मेरे साले की सम्पत्ति को दिनांक 20-03-2015 में कुर्क करके तहसीलदार जानसठ (उस समय तहसीलदार जानसठ के पद पर वही श्री राकेश कुमार विराजमान थे) को प्रशासक बनाया गया।

अब शासकीय नियमों एवं कानूनो के मुताबिक होना यह चाहिए था कि इस कुर्कशुदा चल व अचल सम्पत्तियों के प्रशासक तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार इन सम्पत्तियों जैसे मेरा/ मेरी पत्नी का घेर/ कृषि फार्म जो ग्राम शाहपुर में स्थित था वहाँ जाकर उसमें रखा सभी सामान जैसे बिजली चालित उपकरण, कपड़े, बर्तन, खेतों में पैदा हुआ खाद्यान्न जैसे गेहूँ, धान, सरसों जो उस समय घेर/ फार्म हाउस में रखा था एवं समस्त कृषि उपकरणों जिनमें ट्रैक्टर एवं ट्रैक्टर से चलने वाले कृषि यंत्र जिनमें गन्ना बोने का लेजर,धान व गेहूँ बरसाने वाला बड़ा पंखा व सुहागा, मेंड़

निकालने वाला यंत्र डॉलर, मिट्टी एकसार करने का मांजा, हैरो, पम्पिंग सेट, ट्रॉली, ट्रोला, टीलर, ट्रैक्टर की पुली, बोरिंग की फुटबॉल, बिजली की मोटर, मारुति कार, गैस सिलेंडर एवं गैस का चूल्हा, वहाँ रखी ईंटे, बाँट-तराजू, कपड़े, बर्तन, स्प्रे मशीन, तसले, फावडे, खुरपे, जैक रोड, पुराना लोहा आदि इन सभी सम्पत्तियों की उन्हें एक सूची तैयार करनी चाहिए थी और मौके पर आसपास के कुछ लोगों की उपस्थिति एवं मेरे परिवार जनों की उपस्थिति में उनके हस्ताक्षर कराकर एवं अपने हस्ताक्षर करके इसकी एक प्रति मेरे परिवार जनों को दी जाती और यह सारा सामान उनके द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाता। यह सभी सामान मेरी पत्नी/ मेरे घेर/ कृषि फार्म हाउस में रखा था, यह उस समय के समाचार पत्रों एवं वीडियो में भी सुरक्षित है।

इसी प्रकार ग्राम समाना मे स्थित दो दुकानों उन दुकानों में उस समय मेरा भतीजा गौरव कुमार जन सेवा केन्द्र चलाता था उन दुकानों का सभी सामान जैसे छत के पंखे, जनरेटर, इनवर्टर, बैटरा फोटो स्टेट मशीन, कम्प्यूटर, सीपीयू, प्रिन्टर, लेमिनेशन मशीन, आदि की एक सूची तैयार की जाती वह मौके पर आसपास उपस्थित लोगों एवं मेरे परिवार जनों के हस्ताक्षर कराकर एवं अपने हस्ताक्षर करके उसकी एक प्रति मेरे परिजनों को दी जाती एवं इस समस्त सामान को उनके द्वारा अपनी अभिरक्षा में सुरक्षित रखा जाता।

किन्तु ऐसा न करके, जनपद के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, अपर जिलाधिकारी डॉक्टर इन्द्रमणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र एवं आपराधिक माफियाओ की मिली भगत के कारण तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार द्वारा ग्राम शाहपुर में मेरे, मेरी पत्नी के घेर/ कृषि फार्म व ग्राम समाना स्थित दुकानों को महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर को उनमें रखे समस्त सामान सहित मौके पर जाकर सौंप दिया। जिस समय उनके द्वारा यह कार्य किया गया उस समय ग्राम शाहपुर स्थित घेर/ कृषि फार्म में मेरे भाई श्री परमात्मा शरण व मेरे भतीजे गौरव कुमार के ससुर श्री सुरेन्द्र कुमार वहाँ उपस्थित थे उन्होंने तहसीलदार श्री राकेश कुमार से इन सभी सामानों की नियमानुसार एक सूची बनाने एवं उसकी एक प्रति उन्हें देने की माँग की तो तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार ने उन्हें गालियाँ देते हुए थाना रामराज की पुलिस से उन्हें पकड़वाकर दिनांक 28-03-2015 में धारा 151 में चालान करा दिया एवं उप जिलाधिकारी जानसठ ने उनके द्वारा जमानती प्रस्तुत किए जाने के बावजूद उन्हें जमानत नहीं दी, वह जानबूझकर इधर-उधर चले गए और उन्हें जेल भिजवा दिया। इसका प्रमाण मेरी पत्नी द्वारा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत माँगी गई सूचना का जवाब देते हुए थाना रामराज पुलिस के द्वारा दिनांक 08-11-2016 में दी गई जानकारी है, इसमें ग्राम शाहपुर में बने कृषि फार्म की कुर्की की कार्यवाही श्री राकेश कुमार तहसीलदार जानसठ द्वारा किए जाने एवं उस कुर्की की कार्यवाही के दौरान मेरे भाई श्री परमात्मा शरण व मेरे भतीजे के ससुर श्री सुरेन्द्र कुमार को आमादा फिसाद दिखाकर

एवं शांति व्यवस्था कायम रखने का हवाला देकर उन्हें गिरफ्तार कर जेल भिजवाया जाना उल्लिखित है। _ **140**

अब "सैय्या भये कोतवाल तो डर काहे का" जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने मेरे/ मेरी पत्नी के घेर/ फार्म हाउस व दुकानों का सारा सामान लूट लिया तथा अधिकारियों को उनका हिस्सा पहुँचा दिया, अधिकारी भी खुश माफिया भी मस्त। यही नहीं बल्कि अधिकारियों के इशारे पर जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने ग्राम शाहपुर स्थित घेर/ कृषि फार्म में स्थित कई कमरे बरामदे आदि तोड़कर उनके सामान ईंट, लोहा, लकड़ी के किवाड़ आदि जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह वहाँ से लूटकर ले गए तथा वहाँ खड़े सभी पेड़ कटवा कर उन्हें बेच दिया और अधिकारियों ने इन दोनों माफियाओं से कहा कि अब यह घेर/ कृषि फार्म तुम्हारा है तुम इस पर अपना कब्जा बनाए रखो अब तुम इसके मालिक हो।

यह जानकारी होने पर कि वहाँ रखा सारा सामान लूट कर उसे बेचा जा रहा है मेरी पत्नी ने एक प्रार्थना पत्र दिनांक 22-06-2015 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को दिया और उसकी प्रतिलिपि कई उच्च्य अधिकारी एवं पुलिस अधिकारियों को भी की। इसके पश्चात मेरी पत्नी ने मा0 मुख्यमंत्री महोदय को अधिकारियों और माफियाओं द्वारा इस समस्त सामान को लूटने, पेड़ काटने, मकान तुड़वाने के सम्बन्ध में एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24-07-2015 में दिया तथा इसके साथ दिनांक 22-06-2015 में दिए गए प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की। तब अधिकारियों ने शासन को झूठी रिपोर्ट बनाकर प्रेषित की। शासन सन्दर्भ, दिनांक 05-08-2015 के सम्बन्ध में अपर जिलाधिकारी प्रशासन ने अपने कार्यालय के पत्रांक 862/ एस0टी0 प्रशासन, दिनांक 11-01-2016 में जिलाधिकारी के माध्यम से शासन को एक जाँच आख्या प्रेषित की, इसमें लिखा कि लक्ष्मी देवी, जय भगवान (पदच्युत) लेखपाल की पत्नी है, न्यायालय में जाकर चाराजोई करें, इस तरह के सरसरी प्रार्थना पत्रों पर कोई कार्यवाही किया जाना अपेक्षित नहीं है। _ **141**

इस कुर्की आदेश में प्रशासक नियुक्त किए जाने के उपरान्त नियमों एवं कानून के अन्तर्गत प्रशासक/ तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार को कुर्क की गई कृषि भूमि जो मेरी पत्नी के नाम ग्राम शाहपुर में स्थित थी, मेरे भतीजे के नाम ग्राम शाहपुर व ग्राम जलालपुर नीला में स्थित थी तथा मेरे साले के नाम ग्राम शाहपुर व ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में स्थित थी, को मौके पर जाकर उन खेतों में स्थित बिजली चालित नलकूपो व उन पर बने कमरों, बरामदों, उन में रखी बिजली की मोटरो, वह खेतों में खड़ी फसलों की एक सूची तैयार की जाती व मौके पर आसपास के लोगों की उपस्थिति व मेरे परिजनों की उपस्थिति में उस सूची पर सबके हस्ताक्षर कराकर एवं अपने हस्ताक्षर करके उसकी एक प्रति मेरे परिवारजनों को दी जाती तथा मौके पर मिली चल व अचल सम्पत्तियों को अपनी अभिरक्षा में लेकर सुरक्षित रखा जाता तथा खेतों में बोई गई फसलों को भी अपनी अभिरक्षा में लेकर उनका समय पर नीलाम करके उन फसलों से प्राप्त धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराया जाता।

140

141

मेरे साले के नाम ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में स्थित 3.192 हेक्टेयर भूमि जो थी उसे तो नवम्बर 2014 में ही जिले के अधिकारियों ने अवैध रूप से अपने कब्जे में लेकर उस भूमि को वन विभाग की दिखाकर मेरे, मेरे भाई, मेरे भतीजे, प्रताप सिंह लेखपाल आदि पर वन विभाग की भूमि पर कब्जे का आरोप लगाकर कई मुकदमे दर्ज करा दिए गए थे तथा सभी को जेल भिजवाकर उस कृषि भूमि में खड़े गन्ने की फसल को माफियाओं से साथ कटवाकर लूट लिया गया था तथा उस कृषि भूमि को वन विभाग के कब्जे में दे दिया गया था।

अवशेष बची कुर्क कृषि भूमि जो ग्राम शाहपुर व ग्राम जलालपुर नीला में स्थित थी व मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले के नाम थी वह इन पर तीन ट्यूबवेल लगी थी एवं उनमें बिजली के मोटर लगे थे एवं इन ट्यूबवेलों की सुरक्षा हेतु कमरे व बरामदे बने हुए थे इन सभी पर तहसीलदार जानसठ ने जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह का कब्जा करा दिया और उन्हें कहा कि अब यह सम्पत्ति तुम्हारी है वह बोओ, खाओ और जो फसले खड़ी है उन्हें काटो, बेचो परन्तु ध्यान रखना कि अधिकारियों का हिस्सा समय से पहुँचता रहे ।

जिस समय यह कृषि भूमि कुर्क की गई उस समय मेरी पत्नी 3.150 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर, मेरा भतीजा गौरव कुमार 2.760 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर तथा मेरा साला सतीश कुमार 0.430 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर धान साठी की फसल लगा चुके थे, जो माह जून में पककर तैयार हो चुकी थी। जिस कारण मेरी पत्नी, मेरे भतीजे, व मेरे साले ने दिनांक 22-06-2015 में अलग-अलग तीन प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी महोदय को द्वारा डाक प्रेषित किये कि हमारी इस फसल धान साठी की सार्वजनिक नीलामी कराकर इससे प्राप्त धनराशि को सरकारी खजाने में जमा कराया जावे एवं फसल की नीलामी की सूचना हमें भी दी जाए जिससे हम इस नीलामी प्रक्रिया में भाग ले सकें तथा इन प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपियां उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की। _ **142** _ इन प्रार्थना पत्रों के परिप्रेक्ष्य में तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 388/ र0का0- 2015 दिनांक 30-07-2015 के द्वारा जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र भेजकर इस फसल की अनुमानित कीमत का मूल्यांकन करने को कहा। _ **143** _ जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 361 /एस0टी0 -15-16 दिनांक 27-07-2015 के द्वारा इस फसल का मूल्यांकन करके, मूल्यांकन रिपोर्ट तहसीलदार जानसठ को भेज दी गई थी। _ **144**

142 **143** **144**

जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से राय मशवरा करके तहसीलदार जानसठ ने माफियाओं जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह से इस फसल को कटवाकर आपस में बन्दरबाँट कर लिया तथा कागजी लिखा-पढ़ी में अपने आप को पाक-साफ दिखाने के उद्देश्य से अपने कार्यालय के पत्र संख्या 449/र0का0- 2015 दिनांक 29-07-2015 के द्वारा मेरी पत्नी श्रीमती लक्ष्मी देवी व अपने कार्यालय के पत्र संख्या 450 /र0कां0- 2015 दिनांक 29-07-2015 के द्वारा मेरे भतीजे गौरव कुमार को एवं अपने कार्यालय के पत्र संख्या 451/ र0 का0- 2015 दिनांक 29-07-2015 के द्वारा मेरे साले सतीश कुमार को पत्र लिखा कि आप क्रमशः रु 600000 व रु 525000 एवं ₹200000 की इस फसल को स्वयं ही काटकर धनराशि राजकोष में जमा कर दें। _ **145**

तहसीलदार श्री राकेश कुमार द्वारा भेजे गए पत्र दिनांक 29-07-2015 के जवाब में प्रार्थी की पत्नी ने दिनांक 04-08-2015 में, भतीजे गौरव कुमार ने भी दिनांक 04-08-2015 में एवं साले सतीश कुमार ने दिनांक 05-08-2015 में तहसीलदार जानसठ को अलग-अलग तीन प्रार्थना पत्र लिखे व इनमें उल्लेख किया कि किस प्रकार तहसीलदार/ प्रशासक ने माफियाओं के सहयोग से मिलकर उस फसल जिसे नीलाम करके धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना चाहिए था, आपस में बन्दरबाँट कर लिया है और इन प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी को भेज कर इस धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराने एवं दोषियों के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने की माँग की। _ **146**

अब जरा गौर कीजिए कि जब तहसीलदार ने जिला कृषि अधिकारी से मौके पर खड़ी इन फसलों का मूल्यांकन यह कहकर कराया था कि इन फसलों का मूल्यांकन करके बताओ जिससे इन फसलों को नीलाम करके धनराशि राजकोष में जमा कराई जा सके और जब जिला कृषि अधिकारी ने इन फसलों की स्थलीय स्थिति का मूल्यांकन करके अपनी रिपोर्ट तहसीलदार जानसठ को भिजवा दी थी तब फिर इन फसलों का नीलाम करके यह धनराशि राजकोष में जमा क्यों नहीं कराई गई ?

अधिकारियों एवं माफियाओं के गठबन्धन द्वारा धान साठी की इस फसल को आपस में मिल बाटकर हड़प लिया गया। उसके बाद तहसीलदार जानसठ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 490/ र0का0-15 दिनांक 11-08-2015 में लक्ष्मी देवी को व पत्र संख्या 491/ र0का0 - 15 दिनांक 11-08-2015 में ही सतीश कुमार को तथा पत्र संख्या 492/र0 का0- 15 दिनांक 11-08-2015 में ही गौरव कुमार को पत्र लिखा कि पहली बात तो यह है कि आपने कुर्की के बाद यह फसल बोई थी, फिर लिखा यह फसल 60 दिन बाद पककर तैयार हो जाती है और अब दो माह बाद इस फसल को नीलाम करके धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाना सम्भव नहीं है। _ **147**

145 146 147

अब यह ठहरे तहसीलदार और जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों का इनके सिर पर हाथ, जो यह लिख दें वही कानून। इसके बाद इस फसल के सम्बन्ध में मेरी पत्नी, मेरे भतीजे एवं मेरे साले द्वारा तहसीलदार जानसठ को सम्बोधित प्रार्थना पत्र दिनांक 18-08-2015 में उन्हें पृथक-पृथक डाक द्वारा प्रेषित किए गए तथा इस फसल को अधिकारियों एवं माफियाओं द्वारा कटवाकर खुर्द-बुर्द किए जाने के सम्पूर्ण तथ्य इन प्रार्थना पत्रों में लिखे गए थे। इन प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपियाँ जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को भी प्रेषित की गई। _ **148** _ अब यह देखिए कि किस प्रकार जिले के सारे अधिकारी माफियाओं के साथ एकजुट होकर लूट मचा रहे थे और इन्हें शासन का भी कोई खौफ नहीं था, शासन को भी झूठी सूचनाये भेजी जा रही थी। शासन को झूठी सूचनाये लिखित रूप से भेजने का प्रमाण देखिए, मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी, मेरे भतीजे गौरव कुमार व मेरे साले सतीश कुमार ने धान की इस फसल को कटवाकर धनराशि राजकोष में जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को भी भेजे थे, जिसकी जाँच उपजिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र ने लक्ष्मी देवी के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में शासन सन्दर्भ 158 दिनांक 08-07-2015 का उत्तर अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1947/ एस0टी0दिनांक 18-08-2015 के द्वारा, गौरव कुमार के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में शासन सन्दर्भ 160 दिनांक 08-07-2015 का उत्तर अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1948/ एस0टी0 दिनांक 18-08-2015 के द्वारा तथा सतीश कुमार के प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में शासन सन्दर्भ 157 दिनांक 08-07-2015 का उत्तर अपने कार्यालय के पत्र संख्या 1946/ एस0टी0 दिनांक 18-8-2015 के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के माध्यम से शासन/ अध्यक्ष राजस्व परिषद लखनऊ को भिजवाया। _ **149** _ इसमें श्री उमेश मिश्र उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा लिखा गया कि इस फसल के मूल्यांकन के लिए जिला कृषि अधिकारी मुजफ्फरनगर को दिनांक 03-07-2015 में पत्र लिखा गया था परन्तु आख्या प्राप्त न होने के कारण उन्हें पुनः दिनांक 23-07-2015 को अनुस्मारक लिखा गया किन्तु आख्या प्राप्त नहीं होने के कारण नीलामी नहीं हुई।

जबकि सच्चाई इसके विपरीत थी जिला कृषि अधिकारी ने दिनांक 27-07-2015 में ही अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट तहसीलदार जानसठ को भेज दी थी जबकि उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा दिनांक 18-08-2015 में यह रिपोर्ट बनाकर जिलाधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष राजस्व परिषद/ शासन को भिजवाई। लेकिन यह ठहरे अधिकारी यह कुछ भी लिख सकते हैं इन्हीं का लिखा हुआ माना जाएगा, सही लिखा, या गलत लिखा इस देश में यह देखने वाला तो कोई नहीं है।

मेरी पत्नी ने दिनांक 27-08-2015 में अधिकारियों और माफिया द्वारा इस कुर्कशुदा सम्पत्ति को लूटने, मकानो को तुड़वाने, पेड़ों को काटने, धान साठी की फसल को लूटने, प्रार्थीया के जेठ एवं

148 149

जेठ के समधि को गिरफ्तार करके जेल भिजवाने, पूर्व में इस सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री एवं अन्य अधिकारियों को दिए गए प्रार्थना पत्रों का उल्लेख करते हुए एवं यह उल्लेख करते हुए कि प्रार्थीया के प्रार्थना पत्रों की जाँच उन्ही अधिकारियों को सौंप दी जाती है, जो यह कार्य कर रहे हैं, इस प्रार्थना पत्र की जाँच जनपद से बाहर की किसी स्वतंत्र जाँच एजेंसी से कराए जाने की माँग करते हुए श्रीमान आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को एक प्रार्थना पत्र दिया और इसमें पूर्व में दिए गए प्रार्थना पत्र एवं अन्य सभी सबूत संलग्न किए गए। _ **150**

किन्तु इस सिस्टम में सुनवाई कहा, जाँच कहाँ, आयुक्त महोदय ने जिलाधिकारी, जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, उप जिलाधिकारी ने तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार को इस प्रार्थना पत्र की जहाँ सौंप दी। अब जो मुकदमे के अभियुक्त हैं वही मुकदमे के जज, आप अनुमान लगा सकते हैं फैसला क्या होगा ?

तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार ने जाँच आख्या में मेरे विरुद्ध की गई कार्यवाहियों, जिनमें मेरे विरुद्ध इन अधिकारियों द्वारा दर्ज कराए गए यह आपराधिक मुकदमे, विभागीय कार्यवाही में मेरे विरुद्ध जारी आरोप पत्र में मेरे विरुद्ध लगाये गए आरोपो आदि का उल्लेख करते हुए लिखा कि यह प्रार्थना पत्र मनगन्ढ़त तथा प्रकरण को नया रंग देने की दृष्टि से प्रस्तुत किया गया है तथा उन्होंने यह भी लिखा कि " जिला प्रशासन द्वारा की गई कार्यवाहियों की जनपद स्तर पर प्रबुद्ध नागरिकों, पत्रकारों, प्रिन्ट मीडिया द्वारा अभियान की अनवरत प्रशंसा की गई है तथा शासन में भी वरिष्ठतम स्तर तक जिला प्रशासन की सराहना की गई है"। _ **151**

तहसीलदार साहब यही तो आप अधिकारियों की कलाकारी एवं बाजीगिरी थी कि आप सब ने मिलकर अरबो रुपए की किसानो कि गन्ने की फसले लूट ली, उनकी जमीने छीन ली, मुझ सहित अनेक व्यक्तियों और सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवाये, बाद में फर्जी सबूत तैयार किए, फर्जी विवेचनाये कराई, षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी, जालसाजी, कूट रचना करके अनेक रिपोर्टें तैयार की, मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों और फसलों को लूट लिया और आप गुरमीत सिंह वाले मुख्य मुद्दे को दबाने में कामयाब रहे, जो मैंने प्रेसवार्ता में उठाया था। आप नायक, महानायक बन बैठे, दूसरी और मैं जिसने हजारों बीघा भूमि आप अधिकारियों और इन माफियाओं के चंगुल से छुड़ाकर अपनी जान को हथेली पर रखते हुए गाँव सभा/ राज्य सरकार में निहित कराया। आप अधिकारियों और इन माफियाओं के गठजोड़ का खुलासा करने का दुस्साहस किया और इस प्रक्रिया में अपना एवं अपने परिवार का जीवन तबाह कर दिया। आपने मुझे भ्रष्टाचारी, गैंगस्टर, हिस्ट्रीशीटर, टॉप 10 भू-माफिया, अनेक मुकदमों का अभियुक्त, लाखों बीघा भूमि का बन्दरबाँटकर्ता और वह खरबों रुपए की अवैध सम्पत्ति का स्वामी तथा इस महाभूमिघोटाले का खलनायक बना दिया।

150

151

इस देश के लोग, प्रबुद्ध नागरिक, पत्रकार, प्रिन्ट मीडिया, शासन, सरकार इस देश के आई0ए0एस0 और प्रान्तीय संवर्ग के अधिकारियों और उनके द्वारा कही गई बातों का विश्वास करते हैं उनसे यह अपेक्षा तो कोई नहीं कर सकता कि वह उपरोक्त उल्लिखित अपराध करेंगे और उन्हें छिपाने के लिए झूठ का पहाड़ खड़ा करेंगे। आप अधिकारियों ने इस प्रकरण में इसी विश्वास का भरपूर दुरुपयोग किया और सच्चाई छिपाकर और झूठ दिखाकर सबकी वाही-वाही बटोरी। आप अधिकारियों ने इन सबसे विश्वासघात किया है। स्वतंत्र भारत के इतिहास में आपके द्वारा किए गए यह कार्य एक कलंक के रूप में हमेशा याद किए जाएँगे।

वही इस प्रार्थना पत्र का हश्र हुआ, तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार ने जाँच की। उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र ने आयुक्त सन्दर्भ 357 दिनांक 07-09-2015 के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्र संख्या 2448/ एस0टी0 दिनांक 19-10-2015 के द्वारा जिलाधिकारी को रिपोर्ट भेज दी कि श्रीमती लक्ष्मी देवी, जय भगवान (पदच्युत लेखपाल) की पत्नी है तथा जय भगवान अपनी पत्नी के माध्यम से इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कराकर मानसिक दबाव बनाना चाहता है उक्त प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जाना जय भगवान (पदच्युत लेखपाल) द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर अनावश्यक रूप से सरकारी कार्यों में बाधा पहुँचाने तथा अधिकारियों पर मानसिक दबाव बनाने की कुचेष्टा किए जाने का प्रयास मात्र है। _ **152**

तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार एवं उसके बाद तहसील जानसठ में नियुक्त रहे अन्य तहसीलदारों ने जो इन सम्पत्तियों के प्रशासक थे, इन सम्पत्तियों पर जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह का कब्जा बरकरार रखवाकर उसमें फसले बुवाई गई तथा उनसे प्राप्त धनराशि का बन्दरबाँट किया गया क्योंकि अब तो इन अधिकारियों की छत्रछाया में महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह व जगदीप सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर थाना रामराज तहसील जानसठ के डॉन उसी प्रकार बन बैठे थे जिस प्रकार गुरमीत सिंह व अवतार सिंह पुत्रगण रघुनन्दन सिंह थे।

यहाँ एक बात मेरी समझ में आती है कि जब भी कोई माफिया या डॉन बनता है। तो वह अकेला नहीं बन सकता, निश्चित रूप से पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी अपने निजी हित के लिए उसकी मदद करते हैं और उससे अपने निजी हित साधते हैं और धीरे-धीरे फिर वह कोई बड़ा माफिया या डॉन बन जाता है। मुझे लगता है कि अन्य मामलों में भी जो बड़े-बड़े डॉन व माफिया हुए हैं, निश्चित रूप से वह अकेले नहीं हो सकते थे, अधिकारियों की छत्रछाया उन्हें फलने-फूलने का अवसर प्रदान करती है और बाद में वह दरख़्त का रूप ले लेते हैं।

मेरे द्वारा जेल से बाहर आने के बाद वर्ष 2016 में मोबाइल फोन पर तहसील के अधिकारियों को सूचना दी गई कि जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह निवासी शाहपुर ने कुर्कशुदा सम्पत्तियो पर जो धान की फसल अवैध रूप से उगाई है, उसे कटने से रुकवाया

152

जावे और उस फसल को कुर्क कर नीलाम किया जावे तथा इस धनराशि को राजकोष में जमा कराया जाए, तो तत्कालीन तहसीलदार ने अपने अधीनस्थों को एक रणनीति समझा बुझाकर मौके पर भेजा कि बहुत कम मामला दिखाना है इसके तहत राजस्व निरीक्षक मीरापुर दिनांक 20-09-2016 में मौके पर गए और उन्होंने मौके पर केवल 10 कुन्तल धान पकड़ा दिखाकर उसकी सुपुर्दगी भी जगदीप सिंह व उसके साथियों को ही दे दी तथा उन्होंने शेष भूमि पर खड़ी धान की फसल को काटने से रुकवा दिया। _ **153** _ इसके पश्चात नायब तहसीलदार मीरापुर व राजस्व निरीक्षक मीरापुर ने दिनांक 28-09-2016 में एक संयुक्त जाँच आख्या तहसीलदार जानसठ/ प्रशासक को प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने उल्लिखित किया कि गैंगस्टर एक्ट में जय भगवान की कुर्कशुदा सम्पत्तियों पर कृषि कार्य कर वर्तमान में धान की फसल उगाई गई है। कुर्कशुदा भूमि खसरा नम्बर 134, 135, 136 व 147 स्थित ग्राम शाहपुर वह खसरा नम्बर 278 स्थित ग्राम जलालपुर नीला पर धान की फसल खड़ी है इस फसल को कटवाकर धनराशि शासकीय हित में कोषागार में जमा कराए जाने के आदेश पारित करने का कष्ट करें। _ **154** _ नायब तहसीलदार मीरापुर व राजस्व निरीक्षक मीरापुर द्वारा यह रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद भी प्रशासक/ तहसीलदार जानसठ ने न तो फसल को नीलाम कर धनराशि राजकोष में जमा कराई और न हीं जो 10 कुन्तल धान दिनांक 20-09-2016 में पकड़ा गया था उसको उसको विक्रय करके/ नीलाम करके उससे प्राप्त धनराशि को राजकोष में जमा कराया और न ही इन अवैध कबजेदारों जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह के विरुद्ध कोई एफ0आई0आर0 दर्ज कराई, कराते भी क्यों ? अधिकारियों का हिस्सा तो पहले ही पहुँच चुका था।

मेरे द्वारा वर्ष 2018 में प्रार्थना पत्र दिए जाने पर तत्कालीन लेखपाल व राजस्व निरीक्षक द्वारा दिनांक 02-07-2018 में एक संयुक्त जाँच आख्या प्रशासक/ तहसीलदार जानसठ को प्रस्तुत की गई, जिसमें गैंगस्टर एक्ट में मेरी कुर्कशुदा कृषि भूमि पर जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह व महेन्द्र सिंह पुत्र कुन्दन सिंह निवासी शाहपुर द्वारा अपने साथियों के साथ कब्जा किए जाने के कारण उनके विरुद्ध सुसंगत धाराओं में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीकृत किए जाने हेतु आदेश पारित करने का अनुरोध किया गया था। _ **155** _ तहसीलदार जानसठ/ प्रशासक द्वारा इस जाँच आख्या पर भी कोई कार्यवाही न की गई न कराई गई। माफियाओं को आपराधिक कार्य करने की खुली छूट थी और उसका कारण यह था कि माफियाओं द्वारा इस कृषि भूमि में फसले पैदा करके अधिकारियों को उनका हिस्सा लगातार पहुँचा जा रहा था यदि अधिकारी उनके खिलाफ कार्यवाही करते तो ऊपरी आय का स्रोत बन्द हो जाता।

153

154

155

अब एक और महत्वपूर्ण प्रमाण देखिए, एक ऐसा प्रमाण जो मेरे द्वारा लगाए गए उन सभी आरोपो को प्रमाणित करता है कि मेरे, मेरी पत्नी के घेर/ कृषि फार्म स्थित ग्राम शाहपुर की कुर्की के समय उसमें रखा समस्त सामान अधिकारियों और माफियाओ ने मिलकर लूट लिया था और उसका बन्दरबाँट कर लिया था तथा इस घेर/ कृषि फार्म पर जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह का अनाधिकृत रूप से कब्जा करा दिया था। मैं और मेरी पत्नी इसकी लगातार शिकायत कर रहे थे, इन शिकायतों के परिणाम स्वरूप दिनांक 11-01-2018 में पुलिस थाना रामराज व राजस्व विभाग की टीम तहसील जानसठ द्वारा इस घेर/ कृषि फार्म का जगदीप सिंह से कब्जा प्राप्त किया गया। इस टीम द्वारा जो रिपोर्ट बनाई गई उसमें शिकायतकर्ता पक्ष के स्थान पर तहसीलदार जानसठ/ राज्य सरकार लिखा गया है तथा दूसरा पक्ष जगदीप सिंह पुत्र महेन्द्र सिंह लिखा गया है, तथा जिस सम्पत्ति का कब्जा लिया गया है उसे ग्राम शाहपुर स्थित एक आवासीय मकान कुर्कशुदा सम्पत्ति लिखा है इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि "ग्राम शाहपुर थाना रामराज में स्थित आवासीय मकान जो तहसीलदार जानसठ की सुपुर्दगी में था, को पुनः खाली करा कर गठित राजस्व टीम व पुलिस बल की टीम की उपस्थिति में पुनः कब्जा लेकर सील किया गया"। इसके साथ ही इस टीम में शामिल अधिकारियों/ कर्मचारियों द्वारा एक उपस्थित पत्र भी बनाया गया जिसने लिखा कि "आज दिनांक 11-01-2018 को ग्राम शाहपुर परगना भू0स0 तहसील जानसठ में श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी जय भगवान निवासी बुवाड़ा खुर्द की कुर्कशुदा आबादी/ घेर को पुलिस की उपस्थिति एवं राजस्व टीम की देखरेख में खाली करा कर कब्जा लिया गया। उक्त सम्पत्ति पूर्व से ही तहसीलदार जानसठ की सुपुर्दगी एवं देखरेख में है"। _ **156** _ अब आप विचार कीजिए मेरे/ मेरी पत्नी के घेर/ कृषि फार्म को जिलाधिकारी महोदय द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कुर्क किया गया, उसका प्रशासक तहसीलदार जानसठ को बनाया गया और उन्हें इन सम्पत्तियों के सर्वोत्तम हित में इसका प्रबन्धन करने की सभी शक्तियाँ प्रदान की गई, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को कुर्क की गई सम्पत्ति के उचित एवं प्रभावी प्रबन्धन के लिए समुचित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए। जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा, अपर जिलाधिकारी श्री रामकिशन शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र, तहसीलदार जानसठ श्री राकेश कुमार द्वारा यदि जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह से मेरे/ मेरी पत्नी के इस घेर/ फार्म हाउस में रखा समस्त सामान, कृषि यंत्र आदि को लुटवाकर, मेरे मकान तुड़वाकर, मेरे पेड़ों को कटवाकर उनसे अपना हिस्सा प्राप्त नहीं किया, तो फिर मेरा/ मेरी पत्नी का यह घेर/ कृषि फार्म सरकारी अभिरक्षा में रहते हुए जगदीप सिंह के कब्जे में किस प्रकार गया ?। मेरी पत्नी द्वारा लगातार इस सम्बन्ध में शासन व उच्च अधिकारियों को प्रार्थना पत्र दिए जाने के बावजूद उन पर फर्जी जाँच आख्याएँ लिखकर शासन व उच्च अधिकारियों को क्यों भेजी गई ? जिलाधिकारी महोदय श्री कौशल राज शर्मा द्वारा जानबूझकर इस सम्पत्ति को 691.72 वर्ग मीटर दर्शाकर कुर्क किया था ताकि

उसमें रखा सभी सामान वह अपने अधीनस्थ अधिकारियों और माफियाओं से मिलकर लूटवा सकें, यदि मेरा कथन असत्य है तो अब दिनांक 11-01-2018 में यह 691.72 वर्ग मीटर पुनः किस प्रकार एक कुर्कशुदा आवासीय मकान/ घेर में परिवर्तित हो गया ? मेरी इस सम्पत्ति को कुर्क किया जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने, प्रशासक बनाया गया तहसीलदार जानसठ को, सुपुर्दगी में थी तहसीलदार जानसठ के, फिर माफियाओं के कब्जे में किसने दी ? उसमें रखा सामान कहाँ गया ? जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के कुर्की आदेश दिनांक 20-3-2015 आदेश के अन्तर्गत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को इन सम्पत्तियों के उचित प्रबन्धन के लिए समुचित पुलिस बल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए थे। वह आदेश कहाँ गए ? वह पुलिस कहाँ गई ? इन अधिकारियों और माफियाओं द्वारा इस प्रकार गठजोड़ बनाकर आपराधिक कृत्य किए जाने के बावजूद न तो इनके खिलाफ कोई जाँच न इनके खिलाफ कोई कार्यवाही, यह भी इसी देश की सच्चाई है, और वह भी तब जब इस सबके लिखित सबूत हैं, जिन्हें उठाये-उठाये मैं पूरे देश में घूम रहा हूँ , इसका वर्णन भी मैं आगे करूँगा।

इसके पश्चात मैंने दिनांक 28-06-2018 में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रस्तुत किया जिसमें गैंगस्टर एक्ट में कुर्क सम्पत्तियो को श्री राकेश कुमार व अन्य तहसीलदारों द्वारा भूमाफियाओं के साथ मिलकर लूटने व खुर्द-बुर्द कराए जाने के सम्बन्ध में 11 बिन्दुओं पर जाँच कराने एवं दोषी अधिकारियों एवं माफियाओं के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज कराने, तथा लूटा हुआ सामान बरामद कराने, तथा फसलों की धनराशि को राजकीय कोष में जमा कराने हेतु उप जिलाधिकारी स्तर के अधिकारी को नियुक्त करके जाँच कराये जाने की माँग की गई। **_ 157 _** इस प्रार्थना पत्र पर कलेक्ट्रेट मुजफ्फरनगर के पत्रांक 424 / शिकायत/ लिपिक/ जनवाणी सन्दर्भ दिनांक 29-06-2018 के द्वारा श्री अजय कुमार अम्बष्ट अतिरिक्त उप जिलाधिकारी मुख्यालय को इस प्रार्थना पत्र की जाँच हेतु जाँच अधिकारी नियुक्त किया गया। दिनांक 04-08-2018 एवं दिनांक 07-08-2018 को मैंने उनके कार्यालय में जाकर इस शिकायती प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में अपने बयान अंकित कराए एवं बयानों में कही गई बातों के लिखित प्रमाण एवं वीडियोग्राफी की सी0डी0 आदि के सबूत उन्हें उपलब्ध कराये।

श्री अजय कुमार अम्बष्ट अतिरिक्त उप जिलाधिकारी मुख्यालय द्वारा अतिरिक्त स्थाई न्यायालय मुजफ्फरनगर पत्र संख्या 129/ रीडर, दिनांक 13-07-2018 के द्वारा एवं पुनः कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर पत्रांक 157 / रीडर, रीडर दिनांक 30-07-2018 के द्वारा एवं तीसरी बार कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 169/ रीडर, दिनांक 10-08-2018 के द्वारा तहसीलदार जानसठ से उन चल/ अचल सम्पत्तियों की सूची चाही गई जिन्हें तहसीलदार जानसठ की अभिरक्षा में दिया गया था, तथा इन पत्रों के द्वारा तहसीलदार जानसठ से यह भी जानकारी चाही कि क्या ये सम्पत्तियाँ वर्तमान में

सुरक्षित है या नहीं ? किन्तु तहसीलदार जानसठ/ प्रशासक द्वारा उन्हें कोई सूची उपलब्ध नहीं कराई गई। _ **158** जब मैंने आर0टी0आई0 के अन्तर्गत अपने प्रार्थना पत्र, जाँच पत्रावली में उपलब्ध अभिलेखो सहित इस प्रार्थना पत्र की जाँच आख्या की प्रतिलिपि चाही तो यह सूचनाये मुझे कार्यालय उप जिलाधिकारी खतौली/ जन सूचना अधिकारी तहसील खतौली के पत्र संख्या 379/ एम0जे0- 2019, दिनांक 09-08-2019 में उपलब्ध कराई गई, जिसमें श्री अजय कुमार अम्बष्ट उपजिलाधिकारी खतौली/ तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर मुजफ्फरनगर द्वारा की गई जाँच आख्या दिनांक 24-07-2019 की कॉपी भी मुझे उपलब्ध कराई गई । इस जाँच आख्या के अन्तिम पैराग्राफ में उप जिलाधिकारी महोदय द्वारा लिखा गया कि उन्होंने कई बार तहसीलदार जानसठ से कुर्क सम्पत्ति की सूची उपलब्ध कराने हेतु पत्र लिखें, परन्तु तहसीलदार द्वारा कुर्क की गई सम्पत्ति की सूची उपलब्ध नहीं कराई गई है। बार-बार पत्र प्रेषित करने के उपरान्त भी तहसील जानसठ से आख्या प्राप्त न होने के कारण यह स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि वास्तव में कौन-कौन सी सम्पत्ति तहसीलदार जानसठ के द्वारा कुर्क कर अभिरक्षण में ली गई है। ऐसी स्थिति में संलग्न शिकायती प्रार्थना पत्र की जाँच कर निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं है _ **159**

वाह रे सरकारी तंत्र, यदि सरकारी अधिकारी, माफियाओं के साथ मिलकर लूट कर लें, और जिसकी सम्पत्ति की लूट हुई वह सारे लिखित सबूत, वीडियोग्राफी की सी0 डी0 आदि जाँच अधिकारी को उपलब्ध करा दे, किन्तु कोई भी बहाना बनाकर उनकी जाँच किया जाना भी सम्भव नहीं है, कार्यवाही करना तो दूर की बात है। यहाँ अधिकारियों और माफियाओं की रक्षा के लिए दूसरी तरह का कानून बना है, दूसरी ओर माफिया गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर, जिसमें वह आरोप रंगदारी माँगने का लगाता है, इतनी सारी कार्यवाहियाँ ? वह भी बिना किसी सबूत बिना किसी जाँच के ? अधिकारियों की जाँच का नम्बर आए और वह दोषी हो तो जाँच कर निष्कर्ष दिया जाना सम्भव नहीं। क्या हम आजाद हैं ? क्या हमारे देश में संविधान और कानून का राज है ? क्या है मेरे इन प्रश्नों का उत्तर? कौन देगा मेरे इन प्रश्नों का उत्तर ?

158 159

मा0 न्यायालय द्वारा गैंगस्टर एक्ट में कुर्क मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले की सम्पत्तियों को अवमुक्त किया जाना

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा द्वारा वन विभाग की भूमियों पर कब्जा करके उस अपराध से अर्जित सम्पत्ति बताकर मेरी पत्नी लक्ष्मी देवी, मेरे भतीजे गौरव कुमार, व मेरे साले सतीश कुमार की सम्पत्तियों को दिनांक 20-03-2015 में गैंगस्टर एक्ट में कुर्क कर लिया गया था। _ **139A** _ इस आदेश के विरुद्ध मैने व मेरी पत्नी, मेरे भतीजे व मेरे साले द्वारा न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर में आपत्तिया निर्धारित अवधि के अन्दर प्रस्तुत की गई, किन्तु जिलाधिकारी द्वारा इन आपत्तियों पर संज्ञान लेकर इस केस का कोई निस्तारण नहीं किया गया, जिस कारण मेरी पत्नी ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में अन्तर्गत धारा 482 संख्या 24691 सन 2016 में एक याचिका दायर की। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा अपने आदेश दिनांक 19-08-2016 के द्वारा तीन माह के अन्दर इस प्रकरण का निस्तारण करने के आदेश जिलाधिकारी महोदय मुजफ्फरनगर को दिए। जिस पर तत्कालीन जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने अपने आदेश दिनांक 18-11-2016 में हमारी आपत्तियों को बलहीन बताकर निरस्त कर दिया तथा यह प्रकरण मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर को सन्दर्भित कर दिया। _ **160** _ मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर ने भी दिनांक 27-09-2017 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के आदेश दिनांक 20-03-2015 एवं 18-11-2016 को यथावत रखा। _ **161**

इसके पश्चात मैं व मेरी पत्नी, मेरा भतीजा तथा मेरा साला इलाहाबाद गए वहाँ जाकर जानकारी मिली कि इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में क्रिमिनल अपील के अन्तर्गत मुकदमा दायर होगा। क्रिमिनल के अच्छे एडवोकेट्स की जानकारी करता-करता मैं श्री राजीव लोचन शुक्ला एडवोकेट के पास पहुँचा और उनसे मिलकर अपने सारे कागजात एवं आदेश उन्हें दिखाएँ। जिन्हें देखने के बाद उन्होंने कहा कि इस प्रकरण में मा0 उच्च न्यायालय में तीन अलग-अलग अपीले दायर होंगी। फीस की जानकारी करने पर उन्होंने कहा कि जय भगवान तुम्हें झूठा फँसाया गया है, मुझे तुमसे सहानुभूति है इन तीनों अपीलों में तुम जो भी फीस मुझे देना चाहो वह दे देना। इन मुकदमो के सम्बन्ध

139A **160** **161**

में मैंने श्री राजीव लोचन शुक्ला जी को मुट्ठी बन्द करके जो फीस मुझसे बन पड़ी वह फीस उन्हें दे दी। मैंने अपने जीवन मैने उन जैसा मेहनती, स्मरणशील, अपने पेशे के प्रति जुनून और समर्पण रखने वाला, कानून की अथाह जानकारी रखने वाला एवं अपने मुवक्किलों के प्रति करुणा एवं सहानुभूति पूर्वक व्यवहार करने वाला एडवोकेट नहीं देखा। उनके द्वारा लगातार 5 दिनों तक, देर रात तक मुझे, मेरे भतीजे, व मेरे साले को अपने पास बैठाकर उन्होंने यह तीनों अपीले तैयार कराई। इसके बाद उन्होंने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में यह तीनों क्रिमिनल अपीले दायर की। जिसमें मेरी व मेरी पत्नी की क्रिमिनल अपील संख्या 6061 सन 2017, मेरे भतीजे गौरव कुमार की क्रिमिनल अपील संख्या 6804 सन 2017, एवं मेरे साले की क्रिमिनल अपील संख्या 6805 सन 2017 थी। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में श्री राजीव लोचन शुक्ला जी ने पहले दिन ही इतनी अच्छी बहस की कि मा0 उच्च न्यायालय ने इन तीनों अपीलों को सुनवाई के लिए As fresh के रूप में सुनवाई के लिए रख लिया। ईश्वर सत्य का साथ देता है उसका परिणाम यह हुआ कि ईश्वर ने मुझे एक देवदूत समान एडवोकेट श्री राजीव लोचन शुक्ला जी के पास भेज कर मेरा रास्ता आसान कर दिया। मात्र 3 महीनो के अन्दर ही मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने दिनांक 23-01-2018 में इन तीनों अपीलों को एकजाई करते हुए इन अपीलों में अपना 31 पृष्ठीय विस्तृत आदेश पारित किया इस आदेश में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने विस्तार पूर्वक उन बिन्दुओं को इंगित किया जिनके अनुसार इन सभी सम्पत्तियों का गैंगस्टर एक्ट के मुकदमों से कोई सम्बन्ध नहीं था। मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इन अपीलों को स्वीकार करते हुए एवं अवर न्यायालय के आदेश दिनांक 27-09-2017 को निरस्त करते हुए यह केस अवर न्यायालय को इस आदेश के साथ रिमांड बैक कर दिया कि वह मा0 उच्च न्यायालय द्वारा किए गए ऑब्जरवेशन के प्रकाश में पुनः आदेश पारित करें। _ **162**

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेश के क्रम में मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट कोर्ट संख्या 5 मुजफ्फरनगर द्वारा इस मुकदमे में दिनांक 12-12-2018 में अपना फैसला सुनाया। मा0 न्यायालय द्वारा लिखा गया कि "एस0एच0ओ0 रामराज (वादी) की रिपोर्ट पर जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभियुक्त जय भगवान के विरुद्ध गैंग चार्ट में वर्णित मुकदमों के बहुत पूर्व उनके निकट सम्बन्धी उनकी पत्नी लक्ष्मी देवी, भतीजा गौरव कुमार एवं साला सतीश कुमार की स्व अर्जित सम्पत्ति जिसे क्रय करने का वैध स्रोत उनके द्वारा स्पष्ट किया गया है, अवैध रूप से कुर्क की गई है। अतः जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा परित कुर्की आदेश दिनांक 20-03-2015 एवं आदेश दिनांक 18-11-2016 निरस्त किए जाने योग्य है"।

मा0न्यायालय द्वारा आदेश किया कि " जिला मजिस्ट्रेट मुजफ्फरनगर द्वारा प्रकीर्ण वाद में पारित आदेश दिनांक 20-03-2015 एवं आपत्ति निस्तारण आदेश दिनांक 18-11-2016

अपास्त किया जाता है। आपत्तिकर्तागण श्रीमती लक्ष्मी देवी, सतीश कुमार व गौरव कुमार की कुर्कशुदा सम्पत्तियों को उनके पक्ष में और अवमुक्त किया जाता है" तथा जिला मजिस्ट्रेट को इस आदेश के अनुपालन करने का निर्देश दिया। **_ 163**

किन्तु जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा मा0 न्यायालय के इस आदेश का पालन नहीं किया गया। हम काफी समय तक इन सम्पत्तियों पर अपना कब्जा लेने हेतु प्रयासरत रहे, अनेक बार जिलाधिकारी महोदय से मिले, अनेक बार तत्कालीन प्रशासकों/ तहसीलदार जानसठ से मिले। तहसीलदार के पास जाते तो वह कहते कि मुझे तो कलेक्टर ने प्रशासक बनाया था जब तक वह आर्डर पास नहीं करेंगे मैं कब्जा क्यों दूँ जब जिलाधिकारी महोदय के पास जाते तो वह कहते हैं कि हमने न्यायालय का आर्डर प्रशासक को भिजवा दिया है उनसे जाकर मिलो। थक-हारकर मैंने व मेरी पत्नी ने दिनांक 13-10-2021 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के विरुद्ध मा0 न्यायालय पंचम अपर सत्र न्यायाधीश / विशेष न्यायाधीश गैंगस्टर एक्ट मुजफ्फरनगर में न्यायालय की अवमानना का मुकदमा दायर कर दिया। **_ 164 _** इसके पश्चात जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने अपने न्यायालय के आदेश दिनांक 20-10-2021के द्वारा इन सम्पत्तियों को निर्मुक्त करते हुए तहसीलदार जानसठ को अनुपालन करने का निर्देश दिया। **_ 165 _** अर्थात मा0 न्यायालय के आदेश के बाद भी जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा इन सम्पत्तियों को लगभग 3 साल तक अवैध रूप से कुर्क रखा गया। परन्तु हम क्या कर सकते हैं यह अधिकारी हैं जो चाहे करें। इनके लिए माननीय न्यायालयो के आदेश भी कोई मायने नहीं रखते।

इसके बाद दिनांक 18-12-2021 में मेरे भतीजे गौरव कुमार की कृषि भूमि स्थित ग्राम शाहपुर व जलालपुर नीला, मेरे साले सतीश कुमार की कृषि भूमि स्थित ग्राम शाहपुर, मेरी पत्नी की कृषि भूमि स्थित ग्राम शाहपुर का कब्जा मुझे दे दिया गया, किन्तु इन कृषि भूमियों में स्थित नलकूपो में लगे बिजली के मोटर मुझे नहीं दिए गए व इन नलकूपों के लिए बनाए गए कमरे एवं बरामदे भी क्षतिग्रस्त अवस्था में मुझे दिए गये। इसके अलावा ग्राम शाहपुर स्थित घेर/ कृषि फार्म का कब्जा मुझे दिया गया किन्तु वह खाली था, उसमें रखा कोई भी सामान मुझे नहीं दिया गया। इसके अलावा इस घेर/ फार्म हाउस के कई कमरे, बरामदे व सारे पेड़ पूरी तरह से गायब थे। ग्राम समाना स्थित दुकानों का कब्जा भी मुझे दिया गया किन्तु उसमें रखा गया कोई भी सामान वहाँ नहीं था और न हीं मुझे दिया गया। ग्राम मुजाहिदपुर गैर एहतमाली में स्थित मेरे साले की 3.192 हेक्टेयर भूमि पर वन विभाग द्वारा तत्समय ही पेड़ लगा लिए

163 **164** **165**

गए थे। तहसील के अधिकारियों कर्मचारियों ने बार-बार वहाँ जाकर हमे कब्जा दिलाने का प्रयास किया किन्तु वन विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों ने कब्जा देने से मना कर दिया वन विभाग कहता है कि यह वह जमीन है जिसे वर्ष 2014 में जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों की टीम जिनके साथ राजस्व विभाग की टीम, पुलिस विभाग की टीम, चकबंदी विभाग की टीम, वन विभाग की टीम के द्वारा इस भूमि को वन विभाग की बताकर हमें अर्थात वन विभाग को दिया गया था और वन विभाग द्वारा इस भूमि पर जय भगवान व अन्य लोगों के विरुद्ध थाना रामराज पर कई मुकदमे दर्ज कराए गए थे, जिस कारण जय भगवान को जेल भी भेजा गया था तथा उसे प्रशासन द्वारा लेखपाल पद की सेवा से बर्खास्त किया गया था। अब हमने इस भूमि पर पेड़ लगा लिए हैं यह भूमि हम वापस क्यों करे, अब तहसील वाले कहते हैं कि यह जमीन हमने उन्हें नहीं दी, इसी रस्साकसी के चलते आज तक वह भूमि हमें वापस नहीं मिली है। आज भी मौके पर उस भूमि पर पेड़ खड़े हैं। अब आप बताइए यह कौन सा कानून है, जब जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा अपने आदेश दिनांक 20-03-2015 के द्वारा इस भूमि को कुर्क किया गया था, और यह भूमि सरकारी अभिरक्षा में थी, तहसीलदार जानसठ इस भूमि के प्रशासक थे तो फिर वन विभाग ने इस भूमि पर पेड़ कैसे लगाये और यदि वन विभाग ने जबरदस्ती इस पर कब्जा करके पेड़ लगा लिए हैं तो जिलाधिकारी वन विभाग के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज करा कर उन्हें जेल क्यों नहीं भेजते ? अथवा फिर वही बात कि किसानों से तो आप उनकी निजी जमीनों को छीनकर, उनकी गन्ने की फसलो को लूटकर उनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराकर जेल भेज सकते हो दूसरी ओर वन विभाग के कर्मचारी/ अधिकारी अवैध रूप से उस सम्पत्ति पर कब्जा कर ले जिसे आपने कुर्क किया है, जो सरकारी अभिरक्षा में है, और जबरदस्ती भी ऐसी कि अनेक बार तहसील के कर्मचारी/ अधिकारी मौके पर जाकर वन विभाग से अवैध कब्जे को छुड़वाने का प्रयास करें फिर भी वन विभाग अवैध कब्जा न छोड़े। इस सबके बावजूद जिलाधिकारी महोदय अब आपका कानून कहाँ गया ? क्या कानून केवल एक पक्ष के लिए होता है ? वन विभाग की जमीन पर कब्जा होगा तो बिना किसी जाँच बिना किसी पैमाईश के आप उठाकर मुकदमे दर्ज करा कर जेल भेज दोगे और बाद में फर्जी सबूत बनवाओगे और जब वन विभाग अवैध रूप से कब्जा करके बैठ जाएगा और जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं अपने हाथों में सबूत लेकर घूम रहे हैं कि यह जमीन हमने वन विभाग को नहीं दी और यह जमीन वन विभाग की नहीं है यह निजी काश्तकार की जमीन है यहाँ तो सबूत भी हैं अवैध कब्जा भी है मौके पर पेड़ भी लगे हैं तब वन विभाग के कर्मचारियों/ अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही क्यों नहीं ? इसीलिए मैं कहता हूँ, कि इस देश में एक समान कानून की बात कहना अन्याय पूर्ण है। मात्र दिखावे के लिए सबके लिए समान कानून है वास्तविकता इसके बिलकुल विपरीत है। मेरा यह कथन प्रमाण सहित आपके समक्ष है। मेरे अलावा आज भी वन विभाग ने अनेक किसानों की जमीनों पर इसी प्रकार अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है, किन्तु कहीं कोई सुनवाई नहीं।

मेरे द्वारा इस सम्पूर्ण प्रकरण की सी0बी0आई0 से जाँच कराये जाने के प्रयास एवं उनका परिणाम

जेल में रहते हुए मैंने दिनांक 25-02-2015 से आर0टी0आई0के अन्तर्गत सूचनाओं को माँगना शुरू किया। हमारे खिलाफ दर्ज कराए गए मुकदमों में चार्जशीट मा0 न्यायालय में दाखिल किए जाने के समय हमारे हस्ताक्षर कराए जाते थे और सम्बन्धित मुकदमों की चार्जशीट व केस डायरी की एक कॉपी हमें दी जाती थी। मैं पूरी केस डायरी को पढ़ता था और धीरे-धीरे प्रयास करके मैंने इस प्रकरण के अधिकांश साक्ष्य इकट्ठा कर लिए। तब मेरे मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि क्यों न इस प्रकरण के सभी साक्ष्यों को इकट्ठा करके उन्हें प्रार्थना पत्रों के साथ देश के विभिन्न संस्थानो में भेजूँ ताकि इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच हो सके और इस प्रकरण की सच्चाई उजागर हो सके कि किस प्रकार उच्च प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा माफियाओ के साथ अपने सम्बन्धों को छिपाने एवं अपने अपराधों को छिपाने के उद्देश्य से मीडिया के माध्यम से भ्रामक सूचनाये फैलाकर एवं शासन तथा सरकार को असत्य सूचनाये भेज कर जो अनेक प्रकार के एक अकल्पनीय अत्याचार एवं अवैध कार्य उनके द्वारा किए गए हैं, उनका खुलासा हो सके।

इसके लिए मैंने इस प्रकरण की शुरुआत होने के मूल कारणों, अधिकारियों एवं माफियाओं के गठजोड़ का पूरा विवरण अंकित किया तथा जो लिखा उसके प्रमाण स्वरूप सभी सबूत संलग्न किए, उसके बाद हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि के वास्तविक तथ्यों के बारे में विस्तृत रूप से लिखा तथा जो लिखा उसके प्रमाण स्वरूप सभी साक्ष्य उसके साथ संलग्न किए, इसके बाद अपने व किसानों के विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमों के वास्तविक तथ्य लिखे और विस्तृत रूप से मुकदमेवार यह लिखा कि किस प्रकार यह मुकदमे झूठे लगाए गए हैं तथा मुकदमे लिखवाने के बाद में झूठे साक्ष्य बनवाए गए हैं तथा जो लिखा उसके प्रमाण स्वरूप सभी साक्ष्य उसके साथ संलग्न किए, इसके बाद मैंने अखबारों में फैलाए गए दुष्प्रचार के बारे में लिखा, इसके बाद मैंने अपनी व अपनी पत्नी की सम्पत्ति का ब्यौरा दिया एवं वह सम्पत्ति किस प्रकार प्राप्त हुई इसका विवरण अंकित किया तथा सभी सबूत साथ में लगाए, इसके बाद मैंने पूर्व में माफिया अवतार सिंह, जगदीप सिंह, महेन्द्र सिंह आदि द्वारा मेरे विरुद्ध दर्ज कराए गए मुकदमो के बारे में लिखा कि वह किस प्रकार फर्जी रूप से दर्ज कराए गए थे उनका विवरण लिखा और उनके साक्ष्य संलग्न किए, तथा इन सब की एक विषय सूची बनाकर तैयार की।

मेरे द्वारा इस प्रकरण के सम्बन्ध में लिखे गए वह लगाए गए साक्ष्यों पर मैंने पृष्ठ संख्या अंकित की, कुल पृष्ठों की यह संख्या 616 हुई। अब मैंने चार पृष्ठ का एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें इस प्रकरण की पूरी कहानी संक्षेप में

लिखी तथा इस प्रकरण की सी0बी0आई0 से जाँच करने की माँग की। अब मैंने यह चार पृष्ठ का प्रार्थना पत्र अलग-अलग 10-12 जगह लिखा और इन सभी 10-12 प्रार्थना पत्रों में प्रत्येक के साथ विषय सूची लगाते हुए अलग-अलग 616 पृष्ठ लगाएँ और दिनांक 16-04-2015 में अपने भाई के मुलाकात पर आने के समय यह सभी प्रार्थना पत्र उन्हें दे दिये और कहा कि बाहर जाकर इन सबकी रजिस्ट्री कर देना। दिनांक 16-04-2015 में मेरे द्वारा यह प्रार्थना पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय, मा0प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केन्द्रीय जाँच ब्यूरो, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविन्द केजरीवाल जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी, मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश, मा0 मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को डाक द्वारा विषय सूची के साथ सभी 616 पृष्ठ संलग्न करके पृथक-पृथक भिजवाए। _ **166**

इन प्रार्थना पत्रों को भिजवाने के बाद मुझे लगा कि शायद अब सच्चाई सामने आ जाएगी। मेरे द्वारा इस प्रकरण की सच्चाई के सारे सबूत लगाकर सभी जगह भिजवा दिए गए एवं विस्तृत रूप से सभी तथ्यों को लिख दिया गया अब मुझे कोई सन्देह नहीं रह गया था कि अब सुनवाई नहीं होगी अथवा सच्चाई का खुलासा अब नहीं होगा,

मेरे द्वारा इन प्रार्थना पत्रों को भेजे जाने के बाद इन प्रार्थना पत्रों के सम्बन्ध में मुझे सबसे पहला पत्र दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय से प्राप्त हुआ। शेष प्रार्थना पत्रों को भेजे हुए लगभग डेढ़ महीना बीत गया और कहीं से कुछ नहीं हुआ तो मैंने आर0टी0आई0 के अन्तर्गत दिनांक 30-06-2015 में श्री नरेन्द्र मोदी प्रधानमंत्री भारत सरकार को मेरे द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 पर की गई/ कराई गई कार्यवाही की सूचना चाही, तो मुझे प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या आरटीआई / 8094 /2015 - पीएमआर, दिनांक 18-08-2015 प्राप्त हुआ, जिसके द्वारा मुझे सूचित किया गया कि मेरा पत्र दिनांक 16-04-2015 प्रधानमंत्री कार्यालय में दिनांक 21-04-2015 को प्राप्त हुआ था जिसे मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को प्रधानमंत्री कार्यालय के पत्र संख्या PMOPG/D/ 2015/ 78135 दिनांक 06-05-2015 के द्वारा यथोचित कार्यवाही हेतु अग्रेषित किया गया है और मुझे बताया गया कि इस सम्बन्ध में आगे की गई कार्यवाही की सूचना सम्बन्धित प्राधिकरण से प्राप्त की जा सकती है। इसके साथ मुख्य सचिव को भेजा गया पत्र भी संलग्न था। _ **167**

मेरे द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के सम्बन्ध में मा0 उच्चतम न्यायालय से आर0टी0आई0 के अंर्गत सूचना चाही गई। मा0 उच्चतम न्यायालय के पत्र संख्या Dy.no. 697 /RTI /15 -16 /SCI dated july 15, 2015 के द्वारा मेरे पते बैरक नम्बर 16A जिला कारागार मुजफ्फरनगर के पते पर मुझे सूचित किया गया कि:-

166

167

" Your letter petition dated 16.4 2015 was received and diarised against dy no. 17003/ SCI/PIL (E)2015 on 02-05-2015 and the same was lodged being not covered under PIL guidelines as per orders of Registrar date 04-06-2015. Since your letter petition has been filed, no further action will be taken on your latter petition." _ 168

मेरे द्वारा मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में आर0टी0आई लगाकर मेरे द्वारा भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के सम्बन्ध में की अथवा कराई गई कार्यवाही की सूचना माँगने पर मा0 रजिस्ट्रार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पत्र संख्या 1663 R.T.I. / 676A/ 2015/ AHC दिनांक 29-09-2015 के द्वारा मुझे सूचना उपलब्ध कराई गई, उपलब्ध कराई गई सूचना यह थी:-

"The application dated 16.4.2015 of the applicant has been received and the same is pending" _ 169

मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के कार्यालय द्वारा स्वत: बिना आर0टी0आई0 लगाये ही मुझे मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के सम्बन्ध में अपने कार्यालय के पत्रांक सीएमओ/ पीजीएमएस/ 2015/ 644 दिनांक 07-05-2015 के द्वारा मुझे जिला कारागार मुजफ्फरनगर में सूचना भिजवा दी गई थी। इस पत्र के अनुसार मेरे प्रार्थना पत्र को माननीय मुख्यमंत्री के निजी सचिव उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ को इसी पत्र के द्वारा कार्यवाही हेतु भेजा गया था। दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा इस पत्र में मेरे प्रार्थना पत्र व उसके संलग्नको के सम्बन्ध में मेरी शिकायत को उत्तर प्रदेश के बड़े भूमिघोटाले के बारे में "स्वत:स्पष्ट" स्वीकार किया गया था। **_ 170**

महामहिम राष्ट्रपति महोदय को मैंने परिवार सहित इच्छा मृत्यु माँगने का एक प्रार्थना पत्र दिनांक 24-07-2015 में लिखा। इस प्रार्थना पत्र पर मैंने इस प्रकरण के सभी तथ्य लिखे तथा दिनांक 16-04-2015 में विभिन्न संस्थाओं और व्यक्तियों को भेजे गए प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि संलग्न की तथा इस महामहिम राष्ट्रपति को भेजे गए इस प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपि मा0 प्रधानमंत्री, मा0 गृहमंत्री भारत सरकार, महामहिम राज्यपाल व मा0मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को भी प्रेषित की।

168 169 170

महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर की/ कराई गई कार्यवाही की सूचना मैंने आर0टी0आई0 के माध्यम से प्राप्त की। मुझे राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के पत्र संख्या 1315 /आर.टी.आई. /10/15 -16, दिनांक 9 नवम्बर 2015 द्वारा मेरे पते बैरक नम्बर 16A जिला कारागार मुजफ्फरनगर में मुझे अवगत कराया गया कि मेरा प्रतिवेदन मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार को अग्रेषित कर दिया गया है, तथा मुझे निर्देशित किया गया कि आगे की कार्यवाही की जानकारी के लिए मैं उनके कार्यालय से सीधे सम्पर्क करूँ। इसके साथ ही महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय, राष्ट्रपति भवन के पत्र संख्या P2/F/0708150074 दिनांक 07-08-2015 कि वह प्रतिलिपि भी मुझे उपलब्ध कराई, जिसके द्वारा मेरा प्रार्थना पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया था। महामहिम राष्ट्रपति सचिवालय द्वारा मेरी याचिका मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को भेजते हुए इसके सम्बन्ध में लिखा:-

"Enclosed please find for appropriate attention a petition dated 24 July 2015 addressed to the president of India, which is self explanatory"।

अर्थात मेरे प्रार्थना पत्र व उसके सलंग्नों को देखकर महामहिम राष्ट्रपति के कार्यालय द्वारा भी यह स्वीकार किया गया कि यह स्वत: स्पष्ट है, अर्थात मेरे प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों एवं आरोपी को सही स्वीकार किया। _ **171**

मेरे द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में आर0टी0आई0 लगाकर अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के सम्बन्ध में सूचना चाही, तो डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा दिनांक 29-07-2015 के द्वारा जिला कारागार मुजफ्फरनगर में मुझे सूचित किया कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पत्र दिनांक 01-05-2015 Case no. 14130/ 24/ 57/ 2015 के द्वारा डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश को 8 सप्ताह का समय प्रदान करते हुए इस प्रकरण में कार्यवाही करने का निर्देश दिया गया है तथा इस मामले में की गई कार्यवाही से शिकायतकर्ता अर्थात मुझे भी अवगत कराने का निर्देश दिया गया। जब डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश द्वारा 8 सप्ताह में भी कोई कार्यवाही नहीं की गई तो मैंने दिनांक 27-10-2015 में पुनः राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को एक प्रार्थना पत्र लिखा और बिन्दुवार सभी तथ्य इस प्रार्थना पत्र में अंकित किये और इस प्रकरण की जाँच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की टीम से कराने की माँग की। मेरे द्वारा इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में आर0टी0आई0 में सूचना माँगने पर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के पत्र संख्या (एस बी-1)/ आर.टी.आई. / 5207/ 2015 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, विधि प्रभाग (संविक्षा शाखा-1) दिनांक 06-01-2016 के द्वारा मुझे अवगत कराया गया कि यह शिकायत पुनः समीक्षा के लिए आयोग के विचाराधीन है।

आवेदक को इस विषय में की गई अगली कार्यवाही की सूचना शीघ्र दी जाएगी। किन्तु राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इसके बाद मुझे कोई सूचना उपलब्ध नहीं कराई बाद में इस शिकायत का स्टेटस मैंने ऑनलाइन चेक किया तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने यह लिखकर कि

शिकायतकर्ता को ट्रायल के दौरान इन मुकदमो के सम्बन्ध में बचाव के पर्याप्त अवसर मिलेंगे, इस प्रार्थना पत्र को निस्तारित कर दिया। **क्या भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के गठन का उद्देश्य यही था कि उसकी कार्य प्रणाली इस तरह की होगी ? _ 172**

मा0 मुलायम सिंह यादव पूर्व मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार को भेजे गए मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 पर उन्होंने कुछ किया या कराया अथवा नहीं मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं मिली, यह पूर्णत स्पष्ट है कि यदि वे कोई हस्तक्षेप करते तो कुछ परिणाम अवश्य सामने आता, किन्तु कहीं से कोई परिणाम सामने नहीं आया। आर0टी0आई0 उन पर लागू नहीं होती थी, जिस कारण उनसे मैंने आर0टी0आई0 द्वारा इस प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सूचनाये नहीं माँगी।

मेरे द्वारा केंद्रीय जाँच ब्यूरो को भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के बारे में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनाये माँगने पर मुझे पंकज सिंह **Supdt. of police (HQ) -cum -CPIO CBI/ head office/ New Delhi** द्वारा दिनांक 14-08-2015 में हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ जिसमें बताया गया कि मेरा प्रार्थना पत्र dispatch no. 985- H/NB dated 20-04-2015 के द्वारा HOZ/ CBI लखनऊ को भेजा गया है। इसके बाद मैंने केन्द्रीय जाँच ब्यूरो से आर0टी0आई0 के अन्तर्गत सूचनाये प्राप्त करने हेतु दिनांक 01-09-2015 में प्रथम अपील की। इस अपील के बाद मुझे सी0बी0आई0 के चार पत्र मिले। **पहला पत्र संख्या 5108/ RTI /ACB/ CBI 2015 Hazratganj Lucknow** दिनांक 01-10-2015 का था, इसमें उन्होंने **The head of branch CBI/ ACB देहरादून को निर्देश दिया था कि यह प्रकरण आपको स्थानान्तरित किया गया था आप सूचना दें। दूसरा पत्र संख्या 5014, 7/ 2/ 2015 CBI/ DAD/ CBI Dehradun dated 09-10-2015 में The Head of branch CBI ACB** गाजियाबाद उत्तर प्रदेश को भेजा गया था, इसमें उन्होंने मेरे आर0टी0आई0 आवेदन में चाही सूचनाये उन्हें देने का निर्देश दिया था। **तीसरा पत्र श्री पंकज सिंह Supdt. of Police(HQ)-cum -CPIO. CBI Head Office New Delhi** द्वारा दिनांक 14-10-2015 में सी0बी0आई0 की लखनऊ ब्रांच को भेजा गया था जिसमें मुझे सूचना देने को कहा गया था। **चौथा पत्र संख्या DPACBGZD/2014 /4193 / 8/3/ 2014 RTI CBI** गाजियाबाद दिनांक 26-11-2015 जो मुझे सम्बोधित था प्राप्त हुआ, इस पत्र के द्वारा मुझे बताया गया कि आपकी शिकायत इस कार्यालय के पत्र संख्या 444 दिनांक 06-05-2015 के द्वारा पुलिस महानिदेशक लखनऊ को भेज दी है आप उनसे सम्पर्क करें। _ **173**

डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश को मैंने स्वयं भी दिनांक

172

173

16-04-2015 में प्रार्थना पत्र दिया था। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने भी डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश को 8 सप्ताह में इस प्रकरण की जाँच का निर्देश दिया था, सी0बी0आई0 ने भी डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश को इस प्रकरण की जाँच हेतु मेरा प्रार्थना पत्र भेज दिया था। अब देखिए डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश द्वारा जाँच कैसे कराई गई। डी0जी0पी0 कार्यालय द्वारा मुझे इस सम्बन्ध में कोई सूचना न दिए जाने के कारण जब मैंने आर0टी0आई0 में सूचना चाही तो उन्होंने मुझे सूचना उपलब्ध नहीं कराई। मेरे द्वारा आर0टी0आई0 के अन्तर्गत प्रथम अपील के पश्चात भी मुझे सूचनाये प्राप्त नहीं कराई गई। राज्य सूचना आयोग में अपील के पश्चात मुझे कार्यालय पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन मेरठ का पत्रांक एम जैड-आर.टी.आई.(DIG-SRR-21) 2016 संख्या 24318 दिनांक 26-12-2016 प्राप्त हुआ। इस पत्र से यह ज्ञात हुआ कि डी0जी0पी0 द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र की जाँच पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन मेरठ को करने का निर्देश दिया था। पुलिस महानिरीक्षक मेरठ जोन मेरठ ने पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर को इस प्रकरण की जाँच करने का निर्देश दिया। पुलिस उपमहानिरीक्षक सहारनपुर परिक्षेत्र सहारनपुर ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को इस प्रकरण की जाँच करने का निर्देश दिया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने इस प्रकरण की जाँच करने का निर्देश पुलिस अधीक्षक अपराध मुजफ्फरनगर को दिया। पुलिस अधीक्षक अपराध मुजफ्फरनगर ने इस प्रकरण की जाँच करने की जिम्मेदारी श्री देवेन्द्र कुमार निरीक्षक क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर को सौंप दी जो मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमों में विवेचक भी थे।

अब आप हमारे यहाँ जाँच व्यवस्था के सिस्टम को देखिए, वह विवेचक जिसने इन मुकदमों की फर्जी विवेचनाये की थी, इसके सभी सबूत मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 में संलग्न थे, जो स्वयं अभियुक्त, वही जज। इसके अलावा इस प्रकरण में मेरे द्वारा उच्च अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपो एवं दिए गए साक्ष्यों की जाँच करने के लिए क्या वह सक्षम अधिकारी था ? क्यों किसी सक्षम अधिकारी या जाँच एजेंसी से मेरे प्रार्थना पत्र की जाँच नहीं कराई गई ? जबकि प्रत्येक उच्च स्तर पर मेरे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व उसके संलग्नको को देखकर लिखा गया था:-

"Which is self explanatory"

हुआ भी वही, विवेचक श्री देवेन्द्र कुमार ने पुलिस अधीक्षक अपराध जनपद मुजफ्फरनगर को प्रेषित अपनी आख्या दिनांक 19-06-2015 मे उन्होंने मेरे विरुद्ध दर्ज मुकदमो को क्रमवार लिखते हुए मुकदमे मे प्रथम सूचना रिपोर्ट किसके द्वारा दर्ज कराई गई, किन धाराओं में दर्ज कराई गई, विवेचना किसके द्वारा की गई, आरोप पत्र किस-किस के विरुद्ध भेजा जा चुका है, एवं विवेचना किस-किस के विरुद्ध प्रचलित है, यह विवरण अंकित कर दिया और अन्त में लिखा, श्रीमान जी अभियुक्त द्वारा प्रार्थना पत्र में लगाये गये अन्य आरोप की जाँच क्राइम ब्रांच मुजफ्फरनगर

से नहीं की जा सकती है, जाँच आख्या सेवा में प्रेषित है। क्राइम ब्रांच के विवेचक द्वारा लिखी गई इस जाँच आख्या को मेरे प्रार्थना पत्रों में कराई गई जाँच आख्या बताकर और इसकी नकल उतार कर पुलिस अधीक्षक अपराध मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या: एसटी- पुअधीअप-डीएम - 09 / 2015 दिनांक 22-07-2015 के द्वारा श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को भेजी थी वह मुझे उपलब्ध करा दी गई। _ **174**

तो यह तो थी डी0जी0पी0 उत्तर प्रदेश के द्वारा सी0बी0आई0 राष्ट्रीय मानवाधिकार एवं उनके स्वयं के द्वारा कराई गई जाँच आख्या। इसमें मेरे प्रार्थना पत्र व उसके साथ संलग्न किए गए किसी भी एक मात्र आरोप या साक्ष्य के सम्बन्ध में कोई भी जाँच नहीं कराई गई और न हीं जाँच के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन कराया गया न शिकायतकर्ता के बयान दर्ज कराए गए, न शिकायत में उल्लिखित तथ्यों के सबूतों व साक्ष्यों का परीक्षण कराया गया। न हीं कोई स्थलीय निरीक्षण कराया गया। यह किस प्रकार की जाँच हुई ? जहाँ एक इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी ने लिख दिया कि यह जाँच क्राइम ब्रांच से नहीं कराई जा सकती, तब इसके आगे की प्रक्रिया का पालन क्यों नहीं किया गया ? यदि यह जाँच क्राइम ब्रांच द्वारा कराई जानी सम्भव नहीं थी तो जिस सक्षम अधिकारी या जाँच एजेंसी से कराई जानी सम्भव या उपयुक्त थी तो उस सक्षम अधिकारी या सक्षम जाँच एजेंसी से क्यों नहीं कराई गई? क्या मात्र इसलिए कि इस प्रार्थना पत्र में अंकित आरोप बड़े-बड़े उच्च प्रशासनिक अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए थे और सारे सबूत साथ में थे, यदि जाँच कराई जाती तो यह सब जेल के अन्दर जाते, अन्यथा जाँच न कराए जाने का कोई अन्य कारण मेरी समझ में नहीं आता।

मेरे द्वारा केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह को भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 के सम्बन्ध में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत चाही गई सूचनाओं के क्रम में मुझे दो पत्र मिले। पहला पत्र गृह मंत्रालय भारत सरकार का पत्र संख्या F.N0.24013 /3 /2015 CSR.(3) दिनांक 07-05-2015 प्राप्त हुआ, जिसमें केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने मेरे प्रार्थना पत्र व उसके संलग्नको के बारे में लिखा " **which is self explanatary**"। इस पत्र में लिखा चूंकि इस आवेदन का विषय केंद्रीय कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DOPT) से है इसलिए उन्हें निर्देशित करते हुए आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश इस पत्र के द्वारा दिया गया। दूसरा पत्र केन्द्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) का पत्र संख्या 270/ 12/ 2015- AVD(2) दिनांक 17-06-2015 था। इस पत्र के द्वारा मेरा पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश सरकार को उचित कार्रवाई हेतु भेजा गया था। _ **175**

माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कार्यालय में मेरे द्वारा दिनांक 30-06-2015 में आर0टी0आई0 लगाकर मा0 मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को भेजे गए मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 एवं मा0 मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 07-05-2015 में भेजे गए पत्र एवं

174 **175**

सलंग्नकों के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई अथवा कराई गई, के सम्बन्ध में सूचनाये चाही। कोई सूचनाये प्राप्त न होने पर मैंने दिनांक 30-08-2015 में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत प्रथम अपील मुख्यमंत्री कार्यालय को भेजी, तो मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय अनुभाग-1, संख्या - आई- 446/ सी0 एम - 1/2015 लखनऊ दिनांक 12-08-2015 के द्वारा अवगत कराया गया कि आपका प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 मुख्यमंत्री कार्यालय के अभिलेखों में दर्ज नहीं पाया गया तथा दिल्ली सरकार के कार्यालय द्वारा दिनांक 07-05-2015 में प्रेषित पत्र को दिनांक 18-05-2015 में प्रमुख सचिव गृह विभाग को सन्दर्भित करना बताया गया और मेरा आर0टी0आई0 आवेदन जन सूचना अधिकारी गृह विभाग को अन्तरित करना उल्लिखित किया।

इसके पश्चात मुझे उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग - 3 संख्या 260 आरटीआई /छ : पु - 3/2015 - 212- सू0अ0/15 दिनांक 04-09-2015 के द्वारा अवगत कराया कि आपका आर0टी0आई0 आवेदन वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को अन्तरित कर दिया गया है आप उनसे ही जानकारी प्राप्त करें।

जब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने कोई जानकारी प्रदान नहीं की तो मैंने उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग - 3 के पत्र दिनांक 04-09-2015 का उल्लेख करते हुए दिनांक 06-10-2015 में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर को पत्र लिखकर सूचनाये चाही तो इस पत्र के जवाब में मुझे पुलिस अधीक्षक नगर के पत्र संख्या : पु अ न - ज सू अ - ए - 676/ 2015 दिनांक 26-10-2015 के द्वारा निर्देश दिया गया कि आप यदि आप सूचना चाहते हैं तो अपने आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 30-06-2015 की छायाप्रति संलग्न करें।

मैंने दिनांक 02-11-2015 में पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर को मा0मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश सरकार /दिल्ली के मुख्यमंत्री को भेजे गए प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015, दिल्ली के मुख्यमंत्री कार्यालय के पत्र दिनांक 07-05-2015 सहित आर0टी0आई0 आवेदन दिनांक 30-06-2015 की प्रतिलिपि सहित 6 अन्य पत्रों की प्रतिलिपियाँ डाक द्वारा उन्हें प्रेषित की कराई। इसके पश्चात पुलिस अधीक्षक नगर मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या: पु0अ0न0 - ज0 सू0- A- 676/ 2015 के साथ संलग्न करके जाँच आख्या के नाम फिर वही श्री देवेन्द्र कुमार इंस्पेक्टर क्राइम ब्रांच द्वारा दिनांक 19-06-2015 में उपलब्ध कराई गई उस कथित जाँच आख्या की प्रतिलिपि मुझे उपलब्ध करा दी, जिसमें लिखा था की इन आरोपों की जाँच क्राइम ब्रांच द्वारा नहीं की जा सकती हाँ इस बार श्री देवेन्द्र कुमार द्वारा दिनांक बदलकर 27-11-2015 कर दी गई। _ **176**

तो इस प्रकार आप यह देख सकते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री का कार्यालय अपने वरिष्ठतम अधिकारियों के विरुद्ध लगाए गए आरोपों की जाँच किस प्रकार कराता है, एवं माननीय मुख्यमंत्री के कार्यालय में मॉनिटरिंग किस प्रकार होती है क्या वहाँ यह

देखने की कोई व्यवस्था नहीं है कि यदि कोई व्यक्ति शिकायती प्रार्थना पत्र मय सबूतो के मा0 मुख्यमंत्री जी को देता है तो प्रार्थना पत्र देने वाले को यह आशा रहती है कि तूने प्रदेश के मुख्यमंत्री (मुखिया) को प्रार्थना पत्र दिया है इसकी जाँच होकर न्याय अवश्य होगा, किन्तु माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यालय द्वारा इस प्रकरण में जिसमें शिकायत के साथ-साथ शिकायत के बिन्दुओं के सभी सबूत साथ में उपलब्ध करा दिए गए थे, की जाँच भी, जाँच के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं कराई गई क्यों ? शिकायतकर्ता के बयान क्यों दर्ज नहीं किए गए ? शिकायत में उल्लिखित तथ्यों और साक्ष्यों का परीक्षण क्यों नहीं कराया गया ? यदि मेरे द्वारा लगाये गए आरोप असत्य पाये जाते तो असत्य आरोप लगाए जाने के इस अपराध में मेरे विरुद्ध एक और मुकदमा दर्ज कराया जा सकता था। दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने की बात रही तो दूर, यहाँ तो जाँच तक नहीं कराई गई आखिर क्यों ?

भारत के महामहिम राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, केन्द्रीय गृहमंत्री श्री राजनाथ सिंह जी को भेजे गए प्रार्थना पत्र मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन को अग्रेषित किए गए थे। इस सम्बन्ध में मैंने दिनांक 29-11-2015 में आर0टी0आई0 के अन्तर्गत कार्यालय मुख्य सचिव महोदय उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ से अपने आवेदन दिनांक 16-04-2015 में की/ कराई गई कार्यवाही से सम्बन्धित जानकारी 4 बिन्दुओं पर चाही, तो मुझे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन के पत्र संख्या 4806 /मु0अ0/ सू0का0अ0अ0 /2015 लखनऊ दिनांक 03-12-2015 द्वारा मुझे जिला कारागार में अवगत कराया गया कि आपके प्रार्थना पत्र दिनांक 16-04-2015 की जाँच हेतु प्रमुख सचिव गृह विभाग उत्तर प्रदेश शासन को मूल रूप से भेज दिया गया था तथा मेरा आर0टी0आई0 आवेदन भी उन्हें अन्तरित कर दिया और मुझे निर्देश दिया कि आप उनसे सूचनाओं प्राप्त करो। मेरे द्वारा आर0टी0आई0 एक्ट के अन्तर्गत अपीलीय अधिकारी/ प्रमुख सचिव, गृह विभाग, उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ को माँगी गई सूचनाओं की प्राप्ति हेतु अपील की गई। उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस) अनुभाग 3 संख्या - 388 आर टी आई/छ:- पु -3-2015-298 सू0अ0 /15 दिनांक 07-01-2016 का पत्र जो जन सूचना अधिकारी प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग उत्तर प्रदेश शासन को सम्बोधित था और उन्हें लिखा था कि जो जानकारी चाही गई है उसे देने में आप सक्षम है और मुझे इस पत्र की प्रतिलिपि जिला कारागार में उपलब्ध कराते हुए निर्देश दिया कि भविष्य में उक्त अधिकारियों से इस सम्बन्ध में सूचना प्राप्त करें। उत्तर प्रदेश शासन राजस्व अनुभाग 9 संख्या - सू0अ0- 30/ एक - 9- 2016 - 6 (सू0 अ0)/2013 लखनऊ दिनांक 16-02-2016 का पत्र जो जन सूचना अधिकारी जिलाधिकारी कार्यालय जनपद बिजनौर को सम्बोधित था, में उत्तर प्रदेश शासन गृह (पुलिस)अनुभाग 3 के पत्र दिनांक 07-08-2016 का उल्लेख करते हुए चाही गई सूचनाओं हेतु उन्हें अन्तरित कर दिया और इसकी प्रतिलिपि मुझे देकर निर्देश दिया कि इस सम्बन्ध में अगले अग्रेत्तर पत्राचार उनसे करें।

कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा पत्रांक संख्या- 9101/ साहू0लि0जन0सू0अ0- 2015 दिनांक 23-02-2016 के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र लिखा जिसमें राजस्व अनुभाग-9 के पत्र दिनांक 16-02-2016 का उल्लेख करते हुए लिखा कि जय भगवान द्वारा जो सूचना चाही गई है, उसकी विषय वस्तु आपके जनपद से सम्बन्धित होने के कारण मूल रूप से आवश्यक कार्यवाई हेतु प्रेषित।

अब यह गेंद लुढ़कती-लुढ़कती जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों के पाले में आ गई, अब जनपद मुजफ्फरनगर के अधिकारियों द्वारा इस गेंद की फुटबॉल किस प्रकार बनाई गई, जरा वह भी देख लीजिए। कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या - 205/ ज0 सू0 सहा0, दिनांक 04-03-2016 का पत्र, जो मुझे सम्बोधित था, में जिलाधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 23-02-2016, राजस्व अनुभाग 9 के पत्र दिनांक 16-02-2016 का उल्लेख करते हुए इन्होंने लिखा कि उत्तर प्रदेश सूचना का अधिकार नियमावली 2015 जिसे 03 दिसम्बर 2015 में लागू होना बताया उसके अनुसार आपका आवेदन निर्धारित प्रारूप पर नहीं है, और उन्होंने मेरा प्रार्थना पत्र मूल रूप से वापस करते हुए मुझे प्रारूप 2 का फार्म उपलब्ध कराते हुए इस प्रारूप पर पुनः सूचना प्राप्त करने का निर्देश दिया, यह पत्र श्री सुनील कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर द्वारा लिखा गया था। मैंने उन्हें वापस पत्र लिखा कि आप इस नियमावली को ध्यानपूर्वक पढ़ो, इसमें यह भी लिखा है कि नियमावली लागू होने की दिनांक से पूर्व के आवेदनों पर कार्यवाही पूर्ववत की जाएगी और इस आर0टी0आई0 का मेरा आवेदन एवं प्रथम अपील नियमावली लागू होने की दिनांक 03-12-2015 से पूर्व से ही पंजीकृत, लम्बित एवं विचाराधीन है। इस प्रार्थना पत्र के साथ मैंने आवेदन पत्र, अपीलीय आवेदन पत्र, मुख्य सचिव को दिए गए आवेदन, गृह (पुलिस) अनुभाग-3 का पत्र, राजस्व अनुभाग- 9 का पत्र, जिलाधिकारी बिजनौर का पत्र, सभी संलग्नक लगाकर उन्हें डाक द्वारा दिनांक 13-03-2016 में भेज दिए और इसकी प्रतिलिपियाँ मा0 मुख्य सचिव, मा0 प्रमुख सचिव गृह, मा0 प्रमुख सचिव राजस्व और मा0 राज्य सूचना आयुक्त उत्तर प्रदेश को भी की। इसके पश्चात कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या- 265/ ज0सू0सहा0, दिनांक 22-3-2016 में बिन्दु संख्या 1 व 2 में चाही सूचनाओ को शासन से सम्बन्धित बताकर एवं बिन्दु संख्या 3 व 4 में चाही गई सूचनाओं को प्रश्न-उत्तर बताकर कर सूचना देने से इनकार करते हुए मेरा आवेदन निरस्त कर दिया। _ **177** _ तो इस प्रकार आपने देखा की मा0 मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश ने भारत के महामहिम राष्ट्रपति कार्यालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर की गई टिप्पणी **Which is self explanatory** तथा दिए गए निर्देश कि मेरे द्वारा प्रस्तुत याचिका पर **Appropriate Attention** अर्थात सही तरीके से ध्यान देकर कार्यवाही कराई जाए, केन्द्रीय गृह मंत्रालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर की गई टिप्पणी **Which is self explanatory** एवं दिए गए निर्देश कि इस प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई

कराई जाए, मा0 प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा मेरे प्रार्थना पत्र पर उचित कार्रवाई किये जाने के निर्देशों का अनुपालन किस प्रकार कराया गया।

यह है इस देश की वास्तविक तस्वीर जहाँ अफसरशाही इस कदर हावी है कि इस देश की अफसरशाही के सामने यह सब सर्वोच्च संस्थान बोने साबित होकर रह गए। मैंने यह प्रार्थना पत्र कितनी आशाओं के साथ देश के समस्त सर्वोच्च संस्थानो में समस्त साक्ष्य लगाकर दिए और इस प्रकरण की सी0बी0आई0 जाँच कराने की माँग की। इस देश की अफसरशाही में इतनी बड़ी एकजुटता है कि अपने अधिकारियों को बचाने के लिए यह किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं चाहे वह अधिकारी कितने बड़े लुटेरे, कितने बड़े भ्रष्टाचारी, कितने बड़े अपराधी, कितने बड़े फ्रॉड हो,बस उन्हें बचाने का एकमात्र पैमाना इस देश में उनका अधिकारी होना है। मेरे जैसे इस देश के करोड़ों पीड़ित लोग आशा भरी नजरों से देश के सर्वोच्च संस्थानों में अपने प्रार्थना पत्र भेजते हैं किन्तु उनका निस्तारण इस देश के अधिकारियों द्वारा किस प्रकार किया जाता है उसका इससे ज्वलन्त उदाहरण कोई हो नहीं सकता।

मेरे द्वारा अपनी प्रेस वार्ता दिनांक 04-11-2014 में कहीं गई बातों को वास्तविक रूप से सिद्ध करना एवं इन अधिकारियों और माफिया के चंगुल से छुड़ाकर लगभग 850 बीघा भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में दर्ज कराया जाना

अब लौट कर फिर उसी मुख्य प्रकरण पर चलते हैं जो इस पूरी कहानी का केन्द्र बिन्दु है, यानी गुरमीत सिंह का प्रकरण, जिसके द्वारा 7 ऐसे व्यक्तियों के स्थान पर अन्य फर्जी व्यक्ति खड़े करके मुख्तियारनामें अपने पक्ष में बनवा लिए थे, जो इस पृथ्वी पर कही थे ही नहीं, और जिनके नाम पर अंकित लगभग तीन अरब रुपए की कृषि भूमि को मैंने सहयोग करके प्रताप सिंह लेखपाल से ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराने की रिपोर्ट न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ में कराई थी। जिसके बाद गुरमीत सिंह ने जिले के उच्च प्रशासनिक अधिकारियों से गठजोड़ करके मेरे खिलाफ कार्यवाहियाँ करानी शुरू कराई थी, जिससे तंग आकर मैंने दिनांक 04-11-2014 में जनपद में अधिकारियों एवं इन माफियाओं के बीच हुए गठबन्धन के तथ्य प्रेस वार्ता के माध्यम से सार्वजनिक किए थे।

इस प्रेस वार्ता का परिणाम कितनी भयंकर कार्यवाहियों के रूप में सामने आया, इनमें से मैं कुछ का वर्णन कर चुका हूँ शेष कार्यवाहियों का वर्णन भी मैं आगे करूँगा। जेल में रहने के दौरान मैंने यह प्रण किया कि चाहे मेरी जान ही क्यों न उन्हें चली जाए मैं इस माफिया द्वारा अधिकारियों के सहयोग से कब्जाई गई इस लगभग 850 बीघा भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में अवश्य निहित कराऊँगा और इस भूमि को इन अधिकारियों एवं माफियाओं को हड़पने/ बेचने नहीं दूँगा, क्योंकि मेरा मानना यह था कि यदि मैं ऐसा करने में सफल रहा तभी मेरे द्वारा प्रेस वार्ता में रखे गए तथ्य सही साबित होंगे। जिन सात व्यक्तियों के सम्बन्ध में उनके अस्तित्वहीन होने के कारण उस भूमि को गाँव सभा/ राज्य सरकार में दर्ज करने के वाद:-

वाद संख्या:1. सरकार बनाम गुरबख्श सिंह, वाद संख्या: 2. सरकार बनाम ज्ञान सिंह, वाद संख्या: 3. सरकार बनाम हरजीत सिंह, वाद संख्या: 4. सरकार बनाम जसवन्तकौर, वाद संख्या: 5. सरकार बनाम लाल सिंह, वाद संख्या: 6. सरकार बनाम गुरनाम सिंह, वाद संख्या: 7. सरकार बनाम सूरत सिंह, अन्तर्गत धारा 194 जमींदारी विनाश अधिनियम सन 2012- 2013 मौजा, ग्राम-खेड़ा गैर एहतमाली, परगना-भूममा सम्भलहेड़ा तहसील जानसठ, न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ के यहाँ विचाराधीन थे, के सम्बन्ध में मैंने जेल में रहते हुए अपने भाई तोलेराम से दिनांक 31-10-2015 में एक आर0टी0आई0 लिखवाकर जनसूचना अधिकारी/ उप जिलाधिकारी जानसठ से उनके न्यायालय में विचाराधीन इन सातों मुकदमे के सम्बन्ध में कुछ सूचनायें मंगवाई, जिनमें उपजिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र

द्वारा स्वयं या अपने किसी अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी के द्वारा यह जानने का क्या प्रयास किया गया कि जिन व्यक्तियों के सम्बन्ध में लेखपाल ने यह रिपोर्टें प्रस्तुत की है क्या वह वास्तव में इस पृथ्वी पर है या नहीं, और क्या वे व्यक्ति जीवित है अथवा मृतक, यदि वे व्यक्ति जीवित है तो कहाँ निवास कर रहे हैं, और यदि वे मर चुके हैं तो उनकी मृत्यु कहाँ-कहाँ हुई और उनके वारिसों के नाम क्या-क्या है और उनके वारिस कहाँ-कहाँ रह रहे हैं। क्या इन व्यक्तियों में से कोई व्यक्ति उप जिला अधिकारी के न्यायालय में उपस्थित हुआ अथवा नहीं। गुरमीत सिंह का इन व्यक्तियों से क्या रक्त सम्बन्ध है। क्या उपजिलाधिकारी ने गुरमीत सिंह से इन व्यक्तियों का वर्तमान पता/ पहचान पत्र माँगा एवं उपजिलाधिकारी द्वारा इन मुकदमों के निस्तारण तक उक्त भूमि से माफियाओं का कब्जा रोकने हेतु भूमि को कुर्क किया गया अथवा नहीं।

श्री उमेश मिश्र उपजिलाधिकारी जानसठ द्वारा अपने कार्यालय/ न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ (मुजफ्फरनगर) के पत्र संख्या 600/ रीडर- 2015 दिनांक 03-12-2015 के द्वारा यह कहकर कि आपके द्वारा काल्पनिक प्रश्न किए जाने के कारण इनका उत्तर देना अपेक्षित नहीं है इन सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया। _ **178**

मैं जेल से बाहर दिनांक 04-05-2016 में आया। जेल से बाहर आकर भी मैं इसी धुन में लगा रहा कि किस प्रकार इस सम्पत्ति को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराऊँ, हालांकि मुझे लेखपाल पद की सेवा से पदच्युत किया जा चुका था और सरकार के प्रति मेरी कोई जवाबदेही नहीं थी लेकिन अपनी प्रेस वार्ता दिनांक 04-11-2014 में कही गई अपनी बातों को सही सिद्ध करने एवं माफियाओं और इन अधिकारियों से बचाकर इस भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में दर्ज कराने का मेरा प्रण मुझे चैन से बैठने नहीं दे रहा था हालांकि जिस जिम्मेदारी का निर्वहन मैं कर रहा था उस जिम्मेदारी को निर्वहन करने का कर्तव्य उन सरकारी अधिकारियो और कर्मचारियों का था जो सरकार से मोटा वेतन, गाड़ी, बंगले, ड्राइवर, चपरासी व अन्य अनेक प्रकार की सुविधाये प्राप्त कर रहे थे, किन्तु उनकी निष्ठाये और सेवाएँ तो माफियाओं को समर्पित थी।

"नियम कानून हाथ में, अधिकारी-माफिया साथ में" उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र का पत्र संख्या: 3739/ एस0टी0, दिनांक 27 अप्रैल 2016 जो उन्होंने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रेषित किया था, जिसमें उन्होंने गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर खाता संख्या 03, 06, व 10 की कृषि भूमि स्थित ग्राम खेड़ा गैर एहतमाल की पैमाईश हेतु तहसीलदार जानसठ को तत्काल प्रभावी कार्यवाही करने एवं आख्या उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे। तहसीलदार जानसठ द्वारा अपनी आख्या दिनांकित 26-04-2016 द्वारा अवगत कराया गया कि खाता संख्या 03, 06 व 10 की आवेदक की कृषि भूमि की पैमाईश हेतु टीम का गठन कर दिया गया है इस ग्राम की सीमा तहसील मवाना के ग्राम से मिली होने के कारण

तहसील मवाना के लेखपालों से सहयोग प्राप्त करके इस पैमाइश को किये जाने का वर्णन इस पत्र में उल्लिखित है। उप जिलाधिकारी द्वारा तहसीलदार को पुनः शीघ्र पैमाइश की कार्यवाही पूर्ण करने के निर्देश इस पत्र में दिए गए हैं, इस पत्र की प्रतिलिपि तहसीलदार जानसठ (उस समय भी श्री राकेश कुमार ही तहसीलदार जानसठ थे) एवं गुरमीत सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह को भी प्रेषित की गई। _ **179**

अब आप देखिए कि जिन सात व्यक्तियों की लगभग 850 बीघा भूमि पर गुरमीत सिंह ने मुख्तियारनामें बनवाकर अपना कब्जा जमा रखा था, उसी भूमि की पैमाइश की आड़ में इन अधिकारियों से टीमें गठित कराकर एवं इनका पूर्ण सहयोग प्राप्त करके गुरमीत सिंह अन्य गाँव सभा/ सरकारी भूमियों पर कब्जा करता था। यह एक तरीका था जिसके द्वारा यह अधिकारी इस माफिया का कब्जा सरकारी भूमियों पर कराते थे अन्यथा जिस भूमि खाता नम्बर 03, 06 व 10 पर अंकित उन सात व्यक्तियों की भूमि को ग्राम सभा/ राज्य सरकार में निहित कराए किए जाने के वाद उप जिलाधिकारी के न्यायालय में विचाराधीन थे, उस सम्पत्ति पर टीम गठित कर पैमाइश कराये जाने का क्या आधार, क्या औचित्य था ?

इसी बीच मैं दिल्ली में प्रतिष्ठित वरिष्ठ हिन्दी पत्रकार श्री राम बहादुर राय जी से मिला एवं उन्हें इस प्रकरण की सारी सच्चाई बताई और सारे सबूत दिखाएँ। उन्होंने श्री जितेन्द्र चतुर्वेदी पत्रकार महोदय को बुलाया और कहा कि इस प्रकरण में 100% सच्चाई है यह हमारी पत्रिका के अगले प्रकाशित होने वाले संस्करण में मुख्य पृष्ठ की कहानी पर आना चाहिए। 1 जून से 15 जून 2016 के अंक में यथावत नामक हिन्दी पत्रिका के मुख्य पृष्ठ पर इस प्रकरण की कहानी का शीर्षक लुटेरी सरकार छापा गया और इस पत्रिका में इस प्रकरण के तथ्यों को बखूबी विस्तृत रूप से लिखा गया। _ **180**

अगस्त 2016 में मैंने इस प्रकरण को काफी जोरदार तरीके से उठाया और लगातार मीडिया एवं समाचार पत्रों के माध्यम से इस प्रकरण की सच्चाई को सार्वजनिक करने का प्रयास किया, जिसका प्रमाण :-

दिनांक 22-08-2016 का दैनिक जागरण:- जयभगवान ने कहा किसी और ने किया बन्दरबाँट, सरकारी मशीनरी ने किया गुमराह, इस अखबार में इस प्रकरण की काफी खबरें छपी, तो इसी अखबार में इसी दिन श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ का कथन भी छपा कि जयभगवान जनता को भ्रमित करना चाहता है। _ **181**

179 **180** **181**

दिनांक 24-08-2016 का दैनिक जागरण:- कब्जाधारियों पर कार्रवाई की मिली सजा, दो भूमाफियाओं की भूमिका को उछाला, इस खबर में गुरमीत सिंह व जगदीप सिंह के कारनामे छपे, इसी अखबार में गुरमीत सिंह का बयान भी छपा कि जयभगवान के आरोप निराधार हैं जिस जमीन की बात की जा रही है उसके कागजात मेरे पास है। _ **182**

दिनांक 24-08-2016 का हिन्दुस्तान:- आरटीआई में खुलासा जिला प्रशासन ने खुद सैकड़ो हेक्टेयर भूमि पर भूमाफियाओ का कब्जा करा दिया है। _ **183**

दिनांक 24-08-2016 का अमर उजाला:- जय भगवान ने अफसर के खिलाफ खोला मोर्चा। _ **184**

दिनांक 26-08-2016 का जनवाणी:- प्रशासन पर आरटीआई की बारिश, किसानों की जमीन कब्जाने और भूमाफियाओं को लाभ पहुँचाने का आरोप। _ **185**

182 **183** **184** **185**

दिनांक 26-08-2016 का दैनिक जागरण:- किसानों पर भूमि घोटाले की जाँच की आँच ,पैमाइश में अधिकारियों ने माफिया को बचाया, किसानों को लपेटा। _ **186**

दिनांक 26-08-2016 का अमर उजाला:- कटघरे में घोटाले से जुड़े अफसर, जान का खतरा बताकर जय भगवान ने यूट्यूब पर डाले दस्तावेज। _ **187**

दिनांक 26-08-2016 का हिन्दुस्तान-: बर्खास्त लेखपाल जय भगवान ने यूट्यूब पर डाला खादर घोटाला। _ **188**

मेरे द्वारा लगातार इस प्रकरण के सम्बन्ध में सही जानकारियो को सार्वजनिक करने एवं इस प्रकरण से जुड़ी सभी जानकारियाँ को यूट्यूब पर अपलोड करने के कारण एस0डी0एम0 जानसठ श्री उमेश मिश्र दबाव में आ गए और उनके दबाव में आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण यह भी था कि इस समय तक जिलाधिकारी श्री कौशलराज शर्मा

186 **187** **188**

व अपर जिलाधिकारी प्रशासन डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी का जनपद मुजफ्फरनगर से बाहर स्थानान्तरण हो चुका था एवं श्री रामकिशन शर्मा अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अपने पद से सेवानिवृत हो चुके थे। अब श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ को लगा कि अब यह गाज मेरे ऊपर गिर सकती है, तब वह मेरे द्वारा उजागर की जा रही सच्चाई के सामने झुकने को मजबूर हो गए और उन्होंने अपने न्यायालय में चल रहे उन सात मुकदमों जो मेरे सहयोग से प्रताप सिंह लेखपाल द्वारा रिपोर्ट करने के कारण शुरू हुए थे, इन सातों व्यक्तियों के नाम पर अंकित समस्त कृषि भूमि को लावारिस मानते हुए दिनांक 31-08-2016 में ग्राम सभा खेड़ा गैर एहतमाल में निहित कर दिया। _ **189** _ इस आदेश में उनके द्वारा स्वयं स्वीकार किया गया कि गुरमीत सिंह ने इन व्यक्तियों के स्थान पर अन्य फर्जी व्यक्ति खड़े करके अपने पक्ष में मुख्तियारनामें बनवा लिए थे तथा यह सातों व्यक्ति इस पृथ्वी पर कहीं थे ही नहीं। मैंने अपनी प्रेस वार्ता दिनांक 04-11-2014 में जो बातें कही थी, इस आदेश ने उन सभी बातों पर मोहर लगा दी। इस आदेश को करने के बाद भी उप जिलाधिकारी जानसठ श्री उमेश मिश्र ने गुरमीत सिंह के विरुद्ध कोई मुकदमा इस प्रकार जालसाजी करके बनवाए गए फर्जी मुख्तियारनामो एवं जमीन पर किए गए अवैध कब्जों के सम्बन्ध में सब कुछ सिद्ध होने के बाद भी नहीं लिखवाया गया ना कोई धारा 420, 467, 468, 471, 120 आई0पी0सी, न ही कोई मुकदमा उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश अधिनियम के अन्तर्गत और न हीं कोई मुकदमा 2/3 सार्वजनिक सम्पत्ति के निवारण अधिनियम के अन्तर्गत लिखवाया गया क्योंकि इन सब मुकदमो पर तो नाम जय भगवान लेखपाल उसके परिजनों प्रताप सिंह लेखपाल व सैकड़ो किसानों का लिखा था यह मुकदमे तो हमारे लिए आरक्षित थे।

उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा दिनांक 31-08-2016 मे इस समस्त भूमि को ग्राम सभा में निहित किए जाने के पश्चात मुझे लगा कि मैं जिस मिशन को लेकर चला था वह पूरा हो गया और यह लगभग 850 बीघा जमीन ग्राम सभा में निहित हो चुकी हैं। लेकिन अधिकारियों और इन माफियाओ का गठजोड़ फेविकोल से भी अधिक मजबूत था और भले ही मेरे द्वारा लगातार इस मुद्दे को उठाये/ उछाले जाने के कारण उप जिलाधिकारी जानसठ द्वारा इस भूमि को ग्राम सभा में निहित किए जाने के आदेश पारित कर दिए गए हो, किन्तु यह अधिकारी हार मानने वाले कहाँ थे ? जबकि उप जिलाधिकारी ने अपने आदेश दिनांक 31-8-2016 में ही तहसीलदार जानसठ को यह निर्देश दिए थे कि इस भूमि से अवैध कब्जा हटवाकर कब्जा प्राप्त करें, किन्तु गुरमीत सिंह को इस भूमि से बेदखल करके कब्जा उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ ने प्राप्त नहीं किया जबकि यह कार्य आदेश के जाने के तत्काल बाद किया जाना आवश्यक था। वैसे भी पूरे जिले की सरकारी मशीनरी, पुलिस, पी0ए0सी0 के साथ धावा बोलकर किसानों से उनकी निजी जमीनों को छीनने, उनकी फसले लूटने, का अनुभव तो इन अधिकारियों को प्राप्त था, किन्तु माफिया के कब्जे से सरकारी

घोषित भूमि का कब्जा लेने का अनुभव इन अधिकारियों को नहीं था। श्री उमेश मिश्र उप जिलाधिकारी जानसठ ने गुरमीत सिंह से कहा कि भले ही मैंने यह आदेश पारित कर दिए किन्तु मेरी बात तहसीलदार से हो चुकी है, हम तुम्हें पूरा मौका देते हैं, मौके से हम तुम्हारा कब्जा नहीं हटवा रहे हैं, तुम अगली अदालत में जाकर स्टे प्राप्त कर लो। इस प्रकार मिलीभगत करके उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ ने गुरमीत सिंह को अभयदान दे दिया मौके से उसका कब्जा नहीं हटवाया गया।

गुरमीत सिंह सहारनपुर कमिश्नरी गया और वहाँ से न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर से उप जिलाधिकारी द्वारा इन मुकदमों में किए गए आदेशों के विरुद्ध स्टे प्राप्त कर लिया। अपर आयुक्त ने बिना सरकारी वकील को सुने, न जाने किन कारणों से गुरमीत सिंह को इन सातों व्यक्तियों के सम्बन्ध में दिनांक 21-10-2016 में एकतरफा स्थगन आदेश दे दिया। मैं काफी समय तक परेशान रहा और अन्ततः अगस्त 2017 में, मैं कमिश्नर सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के कार्यालय में उनके समक्ष जाकर पेश हो गया और उन्हें इस सम्पूर्ण प्रकरण की सारी सच्चाई बताई, पहले तो वह मेरे द्वारा अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के विरुद्ध लगाए गए आरोपो को सुनकर काफी नाराज हुए और कहा कि यदि तुम्हारे द्वारा लगाए गए आरोप झूठे सिद्ध हुए तो तुम्हें यही से जेल भिजवाऊँगा, मैंने कहा ठीक है सर, फिर उन्होंने न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर के न्यायालय में विचाराधीन इन मुकदमों की जानकारी प्राप्त की और मेरे द्वारा बताई गई समस्त बातें सही पाई गई, इससे सन्तुष्ट होकर उन्होंने अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को निर्देश दिए कि वह तुरन्त इन स्थगन आदेशों को समाप्त करके इस भूमि पर कब्जा प्राप्त करने हेतु उप जिलाधिकारी जानसठ को निर्देशित करें। मेरी इस मुलाकात का परिणाम यह हुआ कि मेरी इस मुलाकात के मात्र कुछ दिनों के भीतर ही दिनांक 25-08-2017 में न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर में इन सभी मुकदमों में दिया गया अपना स्थगन आदेश समाप्त करते हुए उपजिलाधिकारी जानसठ को निर्देश दिया कि वह इन सभी भूमियों पर तत्काल कब्जा प्राप्त करें। _ **190** अपर आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा दिनांक 25-08-2017 में जैसे ही यह स्थगन आदेश समाप्त करके उप जिलाधिकारी जानसठ को इस सम्पूर्ण भूमि पर कब्जा लेने के आदेश दिए गए तो मैं यह समझ गया कि गुरमीत सिंह अब मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाएगा और सरकारी अधिकारियों का भरपूर सहयोग एवं संरक्षण उसे प्राप्त है तो वह निश्चित रूप से न्यायालय में पैरवी नहीं करेंगे और इस प्रकार गुरमीत सिंह मा0 न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त करने में सफल हो सकता है।

किन्तु मैं ठहरा अपनी धुन का पक्का, दिनांक 25-08-2017 में जैसे ही मुझे अपर आयुक्त के इन आदेशों का पता चला मैं पहुँचा सीधा इलाहाबाद और मैंने वहाँ

190

जाकर पता किया कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम सभा के शासकीय अधिवक्ता कौन हैं, तो जानकारी प्राप्त हुई कि श्री राजेश यादव जी हैं मैंने उनके घर का पता मालूम किया और उनके घर जाकर उनसे मिलकर उन्हें सारी बातें बताई वह सारे कागजात दिखाएँ। वह एक बहुत ही सज्जन एवं ईमानदार व्यक्ति हैं उन्होंने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और सारे कागजात देखें और कहा कि तुम्हारी इस लड़ाई में मैं तुम्हारा भरपूर साथ दूँगा, वैसे भी ग्राम सभा की सम्पत्ति की रक्षा करना मेरा उत्तरदायित्व है। मैं अपनी ओर से भरसक प्रयास करूँगा कि गुरमीत सिंह मा0 उच्च न्यायालय में सफल न हो सके, पर अब समस्या आई कि सरकार की तरफ से इन मुकदमों में मा0 न्यायालय में कौन एतराज अथवा केविएट दाखिल करें, मैंने कहा कि सब अधिकारी तो गुरमीत सिंह के साथ है मेरी तरफ से लगाओ तो श्री राजेश यादव जी ने कहा कि तुम नहीं लगा सकते क्योंकि तुम अब लेखपाल नहीं हो,या तो जनपद के अधिकारी लगा सकते हैं या ग्राम प्रधान। यदि तुम ग्राम प्रधान को ले आओ तो मैं ग्राम प्रधान की तरफ से केविएट दाख़िल कर दूँगा। उस समय श्रीमती सरोज ग्राम पंचायत जलालपुर नीला (जिसमें ग्राम खेड़ा गैर एहतमाल भी सम्मिलित है) की प्रधान थी। मेरे द्वारा उनके पति श्री मदनपाल जी से फोन पर बात की और उन्हें इलाहाबाद आने के लिए तैयार किया वे अपनी पत्नी श्रीमती सरोज ग्राम प्रधान को लेकर इलाहाबाद पहुँचे और हम तीनों श्री राजेश यादव वकील साहब से मिले वह उनसे कागजात तैयार करवाएँ एवं उन्होंने मा0उच्च न्यायालय में ग्राम प्रधान की तरफ से केविएट दाखिल किये।

हुआ वही, जिसकी मुझे आशंका थी, गुरमीत सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में जो रिटे दाखिल की उसमें गाँव सभा को पार्टी नहीं बनाया गया था। श्री राजेश यादव जी द्वारा केविएट दाखिल किए जाने के कारण उसका यह दाव सफल नहीं हो पाया। गुरमीत सिंह द्वारा दायर Writ- C N0. 41988/ 2017, 41990/ 2017, 41989 /2017, 41987/ 2017, 41986/ 2017, 41985/ 2017 में जब दिनांक 11-09-2017 में मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई तब श्री राजेश यादव जी वकील साहब द्वारा मा0 न्यायालय को अवगत कराया गया कि इन मुकदमों में गाँव सभा को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक है क्योंकि यह सम्पत्तियाँ ग्राम सभा में निहित हो चुकी है, तब मजबूर होकर गुरमीत सिंह के अधिवक्ता ने मा0 न्यायालय से गाँव सभा को पार्टी बनाने की अनुमति चाही जो मा0 न्यायालय द्वारा पारित अपने आदेश दिनांक 11-09-2017 में स्वीकार कर ली। इसी आदेश में मा0 उच्च न्यायालय ने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता ने न तो स्वामित्व का स्रोत बताया है और न हीं इस सम्बन्ध में कोई दस्तावेज दाखिल किया है। _ **191**

ग्राम प्रधान के हस्ताक्षर आदि कराकर एवं वकील साहब श्री राजेश यादव जी को समस्त कागजात उपलब्ध कराकर मैं मुजफ्फरनगर वापस लौट आया था क्योंकि मुझे पता चल

191

चुका था कि तहसील के अधिकारियों ने दखलनामा लेते समय गुरमीत सिंह को लाभ पहुँचाने के लिए एक बड़ा खेल खेला है। अब भले ही उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो चुका था और माननीय योगी आदित्यनाथ जी प्रदेश के मुख्यमंत्री बन चुके थे, किन्तु यह ठहरे अधिकारी, यह कहाँ मानने वाले थे, माफियाओं को कैसे बचाना है, इनसे अच्छा कौन जानता है क्योंकि कानून की बारीकियों का इन्हें काफी ज्ञान होता है। गुरमीत सिंह के बनाए साम्राज्य पर अपना आशीर्वाद बनाए रखना तो इन सरकारी अधिकारियों का मानो कर्तव्य ही बन गया था। इसी क्रम में अपर आयुक्त के आदेश के बाद कार्यालय तहसीलदार जानसठ के पत्रांक 320 /र0का0- 2017 दिनांक 31-08-2017 के द्वारा उन्होंने क्षेत्रीय राजस्व निरीक्षक को आदेश दिया और इस आदेश में उन सातों व्यक्तियों के नाम लिखें और उन्हें अवैध कब्जाधारी बताते हुए उनका कब्जा मौके से हटवाने का आदेश दिया। _ **192**

"अरे साहब लोगों " मौके पर अवैध कब्जा तो गुरमीत सिंह का था, गुरमीत सिंह मुख्तियारनामो के आधार पर मौके पर काबिज था, वे व्यक्ति तो पृथ्वी पर थे ही नहीं, फिर आप उनसे कब्जा कैसे लोगे? पर खैर यह ठहरे अधिकारीगण इन्होंने उन्हीं 7 व्यक्तियों से कब्जा लेकर दिनांक 02-09-2017 में ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज को इस भूमि का दखल दे दिया। _ **193** _ (उप जिलाधिकारी जानसठ एवं तहसीलदार जानसठ ने एक सोची समझी साजिश के तहत गुरमीत सिंह से मौके पर कब्जा नहीं लिया और न हीं लिखित में उसका मौके पर से कब्जा हटवाया ताकि गुरमीत सिंह इसका लाभ मा0 उच्च न्यायालय में प्राप्त कर सके।)

दिनांक 11-09-2017 में मैं एक प्रार्थना पत्र लिखकर जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पास पहुँचा, इस प्रार्थना पत्र में मैंने वह सब तथ्य लिखे कि किस प्रकार तहसील के अधिकारियों ने दिनांक 02-09-2017 में गुरमीत सिंह से कब्जा नहीं लिया और न ही मौके पर खड़ी गन्ने की फसल कटवाई व मैंने इस प्रार्थना पत्र में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में किए गए अपने प्रयासों को भी लिखा और श्री राजेश यादव जी से जानकारी करके यह भी लिखा कि अब इन मुकदमों में मा0 उच्च न्यायालय में सुनवाई की अगली तिथि 18-09-2017 लगी है एवं यह भी लिखा कि मेरे पास जो सबूत है वह सभी मैं राजकीय हित में आपको देने को तैयार हूँ, लेकिन गुरमीत सिंह को न्यायालय से कोई राहत नहीं मिलनी चाहिए तथा उनसे यह भी माँग की, कि जो अवैध गन्ने फसल मौके पर खड़ी है उसे कटवाकर गुरमीत सिंह से कब्जा लिया जाए एवं दिनांक 18-09-2017 में किसी राजपत्रित अधिकारी को मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में भेज कर प्रभावी पैरवी कराई जाये। _ **194**

192

193

194

इस बीच गुरमीत सिंह द्वारा ग्राम प्रधान श्रीमती सरोज को फोन पर धमकी दी कि जिस भूमि का दखल उनके द्वारा दिनांक 02-09-2017 को प्राप्त किया गया है, उसमें खड़ी गन्ने की फसल से दूर रहना अन्यथा परिणाम भुगतोगी, ग्राम प्रधान ने तहसीलदार जानसठ/ उप जिलाधिकारी जानसठ को दिनांक 14-09-2017 में इस फोन के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया। जिस पर तहसीलदार ने कानूनगो को जाँच करने का आदेश दिया, क्षेत्रीय लेखपाल व कानूनगो ने जाँच कर अपनी रिपोर्ट तहसीलदार को दिनांक 14-09-2017 में ही दे दी। _ **195**

मैं इलाहाबाद से आने के बाद भी ग्राम सभा अधिवक्ता श्री राजेश यादव जी के सम्पर्क में लगातार बना रहा एवं उनसे सूचनाओं का आदान-प्रदान करता रहा। इस बीच क्योंकि गुरमीतसिंह का अवैध गन्ना मौके से नहीं काटा गया था तथा कब्जा भी उससे नहीं लिया गया था तब मैंने श्री राजेश यादव ग्राम सभा अधिवक्ता से फोन पर बात की तथा दिनांक 18-09-2017 में मा0उच्च न्यायालय में इन मुकदमो की सुनवाई में समय लेने का अनुरोध किया ताकि यदि मा0 न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित कर दिया गया तो उसका लाभ गुरमीत सिंह को न मिले। श्री राजेश यादव जी द्वारा ऐसा ही किया गया और मा0 न्यायालय ने उनका अनुरोध स्वीकार भी कर लिया तथा इन मुकदमों में सुनवाई हेतु दिनांक 20-09-2017 निर्धारित कर दी। दिनांक 18-09-2017 में श्री राजेश यादव ग्राम सभा अधिवक्ता ने जिले के प्रशासनिक अधिकारियों से फोन पर बात की और उनसे कहा कि इस भूमि पर खड़ी गन्ने की फसल को कटवाकर तुरन्त कब्जा प्राप्त करो, परसों फिर तारीख लगी है। इसका परिणाम यह निकला कि दिनांक 19-09-2017 में उप जिलाधिकारी जानसठ, तहसीलदार जानसठ, क्षेत्राधिकारी पुलिस जानसठ, थानाध्यक्ष जानसठ ने पुलिस व राजस्व टीम के साथ मौके पर जाकर गन्ने की फसल को नष्ट करवा कर मौके पर समस्त भूमि का कब्जा प्राप्त कर लिया। _ **196**

दिनांक 20-09-2017 में इन मुकदमों की सुनवाई में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस सभी भूमि पर मौके पर यथा स्थिति बनाएँ रखने के आदेश पारित कर दिए क्योंकि दिनांक 19-09-2017 में मौके पर गन्ने आदि की फसले जुतवाकर कब्जा ग्रामसभा को दिया जा चुका था, जिस कारण यथास्थिति में ग्राम सभा का कब्जा बरकरार रहा। _ **197**

गुरमीत सिंह द्वारा जो निगरानियाँ न्यायालय अपर आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर में आयोजित की गई थी, जिनमें पहले उसे स्टे दिया गया था तथा दिनांक 25-08-2017 में वह स्टे समाप्त किया गया था। अब उन सब निगरानियों में जो निगरानी संख्या 10, 11, 12, 13, 14 व 15 थी, न्यायालय अपर आयुक्त प्रशासन सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा दिनांक 27-10-2017 में इन सब निगरानियों मे अन्तिम रूप से निर्णय पारित कर दिया तथा उनके द्वारा पारित आदेशों में भी गुरमीत सिंह द्वारा बनवाए गए सभी मुख्तियारनामो को फर्जी पाया एवं इन सभी 7 व्यक्तियों को अस्तित्व विहीन पाया और गुरमीत सिंह द्वारा दायर इन निगरानियो (मुकदमो) को निरस्त कर दिया। _ **198**

195 196 197 198

अब गुरमीत सिंह दिनांक 27-10-2017 में पारित कमिश्नर के इन आदेशों में से मात्र एक आदेश के विरुद्ध उन्हें मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गया और उसने लाल सिंह नामक व्यक्ति के सम्बन्ध में यह Writ- C No-7056/ 2018 दायर की। इसकी जानकारी श्री राजेश यादव जी ग्राम सभा अधिवक्ता ने फोन पर मुझे दी मैंने उनसे कहा कि बाबूजी आप कोर्ट में मात्र एक बात रखना कि यदि लाल सिंह नाम का कोई व्यक्ति है तो उसे शारीरिक रूप से न्यायालय में बुलवा लो, तो गुरमीत सिंह सही, श्री राजेश यादव जी द्वारा मा0न्यायालय में इसी बिन्दु पर बहस की गई, तब मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने इस रिट में दिनांक 07-03-2018 में आदेश पारित किया कि लाल सिंह की शारीरिक उपस्थिति मय आई0डी0 प्रूफ के मा0 न्यायालय में कराई जाए। _ **199** _ अब गुरमीत सिंह करें तो क्या करें ? लाल सिंह को कहाँ से लाये? उसने अपने वकील साहब से कहा कि यह रिट वापस ले लो दिनांक 27-03-2018 में गुरमीत सिंह के वकील ने इस रिट को वापस लेने का अनुरोध मा0 न्यायालय से किया, जिसे मा0 न्यायालय ने स्वीकार कर लिया किन्तु इस प्रतिबन्ध के साथ कि भविष्य में इसके सम्बन्ध में कोई नई रिट दायर नहीं हो सकेगी। _ **200**

अब गुरमीत सिंह कोई साधारण माफिया तो था नहीं, उसे संरक्षण प्रदान करने वाले अधिकारी इसी प्रदेश में बड़े-बड़े पदों पर कार्यरत थे, लम्बे समय से उनसे उसका गठजोड़ था फिर एक नई साजिश की गई। अपर आयुक्त सहारनपुर मण्डल सहारनपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 27-10-2017 के विरुद्ध श्रीमती जसवन्तकौर नामक महिला के फर्जी पहचान पत्र तैयार कराकर उसकी तरफ से गुरमीत सिंह ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में Writ- C No -27506 /2018 दायर की। श्री राजेश यादव ग्राम सभा अधिवक्ता द्वारा इसकी जानकारी मुझे दी गई मैंने उन्हें बताया कि यह सब फर्जी है आप निःसंकोच होकर अपना पक्ष रखना। श्री राजेश यादव जी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में अपना पक्ष रखा, जिस पर मा0 न्यायालय ने गुरमीत सिंह सिंह के वकील को कहा कि वह चाहे तो जसवन्तकौर कहाँ रहती है वह क्या वह जीवित है इसका शपथ पत्र दाखिल करें, यह आदेश मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 16-08-2018 में पारित किया। _ **201**

गुरमीत सिंह ने अपने वकील के माध्यम से जसवन्तकौर की आईडी प्रूफ के साथ मा0 उच्च न्यायालय में शपथ पत्र देकर बताया कि जसवन्तकौर जिन्दा है और सैनिक फार्म नई दिल्ली में निवास कर रही है। गाँव सभा अधिवक्ता श्री राजेश यादव जी ने इन साक्ष्यों व कथनों को असत्य बताया गया, तब मा0 उच्च न्यायालय ने दिनांक 30-10-2018

199 **200** **201**

में आदेश पारित किया कि जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर स्वयं इस मामले की जाँच दिनांक 14-11-2018 को करें और यह भी आदेश दिया कि उस दिन याचिकाकर्ता यानी जसवन्तकौर भी अपने दावे से सम्बन्धित सभी प्रमाण पत्रों के साथ वहाँ उपस्थित रहेगी, यदि इस मामले में स्थल निरीक्षण की आवश्यकता पड़ेगी तो जिलाधिकारी के आदेश से उप जिलाधिकारी द्वारा स्थलीय निरीक्षण किया जा सकता है। _ **202**

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा पत्र संख्या 530/ रीडर, दिनांक 19-11-2018 के पत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उनके द्वारा की गई जाँच की प्रति नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्य स्थाई अधिवक्ता मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद को भिजवाते हुए उनसे अनुरोध किया कि वह इस जाँच आख्या को प्रतिशपथपत्र के साथ मा0 उच्च न्यायालय में दाखिल करने का कष्ट करें। जिलाधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भेजी गई जाँच आख्या में मुख्यतः लिखा गया कि दिनांक 14-11-2018 में जसवन्तकौर ने मेरे समक्ष उपस्थित होकर आधार कार्ड की छाया प्रति प्रस्तुत की, मेरे द्वारा याचिनी से अनुरोध किया गया कि वह अपनी पहचान के सम्बन्ध में अन्य अभिलेख एवं पावर ऑफ अटॉर्नी लेकर कल पुनः उपस्थित हो, दिनांक 15-11-2018 दिनांक 16-11-2018 एवं दिनांक 17-11-2018 में पूरे दिन सायंकाल तक बार-बार पुकार कराई गई, किन्तु याचिनी उपस्थित नहीं हुई। जाँच आख्या में जिलाधिकारी द्वारा यह भी लिखा कि प्रस्तुत आधार कार्ड दिनांक 03-09-2018 को निर्गत किया गया है यह आधार कार्ड प्रश्नगत कार्यवाई प्रारम्भ होने के बाद ही बनवाया गया है। जिलाधिकारी द्वारा इस रिपोर्ट में यह भी लिखा गया कि पत्रावली पर उपलब्ध याचिनी की पावर पावर ऑफ अटॉर्नी में याचिनी श्रीमती जसवन्तकौर पत्नी श्री हरि सिंह उर्फ हीरा सिंह अंकित है जबकि याचिनी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में आयोजित रिट संख्या 27506/ 2018 में जसवन्तकौर पुत्री हरि सिंह अंकित किया है। इसके अतिरिक्त राजस्व अभिलेखों में भी याचिनी का नाम जसवन्तकौर पुत्री हरि सिंह ही अंकित है इससे स्पष्ट होता है कि मुख्तारे आम कूटरचित एवं फर्जी है याचिनी द्वारा अपनी पहचान के सम्बन्ध में कोई पहचान पत्र, पासपोर्ट, आदि कोई पुष्टिकारक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है जिलाधिकारी द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में भेजी गई अपनी रिपोर्ट में मुख्तियारनामें को फर्जी एवं कूटरचित सिद्ध किया गया। _ **203** _ इस प्रकार मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में गुरमीत सिंह इन मुकदमो में कोई राहत/ सफलता प्राप्त नहीं कर सका।

इस प्रकार मैं अरबो रुपए की इस सम्पत्ति को अधिकारियों और माफियाओ के गठजोड़ से बचाकर सरकारी सम्पत्ति घोषित कराने व उस पर सरकारी कब्जा कराने में पूर्णत: सफल रहा, और मैंने दिनांक 04-11-2014 में अपनी प्रेस वार्ता में कही गई सभी बातों को पूर्ण रूप से सिद्ध किया, किन्तु इस सबकी क्या कीमत मुझे चुकानी पड़ी उसमें से कुछ का वर्णन मैं कर चुका हूँ, कुछ का वर्णन मैं आगे करूँगा।

202 **203**

मेरे तथा किसानों द्वारा इस प्रकरण में भारतीय किसान यूनियन से सहायता माँगने के प्रयास एवं उसका परिणाम

हमारा जनपद भारतीय किसान यूनियन का गढ़ है। स्व0 चौधरी महेन्द्र सिंह टिकैत ने किसानों की भलाई के लिए हमेशा आवाज उठाई और अपना जीवन किसानों की भलाई में लगा दिया। जेल से बाहर आकर मैं अन्य किसानों को साथ लेकर भारतीय किसान यूनियन के तत्कालीन जिला अध्यक्ष श्री राजू अहलावत से मिला, पहले तो उन्होंने कहा कि यह तो बहुत बड़ा भूमिघोटाला था और तुमने तो लाखों बीघा भूमि का बन्दरबाँट किया है। मैंने व किसानों ने उनसे कहा कि हमारी बात तो सुनो, हमारे कागज तो देखो, उसके बाद उन्होंने हमारी बात सुनी एवं हमारे कागजात देखें, उन्होंने कहा कि तुम्हारे कागज तो ठीक है पर विश्वास नहीं होता, मैं तो इन गाँवो में मौके पर जाऊँगा, हमने कहा ठीक है उन्होंने कई दिनों तक खादर क्षेत्र के अनेक गाँवो का दौरा करके वहाँ किसानों के साथ बैठके की और जो मैंने व मेरे साथ गए किसानों ने उन्हें बताया था, एवं कागजात दिखाए थे, वही स्थिति उन्हें मौके पर मिली। अनेक ग्रामों में मौके पर जाकर एवं किसानों के साथ बैठके करने के उपरान्त उन्होंने कहा कि हम जिला मुख्यालय पर दिनांक 11-07-2016 में धरना देंगे, अधिकारियों को ज्ञापन देंगे, और यदि ज्ञापन में की गई माँगों का जिला प्रशासन समाधान नहीं करेगा तो हम दिनांक 15-07-2016 से जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के कार्यालय पर बेमियादी धरना देंगे।

दिनांक 11-07-2016 में खादर क्षेत्र से काफी संख्या में पीड़ित किसान एवं मैं जिला मुख्यालय पहुँचे तो जिला अध्यक्ष श्री राजू अहलावत ने मुझसे कहा कि तुम धरने से दूरी बनाकर रखना कहीं ऐसा ना हो कि अधिकारी हम पर आरोप लगाने लगे कि ये तो किसानों के बजाय पटवारियों का मुद्दा उठा रहे हैं, मैंने उनकी बात मानी। किसान यूनियन ने जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना दिया एवं अधिकारियों को ज्ञापन दिया। ज्ञापन में उल्लिखित बिन्दु इस प्रकार थे-

(1.) 04 नवम्बर 2014 से वर्तमान समय तक किसानों को उनकी लूटी गई फसलों की कीमत मय ब्याज के वापस देने, किसानों की फसलों को लूटने वाले एवं धनराशि का गबन करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों, एवं भू-माफियाओं के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराकर तत्काल कार्यवाही कराई जाए।

(2.) 04 नवम्बर 2014 से वर्तमान समय तक किसानों के विरुद्ध हस्तिनापुर वन्य जीव विहार/ वन विभाग की भूमि पर अवैध कब्जे दर्शाकर थाना रामराज, जानसठ, भोपा, ककरौली में जो अनेक फर्जी आपराधिक मुकदमे दर्ज कराए गए उन्हें तुरन्त वापस लेने एवं किसानों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे लिखवाने एवं फर्जी जाँच आख्याएँ तैयार करने वाले अधिकारियों/ कर्मचारियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज कराकर कार्यवाही कराई जाए।

(3.) 04 नवम्बर 2014 से वर्तमान समय तक जिन किसानों की जमीनों पर वन विभाग व राजस्व विभाग द्वारा अवैध कब्जा किया गया है, उन सभी किसानों की जमीने तुरन्त वापस लौटाने एवं खादर क्षेत्र में कोई भी पैमाइश करने से पूर्व जनपद मुजफ्फरनगर एवं जनपद बिजनौर की सीमाओं को चिन्हित करने की माँग की गई।

ज्ञापन के अन्त में लिखा कि यदि किसानों को न्याय नहीं मिलता है वह असली भू-माफियाओं के खिलाफ कार्यवाही नहीं होती है तो दिनांक 15-07-2016 से जिलाधिकारी कार्यालय पर बेमियादी धरना चलेगा, जब तक सरकार किसानों के साथ न्याय नहीं करती है। _ **204** _ भारतीय किसान यूनियन द्वारा दिए गए धरने को दैनिक समाचार पत्रों ने भी दिनांक 12-07-2016 में प्रकाशित किया था। दैनिक शाह टाइम्स ने "गंगा खादर में किसानों पर हुआ जुल्म" शीर्षक से यह समाचार एवं धरने की फोटो प्रकाशित की थी। _ **205**

मेरे मन में उस दिन आस जगी कि अब न्याय जरूर होगा, परन्तु दिनांक 12-07-2016 से जब मैंने व किसानों ने जिलाअध्यक्ष जी से बात करने एवं धरने की तैयारी के सम्बन्ध में चर्चा करनी चाही तो न जाने क्या वजह रही, उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया और न ही दिनांक 15-07-2016 से जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना शुरू कराया।

मैंने फिर भी हार नहीं मानी और मैं खादर क्षेत्र के हर ग्राम से एक-एक, दो-दो, किसानों जिनकी संख्या 20-25 थी, को साथ लेकर किसानों की राजधानी सिसौली पहुँचा और चौधरी साहब अर्थात भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत जी की जानकारी प्राप्त की, तो पता चला कि चौधरी साहब खेत पर हैं हम सब उनके खेत पर गए तो देखा कि चौधरी साहब खेतों पर कार्य करके वही व्यूबवेल पर नहा रहे थे उन्होंने हमें वही पर बैठाया। पहले तो उन्होंने भी वही कहा कि तू तो वही पटवारी है जिसने बहुत बड़ा घोटाला कर रखा है, तब किसानों ने कहा कि चौधरी साहब हमारी बात तो सुनो, हमारे कागज तो देखो फिर उन्होंने हमारी बातें सुनी और कागजात देखें और कहने लगे कि भाई हम तो अखबारों में पढ़-पढ़ कर यही सोच रहे थे कि यह तो बहुत बड़ा घोटाला है पर यह तो मामला ही उल्टा निकला। फिर हमने चौधरी साहब से निवेदन किया कि आप इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी से मिलो तो उन्होंने कहा ठीक है कुछ दिनों बाद मेरी मुजफ्फरनगर कचहरी में तारीख है, तुम सब वहीं आ जाना, जिलाधिकारी से मिलेंगे। निश्चित दिनांक पर मैं किसानों के साथ कचहरी गया, चौधरी नरेश टिकैत नियत समय पर वहाँ मिले, हम सबको साथ लेकर वह जिलाधिकारी कार्यालय में गए और जिलाधिकारी से मिलकर उन्होंने पहले मेरी तरफ को देखकर कहा कि इसने तो काम करा, अर तमने इसका ही इलाज कर दिया, ऐसा नी होना चाहता, फिर किसानों की तरफ देखकर कहा कि इनकी क्या खता, जमीन इनकी छीन ली, फसल इनकी लूट ली, मुकदमे इन पर दर्ज कर दिये, इतना बड़ा अन्याय,

204

205

इस मामले को दिखावाओ, डी0एम0 साहब, इसमें कार्यवाही करवाओ। जिलाधिकारी ने कहा दिखवाते हैं चौधरी साहब, परन्तु बाद में जिलाधिकारी महोदय ने कुछ नहीं किया।

जिलाधिकारी कार्यालय से बाहर आकर हम सबने चौधरी साहब से निवेदन किया कि आप एक दिन खादर क्षेत्र में पंचायत कर लो उन्होंने कहा ठीक है खादर क्षेत्र के सब गाँव से मुख्य-मुख्य पीड़ित किसान एक जगह इकट्ठा कर लो मैं भी वहीं आ जाऊँगा, उसी समय बैठक का स्थान व दिन भी निश्चित हो गया। निर्धारित दिन से एक दिन पहले मैंने चौधरी नरेश टिकैत जी को फोन किया तो उन्होंने बताया कि मुझे कोई जरूरी काम है मैं अपने भाई, भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता चौधरी राकेश टिकैत को पंचायत में भेजूँगा वह तुम्हारी बातें सुनेंगे।

अगले दिन तहसील जानसठ के गंगा खादर क्षेत्र के गाँव हुसैनपुर-बहादुरपुर में एक पंचायत हुई, इसमें खादर क्षेत्र के पीड़ित गाँवो के किसान काफी संख्या में इकट्ठा हुए, चौधरी राकेश टिकैत भी पंचायत में आए उन्होंने हम सब की बातें सुनी और इस प्रकरण से जुड़े सभी कागजात देखें और उन्होंने माना कि प्रशासन ने झूठा होव्वा खड़ा करके वास्तव में बहुत अधिक ज्यादतिया की है उन्होंने कहा कि जैसा मैंने मौके पर यहाँ पाया है वैसा तो कोई सोच भी नहीं सकता और उन्होंने पंचायत को आश्वासन दिया कि वह इस मामले को उठाएँगे, चाहे कोई बड़ा आन्दोलन ही क्यों न करना पड़े, लेकिन उसके बाद चौधरी राकेश टिकैत जी ने इस प्रकरण में कुछ नहीं किया, और न हीं इस मुद्दे को कहीं उठाया।

खादर क्षेत्र के माफिया महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह गिरोह के कारनामे एवं इनमें अधिकारियों की भूमिका

इस गिरोह द्वारा अधिकारियो के साथ मिलकर अरबो रूपये की गन्ने की फसल की लूट मे भागीदारी करने, गैंगस्टर एक्ट में कुर्क सम्पत्ति की लूट मे भागीदारी करने, गैंगस्टर एक्ट मे कुर्क भूमि पर फसले उगाकर अधिकारियो के साथ भागीदारी करने के कारण इस गिरोह का रामराज क्षेत्र मे व्यापक असर हो गया था, और इस गिरोह द्वारा किये गये अपराधो के मुकाबले उनके विरूध्द काफी कम मुकदमे दर्ज हुए फिर भी जगदीप सिंह के विरुद्ध थाना रामराज में कुल 17 आपराधिक मुकदमे व महेन्द्र सिंह के विरुद्ध थाना रामराज में कुल 13 आपराधिक मुकदमे एवं इस गिरोह के अन्य सदस्यों के विरुद्ध थाना रामराज, थाना मीरापुर, एवं थाना जानसठ में अनेक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इस गिरोह के विरुद्ध जितने मुकदमे दर्ज हैं उससे कई गुना ज्यादा अपराध इस गिरोह द्वारा किए गए हैं किन्तु अधिकारियों के संरक्षण के चलते इस गिरोह के विरुद्ध इनके द्वारा किए गए अधिकांश अपराधों में इनके विरुद्ध मुकदमे दर्ज नहीं हो सके। इस गिरोह के संस्थापक महेन्द्र सिंह ने ग्राम बुटराडी में दो पट्टेदारों हरदयाल सिंह व गुरदास सिंह पुत्रगण सोरन सिंह जिन्हें सरकार ने 18-18 बीघा भूमि के दो पट्टे आवंटित किए थे, वह दोनों व्यक्ति अनुसूचित जाति के थे। महेन्द्र सिंह ने तहसील कर्मियों की मदद से फर्जीवाडा करके उनकी जमीनों को अपने पुत्र जगदीप सिंह के नाम दर्ज करा लिया। वह बेचारे इन माफियाओं के खिलाफ प्रार्थना पत्र देते-देते इस संसार से विदा हो गए, उनके बाद में उनका वारिस धूम सिंह पुत्र हरदयाल पिछले अनेक वर्षों से इस गिरोह के विरुद्ध प्रार्थना पत्र दे रहा है किन्तु आज तक भी उस गरीब दलित को उसका हक वापस नहीं मिला है।

इस प्रकार करोड़ों रुपए की इस भूमि को तहसील के अधिकारियों की मदद से हड़पने के साथ शुरू हुआ महेन्द्र सिंह का यह सफर समय के साथ बढ़ता रहा और इनका कारवा भी बड़ा होता चला गया। इस गिरोह के द्वारा अनगिनत अपराध किए जाते रहे, यह गिरोह वन विभाग, ग्राम सभा, पट्टेदारों व निजी किसानों की भूमियों पर अवैध कब्जा करने, निजी किसानों की जमीनों को फर्जी रूप से बेचने आदि अनेक तरह के अपराध करता रहा है। इनका निशाना विदेशो में बसे भारतीय एवं एन.आर.आई. खास तौर से होते हैं, विदेशों में बसे भारतीयों के फर्जी मुख्तियारनामें बनवाकर यह गिरोह उनकी भूमियों को बेचने में माहिर है क्योंकि यह गिरोह यह जानता है कि विदेश में बसा भारतीय भारत में आकर पैरोकारी नहीं कर सकता। इस गिरोह के अपराधों के सम्बन्ध में इनके शस्त्र लाइसेंस निरस्त करते समय उप जिलाधिकारी जानसठ ने जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को जो रिपोर्ट भेजी थी उसमें भी इस गिरोह द्वारा किए जाने

वाले इन अपराधों को उल्लेख किया गया था तथा जिलाधिकारी महोदय द्वारा महेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह के शस्त्र लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश दिनांक 03-11-2010 में भी उनके अवैध कार्यों का उल्लेख है। इस गिरोह के विरुद्ध कोई व्यक्ति यदि हिम्मत करके शिकायत करता भी है तो पुलिस उसका फर्जी निस्तारण करके इस गिरोह के सदस्यों को शान्तिप्रिय नागरिक का खिताब दे देती है। इसका एक छोटा सा उदाहरण धूम सिंह पुत्र हरदयाल द्वारा जनसुनवाई के अन्तर्गत दिया गया प्रार्थना पत्र संख्या 40013321019667 है। जिसमें उसने इस गिरोह के सदस्यों के लगातार अपराध करते रहने के कारण इस गिरोह के सदस्यों को गैंगस्टर एक्ट में निरुद्ध किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था, इस प्रार्थना पत्र की जाँच रिपोर्ट दिनांक 13-11-2021 में थाना रामराज की पुलिस द्वारा भेजी गई अपनी रिपोर्ट में इनके विरुद्ध कार्यवाही करने के स्थान पर इन्हें शान्तिप्रिय नागरिक घोषित कर दिया गया। _ **206**

जैसा कि मैंने शुरुआत में इस गिरोह के विरुद्ध मेरे द्वारा लेखपाल रहते हुए की गई कार्यवाहियों का वर्णन करते हुए मैंने उल्लेख किया था कि मैंने ग्राम रहडवा गैर एहतमाली में इनके द्वारा तथ्य छुपा कर खरीदी गई 3.5731 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार में निहित कराकर उसका दखल मैंने दिनांक 02-05-2011 में राज्य सरकार के पक्ष में मौके पर ले लिया था। रामराज खादर क्षेत्र के इन दो माफिया गिरोह एवं जनपद मुजफ्फरनगर के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के गठजोड़ के फलस्वरुप जब नवम्बर 2014 में मुझे जेल भेज दिया गया तथा दिनांक 06-11-2014 में जनपद के वरिष्ठ अधिकारियों एवं जगदीप सिंह एवं महेन्द्र सिंह का मिलन हुआ तब अधिकारियों ने सरकार के पक्ष में दखल प्राप्त इस भूमि पर अनाधिकृत रूप से कब्जा करके फसले बोने की मौखिक सहमति इनको प्रदान कर दी और वह इस भूमि पर फसले बोने लगे। जब जेल में मुझे यह खबर मिली तो मैंने दिनांक 02-11-2015 में अपने भाई तोलेराम से उप जिलाधिकारी जानसठ को आर0टी0आई0 लिखवा कर इस भूमि की वर्तमान स्थिति, उस पर कराए गए अवैध कब्जे आदि के सम्बन्ध में 6 बिन्दुओं पर सूचनाओं चाही, तो तहसीलदार श्री राकेश कुमार ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 239/ एम0जे0-ज0सू0 सहा0, दिनांक 20-11-2015 के द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में सूचनाओं को देने के स्थान पर चाही गई सूचनाओं को काल्पनिक बताकर सूचनाओं को देने से इनकार कर दिया। _ **207**

इस मध्य महेन्द्र सिंह की पत्नी श्रीमती निर्मलकौर, राज्य सरकार में निहित हुई इस भूमि का मुकदमा कमिश्नरी कोर्ट सहारनपुर में हार चुकी थी और उसने इस भूमि के सम्बन्ध में दो अलग-अलग अपीले मा0 न्यायालय राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में दायर कर दी थी। जनपद के राजस्व अधिकारियों द्वारा इस भूमि के सम्बन्ध में मा0 राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में चल रहे मुकदमों में कोई दिलचस्पी नहीं ली जा रही थी, हालांकि मैं सरकारी सेवा

206

207

लेखपाल पद से बाहर कर दिया गया था किन्तु इन अपराधी माफियाओं और अधिकारियों के गठजोड़ के विरुद्ध काम करने के मेरे जज्बे में कोई कमी नहीं आई थी जिस कारण मैं इन मुकदमों में सरकार की ओर से पैरवी करने हेतु मा0 राजस्व परिषद इलाहाबाद पहुँच गया और इन मुकदमों में सरकार की तरफ से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता राजस्व श्री दीपक सक्सेना जी से मिला व इन मुकदमों के सारे तथ्यों से उन्हें अवगत कराते हुए आवश्यक कागजात उन्हें उपलब्ध कराएँ और उनसे इन मुकदमों के शीघ्र निस्तारण करवाने का अनुरोध किया।

श्री दीपक सक्सेना जी एक बहुत ही परिश्रमी, ज्ञानी, ईमानदार एवं व्यवहारिक व्यक्ति थे उन्होंने मेरी बातों को सुनकर कहा कि जय भगवान दो तीन दिन बाद यह मुकदमे लगे हैं यदि तुम चाहो तो यहीं रुको मैं सरकार के हित में भरसक प्रयास करूँगा। उनकी बात मानकर मैं इलाहाबाद में ही रुक गया, सुनवाई की निर्धारित तिथि के दिन मैं भी मा0 राजस्व परिषद में समय से पूर्व पहुँच गया। श्री दीपक सक्सेना जी ने मुझसे कहा कि तुम न्यायालय में जाकर बैठ जाओ और जब में इशारा करूँ तो मेरे पास चले आना, उन्होंने इन मुकदमों में बहस की, श्रीमती निर्मल कौर के वकील ने भी अपना पक्ष रखा, इसी दौरान श्री दीपक सक्सेना जी ने मुझे इशारा करके आगे बुलाया एवं मा0 सदस्य राजस्व परिषद/ मा0 न्यायाधीश की ओर इशारा करके कहा कि यह वह अभागा लेखपाल है जिसने यह कार्यवाही की थी, यह बेचारा मारा-मारा फिर रहा है और वह आराम से उस भूमि पर जुताई बुवाई कर रहे हैं। बहस पूरी होने के बाद फाइल निर्णय हेतु सुरक्षित कर ली गई, दिनांक 11-12-2017 में श्री दीपक सक्सेना शासकीय अधिवक्ता राजस्व की मजबूत पैरवी एवं बहस के कारण श्रीमती निर्मलकौर इन दोनों मुकदमों में हार गई। _ **208**

इस सिस्टम में अच्छे लोग भी हैं लेकिन उनकी संख्या बहुत कम है। इसके बाद मैंने उप जिलाधिकारी जानसठ के यहाँ दिनांक 13-12-2017 में एक प्रार्थना पत्र दिया, जिसके साथ मा0 राजस्व परिषद के आदेशों की प्रतिलिपियाँ भी लगाई तथा उनसे मौके पर माफियाओं जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह से भूमि का कब्जा लेने एवं मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद में सरकार की तरफ से उचित कार्यवाही (केविएट) आदि लगवाने की माँग की, इस प्रार्थना पत्र की प्रतिलिपियाँ मैंने अनेक उच्च अधिकारियों को भी प्रेषित की। _ **209** _ मेरे द्वारा दिए गए इस प्रार्थना पत्र के क्रम में तहसीलदार जानसठ ने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 520/ रा0 नि0कार्या0, दिनांक 15-12-2017 के द्वारा कानूनगो एवं लेखपालों की एक टीम का गठन करके इस भूमि का कब्जा प्राप्त करने का निर्देश दिया, इस पत्र में उन्होंने मेरे दिए द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र का भी उल्लेख किया। _ **210** _ दिनांक 16-12-2017 में जगदीप सिंह व महेनद्र सिंह द्वारा अवैध

208

209

210

रूप से बोई गई गेहूँ की फसल को नष्ट करवाकर राजस्व एवं पुलिस की टीम ने कब्जा क्षेत्रीय लेखपाल श्री विजय कुमार को दे दिया। _ **211**

दिनांक 16-12-2017 में जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह का कब्जा इस भूमि से छुड़वाया गया एवं दिनांक 11-01-2018 में जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह का कब्जा जिलाधिकारी द्वारा कुर्कशुदा आवासीय मकान घेर/ फार्म हाउस स्थित ग्राम शाहपुर, जिसके प्रशासक तहसीलदार जानसठ थे, से छुड़वाकर पुनः कब्जा सरकार द्वारा लिया गया। जिससे यह आपराधिक गिरोह तिलमिला उठा और इसने इस गिरोह ने मुझे मारने का प्लान तैयार किया, जिसका वर्णन में अलग से करूँगा।

मेरे ऊपर जानलेवा हमला करने और मेरे ही विरुद्ध झूठा मुकदमा दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवाने के बाद जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह ने उस भूमि को पुनः जोत लिया, जिस पर मेरे प्रार्थना पत्र पर दिनांक 16-12-2017 में कब्जा राजस्व एवं पुलिस की टीम ने लिया था, अर्थात ग्राम रहडवा गैर एहतमाली की 3.5731 हेक्टेयर भूमि। इनके द्वारा दिनांक 16-04-2018 में ट्रैक्टर चलाकर उस भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया, जब इसकी सूचना उस समय क्षेत्र में कार्यरत लेखपाल श्री विजय कुमार को मिली जो एक साहसी, कर्मठ, युवक लेखपाल था उसने निर्भय होकर इन दोनों माफियाओं को मौके पर जाकर रोका और इनके द्वारा जबरदस्ती करने पर उसने इनके विरुद्ध थाना रामराज में मु0अ0सं0- 53 सन 2018 दर्ज कराया। _ **212**

जगदीप सिंह ने ग्राम बुटराडी में 2.220 हेक्टेयर कृषि भूमि को फर्जी रूप से अपने नाम दर्ज करा लिया था, जिसे उसने दिनांक 21-06-2018 में विक्रय कर दिया। जब इस विक्रय पत्र पर तहसीलदार द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल से हस्तान्तरण रिपोर्ट लगवाई गई तो लेखपाल श्री विजय कुमार ने यह मामला पकड़ लिया और इस भूमि को किस प्रकार फर्जी रूप से जगदीप सिंह ने अपने नाम कराया वे सारे कागजात अपनी रिपोर्ट के साथ लगाकर इस भूमि को लावारिस सिद्ध करते हुए इसे राज्य सरकार में निहित करने की संस्तुति न्यायालय तहसीलदार में की, साथ ही इस प्रकरण की एक पृथक रिपोर्ट बनाकर एवं सारे सबूत लगाकर दिनांक 04-08-2018 में उच्च अधिकारियों को पेश की। _ **213** _ "किन्तु तहसीलदार ठहरे तहसीलदार" उन्होंने उस लावारिस भूमि जिसे जगदीप सिंह ने फर्जी रूप से अपने नाम दर्ज करा कर विक्रय कर दिया था, को न तो राज्य सरकार में निहित कराने की कार्यवाही की, न ही जगदीप सिंह के खिलाफ

211 **212** **213**

कोई आपराधिक मुकदमा दर्ज कराया, बल्कि उस भूमि का नामान्तरण अर्थात दाखिल खारिज का आदेश भी पारित कर दिया। हाँ श्री विजय कुमार की इन कार्यवाहियों का परिणाम यह हुआ कि श्री विजय कुमार लेखपाल का तबादला तहसील जानसठ से दूसरी तहसील में करा दिया गया।

इस माफिया गिरोह ने दिनांक 29-05-2023 व दिनांक 31-05-2023 में ग्राम भिक्कनपुर एवं ग्राम जग्गू जमालपुर की 4 करोड रुपए की कृषि भूमि जिसके स्वामी जसपाल सिंह पुत्र गुरदयाल सिंह इंग्लैंड में रहते हैं, का फर्जी मुख्तियारनामा बनवाकर बेच दिया और तो और जसपाल सिंह के जो रिश्तेदार भारत में रहते हैं वो फर्जी रूप से विक्रय की गई इस भूमि के सम्बन्ध में मुकदमा लिखवाने के लिए भटकते रहे। 5 माह भटकने के बाद दिनांक 25-10-2023 मे इस अपराध में इस गिरोह के आठ सदस्यों की रिपोर्ट थाना रामराज में मु0 अ0सं0 - 285 सन 2023 में हुई। _ **214** _ इस फर्जी बैनामे की चर्चा पूरी तहसील, पूरे जिले में थी और पुलिस द्वारा भी तहसीलदार जानसठ को इस मामले में चिट्ठी भेज कर इस भूमि का दाखिल खारिज न करने का अनुरोध किया गया था, इस सब के बावजूद तहसीलदार जानसठ ने इस भूमि का दाखिल खारिज अर्थात नामान्तरण भी कर दिया और यह वह समय है जब उत्तर प्रदेश में मा0 योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं। अब विदेश में रहने वाला व्यक्ति भारत में आकर किस प्रकार इन मुकदमों में पैरोकारी करें ?

इस गिरोह को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं है जगदीप सिंह ने अमेरिका में रह रहे जगदेव सिंह पुत्र उजागर सिंह नामक व्यक्ति की सम्पत्तियों का फर्जी मुख्तियारनामा अपने पक्ष में बनवा लिया, जिसकी जानकारी होने पर पीड़ित द्वारा थाना रामराज पर जगदीप सिंह के खिलाफ मु0अ0सं0- 117 सन 2023 दर्ज कराया। _ **215**

इस गिरोह द्वारा जिन दो पट्टेदारों की भूमि को अवैध रूप से तहसील के अधिकारियों की मिलीभगत से अपने नाम दर्ज करा लिया था, उनके वारिस धूमसिंह ने मा0 मुख्यमंत्री, अपर मुख्य सचिव गृह, महानिदेशक आर्थिक अपराध शाखा, महानिदेशक सीबीसीआईडी, महानिदेशक विजिलेंस, अपर मुख्य सचिव राजस्व और पुलिस महानिदेशक को दिनांक 20-12-20 24 मे इस गिरोह के कारनामों के सभी सबूत लगाकर पृथक पृथक प्रार्थना पत्र डाक द्वारा भेजें। इन प्रार्थना पत्रों में जनपद मुजफ्फरनगर से बाहर के अधिकारियों की एक उच्च स्तरीय जाँच समिति का गठन कर विगत 15-20 वर्षों में इस गिरोह द्वारा किए गए उन अपराधिक कृत्यों जिनमें अभी तक इनके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई है, उनमें कार्यवाही कराने, तहसील व जिले के उन अधिकारियों व कर्मचारियों की सम्पत्तियो की जाँच कराने की माँग की जिन्होंने इस गिरोह के अवैध कार्यों में सहयोग करके अथाह अवैध धन अर्जित किया है।

214

215

किन्तु प्रार्थना पत्र पर कार्यवाहियों का वही ढ़र्रा सारे प्रार्थना पत्र इकट्ठा होकर जनपद की पुलिस व राजस्व अधिकारियों के पास पहुँच गए और पुलिस द्वारा इस गिरोह के मात्र चार सदस्यों के विरुद्ध संगठित गिरोह बनाकर अपराध करने का एक मुकदमा, मु0अ0सं- 07 सन 2025 अंतर्गत भारतीय न्याय संहिता की धारा 111(2) b, 111(3), 111(4) के अन्तर्गत दर्ज करा दिया। _ **216** _ इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 में इस गिरोह द्वारा की जा रही आपराधिक गतिविधियों का उल्लेख अंकित है और इस गिरोह के विरुद्ध दर्ज किए गए मुकदमों का भी उल्लेख है, किन्तु इस गिरोह के सदस्यों के द्वारा विगत 15-20 वर्षों में किए गए उन अपराधों के सम्बन्ध में, जिनमें इनके द्वारा आपराधिक कृत्य किए जाने के सबूत भी उपलब्ध हैं, के सम्बन्ध में न तो कोई जाँच, और न कोई कार्यवाही। विगत 15-20 वर्षों में जिन अधिकारियों ने इस गिरोह को संगठित किया, इस गिरोह के साथ मिलकर लूटपाट एवं अन्य आपराधिक कृत्य किये, किसानों का गन्ना लूटा, गैंगस्टर में कुर्क की गई सम्पत्तिया लूटी व नष्ट की, गैंगस्टर में कुर्क भूमि पर अवैध रूप से फसले बुवाकर धन प्राप्त किया उनके विरुद्ध न कोई कार्यवाही, न कोई जाँच, न कोई मुकदमा, जबकि इन सब अपराधिक कार्यों के लिखित सबूत/ दस्तावेज उपलब्ध है। हाँ इतना अवश्य है कि अब इन सरकारी अधिकारियों ने यह स्वीकार किया है कि यह गिरोह संगठित होकर विगत अनेक वर्षों से अपराध कर रहा है। किन्तु जाँच का महत्वपूर्ण विषय यह भी है कि इस गिरोह को संगठित किया किसने ? यह गिरोह किन-किन अधिकारियों की छत्रछाया में फलता-फूलता रहा ? किन-किन अधिकारियों ने इस गिरोह से अपने निजी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए सहयोग लिया ? किन-किन अधिकारियों ने इस गिरोह के सदस्यों से अपराध कराकर लूट कराये गये माल में अपनी हिस्सेदारी प्राप्त की ? क्या इस देश में कोई ऐसी व्यवस्था पैदा होगी जहाँ मेरे इन प्रश्नों की जाँच होकर उस पर कार्यवाही सम्भव हो सकेगी, अथवा अधिकारियों की वर्दी पहनकर श्री कौशलराज शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, श्री रामकिशन शर्मा, श्री उमेश मिश्र, श्री राकेश कुमार जैसे अधिकारी इस देश में इसी तरह माफियाओं को सहारा देकर उन्हें संगठित करके नए-नए माफिया गिरोह पैदा करते रहेंगे और उनसे अपराध कराकर धन संचय करते रहेंगे ?

216

मेरी हत्या का प्रयास एवं मेरे ही विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज कराया जाना

अब मैं उस घटना का वर्णन करता हूँ जिसमें ईश्वर की कृपा से मेरी जान बची, अन्यथा मेरे मरने में तो कोई कोर कसर बाकी नहीं रही थी। हालांकि इसका आभास मुझे पहले से ही हो चुका था और मैं बराबर अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा की माँग उठाता रहा था। मा0 मुख्यमंत्री जी को भी मैंने इस सम्बन्ध में कई प्रार्थना पत्र भेजकर अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा की माँग की थी। जिसका विवरण मैं आगे अंकित करूँगा। इसके अतिरिक्त मैंने प्रेस वार्ता के माध्यम से भी अपनी एवं अपने परिवार की सुरक्षा का मुद्दा उठाया था। दिनांक 26-03-2017 को मैंने मुजफ्फरनगर में प्रेस वार्ता करके इस प्रकरण के सभी तथ्य उसमें रखे तथा अपनी जान का खतरा बताया। यह प्रेस वार्ता समाचार पत्रों में छपी, जिन में से एक मुदगल टाइम्स में भी दिनांक 27-03-2017 में यह खबर प्रमुखता से छपी थी "बर्खास्त लेखपाल जय भगवान को जान का खतरा" अधिकारियों भू-माफियाओं पर लगाया गठजोड़ का आरोप।
_ **217** _ मेरे प्रयासों से दिनांक 16-12-2017 में जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह के गिरोह से 3.5731 हेक्टयर भूमि का कब्जा ग्राम रहडवा गैर एहतमाली से छुड़वाया गया तथा मेरे व मेरी पत्नी के द्वारा लगातार शिकायती प्रार्थना पत्र दिए जाने के कारण दिनांक 11-01-2018 में मेरे/ मेरी पत्नी के कुर्कशुदा घेर/ फार्म हाउस से (जिसके प्रशासक तहसीलदार जानसठ थे) इस माफिया गिरोह का कब्जा हटवाये जाने के कारण यह गिरोह मेरी जान का प्यासा बन गया। जिन अधिकारियों से इस गिरोह का गठजोड़ रहा है, वह अधिकारी प्रदेश में उच्च पदों पर आसीन हो चुके थे, क्योंकि वह अधिकारी भी मेरे द्वारा बार-बार महाभूमिघोटाला प्रकरण की के प्रयासों से तंग आ चुके थे और मेरा जिन्दा रहना उन्हें भी अखर रहा था, जिस कारण इस गठजोड़ की एक रणनीति बनी जिसमें सभी चीजे पूर्व निर्धारित कर ली गई उसके बाद मेरे ऊपर हमला किया गया, मुझे लगा अब मेरी मौत निश्चित है मैंने सोचा अन्तिम बार भगवान शिव को याद कर लू जैसे ही उन्हें याद किया तो शोर सुनकर न जाने कहाँ से लोग आ गए और मुझे मरणासन्न हालत में छोड़कर इस गिरोह के लोग भाग गए। मैंने 100 नम्बर पर पुलिस बुलाई, पुलिस इस गिरोह के ट्रैक्टर, व मेरी क्षतिग्रस्त गाड़ी को, तथा मुझे अपनी गाड़ी में डालकर थाना रामराज लेकर आई, तथा जगदीप सिंह को पकड़कर थाने ले आई थी। वहाँ पर उस समय क्षेत्र के अनेक लोग उपस्थित थे। जगदीप सिंह बिल्कुल स्वस्थ और उसके शरीर पर नाम मात्र की खरोच भी नहीं थी यह सब कुछ थाना रामराज के सीसीटीवी कैमरे में भी था (जिसे बाद में पुलिस ने डिलीट कर दिया) मैंने थानाध्यक्ष

रामराज से अपने ऊपर हुए हमले का मुकदमा दर्ज करने का अनुरोध किया और यही अनुरोध इस हमले की खबर सुनकर थाने में पहुँचे मेरे भाई व मेरे भतीजे ने भी किया। मेरे ऊपर हुए हमले की रिपोर्ट तो क्या दर्ज होती, पुलिस के दरोगा श्री सर्वेश सिंह ने मेरे भाई व मेरे भतीजे की थाने में ही पिटाई शुरू कर दी, मैंने घायल अवस्था में रोते हुए बामुश्किल उन्हें छुड़ाया, इसके बाद भी पुलिस ने मेरी रिपोर्ट नहीं लिखी और मुझे जानसठ सरकारी चिकित्सालय में डॉक्टरी के लिए भेज दिया। मेरे ऊपर हुए जानलेवा हमले का समाचार दिनांक 17-01-2018 के समाचार पत्रों में प्रमुखता से छपा था।

मुजफ्फरनगर बुलेटिन:- चर्चित पूर्व लेखपाल पर जानलेवा हमला-इस अखबार में थाने में खड़ी मेरी क्षतिग्रस्त कार व हमले में प्रयुक्त दो फोर बाई फोर के ट्रैक्टरों की फोटो भी अखबार में छपी है, साथ ही लिखा है पुलिस ने यह दो ट्रैक्टर कब्जे में लिये है तथा एक आरोपी जगदीप सिंह को थाने में बैठाया है अखबार ने यह भी लिखा कि हमलावरों द्वारा धारदार हथियारों से हमला करके मुझे गम्भीर रूप से घायल किया तथा मेरी गाड़ी को ट्रैक्टरो से कई बार टक्कर मार कर क्षतिग्रस्त कर दिया तथा मेरा फोटो भी छपा है। _ **218**

हिन्दुस्तान:- पूर्व लेखपाल पर धारदार हथियारों से हमला-इस समाचार के साथ पूरा घटनाक्रम विस्तार से छपा है। _ **219**

दैनिक जनवाणी:- विवादित पूर्व लेखपाल पर जानलेवा हमला इस समाचार के साथ मेरे ऊपर हुए जानलेवा हमले का समाचार विस्तृत रूप से छपा है। _ **220**

मुझे सरकारी अस्पताल जानसठ में भेजने के बाद पुलिस का असली खेल शुरू हो गया। जसवीर उर्फ कल्लू जो मेरे साथ मौके पर था, पुलिस उसे जबरदस्ती अपने साथ ले गई और उससे कोरे कागजों पर हस्ताक्षर करा लिए, बाद में पता चला पुलिस ने मेरी एफ0आई0आर0 लिखने के बजाय जसवीर उर्फ कल्लू से जिन कोरे कागजों पर हस्ताक्षर कराये थे, उन पर जसवीर उर्फ कल्लू तरफ से धारा 323 व 427 में एन0सी0आर0 दर्ज कर ली। _ **221** _ दूसरी ओर महेन्द्र सिंह से तहरीर लिखवाकर मेरे विरुद्ध धारा 323, 504 व 506 में एन0सी0आर0 दर्ज कर ली। _ **222** _ जसवीर उर्फ कल्लू की तरफ से पुलिस द्वारा एन0सी0आर0 दर्ज करने का कारण यह था ताकि मैं अपने ऊपर हुए जानलेवा हमले की रिपोर्ट दर्ज न करवा सकूँ। इसके बाद पुलिस ने जगदीप सिंह की पत्नी को उसके घर से बुलवाया तथा पुलिस द्वारा जगदीप सिंह व उसकी पत्नी को सीधे मुजफ्फरनगर अस्पताल ले जाकर अधिकारियों के सहयोग से उसकी फर्जी डॉक्टरी कराई गई।

218

219 **220** **221** **222**

इन माफियाओं द्वारा फर्जी मेडिकल कराने के कारण मेरी पत्नी ने थाना रामराज में लगे सीसीटीवी कैमरो का उल्लेख करते हुए दिनांक 27-01-2018 में एक प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को देकर जगदीप सिंह व उसकी पत्नी श्रीमती कुलवीर कौर का मेडिकल, मेडिकल-बोर्ड का गठन कर उससे कराए जाने की माँग की, _ **223** _ किन्तु प्रदेश में कार्यरत वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारियों के संरक्षण के चलते इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही नहीं हुई। बाद में जब प्रार्थी द्वारा इस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की सूचना आर0टी0आई0 के माध्यम से जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर से चाही तो उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 427/ ज0सू0सहा0, दिनांक 19-08-2019 के द्वारा इसे थानाध्यक्ष रामराज को अन्तरित कर दिया, उसके बाद मुझे कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर का पत्र संख्या एसएसपी अपील - 93/ 2019, दिनांक 25-10-2019 मिला, जिसके साथ थानाध्यक्ष रामराज द्वारा भेजी गई रिपोर्ट संलग्न थी, जिसमें उल्लिखित किया गया कि प्रार्थना पत्र काफी पहले दिया गया था, प्रार्थना पत्र इतना पुराना होने के कारण उस प्रार्थना पत्र पर की गई कार्यवाही की छायाप्रति उपलब्ध नहीं हो पा रही है, अर्थात न कोई कार्यवाही, न कार्यवाही की कोई सूचना। _ **224**

पुलिस की महिमा देखिये जिन ट्रैक्टरों से मेरी कार के ऊपर हमला किया गया था और पुलिस द्वारा उन ट्रैक्टरों को कब्जे में ले लिया गया था उन्हें थाने से ही छोड़ दिया गया किन्तु मेरी क्षतिग्रस्त कार को सीज कर दिया गया जिसे इस गाड़ी के स्वामी मेरे भतीजे ने बाद में मा0 न्यायालय से रिलीज कराया।

उधर महेन्द्र सिंह की ओर से पुलिस द्वारा जो एन0सी0आर0 लिखी गई थी उसमें धारा 308 बढाकर दिनांक 17-01-2018 की रात्रि 21.54 बजे इसे मु0अ0सं0- 09 सन 2018 अन्तर्गत धारा 323, 504, 506, 308 आई0पी0सी0 में परिवर्तित कर दिया गया और इस मुकदमे की विवेचना सब इंस्पेक्टर श्री सर्वेश सिंह को दे दी गई। _ **225**

अब दरोगा श्री सर्वेश सिंह द्वारा की गई फर्जी विवेचना देखिए, यह मुकदमा दर्ज हुआ दिनांक 17-01-2018 की रात्रि 21:54 पर,तब उन्हें इस मुकदमे की विवेचना करने हेतु विवेचक बनाया गया। दरोगा श्री सर्वेश सिंह को यह मुकदमा दर्ज होने पर थाना कार्यालय रामराज से इस मुकदमे की एफ0आई0आर0 (नकल चिक) नकल रपट (G.D.) एवं जगदीप सिंह की मेडिकल रिपोर्ट प्राप्त हुई। इसके बाद दरोगा जी ने एफ0आई0आर0 (नकलचिक) व नकल रपट

223 **224** **225**

(G.D.) को केस डायरी में अंकित किया। इसके बाद दरोगा जी ने एफ0आई0आर0 लेखक मलका यादव के बयान लेकर उन्हें केस डायरी में अंकित किया। इसके बाद दरोगा जी ने बयान कायमी मुकदमा क्लर्क श्री रोहित कुमार के बयान लेकर उन्हें केस डायरी में अंकित किया। इसके पश्चात दरोगा जी ने डाक्टरी परीक्षण का अवलोकन किया और इस डाक्टरी परीक्षण को केस डायरी में अंकित किया तथा इस डाक्टरी परीक्षण के आधार पर इस मुकदमे में धारा 324 आई0पी0सी0 की बढ़ोत्तरी की।

यह सब कार्य करने के पश्चात दरोगा जी ने थाना रामराज से अपनी रवानगी कराई तथा थाना रामराज से 06 किलोमीटर दूर ग्राम शाहपुर में इस मुकदमे के वादी महेन्द्र सिंह के घर गए, महेन्द्र सिंह के घर पर दरोगा जी ने महेन्द्र सिंह के बयान लिए तथा उन्हें केस डायरी में अंकित किया। इसके बाद दरोगा जी रात्रि के समय में ही ग्राम शाहपुर से लगभग 1 किलोमीटर दूर जंगल में वादी को साथ लेकर घटनास्थल पर गए तथा रात्रि में ही उन्होंने घटनास्थल का नक्शा मौके पर ही तैयार किया तथा उसे केस डायरी में संलग्न करते हुए इसका उल्लेख अपनी केस डायरी में किया। इसके बाद दरोगा जी ग्राम शाहपुर में चश्मदीद गवाहो के घर गए उसके बाद दरोगा जी एक अन्य ग्राम जलालपुर नीला में चश्मदीद गवाहों के घर गए, दोनों ग्रामों में चश्मदीद गवाहों के घरवालों ने दरोगा जी को बताया कि गवाह खेतों में काम करने गए हैं, शाम को लौटकर आएँगे (यह कार्य दरोगा जी द्वारा मध्य रात्रि में किया जा रहा था, कितनी हास्यास्पद बात है कि इन दोनों ग्रामों में गवाहों के घरवालों ने उन्हें बताया कि गवाह खेतों में काम करने गए हैं शाम को लौटकर आएँगे, यदि रात्रि में खेतों पर काम करने गए होते तो सुबह लौट कर आते।) फिर भी दरोगा जी ने उनके घर वालों को हिदायत दी कि आकर मुझसे सम्पर्क कर ले, पूछताछ करनी है। इसके बाद दरोगा जी ने गाँव के काफी अन्य लोगों से भी पूछताछ की और इस सब कार्यवाही का उल्लेख अपनी केस डायरी में करते हुए दिनांक 17-01-2018 में ही पर्चा काट दिया गया। दरोगा श्री सर्वेश सिंह द्वारा यह सम्पूर्ण कार्यवाही दिनांक 17-01-2018 में रात्रि 21:54 P.M. अर्थात 9:54 P.M. से 12:00 P.M. के मध्य अर्थात कुल 2 घण्टे 6 मिनट के अन्दर की गई, इस कार्यवाही से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मेरे विरुद्ध यह फर्जी मुकदमा दर्ज करके किस प्रकार फर्जी विवेचना की गई। _ **226**

दूसरी और मेरे घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती होने के कारण मेरी पत्नी द्वारा इस घटना की एफ0आई0आर0 दर्ज कराने हेतु थानाध्यक्ष रामराज एवं श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय मुजफ्फरनगर को प्रार्थना पत्र दिए गये, किन्तु पुलिस द्वारा मेरे ऊपर हुए प्राणघातक हमले का मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। कई दिनों बाद थक-हारकर मेरी पत्नी ने मा0 न्यायालय की शरण ली और इस मुकदमे को दर्ज कराने हेतु मा0 न्यायालय में प्रार्थना पत्र दिया।

226

मा0 न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष रामराज से जब इस सम्बन्ध में आख्या मंगाई गई तो इस आख्या में भी थानाध्यक्ष रामराज ने असत्य कथन लिखकर भिजवाए और लिखा कि इस घटना की एन0सी0आर0 दर्ज की जा चुकी है जिस कारण एक ही घटना के सम्बन्ध में दो मुकदमे नहीं लिखें जा सकते। किन्तु सत्य का सहारा ईश्वर होता है, पुलिस द्वारा जो एन0सी0आर0 दर्ज की गई थी क्योंकि वह रात्रि के 12:00 A.M. बजे के बाद दर्ज की गई थी जिस कारण उसमें दिनांक 17-01-2018 अंकित हो चुकी थी। मेरी पत्नी द्वारा मा0 न्यायालय में दिनांक 16-01-2018 में मेरे ऊपर हुए प्राणघातक हमले की रिपोर्ट दर्ज कराने हेतु प्रार्थना पत्र दिया था। (अब यह एक घटना कैसे रही) इसी आधार पर मा0 न्यायालय ने मेरी पत्नी द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र को स्वीकार करते हुए इस घटना की रिपोर्ट दर्ज करने के आदेश दिनांक 09-02-2018 में थानाध्यक्ष रामराज को दिए। _ **227** _ मा0 न्यायालय द्वारा आदेश दिए जाने के भी 10 दिन बाद तक भी थानाध्यक्ष रामराज द्वारा यह मुकदमा दर्ज नहीं किया गया। मेरी पत्नी द्वारा मा0 न्यायालय में थानाध्यक्ष रामराज द्वारा मा0 न्यायालय द्वारा आदेश किए जाने के बावजूद यह मुकदमा दर्ज न किए जाने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र देने और मा0 न्यायालय द्वारा थानाध्यक्ष को तलब करने के बाद थानाध्यक्ष रामराज द्वारा दिनांक 22-02-2018 में यह मु0अ0सं0- 29 सन 2018 अन्तर्गत धारा 323, 307, 504, 506 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत दर्ज किया गया। _ **228**

पुलिस द्वारा पैसे लेकर मुझे मरवाने और मेरे ही खिलाफ फर्जी मुकदमा दर्ज किए जाने की यह घटना क्षेत्र में आम चर्चा का विषय बन चुकी थी। रामराज खादर क्षेत्र जिस विधानसभा क्षेत्र में लगता है उस विधानसभा क्षेत्र से वर्ष 2002 से 2007 तक डॉ0 यशवन्त सिंह जी विधायक रहे, तथा वर्ष 2007 में पुनः विधायक बनने पर वर्ष 2007 से 2012 तक राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, उत्तर प्रदेश सरकार रहे। उनके द्वारा लगातार 10 वर्षों तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया गया, वे हमेशा धरातल से जुड़े हुए नेता रहे हैं और वह एक ऐसे नेता हैं जो सरलता व सादगी की प्रतिमूर्ति है, ऐसे लोग राजनीति में बहुत कम होते हैं जो पीड़ित की आवाज बनकर खड़े होने का माद्दा रखते हैं और पीड़ित की आवाज उठाने में अपने राजनीतिक नफे-नुकसान के बारे में कोई सोच-विचार नहीं करते। एक लम्बे समय तक इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किये जाने के कारण उनका जुड़ाव इस विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गाँव, प्रत्येक मोहल्ले, प्रत्येक घर से रहा और वह सबके सुख-दुख में इस क्षेत्र में विधायक न रहने के बाद भी आते-जाते रहे हैं। मेरे साथ हुई इस घटना की जानकारी उन्हें क्षेत्र के लोगों से प्राप्त हो चुकी थी। जिस समय मेरे साथ यह घटना घटित हुई, वह नगीना संसदीय लोकसभा क्षेत्र से संसद सदस्य थे। अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद मैं एक प्रार्थना पत्र लेकर उनके पास

227

228

पहुँचा और मदद की गुहार लगाई। तब उन्होंने मा0 मुख्यमंत्री जी को दिनांक 05-02-2018 में एक पत्र लिखा कि जय भगवान लेखपाल जो तहसील जानसठ जनपद मुजफ्फरनगर में लेखपाल था तथा वर्तमान में नौकरी से पदच्युत है, इस लेखपाल द्वारा सरकार हित में भू-माफियाओं से 960 बीघा सरकारी जमीन का कब्जा हटवाया गया। समाजवादी की सरकार के समय सक्रिय भूमाफियाओं ने तरह-तरह की कूटनीति अधिकारी गणों के माध्यम से रच कर इस गरीब लेखपाल को मारा, इस पर तरह-तरह के झूठे मुकदमे लगवाए, तथा नौकरी से पदच्युत किया गया, तथा यह प्रकरण आपके कार्यालय में भी आया है। अभी सी0ओ0जानसठ और थानाध्यक्ष रामराज द्वारा पैसे लेकर इस लेखपाल की हत्या करने की पूरी साजिश रची गई, जिसमें इसकी मृत्यु तथा जीवन में बस एक मिनट का अन्तर था। इस लेखपाल की इस प्रकार की गम्भीर चोटों के बावजूद एफ0आई0आर0 नहीं की गई तथा विपक्षीगणों की फर्जी डॉक्टरी के आधार पर गम्भीर धाराओं में रिपोर्ट दर्ज की गई। एक कर्तव्यनिष्ठ व्यक्ति को मरने तक मजबूर किया जा रहा है। _ **229**

मेरा आपसे निवेदन है कि लेखपाल जय भगवान के मामले की शासन स्तर के किसी सक्षम अधिकारी से जाँच कराई जाए और इसकी सभी उचित धाराओं में एफ0आई0आर0 दर्ज कराई जाये, तथा इसे पुलिस सुरक्षा प्रदान की जाये। किन्तु जब इन माफियाओं को प्रदेश में कार्यरत उच्च प्रशासनिक पदों पर बैठे अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त था तो माननीय सांसद जी के पत्र पर कार्यवाही कैसे सम्भव थी ?

मेरी पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई एफ0आई0आर0 की विवेचना श्रीमती ममता गौतम दरोगा जी को दी गई, उन्हें घटना की सच्चाई मालूम थी। सी0ओ0 जानसठ श्री एस0के0एस0 प्रताप सिंह ने उन पर दबाव बनाया कि जयभगवान की पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए 307 के मुकदमे में एफ0आर0 लगा दो, किन्तु वह देवी स्वरूप दरोगा अपने कर्तव्य पथ पर अडिग रही और असहनीय दबाव को सहकर भी उन्होंने मेरे साथ हुई घटना का केस डायरी में सच्चाई के साथ उल्लेख कर दिया। जब यह केस डायरी सी0ओ0 ऑफिस गई तो सी0ओ0 साहब श्री एस0के0एस0 प्रताप सिंह ने दरोगा श्रीमती ममता गौतम के खिलाफ ही जाँच बैठवा दी, और इस मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच में ट्रांसफर करा दी, जबकि हम मुकदमा वादी थे और हमने इस मुकदमे की विवेचना ट्रांसफर कराने का कोई प्रार्थना पत्र भी नहीं दिया था। दरोगा श्रीमती ममता गौतम की जाँच सी0ओ0 भोपा को सौंपी गई, उन्होंने मुझे बयान के लिए बुलाया, मैंने उनसे मिलकर उन्हें सारी बातें बताई और यह भी कहा कि सर मेरे बारे में तो आप जैसा चाहो वैसा लिखो, परन्तु उन देवीस्वरूप दरोगा जी जिन्होंने केस डायरी में सच्चाई लिखी है उनके खिलाफ कुछ नहीं होना चाहिए अन्यथा भविष्य में सच्चाई का साथ देने का साहस कौन करेगा, उन्होंने कहा ठीक है मैं जाँच सही तथ्यों पर ही करूँगा बाद में मुझे जानकारी मिली कि दरोगा श्रीमती ममता गौतम जी इस जाँच में निर्दोष पाई गई।

सी0ओ0 जानसठ द्वारा हमारे मुकदमे को क्राइम ब्रांच में स्थानान्तरित कराए जाने पर इसकी विवेचना क्राइम ब्रांच में तैनात दरोगा श्री विजयपाल सिंह को सौंपी गई, उन्होंने जगदीप सिंह से इस मुकदमे में धारा 307 हटाने के लिए मोटी रकम ले ली। इसकी जानकारी जैसे ही मुझे मिली, मैं दिनांक 20-08-2018 में एक प्रार्थना पत्र में सारे तथ्य लिखकर एस0पी0 क्राइम मुजफ्फरनगर के ऑफिस में पहुँचा, उन्होंने मेरी बात सुनकर अपने कार्यालय के पत्रांक: वा- पु0 अ0अप0- (विवे0 स्था0)/2018, दिनांक 21-08-2018 के द्वारा इस मुकदमे की विवेचना श्री विजयपाल सिंह के स्थान पर श्री सुभाष सिंह को स्थानान्तरित कर दी, _ **230** _ किन्तु इस बीच दरोगा श्री विजयपाल सिंह जी अपना कार्य पूरा कर चुके थे, मेरी पत्नी द्वारा दर्ज कराए गए इस मुकदमे से धारा 307 वह हटा चुके थे। इस मुकदमे के नए विवेचक श्री सुभाष सिंह द्वारा मुझे मेरे बयान लेने के लिए बुलाया गया और उनके द्वारा मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि इस मुकदमे से धारा 307 हटा दी गई है। मैंने उनसे कहा कि आप जाँच कर लो यदि मेरी हत्या का प्रयास हुआ हो, तो मेरे साथ नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, वैसे भी मेरे साथ जीवन में नाइंसाफी ही होती चली आ रही हैं उन्होंने कहा कि पुलिस की वर्दी मैंने इंसाफ के लिए पहनी है, जो सही होगा मैं वही करूँगा, मैं किसी दबाव में किसी अपराधी को नही बचाऊँगा। जाँच के बाद उन्होंने इस मुकदमे में धारा 307 बढ़ा दी, ऐसे निर्भीक एवं ईमानदार पुलिस अधिकारी को मेरा प्रणाम। इस मुकदमे से धारा 307 हटाए जाने एवं पुनः बढ़ाये जाने का विवरण पुलिस अधीक्षक अपराध द्वारा मेरी पत्नी के प्रार्थना पत्र की जाँच में अंकित है यह जाँच रिपोर्ट उन्होंने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को दिनांक 18-11-2020 में भेजी थी। _ **231**

इस मुकदमे में कुल चार अभियुक्त जगदीप सिंह व महेंद्रसिंह व सन्नी व सुखरेन्दर सिंह थे। जगदीप सिंह व महेन्द्र सिंह को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया, इस बीच मौका पाकर सुखरेन्दर सिंह व सन्नी ने मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद से इस मुकदमे के सम्बन्ध में स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, मैंने मा0 उच्च न्यायालय में अपने वकील के माध्यम से पैरवी करके उस स्थगन आदेश को समाप्त कराया, तब तक इस मुकदमे की विवेचना क्राइम ब्रांच में तैनात इंस्पेक्टर श्री मनोज शर्मा के पास आ चुकी थी उन्होंने अभियुक्त सन्नी को गिरफ्तार करके जेल भेजा बाद में इस मुकदमे की विवेचना श्री चेतराम शर्मा के पास चली गई उन्होंने शेष बचे अभियुक्त सुखरेन्दर सिंह को जेल भेजा। मेरे द्वारा अपनी हत्या के प्रयास के इस मुकदमे के अभियुक्तों को जेल भिजवाने के लिए अथक प्रयत्न किए गए। किन्तु दुःख की बात यह है कि मैं निर्दोष होते हुए भी इन माफियाओं को संरक्षण प्रदान करने वाले उच्च अधिकारियों एवं पुलिस के कुछ अधिकारियों के कारण एक फर्जी मुकदमे में अभियुक्त बना दिया गया और मेरे विरुद्ध भी मा0 न्यायालय में मुकदमा चल रहा है और मुझे भी मा0 न्यायालय में तारीखो पर लगातार जाना पड़ रहा है, यह माफिया भविष्य में फिर मेरे साथ कब क्या कर दें, इसका कोई पता नहीं, खैर इस बात की चिन्ता मुझे नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि भगवान ने मेरी मृत्यु का समय, तारीख, और स्थान पहले से नियत किया हुआ है यदि ऐसा नहीं होता तो जिस दिन दिनांक 16-01-2018 में इन लोगों ने मुझे फूल प्रूफ प्लान के साथ मारना चाहा, उस दिन मेरी जान किसी भी प्रकार से बचने वाली नहीं थी।

230 **231**

मेरी सम्पत्ति का दुष्प्रचार, वास्तविकता, विजिलेंस जाँच और उसका परिणाम

जनपद के अधिकारियों द्वारा उस समय मीडिया के माध्यम से मेरे विरुद्ध इतना दुष्प्रचार किया कि मेरे पास अरबों-खरबों की अवैध सम्पत्ति है और मुझे काले धन का बादशाह घोषित कर दिया, मीडिया के अन्य साधनों जैसे इनके द्वारा टी0वी0 आदि पर प्रचारित/ प्रसारित कराए गए इन्टरव्यू आदि को तो मैं एकत्रित नहीं कर सका, किन्तु उस समय के समाचार पत्र प्रमाण के तौर पर मुझे अवश्य मिले, देखिए किस प्रकार इन अधिकारियों ने मुझे और अरबपति-खरबपति बताया और काले धन का बादशाह घोषित किया।

02-11-2014 हिन्दुस्तान:- अकूत सम्पत्ति का मालिक है लेखपाल।

03-11-2014 हिन्दुस्तान:- लेखपाल की करोड़ों रुपए की सम्पत्ति के प्रमाण जुटाएँ।

05-11-2014 अमर उजाला:- कैसे बना करोड़ों का स्वामी।

05-11-2014 दैनिक जागरण:- कौड़ियों में बना दिया करोड़पति।

06-11-2014 दैनिक जागरण:- साल दर साल होते गए मालामाल।

08-11-2014 मुजफ्फरनगर बुलेटिन:- लेखपाल संघ का भ्रष्ट सरताज सस्पेंड।

10-11-2014 दैनिक जागरण:- बैंक अकाउंट का शूटआउट।

13-11-2014 दैनिक जागरण:- दिल्ली, मेरठ, हरिद्वार में भी करोड़ों की सम्पत्ति।

22-11-2014 दैनिक जागरण:- बेशुमार बन्दरबाँट कर बादशाह बने लेखपाल।

23-11-2014 अमर उजाला:- अब लेखपालों की सम्पत्ति का होगा मूल्यांकन।

04-12-2014 अमर उजाला:- जय भगवान की सम्पत्ति की छानबीन।

04-12-2014 दैनिक जागरण:- फरारी से पहले 56 लाख बटोर चुका था जय भगवान, इसी दिन यही अख़बार लिखता है दागी लेखपालों की सम्पत्ति खंगालेंगे लेखपाल।

24-12-2014 दैनिक जागरण:- जय भगवान के भतीजे के खातों से लाखों का लेनदेन।

02-01-2015 दैनिक जागरण:- अरबों में पहुँची भ्रष्ट लेखपालों की सम्पत्ति। _ **232**

अब मैं अपनी सम्पत्ति के वास्तविक तथ्यों से आपको अवगत कराता हूँ। मेरा जन्म एक मध्यमवर्गीय वैश्य परिवार में हुआ था। मेरा गाँव बुवाड़ा खुर्द, निकट कस्बा खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश है। मेरे पिताजी के पास ग्राम बुवाड़ा खुर्द एवं पास के अन्य दो ग्रामों में कृषि भूमि थी तथा मेरे पिताजी हमेशा कुछ ना कुछ खरीदते रहते थे उन्होंने ग्राम बीबीपुर तहसील सदर मुजफ्फरनगर में भी कृषि भूमि खरीदी थी। हमारे घर गाय, बैल, भैंस, भैंसा आदि पशु हमेशा से रहे हैं। हमारे पिताजी कृषि एवं पशुपालन का कार्य नौकरों एवं कृषि मजदूरों से कराते थे तथा पास के कस्बा खतौली में मेरे पिताजी की हलवाई की दुकान थी, जो आसपास के अनेक ग्रामों में बुवाडे वालों की बूरा-बताशे की दुकान के नाम से मशहूर थी। मेरे पिताजी व मेरी माता जी के पास कस्बा खतौली में कई दुकानें एवं आवासीय मकान थे। हम चार भाई थे जिनमें से मैं सबसे छोटा हूँ। मेरे पिताजी ने हम चारों भाइयों के लिए कस्बा खतौली में पहले से ही मकान ले लिए थे। जब मैं लगभग 5 वर्ष का था तभी मेरे पिताजी ने मेरे नाम से मोहल्ला तगान कस्बा खतौली में एक मकान खरीदकर मेरे नाम करवा दिया था। मेरे दो बड़े भाई कस्बा खतौली में जाकर अपने मकानो में रहने लगे थे एवं हम दोनों छोटे भाई हमेशा से गाँव में रहे हैं और आज तक भी गाँव में रह रहे हैं, तो इस प्रकार हमारा परिवार एक संपन्न परिवार रहा है। मेरी माँ वर्ष 1998 में एवं मेरे पिताजी वर्ष 2003 में स्वर्गवासी हो गए और इस प्रकार उनके नामो पर अंकित सम्पत्तियाँ मुझे व मेरी पत्नी को पैतृक रूप से प्राप्त हो गई।

जिलाधिकारी श्री कौशल राज शर्मा ने गुरमीत सिंह के प्रार्थना पत्र पर मेरी सम्पत्तियों को आय से अधिक सम्पत्तियाँ बताकर उसकी सतर्कता जाँच (**Vigilance Inquiry**) कराने की संस्तुति उत्तर प्रदेश शासन से दिनांक 02-11-2014 में ही कर दी थी। _ **24** _ इसके बाद मेरे विरुद्ध विभागीय कार्यवाही में भी मुझ पर आय से अधिक सम्पत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया गया। जब इतने से भी जिलाधिकारी महोदय का मन नहीं भरा तब उन्होंने मेरी इन्हीं सम्पत्तियों को मेरे द्वारा वन विभाग की जमीनों पर अवैध रूप से कब्जा करके अपराध कारित करके एवं इस अपराध से इन सम्पत्तियों को क्रय किया जाना दर्शाकर दिनांक 20-03-2015 में गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क कर लिया। इसके बाद भी जब जिलाधिकारी महोदय एवं जनपद के अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण को सन्तुष्टि नहीं हुई तब इन्होंने माफियाओं के साथ मिलकर मेरी चल सम्पत्तियों को लूट लिया एवं अचल सम्पत्तियाँ जिनमे मकान ट्यूबवेल आदि को जितना अधिकतम सम्भव था उतना नष्ट करवा दिया तथा पेड़ कटवा लिए। यदि इनके पास कोई ऐसी शक्ति होती जो मेरी कृषि भूमि को भस्म या गायब कर देती तो यह उसका प्रयोग अवश्य करते।

दिनांक 20-03-2015 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा जो कुर्की आदेश पारित किया गया उसमें क्रमांक 01 से क्रमांक 18 तक की सम्पत्तियों को मेरी तथा मेरे परिवार जनों की पैतृक सम्पत्ति माना। इस आदेश में भी उन्होंने षड्यंत्र के तहत धोखाधड़ी करके

ग्राम बीबीपुर तहसील सदर मुजफ्फरनगर की कृषि भूमि को मेरी पैतृक भूमि नहीं बताया। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने ग्राम बीबीपुर की कृषि भूमि को मेरे द्वारा अपनी पत्नी के नाम क्रय किया जाना दिखाकर कुर्क कर लिया जबकि यह भूमि मेरी पत्नी को पैतृक रूप से प्राप्त हुई थी। इस कुर्की आदेश में मेरी पत्नी कि जिन सम्पत्तियों को कुर्क किया गया जिलाधिकारी महोदय द्वारा उनका एक चार्ट बनाया गया इस चार्ट के क्रमांक 04, 05 व 06 में इन सम्पत्तियों के बारे में लिखा (चन्द्रभान पुत्र मुंशीलाल) मेरे पिताजी ने क्रय करके अभियुक्त की पत्नी के नाम वसीयत की। जिलाधिकारी महोदय मेरे पिताजी द्वारा क्रय करना भी लिखते हैं उनके द्वारा वसीयत करना भी लिखते हैं उस वसीयत के द्वारा मेरी पत्नी के नाम अंकित होना भी स्वीकार करते हैं लेकिन दूसरी ओर मेरे द्वारा अपनी पत्नी के नाम क्रय किया जाना दर्शाकर कुर्क भी कर लेते हैं, परन्तु वह ठहरे जिलाधिकारी, उनके पास पद की ताकत, कलम की ताकत, उनकी कलम जो लिखे वही कानून, वही नियम, मैं क्या कर सकता था ? हालांकि बाद में मा0 उच्च न्यायालय एवं मा0 न्यायालय गैंगस्टर कोर्ट मुजफ्फरनगर द्वारा इस सम्पत्ति को पैतृक सम्पत्ति माना गया, किन्तु तब तक जिलाधिकारी मुझे तबाह करने के अपने उद्देश्य में सफल हो चुके थे।

जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा जारी कुर्की आदेश में क्रमांक 01 से 19 तक की जिन सम्पत्तियों को मेरी पैतृक सम्पत्तियाँ बताकर छोड़ा गया एवं उनका जो मूल्यांकन किया गया उसके अनुसार मेरी पैतृक सम्पत्तियाँ ही करोड़ों रुपए की होती है इसके अलावा लेखपाल पद की सेवा करते हुए मुझे सरकारी खजाने से वेतन, भत्ते, एरियर, बोनस, नगरीकरण, के रूप में आय प्राप्त हुई। इसके अलावा कृषि गणना, जनगणना, पशु गणना के मानदेय प्राप्त हुए तथा नकल खसरा-खतौनी के लिए निर्धारित शुल्क से आय प्राप्त हुई। इसी प्रकार मेरी पत्नी को कृषि फसलों से आय प्राप्त हुई। मेरी शादी वर्ष 1988 में हुई थी और तब से लेकर अब तक मेरी पत्नी को स्त्री धन आदि के रूप में भी काफी आय हुई। लेखपाल पद से प्राप्त वेतन आदि के अलावा मुझे लेखपाल पद की सेवा में आने से पूर्व का मेरा बैंक बैलेंस एवं मेरी पैतृक सम्पत्तियों मकानों, दुकानों, कृषि भूमि, पशुओ आदि से लगातार आमदनी होती रही है।

यहाँ यह उल्लेख करना भी आवश्यक है कि हमारे गेहूँ घर का, चावल घर के, सरसों का तेल घर का, देसी घी घर का, दूध घर का, गुड घर का, शक्कर घर की, फल घर के, सब्जियाँ घर की, दूध हमारे घर में कभी नहीं टूटा, हमेशा पशु रहे हैं, शाकाहारी खाना, गाँव का रहना। बीडी, सिगरेट, तम्बाकू, गुटखा, शराब आदि किसी भी वस्तु को मैंने जीवन में हाथ नहीं लगाया, दूध घी का मैं शौकीन रहा हूँ आज भी हूँ। मकान मैंने कोई नहीं बनाया, अपने पिता द्वारा बनाए गए मकान में रहता हूँ, हालांकि इस विषय में मेरी पत्नी मुझे ताने मारती है कि तुमने तो अपने जीवन में दो ईट भी लगाकर नहीं देखी।

मैंने अपनी पत्नी के नाम 14,00,000/- (चौदह लाख रुपए) की कृषि भूमि स्थित ग्राम शाहपुर, 4,00,000/-

(चार लाख रूपये) की दो दुकाने स्थित ग्राम समाना एवं 2,50,000/- (ढाई लाख रुपए) का घेर/ कृषि फार्म स्थित ग्राम शाहपुर, लेखपाल पद की सेवा पर रहते हुए क्रय किया, अर्थात मेरे द्वारा लेखपाल पद की सेवा में वर्ष 1991 से 2015 तक मात्र 20,50,000/- (बीस लाख पचास हजार रुपए) की संपत्तियां अपनी पत्नी के नाम क्रय की गई। इसके अलावा मेरे द्वारा अपनी पत्नी के नाम एक सम्पत्ति क्रय करके विक्रय की गई जिसमें मुझे 45,450 रुपयें की बचत हुई।

मेरे द्वारा माफियाओं के विरुद्ध कार्य किए जाने के कारण अनेक बार उन्होंने मेरी शिकायतें की, अनेक बार इन सम्पत्तियों की जाँच अधिकारी कर चुके थे, उनमें से दो उदाहरण के रूप में, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा माननीय राजस्व परिषद सन्दर्भ पत्र सं0- ई0-169/ 04/ 58 ए/ 2009 (10) दिनांक 22-03-2010 का जवाब अपने पत्र संख्या 3204/ रा0 परि0/ शिकायत प्रकोष्ठ -10 दिनांक 26-07-2010 में आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ को भेजा, इस पत्र के साथ उन्होंने जिला मुख्यालय पर नियुक्त डिप्टी कलेक्टर (उप जिलाधिकारी) श्री नरेन्द्र सिंह द्वारा की गई जाँच आख्या दिनांक 28-05-2010 की प्रतिलिपि को संलग्न करके भेजा। डिप्टी कलेक्टर द्वारा अपनी जाँच आख्या में मेरी सम्पत्तियों के बारे में लिखा गया कि जयभगवान लेखपाल द्वारा क्रय की गई सम्पत्ति वैध धन का प्रबन्ध करके एवं नियोक्ता अधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के बाद क्रय की गई है। इस जाँच आख्या में यह भी लिखा कि जय भगवान पर लगाए गए आरोप असत्य, निराधार एवं तथ्यहीन हैं। यह शिकायतें उन अवैध कब्जाधारियों द्वारा की गई हैं जिनके अवैध अतिक्रमण हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि से लेखपाल द्वारा नियमानुसार कार्यवाही करके हटाए गए हैं, इन अवैध अतिक्रमणकारियों ने अपना एक गुट बना लिया है जो लेखपाल के विरुद्ध अनर्गल आरोप लगाकर लेखपाल को परेशान करना चाहता है। _ **232A**

इसके अतिरिक्त माफिया जगदीप सिंह द्वारा दिनांक 15-04-2011 में मेरी पत्नी, मेरे भतीजे एवं मेरे साले की सम्पत्तियों की जाँच कराए जाने के सम्बन्ध में एक शिकायती प्रार्थना पत्र श्रीमान आयुक्त महोदय सहारनपुर मण्डल सहारनपुर को दिया था। इस प्रार्थना पत्र की जाँच उपरान्त जाँच आख्या अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 696 / एस0टी0- प्रशासन, दिनांक 02-07-2011 के द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को प्रेषित की थी। इस जाँच आख्या में मेरे भतीजे गौरव कुमार एवं मेरे साले सतीश कुमार के परिवारो के अलग होने तथा इन दोनों के द्वारा क्रय की गई सम्पत्तियों का मेरे से कोई सम्बन्ध नहीं होना स्वीकार किया गया है। मेरी पत्नी की सम्पत्तियों के सम्बन्ध में भी लगाए गए आरोप असत्य पाए जाने तथा शिकायतकर्ता जगदीप सिंह क्यों बार-बार शिकायत कर रहा है, उन कारणों का उल्लेख भी इस जाँच आख्या में अंकित किया गया था। _ **233**

232A **233**

मेरे द्वारा जो उक्त सम्पत्तियाँ क्रय की गई, वह वैध धन का प्रबन्ध करके एवं अपने नियुक्ति अधिकारी को प्रार्थना पत्र में क्रय की जाने वाली सम्पत्ति एवं उसे खरीदने के लिए मेरे पास उपलब्ध धन व उस धन की प्राप्ति के स्रोत को उल्लिखित करते हुए प्रार्थना पत्र नियुक्ति अधिकारी को दिए जाने के पश्चात, नियुक्ति अधिकारी द्वारा अपने अधीनस्थ अधिकारियों से उस सम्पत्ति तथा धन के स्रोतों की जाँच कराने के उपरान्त नियुक्ति अधिकारियों द्वारा सम्पत्तियों को क्रय किए जाने की अनुमतियाँ प्रदान किए जाने के उपरान्त यह सम्पत्तियाँ क्रय की गई थी और यह सब अनुमतियाँ भी मेरी व्यक्तिगत पत्रावली में उपलब्ध थी और यह सभी सम्पत्तियाँ मेरे विरुद्ध दर्ज कराए गए इन मुकदमों से काफी पहले क्रय की गई थी ।

अब बात करता हूँ मेरे विरुद्ध कराई गई **(Vigilance Inquiry)** अर्थात सतर्कता जाँच की, जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर द्वारा की गई संस्तुति के आधार पर उत्तर प्रदेश शासन द्वारा मेरी सम्पत्तियों की जाँच विजिलेंस विभाग मेरठ को सौंपी गई। विजिलेंस जाँच की प्रक्रिया यह है कि इसमें पहले खुली जाँच होती है जिसमें विजिलेंस विभाग जिसकी जाँच करता है उसकी आय एवं व्यय की जानकारियाँ विभिन्न विभागों एवं विभिन्न माध्यमों एवं अपनी गोपनीय जाँच के द्वारा करता है, उसके पश्चात यदि व्यय उसकी आय से अधिक पाया जाता है तो उसके विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा दर्ज कराने हेतु अपनी जाँच शासन को भेजता है इसी क्रम में मेरे विरुद्ध चल रही खुली जाँच विजिलेंस विभाग में कई वर्षों तक चलती रही जब मेरे विरुद्ध मामला नहीं बना तो इसमें दो अनियमिताएँ की गई-

(1.) यह कि मेरी सम्पत्ति की जाँच की अवधि जो मेरे सेवाकाल अर्थात अप्रैल 1991 से शुरू होकर जनवरी 2015 तक थी, को जानबूझकर अप्रैल 1991 से 31 दिसम्बर 2012 तक सीमित कर दिया गया अर्थात उन अन्तिम दो वर्षों को छोड़ दिया गया जिनमे मुझे और मेरी पत्नी को सर्वाधिक आय हुई थी क्योंकि इन दो वर्षों में मुझे लेखपाल पद से सर्वाधिक वेतन मिला एवं मेरी पत्नी को गन्ना मिल टिकोला द्वारा गन्ना भुगतान से अधिकतम आय प्राप्त हुई, जब इससे भी मैं आय से अधिक सम्पत्ति के दायरे में नहीं आया तब दूसरी अनियमिता देखिए, यह अनियमितता की बजाय धोखाधड़ी थी।

(2.) मेरी पत्नी ने पी0एन0बी0 जानसठ से जो विभिन्न वर्षो में कृषि हेतु **(K.C.C.)** कृषि ऋण 12 लाख रूपये लिया था उसे मात्र 9 लाख रूपये दर्शा दिया गया और इन वर्षों में जो कृषि ऋण 12 लाख रूपये जमा किया था उसे 15 लाख रूपये दर्शा दिया अर्थात 6 लाख रूपये का अन्तर जानबूझकर पैदा कर दिया।

और इस प्रकार शासन को मेरे विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्तियाँ पाए जाने की रिपोर्ट भेज दी, इस रिपोर्ट के आधार पर मेरे विरुद्ध थाना सतर्कता अधिष्ठान मेरठ, सेक्टर मेरठ में आय से अधिक सम्पत्ति का मुकदमा, मु0अ0सं0- 02 सन 2021 अन्तर्गत धारा 13(01) (b) एवं 13(02) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम- 1988 के अन्तर्गत दर्ज हो गया। _ **234** _

234

इस एफ0आई0आर0 में मेरा व्यय 11,41,874 रुपयें अर्थात 19.94% मेरी आय से अधिक पाया जाना उल्लिखित किया गया। यहाँ यह स्पष्ट करना भी आवश्यक है कि आय से 10% अधिक व्यय होने तक भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत मुकदमा दर्ज नहीं कराया जा सकता।

इस मुकदमे की विवेचना थाना सतर्कता अधिष्ठान मेरठ सेक्टर मेरठ में कार्यरत इंस्पेक्टर श्रीमती मंजूलता कुशवाह को सौंपी गई। इस मुकदमे की विवेचना के दौरान उन्होंने मुझे मेरठ थाने में बुलाया व बताया कि तुम्हारे विरुद्ध आय से अधिक सम्पत्ति होने का मुकदमा दर्ज हुआ है जिसकी विवेचना मेरे द्वारा की जा रही है तुम्हारे बयान लेने हैं, मैंने उनसे कहा कि आप जैसा चाहो वैसा लिखो, मेरे बयान देने से कुछ नहीं होगा, आप कौन सा सिस्टम से अलग हो जब अधिकारी मुझे फँसाना चाहते हैं तो आप भी फँसाओ, मैं तो अपने कागज उठाये-उठाये पिछले कई वर्षों से घूम रहा हूँ मेरी सुनवाई कहाँ है ? उन्होंने कहा सबको एक जैसा मत समझो, मैं वही करूँगी जो सही होगा। तुम्हारे साक्ष्यों में तुम्हारी आय अधिक होगी तो अधिक लिखूँगी, कम होगी तो कम लिखूँगी। मैंने कहा देख लेना सरकारी नौकरी में अपने ईमान के साथ नौकरी करना सम्भव नहीं है, सब नदी की धारा के साथ बहते हैं। उन्होंने कहा मैं सही करती हूँ, किसी दबाव में बिल्कुल गलत नहीं करूँगी और कहा कि मैंने कभी किसी निर्दोष को अपनी कलम से फँसाया नहीं और दोषी को छोड़ा नहीं है। मैंने सोचा भगवान की मर्जी इन्हें भी देखते हैं क्या सही करेंगी और क्या गलत और मैंने उन्हें अपने बयान लिखवाएँ और अपने साक्ष्य एक प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न करके विजिलेंस विभाग को डाक द्वारा भेज दिए। बाद में मुझे जानकारी मिली कि उनके द्वारा मेरे विरुद्ध दर्ज इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट शासन को भेज दी गई जो शासन द्वारा स्वीकार करने के उपरान्त उन्होंने इस मुकदमे में फाइनल रिपोर्ट लगाकर मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण मेरठ में भेज दी। वह अपने वचन की सच्ची निकली, मैं उस महान नारी शक्ति को सादर नमन करता हूँ, जो इस व्यवस्था में रहकर भी सत्य को सत्य और असत्य को असत्य लिखने की हिम्मत रखतीं है।

मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण, मेरठ द्वारा इस अन्तिम रिपोर्ट संख्या- 07/ 544/ 2023 को दिनांक 15-02-2025 में स्वीकार कर लिया गया। मा0 न्यायालय के इस आदेश से स्पष्ट है कि मेरे पास आय से अधिक सम्पत्तियाँ नहीं पाई गई। _ **235**

अब इन अधिकारियों से यह प्रश्न करने वाला तो कोई नहीं है कि जय भगवान लेखपाल के पास की वह अरबों-खरबो की सम्पत्तियाँ कहाँ गई ? वह अथाह अवैध काला धन कहाँ गया ? उसकी मेरठ, दिल्ली, हरिद्वार की सम्पत्तियाँ कहाँ गई ? उसका रामराज से लेकर शुक्रताल ही नहीं बिजनौर तक फैला हुआ साम्राज्य कहाँ गया ? उसके द्वारा लाखों बीघा भूमि का अवैध बन्दरबाँट करके कमाई गई सम्पत्ति कहाँ गई? क्या मुझे भी कभी इन प्रश्नों के उत्तर मिलेंगे?

एक ऐतिहासिक विभागीय कार्यवाही जिसके द्वारा मुझे लेखपाल पद की सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया गया

अब मैं आपको एक ऐसी विभागीय कार्यवाही दिखाता हूँ जैसी न आपने सुनी होगी और न आपने देखी होगी और यह वह विभागीय कार्यवाही है जिसके द्वारा मुझे लेखपाल पद की सेवा से बाहर का रास्ता दिखाया हुआ है हालांकि यदि मैं इस पद पर होता तो मैं मार्च 2030 में सेवानिवृत्त होता। मेरे द्वारा प्रेस वार्ता किए जाने के तीन दिन बाद दिनांक 07-11-2014 में मुझे निलम्बित किया गया। _ **236** _ दिनांक 29-11-2014 में मुझे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया और बिना कोई सुनवाई का अवसर दिए एकतरफा आदेश पारित करके मुझे दिनांक 09-01-2015 में लेखपाल पद की सेवा से पदच्युत कर दिया गया। _ **237** _ इस आदेश के विरुद्ध मैंने जिला कारागार में रहते हुए जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को अपील लिखकर जेल अधिकारियों के द्वारा भिजवाई। जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने इस अपील को दिनांक 11-09-2017 में अपील में उल्लिखित तथ्यों एवं साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए निरस्त कर दिया। इन दोनों आदेशों के विरुद्ध मैंने मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण लखनऊ में एक निर्देश याचिका 1821 सन 2017 योजित की। मा0अधिकरण द्वारा अपने आदेश दिनांक 07-05-2018 द्वारा दिनांक 09-01-2015 व दिनांक 11-09-2017 के इन दोनों आदेशों को यह कहकर निरस्त कर दिया कि जिस जाँच के आधार पर यह आदेश पारित किए गए हैं वह नियमानुसार नहीं की गई थी और सम्पूर्ण जाँच को गम्भीर प्रक्रियात्मक त्रुटि के कारण दूषित होना बताकर मुझे लेखपाल पद की सेवा में वापस लेने के आदेश पारित किये और अधिकारीगण को यह आदेश दिया कि वह चाहे तो दोबारा नए सिरे से जाँच कर सकते हैं लेकिन यदि दोबारा जाँच करते हैं तो वह जाँच तिथि, स्थान व समय निर्धारित करके साक्षियों का प्रति परीक्षण यांची से कराकर की जावे एवं आरोप पत्र में उल्लिखित अभिलेखों को याची की उपस्थिति में सिद्ध कराया जाए। _ **238**

मा0 अधिकरण के आदेश के अनुपालन में कार्यालय उप जिलाधिकारी सदर के आदेश, पत्र संख्या 2571

236 **237** **238**

/ एस0टी0-18, दिनांक 13-06-2018 के द्वारा मुझे लेखपाल पद की सेवा में बहाल कर दिया गया। कार्यालय जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर के पत्र संख्या 783/ सात-भूलेख, दिनांक 15-06-2018 के द्वारा मेरा स्थानान्तरण तहसील सदर से तहसील खतौली में करते हुए मुझे भूलेख कार्यालय (जिला मुख्यालय) पर सम्बद्ध कर दिया गया। दिनांक 18-06-2018 में, मैने तहसील सदर से अवमुक्त होकर तहसील खतौली में अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की। तहसीलदार खतौली ने मेरी योगदान आख्या स्वीकार कर मुझे जिला मुख्यालय पर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत करने का आदेश दिया जिसके अनुपालन में, मैंने सदर कानूनगो (भूलेख कार्यालय) में जाकर अपनी योगदान आख्या प्रस्तुत की। _ **239** _ अर्थात दिनांक 18-06-2018 में, मैं तहसील खतौली का लेखपाल हो चुका था। इस दिनांक से मेरे नियुक्ति अधिकारी उप जिलाधिकारी खतौली थे। मेरे विरुद्ध कोई भी विभागीय कार्यवाई करने, आरोप पत्र जारी करने या दण्ड देने का अधिकार उन्हें था। लेकिन नियम, कानून यह सब तो कहने मात्र की बातें हैं अधिकारी लोग इन सब से ऊपर हैं इसी कारण दिनांक 29-06-2018 में उप जिलाधिकारी सदर द्वारा मेरे विरुद्ध आरोप पत्र जारी कर दिया गया। _ **240** _ अब उनसे यह प्रश्न कौन करे कि जब आप जय भगवान के नियुक्ति अधिकारी नहीं है एवं जय भगवान आपके अधीन सेवारत नहीं है, तब आपको वह कौन सी शक्ति प्राप्त है कि आप जय भगवान को अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आरोप पत्र जारी करें, आरोप पत्र जारी करते तो उप जिलाधिकारी खतौली करते। बाद में एक अनुपूरक आरोप पत्र दिनांक 24-07-2018 में उप जिलाधिकारी खतौली ने भी जारी कर दिया जिसमें राजस्व विभाग की छवि धूमिल करने, लेखपाल जैसे महत्वपूर्ण पद की गरिमा का ह्रास करने, एवं राजस्व प्रशासन की छवि धूमिल करने के आरोप लगाए गये। _ **241**

इन आरोप पत्र एवं अनुपूरक आरोप पत्र में उल्लिखित साक्ष्य मुझे आरोप पत्र एवं अनुपूरक आरोप पत्र के साथ उपलब्ध नहीं कराए गए, जिस कारण मैंने अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपो में उल्लिखित साक्ष्य अधिकारियों से माँगे, तो साक्ष्य देने के बजाय जिले के अधिकारीगण एक दूसरे को पत्र लिखते रहे कि जय भगवान पर लगाए गए आरोपों के साक्ष्य उसे प्रदान किए जाए। यह क्रम 6 माह तक लगातार चलता रहा फिर भी मुझे साक्ष्य प्रदान नहीं किए गए। क्या आपने कोई ऐसी विभागीय कार्यवाई देखी है जहाँ आरोप लगा दिए गए हो उसमें साक्ष्य लिख दिए गए हो किन्तु वे साक्ष्य अधिकारियों के पास हो ही न (इसका कारण जहाँ तक मैं समझता हूँ उस समय अधिकारियों की सोच

239

240

241

यह थी कि इतनी कार्यवाहियों के बोझ तले दबकर यह व्यक्ति आत्महत्या कर लेगा, साक्ष्यों को देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी) शायद यह भारत की पहली ऐसी विभागीय कार्यवाही है जिसमें किसी कर्मचारी पर लगाए गए आरोपो के साक्ष्य (आरोप पत्र देने के बाद) देने के लिए अधिकारियों ने एक दूसरे अधिकारियों को इतनी बड़ी संख्या में पत्र लिखें। अब यह प्रश्न कौन करता कि जब आपके पास आरोपी को सिद्ध करने के साक्ष्य नहीं थे तो आपने आरोप लगाए क्यों ?

इन साक्ष्यों को प्रदान किए जाने हेतु तीन पत्र मेरे द्वारा लिखे गए तथा कुल 29 पत्र जिले के वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारीगण द्वारा एक दूसरे अधिकारियों को लिखे गए इन सभी पत्रों का अवलोकन आप अवश्य करे। **_ 242 _** इन अधिकारीगण द्वारा मेरे विरुद्ध आरोप लगाने आसान थे किन्तु साक्ष्य देना कठिन। मुझे अधिकांश साक्ष्य न दिए जाने के बावजूद मैंने दिनांक 07-12-2018 में जाँच अधिकारी को अपना स्पष्टीकरण/ जवाब दिया और मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोप किस प्रकार झूठे हैं इनके बारे में तथ्यात्मक वर्णन अंकित करते हुए कुल 130 लिखित सबूत जो (कुल 440 पृष्ठों) के रूप में थे, संलग्न करके उन्हें दिए। **_ 243**

अब इस विभागीय कार्यवाही के दूसरे चरण अर्थात साक्षीगण से मेरा प्रति परीक्षण कराए जाने की प्रक्रिया को देखिए। मैंने दिनांक 07-12-2018 में जाँच अधिकारी को दिए गए अपने स्पष्टीकरण/ जवाब में मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपो मे उल्लिखित साक्ष्यो के साक्षीगण से उनका नाम/ पदनाम उल्लिखित करते हुए जाँच अधिकारी से इन सभी से प्रति परीक्षण कराए जाने की माँग की। मा0 राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेश दिनांक 07-05-2018 में भी ऐसा करने का आदेश दिया गया था। जिस प्रकार विभागीय जाँच के प्रथम चरण में साक्ष्यों को देने में अनेक पत्राचार किए गए, उसके बावजूद अधिकांश साक्ष्यों को उपलब्ध नहीं कराया गया, ठीक उसी प्रकार प्रतिपरीक्षण न कराना पड़े इसके लिए जाँच अधिकारी द्वारा किस प्रकार अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर मुझे नियम विरुद्ध कितने प्रकार के आदेश जारी किए गए उनका विवरण प्रस्तुत करता हूँ।

जाँच अधिकारी तहसीलदार न्यायिक तहसील सदर द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 109/ ए0एम0जे0 दिनांक 14-12-2018 के द्वारा मुझे आदेश दिया गया कि आपने दिनांक 07-12-2018 में जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया है उसमें इन आरोपों के सम्बन्ध में कपितय व्यक्तियों, अधिकारियों से प्रति परीक्षण का अवसर प्रदान करने की अपेक्षा की गई है, आपने अपने स्पष्टीकरण में कुछ व्यक्तियों के नाम अवश्य लिखें हैं किन्तु कुछ व्यक्तियों के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है और न हीं उनसे जिरह/ बयान के सम्भावित बिन्दुओं का उल्लेख किया गया है। **_ 244**

242 **243** **244**

जबकि मेरे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण में स्पष्ट रूप से जिन कर्मचारियों/ अधिकारियों एवं अन्य व्यक्तियों से इन आरोपों के सम्बन्ध में मुझे प्रति परीक्षण करना था, मैंने उनके नामो का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया था, इसके बावजूद मेरे द्वारा जाँच अधिकारी के इस आदेश का पालन करते हुए दिनांक 17-12-2018 में उन्हें उन साक्षीगणों के नाम/ पदनाम और उनसे किन बिन्दुओं पर मैं प्रतिपरीक्षण करना चाहता हूँ यह सब लिखकर जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया। _ **245** _ (क्योंकि मेरे विरुद्ध की जा रही इस विभागीय कार्यवाई की अप्रत्यक्ष मॉनिटरिंग जिले में तत्समय कार्यरत रहे अधिकारीगण जो इस समय तक प्रदेश के उच्च प्रशासनिक पदों पर आसीन हो चुके थे, के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से की जा रही थी) एवं जाँच अधिकारी को उनका मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा था। मेरे द्वारा दिनांक 17-12-2018 में उनके समक्ष प्रस्तुत किए गए इस पत्र के बाद जाँच अधिकारी महोदय द्वारा अपने कार्यालय के पत्र संख्या 121 /ए0 एम0जे0, दिनांक 29-12-2018 द्वारा मुझे एक चार्ट उपलब्ध कराते हुए आदेश दिया कि इस चार्ट पर प्रतिपरीक्षण हेतु साक्षीकरण के नाम, पदनाम, पता और बयान के सम्भावित बिन्दु लिखकर उन्हें उपलब्ध कराऊँ _ **246** _ जबकि मेरे द्वारा दिनांक 17-12-2018 में ही यह सब लिखकर जाँच अधिकारी को उपलब्ध करा दिया गया था। फिर भी मैंने पुनः दिनांक 01-01-2019 में उनके आदेश का पालन भी करते हुए उनके समक्ष चार्ट बनाकर एवं उस चार्ट में प्रति परीक्षण हेतु साक्षीगण के नाम, पदनाम, पता, एवं सम्भावित बयान के बिन्दुओं का उल्लेख करते हुए उनके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। _ **247**

अब देखिए जाँच अधिकारी महोदय द्वारा विभागीय कार्यवाही के नियम, कायदे, कानून, मा0 अधिकरण के आदेशों को दरकिनार करते हुए एक गैर कानूनी पत्र जो उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 174/ ए0एम0जे0, दिनांक 03-01-2019 में जारी किया। जिसमें उन्होंने लिखा कि आपने साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण हेतु पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख नहीं किया गया है ताकि साक्षीगण से उन बिन्दुओं पर आख्या प्राप्त की जा सके, और मुझे आदेश दिया कि साक्षीगण से पूछे जाने वाले प्रश्नों का उल्लेख करते हुए इस कार्यालय के इस पत्र की प्राप्ति के तीन दिन के भीतर इन प्रश्नों का उल्लेख करते हुए उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे। _ **248**

अब जाँच अधिकारी महोदय से यह प्रश्न करने का अधिकार तो किसी को नहीं था कि महोदय विभागीय कार्यवाही में प्रतिपरीक्षण कराए जाने का नियम एवं प्रक्रिया क्या है ? प्रति परीक्षण किसे कहते हैं ? प्रति परीक्षण किस

245 **246** **247** **248**

प्रकार कराया जाता है ? वैसे भी इन प्रश्नों को किए जाने का कोई अर्थ नहीं रह गया था क्योंकि यह विभागीय कार्यवाही तो मात्र दिखावे के लिए की जा रही थी इसका अन्तिम परिणाम तो पहले से ही तय कर दिया गया था। फिर भी मैंने अपने जीवन के नियम के मुताबिक किसी भी परिस्थिति में हार न मानने के क्रम में दिनांक 04-01-2019 में जाँच अधिकारी महोदय को एक पत्र लिखा जिसमें मैंने लिखा कि महोदय विभागीय कार्यवाही में कराए जाने वाले प्रतिपरीक्षण में आख्या प्राप्त किए जाने का कोई प्रावधान नहीं है एवं मा0 अधिकरण द्वारा भी आपको आदेश दिया गया है कि तिथि, समय, व स्थान निर्धारित करते हुए याची का साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण कराया जाए, मैंने इस पत्र में यह भी लिखा है कि मा0 अधिकरण द्वारा इस विभागीय कार्यवाही को शुरू किए जाने की तिथि से 06 माह के अन्दर इसे पूरी करने के आदेश दिए थे, 06 माह का समय बीत चुका है अब आप मा0 अधिकरण द्वारा दिए गए निर्णय के अनुक्रम में प्रार्थी के रोके गए समस्त सेवा लाभ प्रार्थी को प्रदान कराने की कृपा करें और इस पत्र की प्रतिलिपियाँ मैंने जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी प्रशासन एवं नियुक्ति अधिकारी उप जिलाधिकारी खतौली को भी की। _ **249**

मेरे द्वारा यह पत्र उन्हें प्राप्त कराए जाने के बाद जाँच अधिकारी महोदय प्रतिपरीक्षण कराए जाने के लिए विवश हो गए, किन्तु हार उन्होंने भी नहीं मानी कि किस प्रकार इस विभागीय कार्यवाही का संचालन नियमों, कानूनो को ताक पर रखकर अपनी मनमर्जी के मुताबिक करना है उसे उन्होंने जारी रखा, और उन्होंने अपने कार्यालय के पत्र संख्या 199/ ए0एम0जे0, दिनांक 10-01-2019 के द्वारा 21 अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम लिखकर उनसे प्रति परीक्षण कराए जाने हेतु तारीख निश्चित की, _ **250** _ एक कर्मचारी के सम्बन्ध में उससे प्रतिपरीक्षण कराए जाने हेतु उनके द्वारा बाद में तारीख निश्चित की गई। जाँच अधिकारी महोदय द्वारा जिन साक्षीगण से मैने प्रतिपरीक्षण चाहा था, उनमें से अधिकांश को छोड़कर यह पत्र जारी किया गया। विभागीय कार्यवाही के नियमों के मुताबिक जाँच अधिकारी यदि चाहे गए साक्षीगण में से किसी एक या अधिक का प्रतिपरीक्षण नहीं करना चाहते तो प्रतिपरीक्षण क्यों नहीं कराया जा सकता, उन कारणों का उल्लेख करते हुए अपचारी कर्मचारी को इसकी सूचना देंगे कि चाहे गए साक्षीगण से प्रतिपरीक्षण का अवसर क्यों प्रदान नहीं किया जा रहा है। किन्तु यह ठहरे अधिकारी, इनकी कलम जो लिखे वही नियम, वही कानून।

जाँच अधिकारी द्वारा जिन साक्षीगण से मेरा प्रतिपरीक्षण निर्धारित किया गया। निर्धारित दिनांक एवं स्थान पर उनमें से कौन-कौन आये और किस-किस ने प्रतिपरीक्षण में भाग लिया, इसका उल्लेख जाँच अधिकारी द्वारा अपने कार्यालय द्वारा जारी पत्र संख्या- 212 ए0एम0जे0- 2019, दिनांक 17-01-2019, पत्र संख्या- 227 ए0एम0जे0

249

250

- 2019, दिनांक 18-01-2019, पत्र संख्या- 228 ए0एम0जे0- 2019 दिनांक 19-01-2019, पत्र संख्या- 240 ए0एम0जे0- 2019, दिनांक 23-01-2019, पत्र संख्या - 243 ए0एम0जे0- 2019, दिनांक 24-01-2019, पत्र संख्या- 246 ए0एम0जे0- 2019, दिनांक 25-01- 2019, एवं पत्र संख्या- 247 ए0एम0जे0- 2019, दिनांक 28-01-2019 में है, आप स्वयं इनका अवलोकन कर सकते हैं। **_251**

इस विभागीय कार्यवाही में मेरे विरुद्ध जो आरोप लगाए गए थे और उनमें जो सबूत/ साक्ष्य मेरे विरुद्ध लिखे गए थे, और वह सबूत/ साक्ष्य जिन अधिकारियों/कर्मचारियों ने बनाए थे, उन साक्षीगण में से 22 साक्षियों का प्रतिपरीक्षण जाँच अधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया (21 एक पत्र द्वारा एवं 01 बाद में जारी पत्र द्वारा) जिनमें से 09 साक्षीगण (कर्मचारीगण) श्री प्रवीण कुमार तत्कालीन प्रभारी राजस्व निरीक्षक मीरापुर, श्री भूपेन्द्र कुमार, श्री मोतीराम, श्री ब्रजपाल, श्री प्रवीण कुमार, श्री प्रताप सिंह लेखपाल, श्री विजय कुमार तत्कालीन एल0आर0सी0, श्री किरतपाल तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो जानसठ एवं श्री शबाब आलम वनमाली इस प्रतिपरीक्षण में उपस्थित हुए और उन्होंने मेरे विरुद्ध गठित किए गए सबूत/ और साक्ष्यों को फर्जी रूप से गठित किया जाना स्वीकार किया और मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपों से इनकार कर दिया। **_ 78 + 79 + 252 _** शेष 13 साक्षीगण (अधिकारीगण) जिनमें श्री रामकिशन शर्मा तत्कालीन अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व मुजफ्फरनगर, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी तत्कालीन अपर जिलाधिकारी प्रशासन मुजफ्फरनगर, श्री उमेश मिश्र तत्कालीन उप जिलाधिकारी जानसठ, श्री राकेश कुमार तत्कालीन तहसीलदार जानसठ, श्री विनीत कुमार तत्कालीन डिप्टी कलेक्टर मुजफ्फरनगर, श्री आर0एन0 धामा तत्कालीन उपसंचालक चकबंदी, श्री अजय पोरवाल तत्कालीन चकबंदी अधिकारी, श्री अरविन्द कुमार तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी, श्री भोपाल सिंह तत्कालीन रजिस्ट्रार कानूनगो जानसठ, श्री हरस्वरूप तत्कालीन नायब तहसीलदार जानसठ, श्री रजनीकान्त तत्कालीन तहसीलदार सदर, श्री राजेश श्रीवास्तव तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी, श्री फकीर लाल शाह तत्कालीन सहायक चकबंदी अधिकारी भी सम्मिलित थे, और यह सभी 13 के 13 वरिष्ठ अधिकारी ही थे, इनमें से किसी भी अधिकारी/ साक्षी ने आकर मेरे विरुद्ध बनाए गए उन सबूतों/ साक्ष्यों को सिद्ध अथवा प्रमाणित नहीं किया जिनके आधार पर मेरे विरुद्ध आरोप लगाए गये थे। जबकि जाँच अधिकारी द्वारा इस कार्य के लिए अलग-अलग दिनांक निर्धारित करते हुए प्रत्येक अधिकारी को कम से कम दो अवसर उपलब्ध कराये। अरे श्री कौशलराज शर्मा जी की फौज के शेरों,

251 **78** **79** **252**

बहादुरो, उनके सेनानायको, यदि आपका माफियाओं के साथ गठजोड़ नहीं था, आप गुरमीत सिंह के साथ मिलकर लगभग 850 बीघा सरकारी भूमि को हड़पना नहीं चाहते थे, आपने हजारों किसानों की लाखों बीघा भूमि को बिना पैमाइश, बिना उन्हें सुनवाई का अवसर दिए उनसे नहीं छीना था, आपने किसानों की अरबो रुपए की गन्ने की फसलो को नहीं लूटा था, आपने मुझ सहित अन्य व्यक्तियों एवं सैकड़ो किसानों के विरुद्ध फर्जी मुकदमे दर्ज नहीं कराए थे और उन मुकदमों को दर्ज कराकर फर्जी सबूत/ अपनी हस्तलिखित रिपोर्ट द्वारा तैयार नहीं किए थे, आपने इन मुकदमों की फर्जी विवेचनाये नहीं कराई थी, उनमें अपने फर्जी बयान दर्ज नहीं कराए थे, आपने माफियाओं के साथ मिलकर मेरी सम्पत्तियों को नहीं लूटा था, आपने मेरी प्रेस वार्ता के बाद उसमें उठाए गए बिन्दुओं से ध्यान हटाने के लिए हस्तिनापुर वन्य जीव विहार की भूमि का कृत्रिम महाभूमिघोटाला नहीं बनाया था, तब आपको इस प्रतिपरीक्षण में आकर उन सबूतो को सिद्ध करने में क्या कठिनाई थी, वैसे भी प्रतिपरीक्षण वह प्रक्रिया है जहाँ दोनों पक्ष एक दूसरे से प्रश्न उत्तर कर सकते हैं। यदि एक दो अधिकारी न आता तब तो यह भी माना जा सकता था कि उसे कोई शारीरिक या पारिवारिक या शासकीय सेवा सम्बन्धी कोई समस्या रही होगी, किन्तु 13 अधिकारियों में से मात्र एक अधिकारी भी नहीं आया क्यों ? आप लोग तो इस महाभूमिघोटाले के नायक हैं फिर मेरा सामना करने की हिम्मत आप लोग क्यों नहीं जुटा पा रहे हो ? आप अपने अपराधों को कब तक छुपाओगे, ईश्वर एक दिन सत्य का साथ अवश्य देगा, ध्यानरखना "सत्य परेशान हो सकता है पराजित नहीं " जाँच अधिकारी द्वारा नियुक्ति अधिकारी को जो जाँच आख्या प्रेषित की गई उसमें मेरे द्वारा प्रस्तुत उन 130 सबूतो के बारे में कुछ नहीं लिखा गया जो मैंने उन्हें अपने विरुद्ध लगाए गए आरोपो के निराधार होने के सम्बन्ध में उपलब्ध कराए थे जबकि नियमों के अनुसार जाँच अधिकारी को मेरे द्वारा दिए गए उत्तर एवं दिए गए सबूतो को कि वह किस प्रकार सही नहीं है इसका उल्लेख करते हुए खारिज करना चाहिए था। इसके अलावा जिन नौ साक्षीगण से उन्होंने अपने समक्ष मेरा प्रतिपरीक्षण कराया और उन सभी के द्वारा मेरे विरुद्ध बनाए गए सबूतो/ साक्ष्यों को फर्जी रूप से गठित किया जाना स्वीकार किया, इसका उल्लेख भी उन्होंने जाँच आख्या में नहीं किया, आरोपवार अन्य साक्षीगणों ने आकर मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपो में गठित किए गए सबूतो/ साक्ष्यों को सिद्ध/ प्रमाणित नहीं किया इसका उल्लेख भी उन्होंने अपनी जाँच आख्या में नहीं किया। यह जाँच आख्या मुझे कार्यालय उप जिलाधिकारी खतौली के पत्र संख्या 2229/ र0का0- 2019, दिनांक 14-02-2019 के द्वारा कारण बताओं नोटिस के साथ उपलब्ध कराई गई। _ **253**

इस कारण बताओं नोटिस के द्वारा मुझे इस जाँच आख्या के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण/ आपत्ति दिए जाने हेतु मात्र 07 दिन का समय प्रदान किया गया। मैंने दिनांक 20-02-2019 में जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत की गई इस जाँच आख्या के सम्बन्ध में

अपना स्पष्टीकरण/ आपत्ति नियुक्ति अधिकारी उप जिलाधिकारी खतौली के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें मेरे द्वारा जाँच अधिकारी द्वारा प्रस्तुत यह जाँच आख्या किस प्रकार कपोल-कल्पित, मनघण्ड़त, दूषित, भ्रामक, एकतरफा, विधि विरुद्ध, अप्रमाणित, अविश्वसनीय, पूर्व नियोजित, प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्त के विपरीत एवं माननीय राज्य लोक सेवा अधिकरण द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है, इसका सम्पूर्ण वर्णन उल्लिखित करते हुए उप जिलाधिकारी खतौली को उनके द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस का जवाब दिया। _ **254** _ मेरे द्वारा, मेरे विरुद्ध लगाए गए प्रत्येक आरोप को अभिलेखीय रूप से असत्य सिद्ध किया गया। मेरे विरुद्ध लगाए गए आरोपों की पुष्टि में उल्लिखित एक भी साक्ष्य को किसी भी साक्षी (साक्ष्य/ सबूत गठित करने वाले कर्मचारी/ अधिकारी) द्वारा सिद्ध/ प्रमाणित नहीं किया गया फिर भी मुझे लेखपाल पद की सेवा से बाहर का रास्ता उप जिलाधिकारी खतौली श्री अजय कुमार अम्बष्ट द्वारा अपने कार्यालय के आदेश पत्र संख्या 2982/ र0का0- 2019, दिनांक 12-09-2019 के द्वारा दिखा दिया गया। _ **255** _ यह श्री अजय कुमार अम्बष्ट वही डिप्टी कलेक्टर थे जो गैंगस्टर एक्ट के तहत लूटी गई मेरी सम्पत्तियों की जाँच करने में अक्षम थे।

यह जाँच प्रक्रिया एक दिखावा मात्र थी क्योंकि इसका परिणाम तो प्रदेश में उच्च पदों पर कार्यरत अधिकारियों द्वारा पूर्व से ही निर्धारित कर दिया गया था। वैसे भी मेरे जैसा व्यक्ति इस देश में सरकारी नौकरी के लायक कहाँ, जहाँ श्री कौशलराज शर्मा, श्री रामकिशन शर्मा, डॉ0 इन्द्रमणि त्रिपाठी, श्री उमेश मिश्र एवं श्री राकेश कुमार जैसे लायक अधिकारी सरकारी सेवा में उच्च पदों पर हो।

254

255

थाना खतौली में मेरी हिस्ट्रीशीट खुलवाकर मुझे हिस्ट्रीशीटर बनवाया जाना

इस प्रकरण की सच्चाई को सामने लाने की कवायद में, मैं जगह-जगह घूम रहा हूँ, लगातार कोशिश कर रहा हूँ, इसकी भनक उस समय कार्यरत रहे प्रशासनिक अधिकारियों जो इस समय अत्यन्त प्रभावशाली पदों पर विराजमान है, को भी लगती रहती है, उनका प्रभाव क्षेत्र व्यापक है। इस प्रकरण को, इस प्रकरण की सच्चाई को मैं सामने न ला पाऊँ, इसके लिए उन्होंने दिमाग लगाकर एक ऐसी चाल चली जिससे मैं अपने घर में नजर बन्द होकर रह जाऊँ, उन्होंने अपने प्रभाव का प्रयोग करके उस समय दर्ज कराए गए इन मुकदमों के आधार पर जनपद के पुलिस अधिकारियों से थाना खतौली में मेरी हिस्ट्रीशीट खुला दी। यह हिस्ट्रीशीट इन्होंने मार्च 2021 में खुलवाई। अब मेरी हालत देखिए, थाना खतौली की पुलिस जहाँ मेरे विरुद्ध कोई मुकदमा भी दर्ज नहीं है, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, थाने में मेरी किसी ने कोई शिकायत भी नहीं की है, मेरा पूरा गाँव, मेरे गाँव के आसपास के अनेकों गाँवो के लोग मुझे जानते हैं कि मैं कोई अपराधी नहीं हूँ तब भी थाना खतौली की पुलिस मेरे घर आती है, पटवारी जी घर पर हो, बाहर आओ, हमारे साथ होकर खड़े होकर फोटो खिंचवाओ, हमें ग्रुप पर डालना है कि तुम घर पर हो या नहीं कोई अपराध तो नहीं कर रहे हो। वाह री व्यवस्था, वाह इस व्यवस्था को चलाने वाले इस देश के कर्णधारों, जिस तरह का व्यवहार मेरे साथ इस देश में लोकतंत्र, संविधान एवं कानून का राज्य रहते हुए किया जा रहा है, आपने तो अंग्रेजी राज को भी पीछे छोड़ दिया है। सत्य की राह अत्यन्त कष्टदायक, पीड़ादायक, अपमानजनक आदि है परन्तु मैं इससे विचलित नहीं हो पाउँगा, जब तक मेरे शरीर में अन्तिम साँस रहेगी। मैं भी देखूँगा कि सत्य परेशान होगा, पराजित होगा या विजयी होगा।

मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत भेंट एवं उसका परिणाम

इस प्रकरण की सच्चाई को उजागर करने के लिए अपने द्वारा किए गए एक महत्वपूर्ण प्रयास का वर्णन मैं आपके समक्ष करना चाहता हूँ। वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हुआ एवं मा0 योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री बने तब मैंने विचार किया कि यदि मैं मा0 मुख्यमंत्री जी से मिलूँ तो न्याय अवश्य मिलेगा और मैंने यह प्रयास शुरू किया कि मा0 मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत भेंट कैसे हो, इसके लिए मैंने प्रयास करने शुरू किये। लखनऊ के एक पत्रकार जिनसे मैं पहले मिल चुका था और इस प्रकरण के सारे तथ्यों से मैंने उन्हें अवगत कराया था एवं कागजात भी उन्हें दिखाए थे। उनसे मिलकर मैंने मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से व्यक्तिगत मुलाकात करने की इच्छा व्यक्त की और इस कार्य में उनसे सहयोग माँगा तो उन्होंने मुझे मुख्यमंत्री कार्यालय का एक फोन नम्बर दिया और कहा कि तुम इस नम्बर पर फोन करके संक्षिप्त में अपनी बात रखना, सम्भव है कि तुम्हारी मुलाकात हो जाए। मैंने ऐसा ही किया कुछ दिन बाद मुझे फोन पर सूचना मिली कि तुम मा0 मुख्यमंत्री जी से मिल सकते हो तथा दिनांक 21-04-2017 में शाम 4:00 बजे मिलने का समय मुझे दिया गया। निर्धारित दिनांक एवं समय पर मेरी मुलाकात मा0 मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से उनके कार्यालय एनेक्सी भवन लखनऊ में हुई। मैं अपने साथ इस प्रकरण से सम्बन्धित समस्त अभिलेख/ प्रमाण एवं एक प्रार्थना पत्र लेकर उनसे मिला और इस प्रकरण की जानकारी संक्षिप्त में मा0 मुख्यमंत्री जी को दी, तथा मा0 मुख्यमंत्री जी के समक्ष यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया।

सेवा में

माननीय मुख्यमंत्री महोदय

उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ

विषय :- आई0ए0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों व भू-माफियाओं के गठजोड़ के सम्बन्ध में।

महोदय,

निवेदन यह है कि आपने उत्तर प्रदेश को भू-माफियाओं से मुक्त करने का संकल्प लिया है, और आप उत्तर प्रदेश की सभी सरकारी भूमियों को अवैध कब्जों से मुक्त करना चाहते हैं। मैं आपको उत्तर प्रदेश के कुछ आई0ए0 एस0 व कुछ पी0सी0एस0 अधिकारियों व भू-माफियाओं के गठजोड़ द्वारा की गई एवं की जा रही अवैधानिक कार्यवाहियों की सूचना देना चाहता हूँ। इसके लिए मैं अपने साथ वे समस्त लिखित अभिलेख/ प्रमाण लेकर आया हूँ जिससे मैं आपके समक्ष यह प्रमाणित, सिद्ध कर सकूँ कि-

(1.) जनपद मुजफ्फरनगर में आई0ए0एस, पी0सी0एस अधिकारियों व भू-माफियाओं का गठजोड़ है और इस गठजोड़ में भू-माफियाओं के साथ कमिश्नर, जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी, उप जिलाधिकारी तथा तहसीलदार स्तर के अधिकारी सम्मिलित हैं ।

(2.) जनपद मुजफ्फरनगर में कई अरब रुपए मूल्य की सरकारी भूमि को इन आई0ए0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं भू-माफियाओं के गठजोड़ ने खुर्द-बुर्द कर दिया है तथा वर्तमान में भी खरबों रुपए की सरकारी भूमि पर अधिकारियों और भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ।

(3.) आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों व भू-माफियाओं के द्वारा तहसील-जानसठ, जिला-मुजफ्फरनगर के कई दर्जन गाँवो के हजारों किसानों की जमीने बिना पैमाइश/ बिना कोई मुआवजा प्रदान किए उनसे छीन ली है। इन आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों और भू-माफियाओं द्वारा किसानों की करोड़ों रुपए की फसलों को लूट लिया गया है। किसानों द्वारा विरोध करने पर सैकड़ो किसानों पर फर्जी मुकदमे लिखवाये गए हैं, बाद में फर्जी साक्ष्य गठित कराए गये और अधिकारियों द्वारा पुलिस से फर्जी विवेचनाये कराई गई हैं।

(4.) भू-माफियाओं के विरुद्ध कार्यवाही करने, उनसे हजारों बीघा सरकारी जमीन छुड़ाने वाले एवं अधिकारियों भू-माफियाओं के गठजोड़ का खुलासा करने वाले ईमानदार कर्मचारी के विरुद्ध इन आई0ए0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों व भू-माफियाओं के गठजोड़ द्वारा इतनी भयानक उत्पीड़नात्मक कार्यवाहियाँ की गई हैं जो अकल्पनीय/ ऐतिहासिक हैं।

(5.) जनपद मुजफ्फरनगर की तहसील जानसठ के दर्जनों गाँव के सैकड़ो किसानों की भूमि पर वर्तमान समय में भी भू-माफियाओं का कब्जा है।

(6.) जनपद-मुजफ्फरनगर में इन आई0ए0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों और भू-माफियाओं के गठजोड़ द्वारा सरकारी भूमियों को खुर्द-बुर्द करने, कब्जा करने के साथ-साथ लूट, भ्रष्टाचार एवं आपराधिक कार्य भी किए गए हैं एवं वर्तमान समय में भी किये जा रहे हैं।

(7.) इन अधिकारियों और भू-माफियाओं के गठजोड़ द्वारा गंगा नदी से करोड़ों रुपए मूल्य के रेत का अवैध रूप से खनन कराया जा चुका है एवं वर्तमान समय में भी अवैध खनन का कार्य जारी है।

(8.) इन आई0ए0एस,पी0सी0एस अधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं को लाभ पहुँचाने/ उन्हें बचाने के लिए षड्यंत्र के तहत अभिलेखों में धोखाधड़ी, हेराफेरी, जालसाजी व कूटरचना करने की अनेक घटनाओं का अन्जाम दिया गया है।

(9.) इन आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं से हुए गठजोड़ द्वारा की गई कार्यवाहियों को छिपाने के लिए सरकार और शासन को गलत सूचनाये प्रेषित की हैं और वर्तमान समय में भी की जा रही हैं।

मेरे द्वारा उल्लिखित उपरोक्त सभी 09 बिन्दुओं के लिखित अभिलेख/ प्रमाण मैं आपको दिखाने के लिए अपने साथ लेकर आया हूँ, आप इनका परीक्षण करा लें। यदि मेरी एक भी बात असत्य पाई जाए तो मुझे कठोरतम दण्ड प्रदान करें। हाँ यदि मेरी सभी बातें शत-प्रतिशत सही हो तो इस प्रकरण के दोषी आई0ए0एस0,पी0सी0एस0 अधिकारियों व भू-माफियाओं को कठोरतम दण्ड प्रदान करने का कष्ट करें, ताकि यह दूसरों के लिए सबक बन सके तथा मेरे सहित इस प्रकरण में पीड़ित सभी किसानों को न्याय प्रदान करने तथा मुझे व मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान करने की भी कृपा करें। आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक: 21-04-2017

न्याय की आशा में

ह0 अपठित

जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान

निवासी ग्राम-बुवाड़ा खुर्द, पोस्ट-खतौली,

जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, (251201)

नीचे अपना मोबाइल नम्बर लिखा _ 256

मा0 मुख्यमंत्री जी ने मेरी बातों को ध्यान पूर्वक सुना और कहा कि मैं इस प्रकरण में कार्यवाही अवश्य कराऊँगा तुम्हें तथा इन किसानों को न्याय अवश्य मिलेगा, दोषी चाहे कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा परन्तु पहले मैं तुम्हारे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों की जाँच कराऊँगा। मैंने खुशी-खुशी अपना शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उन्हें धन्यवाद देते हुए वहाँ से आ गया।

मा0 मुख्यमंत्री जी से मुलाकात के बाद मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था मुझे लगा कि अब इन दोषी अधिकारियों को कोई नहीं बचा पाएगा किन्तु अधिकारियों के हाथ कानून से भी लम्बे होते हैं। मा0 मुख्यमंत्रीजी के कार्यालय में तैनात एक विशेष सचिव मुख्यमंत्री ने मेरा प्रार्थना पत्र व उसमें अंकित बिन्दुओं को पढ़ा तो उन्हें यह समझते देर न लगी कि यदि सही जाँच हुई तो इन वरिष्ठ आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों का फँसना तय है, तब उन्होंने इस प्रार्थना पत्र में लिखे बिन्दु संख्या 07 को आधार बनाकर दिनांक 22-04-2017 में यह प्रार्थना पत्र प्रमुख सचिव, भूतत्व एवं खनिज को यह लिखकर भेज दिया कि कृपया जाँच कराकर शीघ्र आख्या की अपेक्षा की गई है, उन्होंने जानबूझकर मेरे प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं की जाँच हेतु यह प्रार्थना पत्र किसी जाँच एजेंसी या सक्षम अधिकारी को नहीं भेजा तथा मेरे इस प्रार्थना पत्र को शिकायत संख्या 15133170040096 के रूप में जन-सुनवाई में दर्ज करा दिया। जब इस जनसुनवाई का मैसेज मेरे पास फोन में आया तो मैंने इसका स्टेटस चेक किया, स्टेटस में मेरा प्रार्थना पत्र प्रमुख सचिव भूतत्व एवं खनिज को भेजा जाना दर्शा रहा था, मैंने जन सेवा केन्द्र वाले से इस शिकायत संख्या पर इस जनसुनवाई में रिमाइंडर/ आपत्ति डलवाई, जो इस प्रकार थी-

महोदय शिकायत संख्या 15133170040096 जो आई0ए0एस, पी0सी0एस अधिकारियों व भू-माफियाओं के सम्बन्ध में 09 बिन्दुओं की है, विशेष सचिव महोदय ने मात्र बिन्दु संख्या 07 की जाँच के आदेश पारित किए हैं शेष 08 बिन्दुओं के सम्बन्ध में जाँच के कोई आदेश पारित नहीं किए गए हैं ऐसा अधिकारियों को बचाने की रणनीति के तहत किया गया है मेरे प्रार्थना पत्र में अंकित सभी 09 बिन्दुओं की जाँच के लिए मेरे प्रार्थना पत्र की सक्षम अधिकारी/ अधिकारियों से जाँच कराया जाना आवश्यक है। _ **257**

दिनांक 08-05-2017 में यह प्रार्थना पत्र प्रमुख सचिव भू-तत्व एवं खनिकर्म ने जाँच हेतु निदेशक खनिज को भेज दिया। दिनांक 19-05-2017 में निदेशक खनिज ने यह प्रार्थना पत्र जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को जाँच हेतु भेज दिया। दिनांक 30-05-2017 में जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर ने यह प्रार्थना पत्र वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर को जाँच हेतु भेज दिया। दिनांक 30-05-2017 में ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने यह प्रार्थना पत्र जाँच हेतु क्षेत्राधिकारी खतौली को भेज दिया। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद मुजफ्फरनगर के पत्रांक-

257

आई0जी0आर0एस0/ एस0एस0पी0/ 151331700 40096/ 17 दिनांक 30-06-2017 के द्वारा श्री अजय सहदेव अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण/ नोडल अधिकारी, जनपद मुजफ्फरनगर द्वारा जिलाधिकारी मुजफ्फरनगर को पत्र लिखा गया कि- "कृपया आप आवेदक श्री जय भगवान पुत्र श्री चन्द्रभान निवासी ग्राम बुवाड़ा खुर्द पोस्ट खतौली जिला मुजफ्फरनगर के प्रार्थना पत्र सन्दर्भ संख्या 15133 1700 40096 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जो आई0ए0एस, पी0सी0एस0 अधिकारियों द्वारा भू-माफियाओं के साथ गठजोड़ करके अवैध कब्जा कराने, तहसील जानसठ के दर्जनों गाँव के सैकड़ो किसानों की भूमि पर वर्तमान में भू-माफियाओं का कब्जा होने तथा अधिकारियों की मिलीभगत से गंगा नदी से अवैध खनन कराने आदि विषयक है। सादर अवगत कराना है कि आवेदक श्री जय भगवान उपरोक्त ने अपने प्रार्थना पत्र में जनपद मुजफ्फरनगर के आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों के विरुद्ध कपितय आरोप अंकित किए हैं। प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह बात स्वत: स्पष्ट है। चूंकि प्रार्थना पत्र में आवेदक ने उच्चाधिकारीगण के विरुद्ध आरोप अंकित किये ग़ये हैं। जिस कारण उक्त प्रार्थना पत्र की जाँच पुलिस स्तर से किया जाना समीचीन प्रतीत नहीं होता है। उक्त प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के सम्बन्ध में जाँच/ आवश्यक कार्यवाही उच्चाधिकारीगण से कराए जाने के औचित्य पर विचार करने का कष्ट करे"। _ **258**

इसके बाद जब मुझे लगा कि मेरे इस प्रार्थना पत्र की कोई जाँच नहीं की जा रही है और अधिकारियों को बचाने का प्रयास किया जा रहा है तो मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र लिखा, जिसमें उनके साथ हुई मुलाकात, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लेख करते हुए एवं जनसुनवाई की संख्या को लिखते हुए यह माँग की कि मेरे प्रार्थना पत्र की जाँच के लिए सक्षम अधिकारी/ अधिकारियों की एक समिति नियुक्त करके प्रार्थना पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं के समस्त प्रमाण प्रार्थी से लिए जाये एवं उनका स्थलीय निरीक्षण/ सत्यापन कराकर दोषियों पर कार्रवाई हो तथा मुझे वह मेरे परिवार को सुरक्षा प्रदान की जाए। यह प्रार्थना पत्र मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी को दिनांक 13-07-2017 में रजिस्टर्ड डाक से भेजा। _ **259**

इसके बाद भी कोई कार्यवाही न होता देख मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी को पुनः एक प्रार्थना पत्र/ स्मरण पत्र लिखा इसमें जनसुनवाई की संख्या डालते हुए, दिनांक 21-04-2017 में उनके कार्यालय में उनसे हुई मुलाकात का उल्लेख करते हुए, उनके द्वारा दिए गए आश्वासन का उल्लेख करते हुए तथा यह अवगत कराते हुए की लगभग 04 माह का समय हो गया है किन्तु मेरे प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों/ आरोपो की जाँच भी प्रारम्भ नहीं की गई है और न हीं मुझे सुना गया है और न हीं मुझसे इस प्रार्थना पत्र में उल्लिखित आरोपो के लिखित प्रमाण प्राप्त किए गए हैं। इस प्रार्थना पत्र में मैंने मा0 मुख्यमंत्री जी से

258 **259**

अपनी एवं अपने परिवार की इन अधिकारियों और भू-माफियाओं द्वारा हत्या कराये जाने की आशंका व्यक्त करते हुए लिखा कि यदि ऐसा हुआ तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार/ जिला प्रशासन की होगी तथा मेरे प्रार्थना पत्र दिनांक 21-04-2017 की जाँच सक्षम अधिकारियों/ जाँच समिति से कराए जाने की माँग की। इस प्रार्थना पत्र में मैंने यह भी लिखा कि अधिकारी मेरे प्रार्थना पत्र को बिना जाँच किये फर्जी रूप से निस्तारित करना चाह रहे हैं। यह प्रार्थना पत्र मैंने दिनांक 10-08-2017 में रजिस्टर्ड डाक से मा0 मुख्यमंत्री जी को भिजवाया। _ **260**

इसके बाद भी इस प्रार्थना पत्र पर कोई कार्यवाही/ कोई जाँच शुरू नहीं किए जाने के कारण मैंने तीसरी बार मा0 मुख्यमंत्री जी को एक प्रार्थना पत्र/ स्मरण पत्र लिखा और इसमें मा0 मुख्यमंत्री जी से माँग की कि जब मेरे पास भू-माफियाओं के साथ गठजोड़ करके लूट, भ्रष्टाचार, गबन व आपराधिक कार्यवाही करने वाले आई0ए0एस0 एवं पी0सी0एस0 अधिकारियों के खिलाफ तमाम सबूत है तब फिर क्यों इस शिकायत संख्या 15133170040096 की जाँच क्यों नहीं की जा रही है और न हीं शिकायत के सम्बन्ध में मेरे से सबूत लिए जा रहे हैं इस प्रार्थना पत्र में मैंने यह भी लिखा है कि इस प्रकरण में शामिल अधिकारी व भू-माफिया इस जाँच से बचने के लिए मेरी व मेरे परिवार की हत्या कर सकते हैं या मुझे फर्जी मुकदमों में फँसा सकते हैं। और मैंने यह भी लिखा कि मेरी इच्छा यह है कि मेरी हत्या होने से पूर्व यह सबूत/ साक्ष्य मैं उत्तर प्रदेश सरकार के जाँचकर्ता अधिकारियों को सौंप दूँ एवं जाँच के सम्बन्ध में अपना बयान दर्ज करा दूँ। इस प्रार्थना पत्र में मैंने यह भी लिखा कि उत्तर प्रदेश शासन के कुछ अधिकारी दोषी अधिकारियों को बचाना चाहते हैं तथा इस प्रार्थना पत्र का फर्जी निस्तारण कराना चाहते हैं यह प्रार्थना पत्र मैंने दिनांक 06-09-2017 में रजिस्टर्ड डाक से मा0 मुख्यमंत्री जी को भिजवाया तथा इसके साथ दिनांक 21-04-2017 में दिए गए प्रार्थना पत्र, नेट से भेजे गए रिमाइंडर/ आपत्ति एवं दिनांक 13-07-2017 एवं दिनांक 10-08-2017 में भेजे गए प्रार्थना पत्रों की प्रतिलिपियाँ भी संलग्न की। _ **261**

मेरे द्वारा मा0 मुख्यमंत्री जी से स्वयं व्यक्तिगत रूप से उनके कार्यालय में मिलने, जनसुनवाई में रिमाइंडर भिजवाने, तीन अलग-अलग प्रार्थना पत्र मा0 मुख्यमंत्री जी को रजिस्टर्ड डाक से भिजवाने के बावजूद मेरे इस प्रार्थना पत्र की न कोई जाँच शुरू की गई, न मुझसे किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पर्क किया गया, न मुझसे इस प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो के सबूत प्राप्त किए गए। हाँ अधिकारियों और माफियाओं द्वारा यह प्लानिंग जरूर की गई "कि ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी" दिनांक 16-01-2018 में पूरी प्लानिंग के साथ मेरी हत्या कर दी गई थी, वह तो भगवान शंकर का ऐसा आशीर्वाद रहा कि मेरी जान बच गई जिसका विवरण में अंकित कर चुका हूँ और मेरे ही विरुद्ध फर्जी मुकदमा दर्ज करा दिया गया।

260

261

उत्तर प्रदेश शासन भू-तत्व एवं खनिकर्म अनुभाग के पत्र संख्या 1517/ 86 - 2018 लखनऊ: दिनांक 19-06-2018 के द्वारा लोक शिकायत, अनुभाग-02, उत्तर प्रदेश शासन को लिखा गया कि "आई0ए0एस0, पी0सी0एस0 अधिकारियों एवं भू-माफियाओं के गठजोड़ के सम्बन्ध में मा0 मुख्यमंत्री जी को सम्बोधित श्री जय भगवान मुजफ्फरनगर के पत्र दिनांक 21-04-2017 (आईजीआरएस सन्दर्भ संख्या 15133 1700 40096) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा उठाए गए बिन्दुओं में से बिन्दु संख्या 07 भू-तत्व एवं खनिकर्म विभाग से सम्बन्धित है जिसके सम्बन्ध में अवगत कराना है कि शिकायतकर्ता द्वारा बिना किसी तथ्य/ साक्ष्य के आधार पर अवैध खनन की बात कही है जो निराधार है और निक्षेपित किए जाने योग्य है अतः कृपया इसे आई0जी0आर0एस0 सन्दर्भों की लम्बित सूची से विलोपित करने का कष्ट करें" आत्माराम संयुक्त सचिव। _ **262** _ अब यह पूछने की हिम्मत तो किसी की नहीं थी कि इस बिन्दु संख्या 07 की जाँच हेतु आपने प्रार्थी से क्या सम्पर्क किया ? क्या आपने उसके बयान दर्ज किये ? क्या उससे कोई सबूत लिए ? क्या आपके द्वारा जाँच के लिए निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया गया ? क्या आपने मौके पर जाकर स्थलीय निरीक्षण किया ? इतने उच्च स्तर पर फर्जी निस्तारण ? और सबसे महत्वपूर्ण बिन्दु यह कि आप इस प्रार्थना पत्र में से मात्र एक बिन्दु संख्या 07 के आधार पर इस प्रार्थना पत्र में अंकित कुल 09 बिन्दुओं की जाँच के प्रार्थना पत्र को विलोपित करने के लिए किस अधिकार से संस्तुति कर सकते हैं। किन्तु अधिकारी जी हैं, जो लिखे वही नियम, वही कानून।

इसके बाद मैंने इस शिकायत संख्या पर जनसुनवाई के अन्तर्गत चार बार रिमाइंडर भेजें जिसका विवरण निम्न प्रकार है

(1.) 01-07-2018 महोदय, मेरी उक्त शिकायत पर आज तक भी मेरा पक्ष नहीं सुना गया और न हीं मुझसे मेरे द्वारा दिए गए प्रार्थना पत्र के सम्बन्ध में सबूत साक्ष्य लिए गए, फर्जी निस्तारण का प्रयास किया जा रहा है।

(2.) 01-08-2018 श्रीमान जी, मैं दिनांक 21-04-2017 में शाम 4:00 बजे मा0 मुख्यमंत्री जी के कार्यालय एनेक्सी भवन में मा0 मुख्यमंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिला था तथा अपना प्रार्थना पत्र उन्हें देते हुए प्रार्थना पत्र में उल्लिखित तथ्यों के सभी साक्ष्य उन्हें दिखाए थे। मा0 मुख्यमंत्री जी ने इस प्रकरण की उच्चस्तरीय जाँच करने का आश्वासन दिया था किन्तु एक वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बावजूद भी न तो मेरे बयान दर्ज किए गए और ना ही मुझसे मेरे द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित आरोपो के सम्बन्ध में लिखित सबूत प्राप्त किए गए क्या बड़े अधिकारियों द्वारा की गई लूट, भ्रष्टाचार और आपराधिक कार्यों की जाँच नहीं होती है, कृपया मेरे प्रार्थना पत्र का फर्जी निस्तारण न किया जाए।

(3.) 31-10-2018 महोदय, उक्त शिकायत संख्या में न तो आज तक प्रार्थी को सुना गया है

और ना हीं प्रार्थी से साक्ष्य लिए गए हैं इस शिकायत का निस्तारण करने से पूर्व प्रार्थी का पक्ष सुन लिया जाए और प्रार्थना पत्र में अंकित बिन्दुओं वह लगाए गए आरोपों के सम्बन्ध में प्रार्थी से साक्ष्य प्राप्त कर लिए जाए प्रार्थना पत्र का निस्तारण एकतरफा न किया जाए।

(4.) दिनांक 01-01-2019 को महोदय, प्रार्थी की शिकायत पर न तो अभी तक प्रार्थी के बयान अंकित किए गए हैं और ना ही प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों के साक्ष्य प्रार्थी से प्राप्त किए गए हैं जबकि प्रार्थना पत्र दिए एक लम्बा समय व्यतीत हो चुका है ऐसा महसूस होता है कि किसी समय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को फर्जी तरीके से निस्तारित किया जा सकता है। _ **263**

मेरे द्वारा इतने प्रयास किए जाने के बावजूद इस प्रार्थना पत्र को फर्जी रूप से दिनांक 03-01-2019 में रात्रि 10:43:47 P.M. पर फर्जी रूप से निस्तारित कर दिया गया। **मा0 मुख्यमंत्री जी यह अधिकारीगण आपके निर्देशों का पालन किस प्रकार करते हैं, उसका यह एक ज्वलंत उदाहरण है-** _ **264**

तो इस प्रकार यह मेरी आप-बीती, डायरी, आत्मकथा या कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत है इसमें व्याकरण सम्बन्धी अशुद्धियाँ हो सकती हैं क्योंकि मैं कोई कहानीकार या लेखक नहीं हूँ। मेरे साथ घटित इस घटनाक्रम के सभी सबूत/ प्रमाण मैंने **QR Code** के माध्यम से आपको उपलब्ध करा दिए हैं। आप इन्हें **Scan** करके देख सकते हैं तथा इनको **Download** करके प्रिंटआउट भी निकाल सकते हैं। एक बार फिर मैं समस्त देशवासियो के समक्ष यह घोषणा करता हूँ कि इस देश की कोई भी जाँच एजेंसी इस सम्पूर्ण घटनाक्रम की जाँच कर ले, मैं अपने द्वारा इस पुस्तक में लिखी गई सभी बातों को सही सिद्ध कर दूँगा और यदि इन अधिकारियों और माफियाओं ने उससे पहले ही मेरी एवं मेरे परिवार की हत्या करा दी या झूठे मुकदमों में फँसाकर जेल भिजवा दिया तो मैं मजबूर हूँ।

“सत्यमेव जयते”

263 **264**

अफसरशाही

एक अनसुना सच...

जय भगवान अग्रवाल का जन्म 02 मार्च 1970 को ग्राम-बुवाड़ा खुर्द, पोस्ट-खतौली, जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। जय भगवान ने अपनी मूलकृति में यह दर्शाया है कि इस देश में किसी सरकारी कर्मचारी के लिए ईमानदारी से कार्य करना कितना दुष्कर हैं, यदि कोई सरकारी कर्मचारी अपने कर्तव्यपथ से विचलित नही होता हैं तो अधिकारी उसे किस प्रकार फँसाते हैं। अधिकारीगण किस प्रकार अपराध करते हैं एवं उन अपराधों को छिपाने के लिए किस प्रकार समाज, शासन एवं सरकार को गुमराह करते हैं, अधिकारी किस तरह माफियाओं को संरक्षण प्रदान करते हैं फिर भी अधिकारियों का कुछ नही बिगड़ता हैं। इस देश में किसानों की बात तो सब करते हैं लेकिन उनका साथ कोई नही देता हैं।

लेखक - जय भगवान अग्रवाल (पटवारी)

Jai Bhagwan Aggarwal

afsarshahi.in

+91 9720110294

निवासी ग्राम-बुवाड़ा खुर्द, पोस्ट-खतौली,
जिला मुजफ्फरनगर, उत्तर प्रदेश, (251201)

Scan Me

978-81-95488-25-9